पंचम माला, खंड 38, अंक 36, सोमवार, 15 अप्रैल, 1974/25 चैत्र, 1896 (शक)

Fifth Series, Vol. XXXVIII, No. 36, Monday, April 15, 1974/ Chaitra 25, 1896(Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

LOK SABHA DEBATES

[Tenth Session / दसवां सत्र]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 38 में अंक 31 से 40 तक हैं / Vol. XXXVIII contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची
CONTENTS

अंक 36, सोमवार, 15 अप्रैल, 1974/25 चैत्र, 1896 (शक)

No. 36, Monday, April 15, 1974/Chaitra 25, 1896 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
ता० प्र० संख्या S.Q. No.		
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
668. उपकुलपतियों के चयन, नियुक्ति तथा पदावधि में एकरूपता	Uniformity in Selection, Appointment and tenure of Vice Chancellor . .	2
669. आयात तथा निर्यात व्यापार पर तेल संकट का प्रभाव	Effect of Oil crisis on Import and Export	5
670. उर्वरकों के उपयोग के संबंध में नीति	Strategy for use of Fertilisers	6
672. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के फील्ड ड्यूटी अधिकारियों को सवारी भत्ता	Conveyance Allowance for the Field Duty Officers of C.P.W.D. . .	8
674. भार्गव आयोग की सिफारिशों पर राज्य सरकारों के विचार	Views of State Government on recommendations of Bhargava Commission	10
675. ब्रिटेन द्वारा राष्ट्रमंडल के चीनी उत्पादक देशों को मुआवजा	Compensation by Britain to Common wealth Sugar Producing Countries	15
678. विभिन्न राज्यों में दुग्ध संयंत्रों के लिये समन्वय ऐजेंसी	Coordinated Agency for Milk Plants in various States	17
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० सं० S.Q. No.		
671. कैन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के लिये मंजूर धनराशि	Funds sanctioned for Central Social Welfare Board	18
673. नौवहन उद्योग के लिये विकास छूट फिर से प्रारम्भ करना	Restoration of Development Rebate for Shipping Industry . . .	19
676. गेंहूं की कमी के कारण पंजाब में उपभोक्ताओं को मकई की सप्लाई	Supply of maize to consumers in Punjab due to shortage of wheat	20

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता०प्र०संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
677.	दिल्ली में टैक्सी और स्कूटर के किरायों में वृद्धि की मात्रा	Extent of increase in Taxi and Scooter Fares in Delhi	20
679.	भारतीय खाद्य निगम की व्यापारिक गतिविधियां	Trade activities of FCI .	21
680.	लघु पत्तनों के लिये स्वीकृत धनराशि	Amount sanctioned for Minor Ports	21
681.	बम्बई पत्तन में बड़े जहाजों के ठहरने के लिये बड़ा घाट	Bigger Berth for Bombay Port to accommodate Larger Vessels . . .	22
682.	शिक्षा प्रणाली के बारे में जम्मू में आयोजित गोष्ठी	Seminar on Education System held at Jammu	22
683.	लघु पत्तनों का विकास	Development of Minor Ports .	23
684.	हल्दिया में लौह अयस्क का लदान	Loading of Iron Ore at Haldia .	23
685.	चौथी योजना में आंध्र प्रदेश के लिये रखा गया शिक्षा संबंधी सुविधाओं का लक्ष्य	Target of Education facilities extended to Andhra Pradesh during Fourth Plan	23
686.	केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम (सेंट्रल रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन) का विघटन	Dissolution of CRTC . .	24
687.	सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन	Amendments to Cooperative Societies Act	25
688.	फरक्का बांध और हल्दिया गोदी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब	Delay in Implementation of the Farakka Barrage and Haldia Dock Projects . .	25
अता० प्र० सं० **U.S.Q. No.**			
6584.	मध्य प्रदेश में आदिम जाति विकास खंड और विशेष क्षेत्र परियोजनाएं	Tribal Development Blocks and Special Area Projects in M.P. . . .	25
6585.	नगर निगम प्राथमिक विद्यालय, अशोक पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली की मुख्याध्यापिका के विरुद्ध शिकायत	Complaint against Headmistress of Municipal Corporation Primary School, Ashoka Park Extension, New Delhi .	26
6586.	भवन निर्माण ऋण पर लगी रोक हटाये जाने के पश्चात् दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के लिये भुगतान करने हेतु सरकारी कर्मचारियों को अनुमति	Permission to Government employees to make payments for DDA flats after ban on House Building Advance is Lifted	27

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6587.	केरल में केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ	Central Sanskrit Vidya Peetha in Kerala	27
6588.	सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोचीन के कर्मचारियों की मांगें	Demands of employees of Central Marine Fisheries Research Institute, Cochin	27
6589.	गैहूं के वसूली लक्ष्य निर्धारित करने के लिये केन्द्र पर छोड़ा गया निर्णय	Decision left with the Centre to fix Procurement targets of wheat . .	28
6590.	केन्द्रीय कृषि यांत्रिक संस्थान की स्थापना	Setting up of a Central Agricultural Mechanical Institute . . .	28
6591.	देश में पशु वध शालाएं	Slaughter houses in the country	29
6592.	उत्तर प्रदेश द्वारा मांगा गया तथा उसे सप्लाई किया गया गैहूं और मोटा अनाज	Wheat and Coarse grains demanded by and supplied to Uttar Pradesh . .	29
6593.	हरियाणा द्वारा मांगा गया तथा उसे सप्लाई किया गया चावल	Quantity of rice demanded by and supplied to Haryana	29
6594.	तमिलनाडु में परिवहन सुविधाओं और राजपथों के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता	Financial assistance for transport facilities and construction of highways in Tamil Nadu	30
6595.	नई दिल्ली में इन्द्रपुरी से पटेलनगर तक सड़क	Road between Indrapuri and Patel Nagar, New Delhi	31
6596.	इन्द्रपुरी से छावनी तक सड़क	Road connecting Indrapuri with Cantonment	31
6597.	कोहाट सहकारी गृह निर्माण समिति, दिल्ली की वार्षिक बैठक	Annual Meeting of the Kohat Cooperative Housing Society, Delhi . . .	31
6598.	कोहाट सहकारी गृह निर्माण समिति, दिल्ली का लेआउट प्लान	Lay out Plan of Kohat Cooperative House Building Society, Delhi . .	32
6599.	दिल्ली के स्कूलों में सेलेक्शन ग्रेड के लिये चुने गये अध्यापकों के नामों की सूची	List of names of teachers selected for Selection Grade in Delhi Schools . .	32
6600.	दिल्ली स्कूल अध्यापक संघ को मान्यता देना	Recognition to Delhi School Teachers Association	33

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6601.	मध्य प्रदेश में गेहूं के पूरे कोटे की वसूली न होने पर किसानों में असंतोष	Resentment on non-procurement of full quota of wheat in Madhya Pradesh . 33
6602.	मध्य प्रदेश में दोहरे किये जा रहे राष्ट्रीय राजपथ	National Highways being doubled in Madhya Pradesh . . . 34
6603.	बुरहानपुर तहसील में एक स्टेडियम का निर्माण	Construction of Stadium in Burhanpur Tehsil 34
6604.	दिल्ली में जूनियर ड्राइंग अध्यापकों की पदोन्नति	Promotion of Junior Drawing Teachers in Delhi 35
6605.	दिल्ली-35 क्षेत्र के आस-पास की भूमि का उपयोग	Use of land lying around in Delhi-35 Area 35
6606.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियरों के पद पर कार्य कर रहे इंजीनियरिंग स्नातक	Engineering graduates working as Junior Engineers in C.P.W.D. . . . 36
6607.	जूनियर इंजीनियरों के रूप में कार्य कर रहे इंजीनियर स्नातक	Engineering Graduates working as Junior Engineers 36
6608.	ट्रक मालिकों द्वारा हड़ताल की धमकी	Strike threat by Truck owners . 37
6609.	मछली पकड़ने की नौकाओं की खरीद के लिये कुछ देशों के साथ बातचीत	Negotiations with some countries for purchase of fishing trawler . . 38
6610.	दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा के निकट दिलशाद गार्डन एक्सटेंशन एक कालोनी	Dilshad Garden Extension I Colony near Delhi-U.P. Border . . . 38
6611.	बम्बई-आगरा राष्ट्रीय राजपथ	Bombay-Agra National Highway . 38
6612.	स्वेज नहर को खोलना	Opening of Suez Canal . 39
6613.	महाराष्ट्र के सूखा से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लिये पांचवीं योजना में विशेष सहायता	Special Assistance during Fifth Plan for Drought Prone Areas of Maharashtra . 39
6614.	अफीम की खेती के लिये बीमा योजना	Insurance Scheme for Opium Cultivation. 40
6615.	हल्द्वानी में खोज कार्यों में प्रयुक्त नलकूप	Exploratory Tube well in Haldwani . 40

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6616.	कालपात्र में राष्ट्रीय नेताओं के चित्र / Portraits of National Leaders in Capsule.	41
6617.	चौथी योजना में लगाये जाने वाले नलकूपों के लिये निधि / Funds for Setting up Tube Wells in Fourth Plan	41
6618.	वर्ष 1974 के दौरान सिंचाई सुविधाओं के लिये प्रोत्साहन / Incentive for Irrigation facilities during 1974	42
6619.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उपनगरों के विकास पर हुआ खर्च / Amount spent on developing towns in the National Capital region during Fifth, Five Year Plan	43
6620.	दिल्ली के हायर सैकेंडरी स्कूलों में वाइस प्रिंसिपलों की नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित कोटे का निर्धारण / Fixation of reserved quota for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in appointment of Voice-Principal at in Delhi Higher Secondary School . . .	43
6621.	पश्चिम बंगाल के अहमदपुर, बीरभूम में चीनी कारखानों का पुनः खोला जाना / Reopening of Sugar, Industry at Ahmed-Pur, Birbhumc in West Bengal .	43
6622.	धान मिलों का आधुनिकीकरण / Modernisation of Rice Mills	44
6623.	धान की भूसी के तेल से वनस्पति घी का उत्पादन / Production of Vanaspati from Paddy Bran Oil	45
6624.	गोबर गैस संयंत्रों की सीमांत लागत / Marginal cost of Goblar Gas Plants	46
6625.	चक्षुहीनों द्वारा भूख हड़ताल / Hunger Strike by Blind	47
6626.	जाली दुग्ध-टोकनों की जांच-पड़ताल / Check on Ghost Milk Tokens .	47
6627.	टैगोर शताब्दी अंक का प्रकाशन / Publication of Tagore Centenary Volume	47
6628.	कृषि मंत्रालय में लोअर डिवीजन क्लर्क / Lower Division Clerks in Ministry of Agriculture	48
6629.	तिलक नगर से गालिबपुर-घूमनहरा तक के नये रुट 52-ए को समाप्त करना / Withdrawal of New Route No. 52A from Tilak Nagar to Gorakhpur Ghumenhera	49

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6630.	दिल्ली में 'स्लम' विभाग के अधीन प्लाटों की नीलामी — Auction of Plots under the slum Department in Delhi	49
6631.	महिला पोलीटेक्निक्स — Women Polytechnics	50
6632.	तमिलनाडु में पांचवीं योजना के दौरान बेकार पड़ी भूमि के विकास के लिये धनराशि देने का अनुरोध — Request for Funds for Development of Waste land during Fifth Plan in Tamil Nadu	50
6633.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा आयोजित एक गोष्ठी में चावल, ज्वार और दालों का उत्पादन बढ़ाने का अनुरोध — Plea for Stepping up Production of Rice, Jawar, and Pulses at a Seminar Organisation by ICAR	51
6634.	खाद्य और कृषि संगठन के अन्तर्गत छोटे किसानों की समस्याओं का अध्ययन — Study of Problems of Small Farmers under FAO	52
6635.	आवास तथा नगरीय विकास निगम द्वारा राज्यों के लिये स्वीकृत योजनाएं — Scheme Sanctioned by HUDCO in States	52
6636.	महत्वपूर्ण जलमार्गों का राष्ट्रीय जलमार्ग माना जाना — Important Waterways as National waterways	53
6637.	बिरला इंस्टीट्यूट आफ साइंस एंड टैक्नालाजी, पिलानी में अध्यापक — Teaching Staff in Birla Institute of Science and Technology, Pilani	54
6638.	मोटे अनाज के मूल्यों में गिरावट तथा उनके लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने तथा हटाये जाने के कारण — Fall in Price of Coarse Grains and Reasons for imposing and removing Restrictions on its Movements	54
6639.	दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध केन्द्रों के दोषपूर्ण कार्यकरण के विरुद्ध शिकायतें — Complaints against Faulty Functioning of DMS Milk Booths	55
6640.	दिल्ली दुग्ध योजना के बारे में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की सिफारिश — Recommendation of National Dairy Development Board on Delhi Milk Scheme	55
6641.	दुधारु पशु और उनसे उपलब्ध होने वाला दुध और चारे की आवश्यकता — Milch Cattle and their Yield and Requirement of Fodder	56

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6642.	देश में दूध का उत्पादन और ढोर फार्मों तथा चारा संयंत्रों की स्थापना	Milk production in the country and setting up of cattle Farms and Fodder Plants 58
6643.	पश्चिम बंगाल में अन्तर्देशीय जल परिवहन कर्मचारियों के लिये उच्च प्रशिक्षण	Higher Training for Inland Water Transport Crew for West Bengal . 58
6644.	विदेशी जहाजों को मिल रही पत्तन संबंधी सुविधायें	Port Facilities enjoyed by foreign Ships . 59
6645.	रायदिही, सुन्दरबन में पूरे वर्ष काम आने वाला घाट (जेट्टी)	All weather jetty at Raidihi, Sunderbans 59
6646.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सुन्दरबन में नदियों से रेत निकालने संबंधी कार्यक्रम	Programme for dredging rivers in Sundarbans in Fifth Year Plan . . 60
6647.	घी और मक्खन की प्रति व्यक्ति खपत	Per Capita consumption of Ghee and Butter 60
6648.	खेतिहर मजदूरों को दी गई भूमि	Land given to agricultural labour . . 61
6649.	भूमिहीन ग्रामीण व्यक्तियों को आवास स्थान	Dwelling units to landless people in rural areas 62
6650.	बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय का कई बार बंद होना	Number of times B.H.U. remained closed 63
6651.	वर्ष 1974-75 के दौरान सरकारी क्वार्टरों का निर्माण	Construction of Government quarters during 1974-75 64
6652.	दिल्ली में अनुसूचित जनजातियों के लिये दुकानों के आवंटन में आरक्षण	Reservation for allotment of Shops for S.T. in Delhi 64
6653.	कलकत्ता और करीमगंज के बीच स्टीमर सेवाएं	Steamer Services between Calcutta and Karimganj 65
6654.	हल्दिया पत्तन पर ड्रेजरों का लगाया जाना	Dredgers Work at Haldia Port . 65
6655.	पारादीप पत्तन के लिये वृहद् योजना	Master Plan for Paradeep Port . 65
6656.	आंध्र प्रदेश को दी जाने वाली परिवहन सुविधाओं का लक्ष्य	Target of Transport facilities extended to Andhra Pradesh 66

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6657. पांचवीं योजनाओं में आंध्र प्रदेश को दी जाने वाली परिवहन सुविधाओं का लक्ष्य	Target of Transport facilities extended to Andhra Pradesh in Fifth Plan .	66
6658. पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पोतों की आवश्यकता का अनुमान	Assessment of Ships required during Fifth Five Year Plan . . .	66
6659. वर्ष 1973-74 के दौरान केरल के मुख्य मंत्री और खाद्य मंत्री द्वारा चावल और गेहूं की सप्लाई का अनुरोध	Number of Times Chief Minister and Food Minister of Kerala requested for Rice and Wheat during 1973-74 .	67
6660. आवास तथा नगरीय विकास निगम लिमिटेड को हुआ लाभ तथा हानि	Profit or loss incurred by the HUDCO .	67
6661. केरल में कृषि, वन तथा सहकारी समितियों के विकास के लिये आवंटित की गई धनराशि	Amount allotted to Kerala for Development of Agriculture forests and Co-operative in Kerala	68
6662. आर्थिक संकट-ग्रस्त चीनी मिलों में काम का बंद होना	Non-functioning of Sick Sugar Mills .	68
6663. खुले बाजार में उपलब्ध खाद्यान्न की प्रतिशतता	Percentage of Foodgrains available in the open Market	69
6664. जय देव पार्क, दिल्ली में दुग्ध योजना के दुग्ध केन्द्र	Milk Booth of DMS in Jai Dev Park, Delhi	69
6665. साइकिल स्टेण्ड के ठेकेदारों के एसोसिएशन द्वारा पेश की गई मांगें	Demands submitted by the Association of Cycle Stand Contractors . .	69
6666. चावल, गेहूं और मक्की पर अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के साथ समझौता	Agreement with international Agencies for Research on Rice, Wheat and Maize	70
6667. अनाज के उत्पादन के अतिशयोक्तिपूर्ण आंकड़े	Exaggerated Figures of Food Production	71
6668. फालतू खाद्यान्न वाले राज्यों द्वारा केन्द्रीय पूल में खाद्यान्न का अधिकतम योगदान किये जाने के बारे में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश	Recommendation of Agricultural Prices Commission of Maximising contribution of Foodgrains to Central Pool by Surplus States	71

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6669. विभिन्न उर्वरकों के प्रयोग के कारण खाद्यान्नों के पौष्टिक तत्व में भिन्नता	Nutritive content in Foodgrains differ due to use of different fertilisers . .	71
6670. सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में नदी में चल रहे नाव तथा जहाज	River Boats and Vessels operating in Public and Private Sectors . . .	72
6671. चीनी के मूल्य में वृद्धि करने का निर्णय	Decision to increase Price of Sugar	72
6672. 'केयर' द्वारा दी गई सहायता से बच्चों के लिए बिस्कुट, हलवा, और अन्य खाद्य पदार्थों की सप्लाई	Supply of Biscuits, Puddings and other Edibles to Children from aid received from CARE	72
6673. भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला का कार्यकरण	Functioning of Indian Institute of Advanced Studies, Simla . . .	73
6674. गुजरात में आवास कालोनियों का निर्माण	Construction of Housing Colonies in Gujarat	73
6675. गुजरात विश्वविद्यालय के शोध छात्रों को मिलने वाली परिलब्धियां	Emoluments to Research Fellows in Gujarat University	73
6676. पांचवीं पंचवर्षीय योजना में नये जहाज निर्माण कारखाने	New Shipyards during Fifth Five Year Plan	74
6677. केरल से केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत दो लघु डिपार्टमेंट स्टोर खोलने के बारे में परियोजना प्रतिवेदन	Project Report for two Mini Department Stores under Central Sector Scheme from Kerala	74
6678. दिल्ली दुग्ध योजना के दुध की सप्लाई के लिए "तेत्र पाक" का प्रयोग	Use of Tetra Pak for Supply of DMS Milk	75
6679. वर्ष 1970–71 के दौरान भारतीय खाद्य निगम को हुई खाद्यान्न की हानि	Loss of Foodgrains by FCI during 1970–71	75
6680. गुजरात तथा महाराष्ट्र में खाद्य स्थिति	Food position in Gujarat and Maharashtra	76

अता० प्र० सं० U.S.Q. No	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6681. महाराष्ट्र के कोलाबा जिले में रेवास करंजा पुल	Revas Karanja Bridge in Kolaba District, Maharashtra	76
6682. उर्वरकों के बिना चावल का उत्पादन	Production of Rice without Fertiliser	77
6683. राज्यों में संस्कृति का संहिताकरण	Codification of Culture in States .	77
6684. वर्ष 1974–75 के लिये गेहूं का क्रय मूल्य निर्धारित करने का मानदंड	Criteria for Fixing Procurement Price of Wheat for 1974–75 . . .	78
6685. टैक्सी में अधिक यात्री ले जाने के लिये अनुमति	Permission for taking more passengers in a Taxi	78
6687. विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष का वक्तव्य	Statement by Chairman, UGC on University Education	78
6688. अंतर्राष्ट्रीय मक्का तथा गेहूं सुधार केन्द्र, मैक्सिको के निदेशक का गेहूं के विकास तथा खाद्यान्न की कमी के बारे में विचार	Views of Director of International Maize and Wheat Improvement Centre, Mexico on Wheat Development and Food Shortage	79
6689. दिल्ली में उचित दर दुकानों को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्न तथा चीनी देने संबंधी नई पद्धति का परिणाम	Result of New System of Issue of Foodgrains and Sugar by FCI Depots to Fair Price Shops in Delhi . . .	80
6690. राजधानी में बेहतर बस सेवा	Better Bus Service in the Capital	80
6691. असम में कृषि विकास के लिए नियत धनराशि	Funds allotted to Development of Agriculture in Assam	80
6692. भारत-यमन सांस्कृतिक समझौता	Indo-Yemen Cultural Pact	82
6693. वर्ष 1972–73 में राष्ट्रीय संग्रहालय में चोरियां	Thefts in National Museum during 1972–73	83
6694. बेल्जियम के साथ सांस्कृतिक समझौता	Cultural Pact with Belgium .	83

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6695. भारतीय खाद्य निगम द्वारा महाराष्ट्र में विषाक्त गेहूं की बिक्री	Sale of Poisonous Wheat in Maharashtra by FCI	84
6696. हरियाणा से बीज के लिये भेजे गये गेहूं की महाराष्ट्र में बिक्री	Wheat Exported from Haryana as seed sold in Maharashtra	84
6697. सिंधी भाषा के विकास के लिए आवंटन	Allocation for Development of Sindhi Language	84
6698. "फिशी बिजनेस वाई यू० एस० फर्म इन वे आफ बंगाल" शीर्षक से समाचार	Fishy Business of US Firm in Bengal Bay	85
6699. "शिप्स आन आर्डर आर अनसू-- टेबल फार इंडियन पोर्टस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार	Ships on order are unsuitable for Indian Ports	85
6700. गुजरात में खाद्य स्थिति	Food position in Gujarat	86
6701. पांडिचेरी में विश्वविद्यालय	University at Pondicherry	86
6702. दिल्ली दुग्ध योजना के अन्तर्गत बने दूध के डिपुओं पर शेड की व्यवस्था	Provision of Sheds on DMS Milk Booths	87
6703. मंत्रालय में नये पदों को बनाना	Creation of New Posts in the Ministry	87
6704. खाद्यान्नों का कोटा बढ़ाने के लिये राजस्थान सरकार का अनुरोध	Request from Rajasthan for increase in Foodgrains Quota	87
6705. राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की तेरहवीं बैठक	13th Meeting of National Council for Women's Education . . .	88
6707. दिल्ली में शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव	Proposal to increase number of Liquor Shops in Delhi	88
6708. सरकारी भवनों में स्थित साइकिल स्टेण्डों के ठेकेदार	Government building Cycle Stand Contractors	89
6709. "लैंड रिजर्वस्" के मूल्यांकन तथा प्रबन्ध के लिए केन्द्रीय भूमि का प्राधिकरण	Central Land Authority for Assessment and Management of Land Reserves	89

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6710	धनौरी मंडी मुरादाबाद में किराये के गोदाम	Godowns on Rent in Dhanora Mandi, Moradabad	90
6711	रुपये के भुगतान के आधार पर खाद्यान्नों का आयात	Import of Foodgrains against Rupee Payment	90
6712	कनाट प्लेस क्षेत्र, नई दिल्ली का विकास	Development of Connaught Place Area, New Delhi	91
6713	गुजरात में कर्मचारियों को खाद्यान्न अग्रिम	Foodgrains Advance to Employees in Gujarat	91
6714	श्री लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के लिये अदा किया गया किराया	Amount paid as Rent for Shri Lal Bahadur Shastri Central Sanskrit Vidyapeeth, New Delhi	91
6715	साहित्य निर्माण के लिये राज्यों को सहायता	Aid to States for Production of Literature	92
6716	समाज कल्याण विभाग द्वारा सहरसा जिले में संस्थानों को दी गई राशि	Institutions in Sharsa Distt. by S.W. Deptt.	93
6717	गत वर्ष की तुलना में चीनी का उत्पादन	Production of Sugar as compared to Last Year	93
6718	दिल्ली में सांविधिक राशन व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव	Proposal to Introduce Statuatry Rationing in Delhi	93
6719	दो भूखे परिवारों के सात सदस्यों की हत्या	Murder of 7 persons of two starving Families	94
6720	बिहार के छात्रों की मांग और छात्रवृत्तियों की राशि में वृद्धि	Bihar Students' demand and increase in amount of Scholarships . . .	94
6721	दिल्ली विकास प्राधिकरण की नई कालोनी, विवेकानन्द पूरी में स्वास्थ्य के लिये जोखिम	Health Hazard in Vivekanand Puri a New DDA Colony	94
6722	मारिशस और भारत के बीच माल-एंव यात्री सेवा प्रारम्भ करना	Setting up of Cargo cum Passenger Service between Mauritious and India .	95

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6723	दिल्ली में जाली राशन कार्ड समाप्त करने का अभियान	Campaign to Eliminate Bogus Ration Cards in Delhi	95
6724	विकलांग व्यक्तियों की सहायता करने के लिये उप-कर लगाने का प्रस्ताव	Proposal to levy cess to help physically Handicapped	96
6725	दिल्ली में कक्षा आठ के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा	Free Education for Class VIII Students in Delhi	96
6726	दिल्ली दुग्ध योजना के दूध के मूल्य में और वृद्धि करना	Further increase in Price of Milk of DMS	96
6727	दिल्ली में वनस्पति के थोक व्यापार का सरकारीकरण	Take over of Wholesale trade in Vanaspati in Delhi	97
6728	10, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली का क्रय	Purchase of House at 10, Prithivi Raj Road, New Delhi	97
6729	बिजली और उर्वरकों की कमी के कारण पंजाब और हरियाणा में खाद्य उत्पादन में कमी	Fall in Agricultural Production in Punjab and Haryana due to Power and Fertilisers shortage	97
6730	बम्बई बन्दरगाह पर गोदी सुविधाएं	Berthing Facilities in Bombay Port	98
6731	भूगोल की पाठ्य पुस्तकों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को चिन्हित करना	Indication of Andaman and Nicobar Islands in Geography Text Books .	98
6732	उर्वरकों में कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग	Use of Calcium Ammonia Nitrate in Fertiliser	99
6733	तमिलनाडु में चीनी की वसूली	Recovery of Sugar in Tamil Nadu .	99
6734	भारत तथा रूस के युवा वर्ग के क्रियाकलापों पर पुस्तक	Book on Activities of Indian and Soviet Youth	100
6735	दिल्ली दुग्ध योजना के टोकनधारियों को दूध की कम मात्रा में सप्लाई	Short Supply of Milk to Token Holders of DMS Milk	100

अता० प्र० सं० U.S.Q. No,	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6736. जहाजों की लागत के लिए ऋण मंजूर करने की नीति	Policy for granting loans for the cost of Ships for Vessels	100
6737. केन्द्रीय विद्यालय	Central Schools	101
6738. दिल्ली में दूध की मांग और सप्लाई	Demand and Supply of Milk in Delhi	103
6739. भूमि के बटवारे को रोकने के लिये सहकारी और सामूहिक खेती	Cooperative and collective farming to check fragmentation of land . .	104
6740. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली में अनुसूचित जातियों के छात्रों को रियायतें	Concession to S.C. Students in I.I.T. New Delhi	104
6741. तटीय जहाजों के लिये रूमानिया को दिये गये क्रयादेश	Orders with Rumania for Coastal Ships	104
6742. दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अभिभावक-अध्यापक संघ	Parents teachers associaition in H.S. School, Delhi	105
6743. दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग द्वारा क्वार्टरों का निर्माण	Quarters constructed by Education Department of Delhi Administration .	105
6744. ग्रीन लाइन सेवा	Green Line Service	106
6745. हिमपातप के कारण उत्तर प्रदेश में कृषि पर विपरीत प्रभाव	Set back to Agriculture in U.P. due to Snow Fall	107
6746. विकलांगों के लिए शिक्षा संस्थाएं	Educational Institutions for Handicapped	107
6747. बंगला देश होते हुए पश्चिम बंगाल तथा आसाम् के बीच नदी यातायात चालू करने की अनुमति	Permission to operate river traffic between West Bengal and Assam via Bangladesh	107
6748. कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में जहाजों को रोकने की घटनाएं	Incidents of detaining ships at Calcutta, Bombay, Madras	108
6749. प्रस्तावित अधिभार का प्रभाव	Effect of Proposed Surcharge .	108
6750. कलकत्ता, बम्बई और मद्रास पत्तनों से प्राप्त राजस्व/उतारा-चढ़ाया गया माल	Revenue Earned Traffic handled by Calcutta, Bombay and Madras Ports .	108

अता० प्र० सं०	विषय	पृष्ठ
U. S. Q. No.	SUBJECT	PAGES
6751. भारतीय खाद्य निगम द्वारा बिहार की रोलर फ्लोर मिलों को पानी में भीगे हुए किन्तु नष्ट होने से बचे गेहूं का आवंटन	Salvaged and water soaked wheat allotted to Roller Flour Mills in Bihar by Food Corporation of India . . .	109
6752. कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप-कुलपति द्वारा लिखित पुस्तिका	Booklet by Vice Chancellor of Calcutta University	109
6753. कार्बनिक खाद के विकास के लिये द्रुत कार्यक्रम	Crash Programme for Development of Organic Manure	110
6754. हुगली नदी में नौगम्यता न होने सकने के कारण जहाजों को होने वाली कठिनाइयां	Ships facing difficulty for lack of Navigability of River Hooghly . . .	111
6755. सोयाबीन की खेती के लक्ष्यों में सफलता	Success in targets of Soyabean Cultivation	112
6756. बिहार राज्य में नवनिर्मित मकानों की भारी मांग	Great demand of newly constructed Houses in Bihar State . . .	112
6757. कलकत्ता राज्य परिवहन निगम को एक करोड़ रुपये की धनराशि देना	Rs. 1 crore to Calcutta State Transport Corporation	113
6758. अधिक खाद्यान्न वनस्पति और मिट्टी के तेल के लिए उड़ीसा से अनुरोध	Request from Orissa for More Foodgrains Vanaspati and Kerosene Oil . .	113
6759. उड़ीसा में गेहूं और चावल का उत्पादन	Wheat and Rice Production in Orissa	114
6760. उड़ीसा में युवक केन्द्र	Youth Centres in Orissa	115
6761. पांचवी योजना में कपास का उत्पादन	Cotton Production during Fifth Plan	115
6762. उड़ीसा में बेरोजगार कृषि स्नातक	Unemployed Agricultural Graduates in Orissa	117
6763. विकलांगों का पुनर्वास करने संबंधी योजना	Scheme to Rehabilitate Physically Handicapped	117

अता० प्र० सं० U.S.Q.No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6764. भारतीय उर्वरक निगम द्वारा रासायनिक खाद में मिलावट और कम तौल की सप्लाई के बारे में शिकायतें	Complaints regarding supply of Adulterated and under weighed chemical Fertiliser by FCI	118
6765. पिछले तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों में खाद्यान्न का उत्पादन	Production of Foodgrains in various States during last three years . .	120
6766. दिल्ली में परीक्षाओं में कदाचारों को रोकने के लिये कार्यवाही	Steps to prevent Malpractices in Examinations to Delhi	120
6767. राष्ट्रीय राजपथ पर सड़क के किनारों पर सुविधायें उपलब्ध कराने संबंधी अध्ययन दल	Study Group on way side Amenities on the National Highway . . .	121
6768. मध्य प्रदेश में केन्द्रीय विदेशी पशु प्रजनन फार्म	Central Foreign Cattle Breeding Farm in M.P.	123
6769. ढोर-रोगों के उपचार के लिये टीके बनाना	Manufacture of Vaccination for Cattle Diseases	123
6770. पांचवीं योजना में समन्वित पशु प्रजनन कार्यक्रम	Coordinated Cattle Breeding Programme during Fifth Plan	123
6771. विद्या भवन उच्चतर माध्यमिक स्कूल, दिल्ली के शिक्षकों की बहाली	Reinstatement of Teachers in Vidya Bhavan Higher Secondary School, Delhi	123
6772. ग्रामीण सेवाओं में डिप्लोमा पाठ्यक्रम	Diploma Course in Rural Services .	124
6773. मध्य प्रदेश में गेहूं का खुदरा मूल्य	Retail Price of Wheat in Madhya Pradesh	125
6774. बने-बनाए मकानों के एलाटियों को दिल्ली विकास प्रधिकरण की अन्य स्कीमों के अधीन मकान/प्लाटों को खरीदने की अनुमति	Permission to purchase of House/Plots under any other scheme of the DDA to allottees of ready built houses .	125
6775. भारतीय खाद्य निगम द्वारा लेवी की चीनी सप्लाई न करने के बारे में मध्य प्रदेश सरकार की शिकायत	Complaint by Madhya Pradesh Government for Non Supply of Levy Sugar by FCI	126

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6776. मध्य प्रदेश को वनस्पति उत्पादों का आवंटन	Allotment of Vegetable Products in Madhya Pradesh	126
6777. उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर गेहूं का सप्लाई	Supply of Wheat to consumer at Subsidised Rates	126
6778. फील्ड एडवाइज़र लाइब्रेरी साइंस के भर्ती के नियम	Recruitment Rules for Field Adviser Library Science.	127
6779. दिल्ली प्रशासन द्वारा पुस्तकाध्यक्ष की भर्ती करने संबंधी नियम	Rules Governing Appointment of Librarian by Delhi Administration . .	127
6780. हरियाणा में पाये गये हड़प्पा-पूर्व सभ्यता के अवशेष	Remain of pre-harappan Civilisation found in Haryana	127
6781. मनीपुर राज्य व्यापार गोदामों में खाद्यणों का खराब हो जाना	Foodgrains got rotten in Manipur State Trading Godown	128
6782. केरल के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की सप्लाई	Drinking Water Supply in Rural Areas of Kerala	128
6783. अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई	Length of National Highways on All India Level	128

स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re. Motion for Adjournment	129
सभा के अवमान के बारे में	Re. Contempt of the House .	132
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	135
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee .	142
116 वां प्रतिवेदन	Hundred and Sixteenth Report .	142
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	Committee on Government Assurances .	142
8 वां प्रतिवेदन	Eighth Report .	142
नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter under rule 377 . .	143
कानपुर के एक हस्पताल में नकली ग्लूकोस इन्जेक्शनों के कारण अनेक रोगियों की मृत्यु का समाचार	Reported death of several patients in a Kanpur Hospital after taking spurious glucose injections	143

अता० प्र० सं० विषय U.S.Q. No.	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
पाण्डिचेरी बजट, 1974-75—सामान्य चर्चा और लेखानुदानों की मांगें, पाण्डिचेरी, 1974–75	Pondicherry Budget, 1974-75 General Discussion and Demands for Grants, on Account, Pondicherry, 1974-75	144
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee.	144
श्री एम० कल्याणसुन्दरम	Shri M. Kalyanasundaram	145
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannathrao Josi .	146
श्री जी० विश्वनाथ	Shri G. Viswanatham	146
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	147
पाण्डिचेरी विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 1974	Pondicherry appropriation (Vote on Account) Bill 1974	149
पुरः स्थापित तथा पारित	Introduced and Passed	149
श्री सेझियन	Shri Sezhiyan	149
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	150
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	151
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale .	153
अनुदानों की मांगें, 1974–75	Demands for Grants, 1974-75	157
इस्पात और खान मंत्रालय	Ministry of Steel and Mines .	157
श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव	Shri G. P. Yadav .	158
श्री दामोदर पांडे	Shri Damodar Pandey	160
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha . .	161
श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyyia	162
श्री धन शाह प्रधान	Shri Dhan Shah Pradhan	163
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra	164
श्री चन्दू लाल चन्द्राकर	Shri Chandulal Chandrakar . .	165
बिहार की स्थिति संबंधी वक्तव्य के बारे में	Re. Statement on Bihar Situation .	165

लोक-सभा

LOK SABHA

अंक 36 सोमवार, 15 अप्रैल, 1974/25 चैत्र, 1896 (शक)

No. 36, Monday, April 15, 1974/Chaitra 25, 1896 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at eleven of the clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr Deputy Speaker in the Chair]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

Obituary Reference

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे अपने सहयोगी, जो सदन के माननीय सदस्य थे, के दुःखद निधन की सूचना देनी है । इससे पहले में यह कहना चाहता हूं कि सदन का समय बचाने के प्रयोजन से यह निर्णय किया गया था कि यदि व्यक्ति विशिष्ट प्रतिष्ठा वाला न हो, तो केवल अध्यक्षपीठ द्वारा ही निधन संबंधी उल्लेख किया जाए और निधन सम्बन्धी भाषण न दिए जाएं । अतः मैं ऐसा ही करूंगा ।

श्री एस०एम० बनर्जी (कानपूर) : में 'विशिष्ट' शब्द पर विरोध प्रकट करता हूं । प्रत्येक सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में विशिष्ट होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर भी समय बचाने के लिये यह निर्णय किया गया था । यह आवश्यक है।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह सदन के माननीय सदस्य थे · · ·

उपाध्यक्ष महोदय : कभी-कभी माननीय सदस्यों द्वारा निधन सम्बन्धी उल्लेख करना आवश्यक होता है (**व्यवधान**) जी हां, मैं यह स्वीकार करता हूं कि प्रत्येक माननीय सदस्य महत्वपूर्ण होता है। लेकिन फिर भी समय बचाने के प्रयोजन से हमें सदन की कार्यवाही को विशेष प्रकार से चलाना होगा · · ·

श्री एस० एम० बनर्जी : चाहे सदस्य विशिष्ट हो अथवा नहीं, यदि कोई माननीय सदस्य निधन सम्बन्धी उल्लेख करना चाहता है तो उसे अनुमति दी जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप उल्लेख करना चाहते हैं तो कर सकते हैं (**व्यवधान**) यह दुर्भाग्य की बात है कि हम ने इसको गम्भीरता से नहीं लिया।

मुझे सदन को श्री राधा मोहन सिंह के दुःखद निधन की सूचना देनी है जिनकी मृत्यु 71 वर्ष की आयु में 7 अप्रैल, 1974 को सोनबरसा में हुई ।

श्री राधा मोहन सिंह उत्तर प्रदेश के बलिया निर्वाचन क्षेत्र से द्वितीय लोक सभा (वर्ष 1957—62) के लिये सदस्य चुने गये थे। वह वर्ष 1936 से 1956 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य भी रहे । उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया और जेल में रहे। हरिजन कल्याण, कुटीर उद्योग विकास, भूमि सुधार, राहत के तथा अन्य धार्मिक कार्यों में उनकी बहुत रुचि थी ।

म अपने इस सहयोगी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि सदन शोक संतप्त परिवार की हमारी संवेदनाएं भेजने में मेरे साथ शरीक होगा ।

शोक व्यक्त करने के लिये सदस्य थोड़ी देर के लिये मौन खड़े रहें ।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे ।

The members then stood in silence for a short while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
Oral Answers to Questions

उपकुलपतियों के चयन, नियुक्ति तथा पदावधि में एकरूपता

*668. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विचार केन्द्रीय तथा राज्यों के विभिन्न विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों के चयन, नियुक्ति तथा पदावधि में एकरूपता लाने का है;

(ख) क्या उपकुलपति के पद से सेवानिवृत्त होने की कोई निर्धारित आयु है; और

(ग) यदि हां, तो सेवानिवृत्त होने की सही आयु क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों तथा कालेजों की अभिशासन समिति ने, विश्वविद्यालयों के अभिशासन पर अपनी रिपोर्ट में, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति की पद्धति, पदावधि और सेवानिवृत्ति की आयु के बारे में कुछ सिफारिशें की थीं । केन्द्रीय सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने समिति की सिफारिशें सिद्धांत रूप से स्वीकार कर ली हैं । रिपोर्ट की प्रतियां सभी राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों को उनके विचारार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई हैं ।

जहां तक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का संबंध है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के मामले में कुलपतियों की नियुक्ति की पद्धति तथा पदावधि एक समान है । अन्य विश्वविद्यालयों के मामले में यह पद्धति अलग-अलग है तथा इन

विश्वविद्यालयों के अधिनियम और कानूनों के उपबन्धों में एकरूपता लाने के प्रश्न पर उस समय विचार किया जायेगा जब अगली बार उन के अधिनियमों और कानूनों को संशोधित किया जायेगा । जहां तक राज्य विश्वविद्यालयों का संबंध है, राजेंद्रगडकर समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार कुलपतियों की नियुक्ति-शर्तों को बनाने के लिये, अपने-अपने राज्य में स्थित विश्वविद्यालयों के अधिनियमों कानूनों को संशोधित करना संबंधित राज्य सरकार का काम है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है इस सम्बन्ध में राज्य विश्वविद्यालयों के मामले में एकरूपता नहीं है।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : विवरण से पता चलता है कि विश्वविद्यालय के अभिशासन पर विश्वविद्यालय के उपकुलपतियों की नियुक्ति, सेवावधि तथा सेवानिवृत्ति की आयु की सिफारिशों के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एकरूपता के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर उपकुलपतियों की सेवा की अवधि बढ़ाये जाने के परिणामस्वरूप राज्यों में उत्पन्न अनावश्यक भ्रांति को ध्यान में रखते हुए सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सिद्धांतों को क्रियान्वित करने के लिये क्या ठोस कार्रवाही की है ?

प्रो० एस० नुरूल हसन : जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है, यह मामला उनके क्षेत्राधिकार में आता है और अधिनियमों में आवश्यक, संशोधन करना राज्य विधान सभाओं का काम है । हमने विभिन्न राज्य सरकारों को यह सिफारिशें भेजी हैं कि वे इस मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें । राज्यों के विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में संशोधन किए गए हैं । उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हाल ही में इन अधिनियमों में संशोधन किए गए हैं जिनमें प्रमुख सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया गया है इनमें स्थानीय परिस्थितियों अथवा राज्य सरकारों की प्राथमिकताओं के अनुसार कुछ अन्तर है ।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की सेवा निवृत्ति की आयु के बारे में प्रश्न के (ख) तथा (ग) भाग के उत्तर को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचार में यह वांछनीय है कि राज्यों के विश्वविद्यालयों के उपकुलपति 65 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त हों ? यदि हां, तो उपकुलपतियों की सेवावधि को बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में वर्तमान नीति क्या है ?

प्रो० एस० नुरूल हसन : मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमने राज्य सरकारों को यह सिफारिश भेजी है और कई राज्य सरकारों ने इसे पहीले स्वीकार कर लिया है और अन्य राज्य सरकारें इस पर विचार कर रही हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The hon. Minister has stated that there is a uniform procedure for appointment of Vice-Chancellors in Aligarh/Delhi and Jawaharlal University but we have not been able to enact legislation for other central universities and amendments will be made in the relevant legislation, when enacted. May I know as to when legislation for Banaras Hindu University will be enacted?

Prof. Nurul Hasan : Only four days back an hon. Member had raised the matter and I had submitted that the matter regarding amendment of Banaras Hindu University Act is under consideration and a decision will be taken very soon.

Shri Shankar Dayal Singh : I would like to know whether the basis of appointment of Vice-Chancellors of Universities is educational or political? According to the statement of the hon. Minister, the retirement age of vice-chancellors has been fixed at 65 years. In this reference I would like to know the present age of Vice-chancellors of Central Universities.

श्री पी० जी० मावलंकर : वक्तव्य में यह कहा गया है कि राज्यों के विश्वविद्यालयों के बारे में राज्य सरकारें नियुक्ति के मामले में स्वायत हैं । लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार और शिक्षा मंत्रालय राज्य सरकारों को यह निदेश देना वांछनीय समझती है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि उपकुलपतियों के चयन का आधार राजनीतिक न होकर शैक्षणिक हो । इसके अतिरिक्त मंत्री महोदय ने बताया है कि केवल तीन विश्व-विद्यालयों की प्रणालियों में एकरूपता है अन्य विश्वविद्यालयों के बारे में तभी कुछ सोचा जायेगा जब केन्द्रीय सरकार कानून में संशोधन करने के लिये कार्यवाही करे। ऐसे महत्वपूर्ण मामले में मंत्री महोदय स्वयं सभी कानूनों में संशोधन क्यों नहीं करते ताकि शेष विश्वविद्यालयों की प्रणालियों में भी एकरूपता लाई जा सके ?

प्रो० एस० नुरूल हसन : जहां तक पहले मामले का सम्बन्ध है, मैंने एकरूप प्रणालियों की वांछनीयता के बारे में राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया है । जहां तक प्रमुख सिद्धांतों का संबंध है, उसमें एकरूपता होनी चाहिये ।

विश्वविद्यालयों के अधिनियमों और नियमों में संशोधन के प्रश्न के बारे में केन्द्रीय शिक्षा परामर्श-दात्री बोर्ड, जिसमें राज्यों के सभी शिक्षा मंत्रालय शामिल हैं, ने पहले यह निर्णय किया था कि राज्यों में विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में संशोधन करने से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा शिक्षा मंत्रालय का परामर्श अवश्य लिया जाना चाहिए और कुछ परामर्श लिए भी जा चुके हैं।

माननीय सदस्य के प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में मैं यह कह सकता हूं कि मैं प्रत्येक संशोधन के लिये सदन में उपस्थित नहीं हो सकता । हम विभिन्न विधेयकों के सभी संशोधनों पर विचार कर रहे हैं और जब भी सदन के समक्ष कोई विधेयक लाया जाएगा तो हमारा प्रयत्न प्रक्रियाओं में एकरूपता लाना होगा ।

Shri Darbara Singh : I would like to know that when retirement age has been fixed at 65, what obstacles are there in the way of retiring them at the age of 65?

Prof. S. Nurul Hasan : Our recommendation to each university is that Vice-chancellors should retire at the age of 65 years.

श्रीमती रोज़ा देशपांडे : कुछ ऐसे उपकुलपति हैं जो साम्प्रदायिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

श्रीमती रोज़ा देशपांडे : क्या मंत्री महोदय उनकी सेवानिवृत्ति की आयु में कमी करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है । यह किसी एक व्यक्ति का मामला है ।

EFFECT OF OIL CRISIS ON IMPORT AND EXPORT

*669. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether Indian shipping has been affected by the oil crisis;

(b) the number of Indian Ships that stopped operating during the last three months due to shortage of oil ; and

(c) whether this has had a great effect on the Import and export?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तेल संकट से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिये भारतीय नौवहन कम्पनियों ने कई उपाय किये हैं, अर्थात् सेवाओं का पुनर्सूचीबद्ध करना, रफ्तार में कमी करना आदि ।

(ख) किसी भी नौवहन कम्पनी ने यह नहीं बताया है कि उनका कोई भी जहाज बंकरों की कमी के कारण खड़ा रहा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Shankar Dayal Singh : Since the hon. Minister has taken over the Ministry of Shipping, he is facing same difficulties. He had stated in the House that due to his religious inclination, he got some relief. I would like to know from the hon. Minister whether efforts are being made to subdue the crisis of oil by adopting alternative measures *e.g.* use of Coal in place of oil etc?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जहां तक ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का सम्बन्ध है, सम्भवतः इसका कोई उत्तर देना मेरे लिये सम्भव नहीं है । जहां तक बंकरों की उपलब्धता का प्रश्न है, हमने इस बात के लिये पूरे प्रयत्न किये हैं कि जहाजों को कोई कठिनाई न हो और उन्हे बंकर उपलब्ध हों। मैंने प्रश्न के मूल उत्तर में पहले ही यह बता दिया है ।

Shri Shankar Dayal Singh : A number of measures have been envisaged to increase the efficiency of shipping in Fifth Five Year Plan. I would like to know whether there is any apprehension that oil crisis will arrest our progress?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : पांचवीं पंचवर्षीय योजना में हमने 86 लाख 40 हजार जी०आर० टी० का लक्ष्य रखा है और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि वर्तमान संकट हमारे लक्ष्यों को प्रभावित न करे।

Shri S. M. Banerjee : Relief has been provided to the people of Delhi city by plying mini buses similarly, whether mini-steamers will also be provided to give relief to the people of India?

उपाध्यक्ष महोदय : इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य : जहाजों में प्रयुक्त होने वाले बंकर के पहियों की ईंधन क्षमता बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ताकि ईंधन की बचत की जा सके।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : पहला उपाय तो यह किया गया है कि हमने नौवहन महानिदेशक के परामर्श के अनुरूप नौवहन कम्पनियों से गति को घटाने के लिये कहा है ताकि कुछ बंकरों की बचत की जा सके।

उर्वरकों के उपयोग के सम्बन्ध में नीति

*670. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उर्वरकों के उपयोग के संबंध में 10 सूत्री नीति तैयार की है ;

(ख) क्या यह नीति उर्वरकों के सुचारू उपयोग को बढ़ावा देने के लिये है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख). जी हां ।

(ग) एक विवरण सभा पल पटर रख दिया गया है ।

विवरण

उर्वरकों के उपयोग के संबंध में 10 सूत्री नीति की मुख्य बातें विस्तार से नीचे दी गई हैं :—

1. कमान्ड क्षेत्रों, सिंचित क्षेत्रों और निश्चित वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिये उर्वरकों, सूक्ष्म पौषक तत्वों खाद के प्रयोग के बढ़ाने, कीटनाशी औषधियों तथा घास-पात को नियंत्रित करने के लिये सघन अभियान शुरू करना ।
2. प्रति एकक क्षेत्र से अधिकतम उत्पादन तथा लाभ प्राप्त करने के लिये एन०पी० तथा के० आदि उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करना ।
3. निष्कर्षण तथा नाइट्रिक एसिड निष्कर्षण से होने वाले नाइट्रोजन के ह्रास पर काबू पाने के लिये यूरिया के उपयोग की वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना।
4. भूमि परीक्षण की सहायता से फासफेट तथा पोटास की कमी या बहुतायत वाले क्षेत्रों का पता लगाना, जिससे आवश्यकतानुसार इन उर्वरकों का वितरण किया जा सके।
5. ज़िंक की कमी वाले क्षेत्रों का पता लगाना ताकि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये ऐसे क्षेत्रों में ज़िंक सल्फेट की सप्लाई की जा सके।
6. मिट्टी में पौषण तत्वों की कमी का पता लगाना और जरूरत के अनुसार उर्वरकों का उपयोग करने के लिये मृदा परीक्षण कार्यक्रम को तेज करना ।
7. मृदा उर्वरता, जल सोखने की क्षमता और रसायनिक उर्वरकों को अनुपूरित करने के लिये सूक्ष्म पौषक तत्वों की सप्लाई के लिये आर्गेनिक खाद के उपयोग को बढ़ाना ।
8. लगभग 30-40 प्रतिशत पौध-पौषक तत्वों को हजम कर जाने वाले खरपतवार पर नियंत्रण पाना ।
9. आदानों के उपयोग के संबंध में नवीनतम तकनौलौजी को उपयोग में लाने के लिये किसानों को प्रशिक्षण देना ।
10. रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, इश्तहार, पुस्तिकाएं, दीवारों पर बनाये जाने वाले चित्र, फिल्में दीवारों पर लिखे लेख पर्व आदि दृश्य-श्रव्य साधनों से पूरा लाभ उठाना ताकि उर्वरकों के कारगर ढंग से उपयोग के विषय में प्रोत्साहित किया जा सके।

Shri Shrikishan Modi : I want to know whether all the States are capable of implementing the ten-point programme and whether they have got the required machinery for its implementation and by what time they will be able to implement it?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने राज्य मंत्रियों के साथ इस समस्या पर चर्चा की थी और राज्य सरकारों को पत्र भी लिखे गये हैं। राज्य सरकारों ने आश्वासन दिया है कि वे हमें आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। यह एक अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय है और मेरे लिये यह कहना बहुत कठिन है कि वास्तव में इसका शत प्रतिशत निष्पादन किस प्रकार होगा परन्तु कुल मिलाकर उर्वरकों की कमी और अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे विचार में यह कार्यक्रम ठीक रहेगा।

Shri Shrikishan Modi : According to item No. 7, the production of organic fertilizers will be increased. I want to know as to what steps will be taken to intensify the use of organic fertilizers and whether all the Panchayats and Municipalities will be forced to prepare organic fertilizers and whether Government will provided loans to them?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : पांचवीं योजना में इस परियोजना के लिये 9 करोड़ रुपये की अनन्तिम व्यवस्था की गई है और लगभग 50 हजार गोबर गैस संयंत्र स्थापित करने का विचार है। गांवों और शहरों में कम्पोस्ट खाद बनाने के सामान्य अभियान के अतिरिक्त प्रमुख नगरों में यंत्रीकृत कम्पोस्ट संयंत्र स्थापित करने का भी विचार है। उन नगरपालिकाओं और निगमों को राजसहायता के रूप में कुछ धनराशि दी जायेगी जो यंत्रों से कम्पोस्ट खाद तैयार करने संबन्धी प्रस्ताव को लागू करेंगे। हमें इस संबन्ध में इस सभा के माननीय सदस्यों की भांति सामाजिक कार्य कर्ताओं के सहयोग की आवश्यकता होगी तथा राज्य सरकारों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की सहायता से आरगेनिक खाद के प्रयोगार्थ कार्यक्रम तैयार करना संभव होना चाहिये।

Shri D. N. Tiwary: Much stress was laid on preparing manure pits from 1956 to 1962-63 and at that time a report received in States Secretariats reiterated that the area under manure pits had increased more than that of the State itself. If such reports continue to come in and it is not examined whether they are true or not the same situation will prevail unfortunately this happened in my State. According to the report of the Development Commissioner, the area under manure pits had increased more than that of the state itself. May I know whether any organizations will be created or some method will be devised by which such mistakes are avoided in future and the objective of the government is fulfilled?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मेरे विचार से हमें यह सावधानी बरतनी होगी ताकि हम कागजी आंकड़ों और गलत रिपोर्टिंग पर ही निर्भर न रहे और हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि रिपोर्टिंग का उस सीमा तक सुधार हो सके। परन्तु, माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि कुछ प्रगति हुई है यद्यपि यह संतोषप्रद नहीं है। क्योंकि उर्वरकों की कमी है, अतः इस कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने का यह उपयुक्त समय है।

श्री जगन्नाथ राव : जब तक चलता है, यह दस सूत्री कार्यक्रम अच्छा है। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकारों के पास मिट्टी परीक्षण की कोई सुविधायें उपलब्ध हैं और क्या केन्द्रीय सरकार के पास निश्चित जानकारी है कि इस दस-सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है। क्या केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई अनुवर्ती कार्यवाही की जायेगी ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: माननीय सदस्य ने ठीक तो कहा है कि मुख्य रूप से मिट्टी परीक्षण की सुविधा की आवश्यकता है। इसके लिये प्रत्येक जिले में एक मिट्टी-परीक्षण प्रयोगशाला बनाने का

प्रस्ताव है । बहुत से जिलों में यह प्रयोगशाला विद्यमान है शेष जिलों के संबन्ध में हमने राज्य सरकारों सें बातचीत की है और हमारा विचार पांचवीं योजना में देश के सभी जिलों में यह प्रयोगशाला बना देने का है ।

उर्वरक बनाने वालों से सहयोग करने के लिये कहा गया है । इस विषय में वे मिट्टी-परीक्षण सुविधायें संगठित करके थोड़ा सहयोग दे रहे हैं। हमारे अनुसंधान संगठन और अनुसंधान संस्थानों से भी जो देश के विभिन्न भागों में स्थित है, इस प्रकार की सुविधा प्रदान करकें राज्य सरकारों और किसानों की सहायता की आशा है ।

Shri Mohammad Ismail : May I know from the Hon. Minister whether the state governments are takjng interest in **gobar** gas plant scheme included in first five year plan and in the 10 point programme sent to them and whether any of the state governments have responded to the Centre's satisfaction or is it will lying with the files and no state government is paying any attention thereto?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह राज्य सरकारों को बता दिया गया है और इस विषय पर उनके प्रतिनिधियों से बात-चीत की गई है । उन्हें यह भी बताया गया है कि इस कार्य के लिये 25 प्रतिशत राजसहायता प्राप्त होगी। अभी तक राज्य सरकारों से संतोषप्रद उत्तर मिला है। हमारे विचार से आगामी समय में इसे पर्याप्त रूप में क्रियान्वित किया जायेगा ।

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether any officer has been held responsible to implement this 10 point programme and who will be punished for its non-implementation?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : क्योंकि यह राज्यों का विषय है, अतः यह कार्य उनके कृषि विभागों द्वारा किया जाना है । पता नहीं कि क्या हम राज्यों में इसके लिये किसी को संवैधानिक रूप से दंडित कर सकते हैं या नहीं ।

Shri Bibhuti Mishra : On a point of order Sir . Everything is left to the states and they do not find themselves in a position to execute it. May I know why don't they have any penal-clause when they give suggestions and provide assistance for that.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जैसाकि माननीय सदस्य को पता है, कृषि राज्यों का विषय है । राज्यों में राज्य सरकारें हैं । वहां जनता के चुने हुये प्रतिनिधि विद्यमान हैं । हम इस मामले को क्रियान्वित कराने के लिये राज्य सरकारों से गंभीररूप से कह भर सकते हैं ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के फील्ड ड्यूटी अधिकारियों को सवारी भत्ता

*672. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विभिन्न श्रेणियों के फील्ड ड्यूटी अधिकारियों को मिलने वाले सवारी भत्ते के विभिन्न स्लैबों की क्या-क्या दरें हैं ;

(ख) ये स्लैब कब निर्धारित किए गए थे ; और

(ग) पेट्रौल और मोबिल आयल की दरों में हाल में हुई असामान्य वृद्धि को देखते हुए इन अधिकारियों की कठिनाइयों को कम करने के लिए इन भत्तों की दरों में वृद्धि करने का क्या सरकार का कोई विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री :) (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के फील्ड ड्यूटी अधिकारियों को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सामान्य आदेशों के अनुसार सवारी भत्ता मिलता है, जिनमें विभिन्न वर्गों के अधिकारियों के लिए पृथक-पृथक दरों की व्यवस्था नहीं है। जो अधिकारी पुराने वेतनमानों में 700 रुपये प्रतिमास से कम वेतन ले रहे थे, वे कार भत्ता लेने के पात्र नहीं थे। सवारी भत्ते की दरें इस प्रकार हैं :—

यात्रा करनें पर सवारी भत्तें की दरें

सरकारी ड्युटी पर औसतन मासिक यात्रा	अपनी निजी कार में	सवारी के अन्य साधनों से
1	2	3
201-300 कि० मीटर	60 रुपये प्रतिमास	20 रुपये प्रतिमास
301-450 कि० मीटर	90 रुपये प्रतिमास	30 रुपये प्रतिमास
451-600 कि० मीटर	120 रुपये प्रतिमास	40 रुपये प्रतिमास
601-800 कि० मीटर	150 रुपये प्रतिमास	50 रुपये प्रतिमास
800 कि० मीटर से अधिक	180 रुपये प्रतिमास	50 रुपये प्रतिमास

(ख) उपर्युक्त दरें 1961 में नियत की गई थीं।

(ग) सवारी भत्ते की दरों के संशोधन का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री एस० एम० बनर्जी : दिए गए उत्तर से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि दरें 1961 में निर्धारित की गयी थी। तब से अब तक पेट्रोल के मूल्यों में कई गुनी वृद्धि हो चुकी है। क्या किसी के लिये आज पेट्रोल खरीदना संभव है, इस पर प्रश्न चिह्न लग गया है। हाल की मूल्य-वृद्धि को देंखते हुये मैं यह जानना चाहता हूं कि अन्तिम निर्णय कब तक, कितने महीनों के पश्चात्, किये जाने की आशा है ?

श्री भोला पासवान शास्त्री : जितना शीघ्र संभव हो सकेगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : जीवन निर्वाह लागत बढ़ जाने की बात को ध्यान में रखते हुये, उन लोगों के लिये जो स्कूटर कारों का उपयोग नहीं कर पाते और साइकिल का प्रयोग करते हैं यात्रा भत्ते में वृद्धि करने का निर्णय भी इसके साथ ही लिया जाना था। क्या निर्णय कर लिया गया है ?

श्री भोला पासवान शास्त्री : साईकिल और स्कूटर छोड़ दिये गये हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : सम्मिलित कर लिये गये हैं अथवा छोड़ दिये गये हैं ?

श्री भोला पासवान शास्त्री : छोड़ दिये गये हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या केवल इसलिये कि वे पेट्रोल से नहीं चलते हैं। मेरा तात्पर्य साईकिल प्रयोग करने वालों से है।

उपाध्यक्ष महोदय : पता नहीं आप क्या कह रहे हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी: प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के अतिरिक्त जिनके बारे में मोटर कार की बात उठती है, साईकिल का प्रयोग करने वालों के लिये क्या किया गया है? वेतन आयोग की यह एक सिफारिश है। मैं इस बारे में जानना चाहता हूं।

Shri Bhola Paswan Shastri : At present no conveyance allowance is being given to those who are using bicycles and who travel on foot. As regards Pay Commissions recommendation, the matter is being looked into.

श्री दीनेन भट्टाचार्य: क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या वे व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार की सेवा में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: यह केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बारे में है न कि केन्द्रीय सरकार के।

श्री दीनेन भट्टाचार्य: केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग भी तो केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत आता है।

उपाध्यक्ष महोदय: अपने प्रश्न को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तक ही सीमित रखिये।

श्री दीनेन भट्टाचार्य: केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग केन्द्रीय सरकार का ही तो है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार यह बात समझती है कि जहां तक सवारी भत्ते का संबन्ध है, उन व्यक्तियों को, जिनकी अपनी मोटर कारें, अथवा मोटर साईकिलें नहीं है; गैर-सरकारी टैक्सियों अथवा अन्य गैर-सरकारी सवारियों का प्रयोग करना पड़ता हैं और इस मामले में ऐसे व्यक्तियों को 8 आना प्रति मील की दर से भत्ता दिया जाता है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह सोचती है कि क्या 8 आना देकर किसी सवारी आदि को प्राप्त करना संभव हैं और यदि हां, तो क्या सरकार इस नियम को बदलने के बारे में विचार कर रही है?

श्री भोला पासवान शास्त्री : ये सभी मामले सरकार के विचाराधीन हैं।

भार्गव आयोग की सिफारिशों पर राज्य सरकारों के विचार

*674. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन्**:

श्री प्रसन्नभाई मेहता:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों को भार्गव आयोग के प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग की सिफारिशों को लागू करने से पूर्व राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया जायेगा।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) और (ख)। चीनी उद्योग जांच आयोग द्वारा 27 फरवर, 74 को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट इस समय भारत सरकार के विचाराधीन है। यदि आवश्यक हुआ तो राज्य सरकारों से परामर्श किया जाएगा।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन्: मंत्री महोदय ने उत्तर देते हुए कहा है कि यदि आवश्यक हुआ तो राज्य सरकारों से परामर्श किया जायेगा। क्या मैं जान सकता हूं कि इस आयोग द्वारा किस प्रकार की सिफारिशें की गयी है?

श्री बी० पी० मौर्य: जैसा कि मैंने अभी अभी कहा है। सारे प्रतिवेदन पर भारत सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् : मेरा प्रश्न यह है कि इस आयोग द्वारा कौन कौन सी सिफारिशें की गयी हैं।

श्री बी० पी० मौर्य : सिफारिशों सहित पूरे प्रतिवेदन पर भारत सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् : मेरा प्रश्न यह है कि आयोग की सिफारिशें क्या है।

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : अन्तिम प्रतिवेदन सरकार के पास 27 फरवरी को भेजा गया था। यह मामला विचाराधीन है और इस पर विचार कर लेने के पश्चात् ही इस प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखा जायेगा। तब तक मैं कुछ नहीं बता सकता।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् : क्या मैं कम से कम इस आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य बातें, अर्थात् एक या दो मुख्य बातें जान सकता हूं ?

श्री बी० पी० मौर्य : ये बातें एक या दो नहीं हैं, अपितु 100 से भी अधिक हैं। यह एक बहुत ही विस्तृत प्रतिवेदन है और सिफारिशों सहित इन पर विचार किया जा रहा है। जब सरकार किसी परिणाम पर पहुंचेगी, जैसा कि अधिनियम में ही निर्धारित किया गया है, इस सभा के सामने प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् : माननीय कृषि मंत्री को चाहिये कि वह यदि सभी नहीं तो कम से कम दो या तीन बहुत सी महत्वपूर्ण बातें तो हमें बतायें।

श्री जी० विश्वनाथन : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या भार्गव आयोग ने चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की है ?

श्री बी० पी० मौर्य : इस बारे में मतभेद हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या प्रतिवेदन में विभिन्न मत व्यक्त किये गये हैं ?

श्री बी० पी० मौर्य : जी हां।

श्री जी० विश्वनाथन : इस मामले के संबन्ध में मंत्री महोदय को कुछ बताना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि इस प्रतिवेदन में इस मामले विशेष के बारे में मतभेद हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उत्तर पूरा नहीं दिया गया है। इस बारे में इस प्रतिवेदन में व्यक्त बहुमत तथा अल्पमत के बारे में बताया जाना चाहिये। क्या प्रत्येक पक्ष के सदस्यों की संख्या समान है ?

श्री नवल किशोर सिंह : क्या यह अन्तरिम प्रतिवेदन है अथवा अन्तिम प्रतिवेदन है और क्या यह आयोग अभी भी काम कर रहा है ?

श्री बी० पी० मौर्य : दो अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जा चुके हैं। 27 फरवरी, 1974 को प्रस्तुत किया गया प्रतिवेदन अन्तिम था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय कृपा करके हमें यह बतायेंगे कि इस प्रतिवेदन को सभा पटल पर न रखने के क्या विशष कारण हैं, जबकि, पूर्व अवसरों पर वेतन आयोग के प्रतिवेदन जैसे प्रतिवेदनों को पहले सभा पटल पर रखा गया था और बाद में सरकार ने उन पर विचार किया था ?

श्री बी० पी० मौर्य : दोनों आयोग भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। वेंतन आयोग की नियुक्ति कार्यकारी सरकार के एक संकल्प के अन्तर्गत की गयी थी और इसका सांविधिक महत्व नहीं था। जहां तक भार्गव आयोग के गठन का संबन्ध है, इसका गठन इस अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत किया गया था और इसके द्वारा छः मास की अवधि दी गयी है जिसके अन्दर सरकार को प्रतिवेदन को सभा पटल पर रख देना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा था और माननीय मंत्री ने इसे टाल दिया है दूसरे आयोग के मामले में जो समान रूप से महत्वपूर्ण है अर्थात् वेतन आयोम जिसके प्रतिवेदन को सरकार द्वारा अधिकांश रूप से अपनी मर्जी से सभा पटल पर रखा था जबकि सरकार ने चीनी आयोग के इस प्रतिवेदन को इस पर विचार करने से पूर्व सभा-पटल पर नहीं रखा है । उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक मैंने उत्तर से समझा है, वह कहते हैं .....(**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह कहते है कि अध्यक्ष महोदय को अधिक नहीं बोलना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यहां सभा की कार्यवाही को विनियमत करने के लिए हूं । जहां तक मैं उन्हें समझ सका हूं, मंत्री महोदय ने कहा है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें छः महीने की अवधि दी गयी है और उस अवधि के भीतर उन्हें अनिवार्य रूप से इस प्रतिवेदन को सभा पटल पर रख देना है । .....(**व्यवधान**) उन्होंने कहा है कि वह हमें छः महीने के भीतर सभा पटल पर रख देंगे जिसकी अनुमति इस अधिनियम के अनुसार उन्हें दी गई है ।

Shri Narsingh Narain Pandey : Sir, I want to know about all the three reports of the Bhargava Commission. First and second reports were submitted on 28th August, 1972 and 15th May, 1973 respectively. The Final report of the commission was submitted on 27th February, 1974. I want to know from the Hon'ble Minister about the report, which was submitted on 15th May, 73 and this is about sugar nationalisation about which whole House is worried not even a single member has said that Joint Stock Companies should not be taken over? If so, the Hon'ble Minister should lay it on the Table of the House I want to know specifically about this. What is your reaction towards the resolution submitted by U.P. Government? Why are you creating difficulties in the way of sugar nationalisation?

Shri B.P. Maurya : It is a fact that the state Government leaded by Shri Kamlapati Tripathi decided and submitted the necessary papers to the Central Government on 24th March 1972 to give them permission to nationalise the sugar industry in U. P. It is being considered by the Home Ministry, Law Ministry and other concerned Ministries, and they have been consulting each other in this regard.

श्री नरसिंह नारायण पांडे : मैं ने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है कि 15 मई, 1973 को जब भार्गव आयोग ने अपना अन्तरिम प्रतिवेदन भेजा था, इस में एक बात के संबंध में सभी सदस्य एक मत के थे कि मिश्रित पूंजी वाली कंपनियों को अपने नियंत्रण में ले लिया जाये । मंत्री महोदय का इस बारे में क्या उत्तर है ? वह कहते हैं कि इस बारे में कुछ विवाद है ।

Shri B.P. Maurya : Sir, There is difference of opinion in that report also to which the Hon'ble member is referring. They will note this when this is placed before the House. As I have already said, they are not unanimous on that.

श्री नरसिंह नारायण पांडे : मैं ने एक बहुत ही विशिष्ट प्रश्न पूछा है । इसका उत्तर नहीं दिया गया है । मैं ने कहा है कि भार्गव आयोग ने सिफारिश की है कि मिश्रित पूंजी वाली कंपनियों को अनिवार्य रूप से अपने नियंत्रण में ले लिया जाना चाहिये । यह प्रतिवेदन एक मत वाला प्रतिवेदन है ।

This is a majority report and not even a single member has expressed his opinion against it.

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय ने इस विशिष्ट प्रश्न के बारे में कुछ कहना है ?

Shri B. P. Maurya : Sir, I have already replied to the question. If you permit, I can elucidate it further.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Deputy Speaker, Sir, the Hon'ble Minister has said that the interim report of the Bhargava Commission about sugar nationalisation is not unanimous. We want to know what is the majority report whether it is not in favour of nationalisation?

Secondly, the Hon'ble Minister has said that law permits Government to lay any report after 6 months. Mr. Deputy Speaker, Sir, it is not a proper proviso. The Government would have to lay it after six months. The Law provides that the Government can lay it within six months, if they so desire. Then what is the difficulty?

Shri B. P. Maurya : It is not so. Under rules it will have to be laid within six months I agree that it is better to lay it as early as possible. But this is a very voluminous report and all the aspects would have to be considered including the role of the Centre and technical experts. This concerns not only Uttar Pradesh but the whole country. We as well as the experts have been considering the solution of this problem. We would lay it in the very near future and well within the prescribed period.

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने पूछा था कि राष्ट्रीयकरण के बारे में बहुमत का प्रतिवेदन क्या है ?

श्री बी० पी० मौर्य : श्रीमान् जी, मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम में कई मत व्यक्त किये गये हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं वही प्रश्न पूछ रहा हूं जो माननीय सदस्य ने पूछा है । यह एक विशिष्ट प्रश्न है और मेरे विचार में इस का उत्तर देना आपकी क्षमता के अन्दर है । बहुमत की सिफारिश क्या है ?

श्री बी० पी० मौर्य : मैं लगातार यह कहता चला आ रहा हूं कि इस मामले के बारे में उनके तीव्र मतभेद हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या आप इस प्रश्न से सन्तुष्ट हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा की कार्यवाही का मार्गदर्शन करने के लिये यहां हूं । मैंने इसे स्पष्ट कराने का प्रयास किया और मंत्री महोदय ने इसका उत्तर दिया है । वे सब कुछ कार्यवाही वृतान्त में है और सभा को इस बारे में निर्णय लेना है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या हमें यह समझना होगा कि प्रतिवेदन में बहुमत व्यक्त नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : स्पष्टरूप से।

श्री भागवत झा आजाद : आप के निदेश के बावजूद भी उन्होंने उत्तर नहीं दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब कुछ विशिष्ट प्रश्न पूछे जायें, तो प्रत्येक व्यक्ति को, विशेषकर मंत्रियों को, प्रत्येक और विशिष्ट उत्तर देने चाहियें। यदि उत्तर प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, मैं 'टालमटोल करने वाला' शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा तो मेरे विचार में किसी प्रकार की कड़ी आलोचना करना अध्यक्षपीठ का कर्त्तव्य नहीं है। इस बारे में सभा अपना मत बता सकती है।

प्रो० मधु दण्डवते : आप को कड़ी आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु आपको हमारी रक्षा करनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने कहा है कि नियमों के अन्तर्गत कई तरीके हैं। मेरे विचार में मैं इस संबंध में काफी कह चुका हूं। जब कभी भी सभा में चीनी के बारे में चर्चा होती है, तो यह बहुत ही कड़वी हो जाती है।

Shri Ram Chandra Vikal : I want to know from the Hon'ble Minister what is the policy of Government in regard to sugar nationalisation? Much time is required to study this voluminious report, we want to know the policy of the Government in this regard. If the U.P. Government wants that the Sugar mills in U.P. should be nationalised what is the difficulty ? I know that the farmers are to get amount of arrears. I want to know how much amount is to be paid to the farmers and what is the policy of Government in regard to get the dues paid to them ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या किसानों को बकाया राशि दिलाने के बारे में भार्गव आयोग में उल्लेख किया गया है ?

श्री बी० पी० मौर्य : चीनी के राष्ट्रीयकरण के बारे में निश्चित रूप से इस पहलू पर भी इस आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है। इस बारे में विस्तृत रूप से विचार किया गया है।

In reply to the question of Shri Vikal that this is not the question of U.P. only, but it is the question of the whole country I may state that the condition of Bihar and othe states is very bad and Sugar industry is not being run properly. All these aspects would be considered together. So far as the policy of the party is concerned it is very clear.

Shri S. M. Banerjee : Mr. Deputy Speaker, Sir, two Chief Ministers of U.P., Shri Kamlapati Tripathi, Shri Bahuguna have recommended that the sugar mills in that state should be nationalised I do not want to name the Chief Minister who did not wanted these mills to be nationalised, every body knows him. May I know whether the sugar industry in U.P. would be nationalised afte the consideration of the report or it can be done even before, keeping in view of the pitiable condition of labourers and farmers of that State as per the recommendation of U.P. Government ?

Shri B. P. Maurya : Sir, so far as the question of U.P. is concerned, Shri Banerjee might be aware that 12 Mills were taken over by Government and an Act was also passedbut later on this Act was challenged in the Allahabad High Court and still this case is pending before that court.

There are huge arrears to be paid to the farmers. The rule that the amont should be paid within 15 days is being violated and in this injustice is being done to the labourers. All these problems have been discussed in the report in details and Government is seized of this matter and in the near future whatever decisions are taken by Government in this regard, the report would be laid on the Table in accordance with that decision and you will have the opportunity to do anything you like.

प्रो० मधु दण्डवते : इस आयोग के संबंध में...

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न श्री राजदेव सिंह ।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमान् जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि...

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं पहले ही श्री राजदेव सिंह को बुला चुका हूं ।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमान् जी, यह गलत है...

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति । जो कुछ भी प्रो० दंडवते कहेंगे उसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा ।

प्रो० मधु दण्डवते :***

ब्रिटेन द्वारा राष्ट्रमण्डल के चीनी उत्पादक देशों को मुआवजा

*675. **श्री राजदेव सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन राष्ट्रमंडल के चीनी उत्पादक देशों को अधिक उत्पादन लागत के कारण इस वर्ष 350 लाख पौंड मुआवजे क रूप में देने पर सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बढ़ी हुई लागत के साथ ब्रिटेन अधिक चीनी का आयात करेगा या उतनी ही चीनी का ; और

(ग) क्या विश्व के आयातकर्ता देशों ने भी ब्रिटेन के समान दरों का प्रस्ताव किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां, नेगोशियेटिड प्राइस कोटों के लिये ।

(ख) और (ग) : जी नहीं, राष्ट्र मंडल चीनी करार के उपबन्धों के अधीन 1974 में ब्रिटेन पहले से निर्धारित मूल्यों पर 17,42,500 टन के सामान्य नेगोशियेटिड प्राइस कोटे तक चीनी आयात कर सकता है, इस कोटे के अलावा मात्रा के लिये सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लागू होगा ।

श्री राजदेव सिंह : व्यापार और विकास के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी की गयी 1974 में वस्तुओं के मूल्यों की संभावना के अनुसार 1974 के पूर्वार्ध में चीनी का उत्पादन न करने वाले देशों

***अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

***Not recorded

से चीनी की बहुत अधिक मांग की संभावना है, जिसका अर्थ यह है कि भारत चीनी का निर्यात करके अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकता है । इस संबंध में सरकार का रवैया क्या है ?

श्री बी० पी० मौर्य : यह समझौता दिसम्बर 1974 तक मान्य है । यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी का मूल्य बहुत अधिक बढ़ गया है । किन्तु अतीत में ऐसा नहीं था । जब समझौता किया गया था, तो अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य उस मूल्य से बहुत कम था जिसका निर्णय इस समझौते में किया गया था । अतः यह स्वाभाविक है कि सरकार चीनी के निर्यात के द्वारा अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के के लिये भरसक प्रयास करेगी ।

श्री राजदेव सिंह : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या राष्ट्रमंडल के अन्य निर्यातक देश बातचीत द्वारा निर्धारित मूल्य कोटा के अनुसार चीनी की सप्लाई कर रहे हैं ।

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): वे उसी के अनुसार ही कर रहे हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रश्न के भाग (ग) के संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का प्रस्ताव किसी बातचीत द्वारा निर्धारित दरों या प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की दरों पर किसी तेल उत्पादक देश को चीनी निर्यात करने का है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जैसाकि बताया गया जा चुका है जहां तक ब्रिटेन के वचन का संबंध है, वह केवल वर्ष 1974 के लिये है । इस के अतिरिक्त जो कुछ भी चीनी दूसरे देशों को निर्यात करनी होगी, उसे सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर ही करना होगा । एक या दो मामलों में जहां तेल तथा अन्य वस्तुओं के विनिमय का संबंध है शायद वेसा उन देशों तथा हमारे देश के बीच द्विपक्षीय प्रबंध के आधार होगा ।

श्री नरसिंह नारायण पांडे : उठे ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही चीनी के सम्बन्ध में प्रश्न पूछ चुके हैं ।

श्री शिवाजीराव एस० देशमुख : हाल ही में 'अंकटाड' के सर्वेक्षण के अनुसार अनुमान लगाया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के मूल्य में और वृद्धि होगी । क्या सरकार मात्रा के रूप में निश्चित आंकड़ों के बारे में वचन देने की स्थिति में है अर्थात् आगामी पांच वर्षों की अवधि के दौरान सरकार का विचार कितनी चीनी का निर्यात करने का है ?

श्री बी० पी० मौर्य : आन्तरित खपत, उत्पादन आदि जैसी अनेक बातें हैं जो सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं । अभी मौसम चालू है । यह कुल उत्पादन और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार पर यह निर्भर करेगा । इन सभी बातों पर विचार करना होगा । मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये भरसक प्रयास करेंगे ।

श्री शिवाजीराव एस० देशमुख : सरकार कितने कोटे का निर्यात करना चाहती है ?

श्री बी० पी० मौर्य : यही तो मैंने निवेदन किया है ।

श्री शिवाजीराव एस० देशमुख : श्रीमान जी, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि उत्तर नहीं दिया जाता, तो और भी तरीके अपनाये जा सकते हैं मैं उन्हें उत्तर देने के लिये विवश नहीं कर सकता ।

श्री शिवाजीराव देशमुख : वह कितने कोटे का निर्यात करना चाहती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि वह इसे निर्धारित नहीं कर सकते। यह बात कई अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करती है ।

प्रो० मधु दण्डवते : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चीनी से संबंधित कई प्रश्नों का उत्तर मंत्री महोदय द्वारा संतोषजनक ढंग से नहीं दिया गया है क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि जैसाकि कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निर्णय किया गया था चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण तथा इस प्रश्न से संबंधित विषयों के संबंध में एक विशेष चर्चा की जायेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने प्रो० दंडवते का ध्यान इस ओर कई बार आकर्षित किया है और वह मेरे साथ सहमत होंगे कि यह सभा एक सभा के रूप में कार्य करती है। एक दिन पहले भी मेरे द्वारा मंत्री महोदय को उत्तर देने के हेतु आने के लिये निदेश दिये जाने के बावजूद भी वह संतुष्ट नहीं हुए थे और वह चाहते थे कि मंत्री महोदय से उन्हें उत्तर देने का उनको आश्वासन दे। मैंने उन्हें उस समय बता दिया था कि यदि इस प्रकार अध्यक्ष पीठ के साथ व्यवहार किया जा रहा है और यदि अध्यक्ष पीठ द्वारा कही गयी बात मंत्री महोदय द्वारा कही गयी बात से कम महत्वपूर्ण समझी जाती है तो यह सभा की कार्यवाही को चलाने का एक अजीब तरीका है। यदि वह मंत्री महोदय से एक विशेष चर्चा का जैसा कि कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निर्णय किया गया है आश्वासन प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं उन्हें बता दूं कि मंत्री महोदय को इस बात का अधिकार नहीं है कि वह यह निर्णय कर सकें कि इस सभा में क्या कार्यवाही होगी। इसका निर्णय अध्यक्ष महोदय को करना होता है। इसलिये उन्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिये ।

प्रो० मधु दण्डवते : अप्रत्यक्ष रूप से मैं आप का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता था ।

श्री बी० पी० मौर्य : मेरा इरादा आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी कहने का नहीं है। मत अर्थात् बहुमत अथवा अल्पमत के बारे में मैंने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। मैंने इन शब्दों का प्रयोग किया था कि "तीव्र" मतभेद हैं। आप अंग्रेजी भाषा मुझसे अधिक जानते हैं . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० मधु दंडवते इस पर एक विशेष चर्चा चाहते हैं। मैंने कहा है कि हम इस बात का आपने नहीं अपितु अध्यक्ष महोदय को निर्णय करना होता है। कार्य मंत्रणा समिति इन सभी बातों पर विचार करेगी और इस बात का निर्णय करेगी कि इस पर चर्चा होनी चाहिये कि नहीं। हम उस बारे में चर्चा कर रहे थे। बहुमत अथवा अल्पमत का प्रश्न समाप्त हो चुका है।

विभिन्न राज्यों में दुग्ध संयंत्रों के लिए समन्वय एजेंसी

*678. **श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'सरकारी' सहकारी तथा निजी क्षेत्रों के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में दुग्ध संयंत्रों की देख रेख तथा उनकी सहायता करने के लिए कोई एक समन्वय एजेंसी है; और

(ख) यदि हां, तो इसने क्या-क्या सफलतायें प्राप्त की तथा उसका संगठनात्मक ढांचा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) तथा (ख) जी नहीं। डेरी विकास राज्य सरकारों का विषय है अतः सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों में दुग्ध परियोजनाओं को तैयार करने और उनकी क्रियान्विति करने का कार्य संबंधित विभागों का है। फिर भी कृषि मंत्रालय इन परियोजनाओं की तैयारी और उनकी क्रियान्वित के काम में राज्य सरकारों को सभी प्रकार की सहायता देता रहता है और समय-समय पर उनकी प्रगति का भी निरीक्षण करते रहते हैं।

जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र का संबंध है दुग्ध उत्पाद कारखानों की स्थापना उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत की जाती है। उद्योग विकास मंत्रालय का तकनीकी विकास महानिदेशालय इस बारे में समन्वय संबंधी कार्य करता है।

श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा: प्रश्न काल में आज ही एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने यह बताने की कृपा की थी कि यह केन्द्रीय मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है। यह केन्द्रीय खाद्य और कृषि मंत्रालय एक बेकार बोझ मात्र बन कर रह गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि देश में विशेषकर दिल्ली और नई दिल्ली में दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों की सामान्य कमी है, क्या मैं यह जान सकता हूं कि केन्द्रीय मंत्रालय इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेना चाहती ताकि दुग्ध और दुग्ध उत्पादों का उत्पादन करने वाली विभिन्न एजेंसियों की गतिविधियों को समन्वित किया जा सके ?

श्री बी० पी० मौर्य: चूंकि कृषि राज्यों का विषय है इसलिये केन्द्र तो केवल परामर्श ही दे सकता है और हम हर संभव तरीके से उन्हें परामर्श देने का भरसक प्रयास करेंगे। जहां तक दिल्ली का संबंध है यह सच है कि जब दुग्ध उत्पादों का निर्माण करने वाले कारखानों को लाइसेंस दिये जाते हैं तो हमारे मंत्रालय से परामर्श किया जाता है। किन्तु आठ कारखानों को कम दुग्ध की सप्लाई होती है और इस कमी को पूरा करने के लिये हमें यह सुनिश्चित करना है कि दुग्ध का उत्पादन काफ़ी मात्रा में किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: अब प्रश्नकाल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के लिए मंजूर धनराशि

*671. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम**: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के लिए धनराशि मंजूर की है; और यदि हां, तो सरकार ने 1972-73, 1973-74 और 1974-75 के वर्षों के लिए कितनी धनराशि मंजूर की है;

(ख) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को उक्त धनराशि राज्य समाज कल्याण बोर्डों में बांटनी होती है; और

(ग) यदि हां, तो तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि दी गई ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) सरकार केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को वित्तीय सहायता देती है जिसे राज्य समाज कल्याण बोर्डों के द्वारा उन्हें सहायक अनुदान दिये जाने वाले नियमों के अनुरूप, अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है। संबंधित जानकारी सभा के पटल पर रखे जाने वाले विवरण पत्र 1 और 2 में दी जाती है।

विवरण पत्र 1

सरकार द्वारा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को दी जाने वाली वित्तीय सहायता

(रुपये लाखों में)

	1972-73	1973-74	1974-75 (बजट अनुमान)
आयोजनागत	398.08	351.69	408.00
आयोजना भिन्न . . .	33.20	34.59	38.08

विवरण पत्र 2

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तामिल नाडु, दिल्ली तथा केरल में संस्थाओं और राज्य बोर्डों को दी गई धनराशि तथा इन राज्य बोर्डों पर वर्ष 1972-73, 1973-74 के दौरान प्रशासनिक व्यय को पूरा करने हेतु दी गई धनराशि

क्रम संख्या	राज्य का नाम	विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन राज्य बोर्डों तथा संस्थाओं को दी गई धनराशि (आयोजनागत)		राज्य बोर्डों को उनके प्रशासनिक व्यय के लिये दी गई धनराशि (आयोजना भिन्न)	
		1972-73	1973-74	1972-73	1973-74
					(रुपयों में)
1.	पश्चिम बंगाल	31,52,321	34,48,387	69,350	74,600
2.	उत्तर प्रदेश	21,18,384	19,97,515	65,350	74,900
3.	उड़ीसा	13,09,305	12,89,381	67,450	54,600
4.	तामिल नाडु	12,82,040	12,04,656	—	--*
5	दिल्ली	8,90,246	6,98,020	40,300	39,800
6.	केरल	6,17,080	8,59,817	9,600	32,500

*टिप्पणी : तामिल नाडु को कोई भी अनुदान नहीं दिया जाता है क्योंकि वहां राज्य समाज कल्याण बोर्ड राज्य सरकार के साथ मिला दिया गया था।

नौवहन उद्योग के लिए विकास छूट फिर से आरम्भ करना

*673. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या नौवहन उद्योग के लिए विकास छूट फिर से प्रारम्भ करने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) जी हां।

(ख) जिन जहाजों की खरीद के ठेके 1-12-73 से पहले किये गये थे उनके लिए एक वर्ष और अर्थात् 31-5-1974 तक विकास घटौती जारी रखने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्ताव है कि 31-5-1974 के बाद प्राप्त किये जाने वाले जहाजों की लागत के 20 प्रतिशत के बराबर और जिनके लिए विकास घटौती स्वीकार्य नहीं है आरंभिक मूल्यह्रास की अनुमति दी जाए।

Supply of Maize to Consumers in Punjab due to shortage of Wheat

*676. **Shri Shrikrishna Agarawal**: Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Punjab State Government have for the first time supplied maize to the consumers due to shortage of wheat in Punjab;

(b) if so, the reasons for the shortage specially when Punjab produces two-thirds of the total wheat production in the country; and

(c) the reaction of Government thereto and the steps being taken by Government to remove this shortage ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) The Government of Punjab have stated that maize atta is also being supplied through the public distribution system from February, 1974, in addition to wheat/atta.

2. Despite Punjab being surplus in wheat about 1.49 lakh tonnes of wheat was supplied to the State Government during the year 1973 for issue through the public distribution system. Allotments of wheat from the Central Pool are made to the State Government keeping in view if the State is deficit or surplus, the availability of stocks in the Central Pool the needs of all deficit States, the market availability, price position and other relevant factors. The internal distribution of foodgrains and grain-wise composition for the public distribution system is decided by the State Government concerned depending upon the local circumstances.

Extent of increase in Taxi and Scooter Fares in Delhi

*677. **Shri Chandulal Chandrakar** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the extent of increase made by Government in taxi and scooter fares in Delhi;

(b) whether the passengers are asked to pay much more amount than indicated by the meters because they do not know the calculations of new rates;

(c) whether Government have not been able so far to make the new meters available; and

(d if so, the reasons therefor ?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Kamlapati Tripathi) : (a) Presumably, information is required regarding the increase made in taxi and auto-rickshaw fares in Delhi on the last occasion (*i.e.* with effect from 6-3-74). The position is indicated below :—

Taxi Fare :

For first 1.6 Kms.	Increased from Rs. 1.50 to Rs. 1.60.
For every subsequent one Km.	Increased from 90 paise per Km. to Re. 1.00 per Km.

Auto-rickshaw Fares :

For first 1.6 Kms. . . .	Increased from 70 paise to 80 paise.
For every subsequent one Km. .	Increased from 40 paise per Km. to 50 paise per Km.

(b) Every taxi/auto-rickshaw is required to carry an approved conversion chart signed by the Secretary, State Transport Authority, Delhi, so that the passengers, not knowing the correct rates, may refer to it, if necessary before paying the fare.

(c) & (d) Government do not provide meters to taximen/auto-rickshaw owners. These are available for sale in the market.

भारतीय व्यापार निगम की व्यापारिक गतिविधियां

*679. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :**
श्री वयालार रवि :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम की व्यापारिक गतिविधियों में कमी करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और इस प्रकार का निर्णय लेने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम की व्यापारिक गतिविधियों में कमी करने का कोई विचार नहीं है। तथापि राज्य सरकारें अपने निगम स्थापित करने पर भारतीय खाद्य निगम से अधिप्राप्ति तथा वितरण के जितने कार्य लेंगे उतना ही प्रभाव पड़ सकता है।

लघु पत्तनों के लिए स्वीकृत धनराशि

*680. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार पश्चिम बंगाल में लघु पत्तनों के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ख) देश में उन लघु पत्तनों के नाम क्या हैं जिनका अभी विकास किया जाना है तथा जिनके लिए इस अवधि के दौरान कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) कुछ भी नहीं।

(ख) ऐसे छोटे पत्तन जो छोटे पत्तनों के केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में शामिल किये गये हैं के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है और वे पत्तन हैं--गोपालपुर, काकीनाडा, कुडालूर, वेपुरे, कारवाड़, मिर्याबे (रत्नगिरि) और पोरबन्दर।

देश में अन्य छोटे पत्तनों के विकास का कार्यकारी उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है।

बम्बई पत्तन में बड़े जहाजों के ठहरने के लिए बड़ा घाट

*681. **श्री धामनकर :**

श्री मधु दण्डवते :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान समाचारपत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि बम्बई पत्तन न्यास ने तकनीकी अधारों पर जहाजों तथा बड़े टैंकरों को ठहराने का खतरा मोल लेने से इंकार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या बड़े जहाजों को ठहराने के लिए वर्तमान पत्तनों का विस्तार करने अथवा बड़े पत्तनों का निर्माण करने की कोई योजना है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी): (क) संभवतया इस प्रश्न का संबंध उस समाचार से है जिसका संबंध बम्बई पत्तन न्यास द्वारा दो बड़े तेल पोतों अर्थात् "नेताजी सुभाष बोस" और "विवेकानन्द" की धरा उठाई करने से है।

(ख) बम्बई में बड़े-बड़े तेल पोतों के धरा-उठाई करने की योजना पांचवीं योजना में शामिल की गई है। अब भी मद्रास पत्तन भी 87,500 डी० डब्ल्यू० टी० के तेल पोतों को प्राप्त कर सकता है। चतुर्थ योजना परियोजनाओं के पूरे हो जाने के बाद विशाखापत्तनम 1,00,000 डी० डब्ल्यू० टी० के जहाज की धरा-उठाई कर सकेगा। पांचवीं योजना में यह व्यवस्था की गई है कि विशाखापत्तनम 1,50,000 डी० डब्ल्यू० टी० के और मद्रास तथा मारमुगांव 1,00,000 डी० डब्ल्यू० टी० तक के जहाज प्राप्त कर सकेगा। न्हावा शेवा परियोजना के बन जाने से बड़े आकार के जहाज बम्बई में आ सकेंगे। हल्दिया गोदी के चालू होने से उसमें कलकत्ता पत्तन की अपेक्षा अधिक बड़े जहाज आ सकेंगे और पांचवीं योजना के दौरान हल्दिया का डुबाव क्रमिक रूप से बढ़ाया जाएगा। बड़े आकार के तेल पोतों के लिए कोचीन में एक बड़े तेल पोत तेल टर्मिनल की भी योजना बनाई गई है। 2,69 000 डी० डब्ल्यू० टी० के तेल पोतों के लिए मलाया में एक अपतट टर्मिनल की भी योजना बनाई गई है।

शिक्षा प्रणाली के बारे में जम्मू में आयोजित गोष्टी

*682. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जम्मू में शिक्षा शास्त्रियों की एक गोष्ठी हुई थी जिसमें अनेक राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने राज्य में शिक्षा प्रणाली में कतिपय सुधारों का सुझाव दिया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त गोष्ठी की क्या विशिष्टताएं थीं; और

(ग) उन पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति-विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) माडल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, जम्मू तवी द्वारा 18–19 फरवरी, 1974 को परीक्षा सुधार पर एक अखिल भारतीय सेमिनार का आयोजन किया गया था। उक्त सेमिनार में परीक्षा सुधार संबंधी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई थी। सेमिनार की सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं। जम्मू में आयोजित किसी अन्य सेमिनार के बारे में इस मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है।

लघु पत्तनों का विकास

*683. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान कुछ लघु पत्तनों के विकास का कोई नया प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे लघु पत्तनों के नाम क्या हैं तथा उनके विकास पर अनुमानित लागत कितनी आयेगी; और

(ग) इस योजना को क्रियान्वित के लिए संबंधित राज्य सरकारों को किस प्रकार की तथा कितनी केन्द्रीय सहायता दी जायेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमालपति त्रिपाठी) : (क) जी, नहीं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए व्यवस्था उन योजनाओं के व्यय के लिए है जो आगे लाई गई हैं और जो चौथी पंचवर्षीय योजना काल में स्वीकृत की गई। छोटे पत्तनों के विकास की अन्य नयी योजनाओं पर राज्य सरकार को अपनी योजनाओं में शामिल करने के लिए विचार करना पड़ेगा।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

हल्दिया में लोह-अयस्क का लदान

*684. **श्री ए०के० एम० इसहाक** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया में अब स्टीमरों पर लोह-अयस्क का लदान हो सकता है; और

(ख) यदि नहीं, तो कब तक और कितनी क्षमता के स्टीमर लदान करा सकते हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) अभी नहीं।

(ख) हल्दिया गोदी का प्रथम चरण, जिसमें लौह-अयस्क घाट और यांत्रिक लौह धरा-उठाई संयंत्र भी शामिल है, की इस वर्ष में चालू हो जाने की संभावना है। लगे हुए संयंत्र की आंकित क्षमता प्रति घंटा लगभग 6,000 टन होगी।

चौथी योजना में आंध्र प्रदेश के लिए रखा गया शिक्षा संबंधी सुविधाओं का लक्ष्य

*685. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजनावधि में आंध्र प्रदेश के लिए रखा गया शिक्षा संबंधी सुविधाओं का लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Dissolution of C. R. T. C.

***686. Shri M. C. Daga :**
Shri Priya Ranjan Das Munsi :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the Committee on Public Undertakings have recommended in their 62nd Report, the dissolution of the Central Road Transport Corporation;

(b) the steps taken by Government in this regard; and

(c) the loss suffered by the said public undertaking and its annual loss indicating the causes thereof ?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Kamlapati Tripathi) : (a) Yes, Sir.

(b) The recommendation of the Committee is under Government's consideration.

(c) The losses suffered by the Company year-wise from 1966-67 to 1972-73 are as under :—

Year	Loss (in lakhs of rupees)
1	2
1966–67 .	16.32
1967–68 .	16.69
1968–69 .	24.80
1969–70 .	21.36
1970–71 .	22.90
1971–72 .	29.36
1972–73 .	38.14

(The accounts for the year 1973-74 are not yet ready).

The main reasons for the losses of the Company are the rising cost of operation of of its vehicles without a corresponding increase in freight rates, high percentage of idleness of vehicles due to inadequate workshop facilities, indiscipline among its employees and strikes resorted to by them to press their "demands", severe competition from private operators, acute shortage of tyres and tubes and floods, in the eastern States, resulting in major dislocation of traffic.

सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन

*687. **श्री आर० एन० बर्मन :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या कृपि **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के भूमि-मालिकों और प्लॉट मालिकों ने सहकारी समिति अधिनियम, 1972 और दिल्ली सहकारी समिति नियम, 1973 में तत्काल संशोधन करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) बहुतल फ्लैटों के कुछ निर्माताओं और प्रवर्तकों ने दिल्ली सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1972 और दिल्ली सहकारी सोसायटी नियमावली, 1973 में संशोधन करने का अनुरोध किया है। वे सामान्य सेवाओं आदि को चालू रखने के लिए फ्लैट-मालिकों की सहकारी सोसायटी बनाना चाहते हैं। संशोधन के लिए उनका अनुरोध दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है।

फरक्का बांध और हल्दिया गोदी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब

*688. **श्री रानेन सेन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बांध और हल्दिया गोदी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब के कारण कलकत्ता पत्तन पर माल में धीरे धीरे कमी हो रही है;

(ख) क्या जहाज़ों के लिए समुचित व्यवस्था के अभाव में इस समय पत्तन पर बड़े जहाज़ों के कोयला, उर्वरक, तेल, लौह-अयस्क जैसा बड़ी मात्रा में ढोया जाने वाला माल नहीं आ सकता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण कलकत्ता पत्तन को कितनी हानि हो रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) तथा (ख) जी, हां।

(ग) इस समय कलकत्ता पत्तन वर्ष में 60 से 70 लाख टन माल की धरा उठाई कर रहा है। यातायात में गिरावट आई है क्योंकि खाद्यान्न, भारी मशीनों और औजार और संयंत्रों के आयात में कमी तथा कोयले के निर्यात तथा किसी हद तक पत्तन को अपने वर्तमान डुबाव कठिनाई के कारण खुले माल वाहकों की धरा उठाई करने की असमर्थता के कारण हैं। खुले माल वाहकों की धरा उठाई की असमर्थता के कारण पत्तन को हुई कुल हानि का अनुमान लगाना कठिन है।

Tribal Development Blocks and Special Area Projects in Madhya Pradesh.

6584. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of the Development Blocks in Madhya Pradesh where special area projects in the tribal areas are in progress; and

(b) the percentage of expenditure involved in maintaining the two Blocks which overlap each other ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : (a) The names of the Development Blocks in Madhya Pradesh covered under the two Tirbal Development Agency Projects are as under :—

Name of Project	Blocks covered
(1)	(2)
1. Dentewada TDA .	(1) Dantewada. (2) Geedam. (3) Kuakonda. (4) Katekalyan.
2. Konta TDA	(1) Sukma. (2) Chhindgarh. (3) Konta.

(b) These Blocks do not overlap each other. The question of percentage of expenditure for their maintenance does not arise.

Complaint against Headmistress of Municipal Corporation Primary School, Ashoka Park Extension, New Delhi.

6568. Shri Hari Singh :
Shri Purushottam Kakodkar :

Will the Minister of **Education, Social welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the Suraksha Avam Sudhar Samiti (Safety and Improvement Committee) of 14 colonies of Rampore Mour Delhi-35 area has handed over a memorandum alongwith 31 complaints against the Headmistress of Municipal Corporation Primary School, Ashoka Park Extension, Delhi to the Education Officer of the Municipal Corporation on 11th March, 1974;

(b) whether a girl-student named Buchi of Class II-A of the said school was beaten by the Headmistress mercilessly on 11th January, 1974 as a result of which the girl-student became unconscious and the Headmistress left the school without providing first-aid to the student and big demonstration was staged by the residents of that area in front of the said school ; and

(c) the action taken by Government in this regard thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) Yes, Sir.

(b) According to the information given by the Municipal Corporation, the girl student namely Buchi fainted on 11-1-74 due to weakness and that she was not beaten.

(c) The complaint against the Headmistress is being looked into by the Municipal Corporation.

भवन निर्माण ऋण पर लगी रोक हटाये जाने के पश्चात् दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के लिए भुगतान करने हेतु सरकारी कर्मचारियों को अनुमति

6586. **श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में बहुत से सरकारी कर्मचारियों ने मध्यम आय वर्ग में फ्लैटों के आबंटन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास अपने नाम दर्ज करा रखे हैं। परन्तु भवन निर्माण ऋण की मंजूरी पर रोक लगी होने के कारण वे आगामी 'ड्रा' में भाग नहीं ले सकते हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार दिल्ली विकास प्राधिकरण को अनुदेश देने का है कि वह केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों को भवन निर्माण ऋण पर लगी रोक हटाये जाने के बाद एक मुश्त भुगतान करने की अनुमति दे जो 'ड्रा' में सफल रहते हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) यद्यपि गृह निर्माण अग्रिम पर लगे प्रतिबन्ध से सरकारी कर्मचारियों द्वारा लाटरी में भाग लेने में बाधा नहीं पहुंचेगी किन्तु आबंटन होने पर फ्लैटों के लिये नकद भुगतान करने की उनकी क्षमता पर इसका प्रभाव पड़ सकता है।

(ख) अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

केरल में केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीट

6587. **श्री वयालार रवि :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल में केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ स्थापित करने के लिए तिरुवेन्द्रम संस्कृत कालेज सर्वोत्तम स्थान है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में ऐसा केन्द्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख) केरल में एक केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ स्थापित करने के लिए सामान्य प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार से इस प्रस्ताव से संबंधित विशिष्ट ब्यौरे की प्रतीक्षा है। उन्हें अनुस्मारक भेज दिया गया है।

सेन्ट्रल मैरीन फिसरीज़ रिसर्च इन्स्टीट्यूट, कोचीन के कर्मचारियों की मांगें

6588. **श्री वयालार रवि :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सेंट्रल मैरीन फिसरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोचीन के कर्मचारियों की ओर से कोई मांग पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) द्वितीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर 1-7-59 के वेतनमानों में संशोधन और तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन निर्धारण में जो कुछ त्रुटियां रह गयी हैं उनमें भी संशोधन के लिए अभी तक कोई मांग पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन उक्त विषयों से संबंधित सेंट्रल सैरीन फिसर सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोचीन के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं।

1-7-59 से वेतनमानों में संशोधन के प्रश्न पर विचार करना युक्ति संगत नहीं है। फिर भी, तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संस्थान की सभी वैज्ञानिक और तकनीकी पदों के लिए समान वेतनमान लागू करने पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा विचार किया जा रहा है। वर्तमान वेतनमानों में अगर कोई त्रुटि है तो उसमें संशोधन करने से संबंधित कार्यवाही की जा रही है।

गेहूं के वसूली लक्ष्य निर्धारित करने के लिए केन्द्र पर छोड़ा गया निर्णय

6589. श्री महेन्द्र सिंह गिल : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न तो कृषि मूल्य आयोग ने और न ही मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन ने गेहूं के कोई वसूली लक्ष्य निर्धारित किये और केवल केन्द्र पर यह बात छोड़ दी गई है कि वह विभिन्न राज्यों के लिए समूची वितरण नीति के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करें; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई अंतिम निर्णय किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) न तो कृषि मूल्य आयोग ने ही और न ही मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन ने अधिप्राप्ति के लक्ष्य के बारे में कोई सिफारिश की थी।

(ख) जी, नहीं।

Setting up of a Central Agricultural Mechanical Institute.

6590. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a scheme for setting up a Central Agricultural Mechanical Institute; and

(b) whether Government propose to consider setting up the said institute in a district of Madhya Pradesh which is very backward in the industrial and agrucultural fields ?

The Minister of State in the Ministry of Agricultrue (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) A proposal to establish a National Institute of Agricultural Engineering during the Fifth Plan Period is under the consideration of the Indian Council of Agricultural Research.

(b) A Committee of experts has been constituted by the Indian Council of Agricultural Research for selecting a suitable site for this Institute. The Committee is currently engaged in inspecting the sites offered by the various State Governments including Madhya Pradesh. A final decision about the location of the proposed Institute will be taken by the Indian Council of Agricultural Research keeping in view the recommendation of the Expert Commitee.

Slaughter Houses in the Country

6591. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of slaughter houses in the country at present according to Government information ; and

(b) the estimated number of useless animals slaughtered in these slaughter houses every month ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : (a) The number of slaughter houses on the basis of the information collected during 1972-73 is 2870.

(b) The average number of un-productive large animals slaughtered per month is 99,273 as per information collected during 1972-73.

Wheat and Coarse Grains demanded by and supplied to Uttar Pradesh

6592. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of wheat and coarse grains demanded by Uttar Pradesh Government from the Central Government during the last five months;

(b) the quantity of foodgrains supplied by the Central Government to the State Government during the said period ; and

(c) the reasons for not supplying the quantity of foodgrains asked for ?

The Minister of States in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) and (b). The quantity of foodgrains demanded and supplied to the Uttar Pradesh Government from the Central Pool during the last five months (November, 73 to March, 74) is as follows :—

	Quantity demanded	Quantity suppled
	(In thousand tonnes)	(In thousand) tonnes)
Wheat and Coarse-grains .	582.0	223.1 (Provisional)

(c) Allotments of foodgrains from the Central Pool are made keeping in view, if the State is surplus or deficit, the availability of stocks in the C entral Pool, the needs of all d eficit States, market availability, price position and other relevant factors.

Quantity of Rice demanded by and supplied to Haryana

6593. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of rice supplied to Haryana by the Central Government during the last five months ;

(b) the quantity of rice asked for by the State Government from the Central Government during this period ; and

(c) the reason for not giving full quota of rice ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c). Haryana State is surplus in rice. Rice was not supplied as the State Government did not ask for any allotment.

Financial Assistance for Transport Facilities and construction of Highways in Tamil Nadu

6594. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the amount of financial assistance provided by Government to the Tamil Nadu Government during the last two years for transport facilities and construction of highways ;

(b) the funds sought by the State Government for this purpose during this periods ; and

(c) the funds to be provided to the State for the purpose during 1974-75 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Pranab Kumar Mukerjee) : (a) & (b) The Government of India has not given any grant or other financial assistance to Government of Tamil Nadu for development of Road Transport during the last two years. In the field of Highways, the Government of India are mainly concerned with National Highways, which are a Central subject. The entire expenditure on their development and maintenance is, therefore, being met by the Government of India. Central financial assistance by way of loan is given for some projects including *inter-alia* selected State roads/bridges of inter-State or economic importance. Further, money is also provided for some special roads under some other schemes. The table below indicates the position regarding final requirements received from the Government of Tamil Nadu and the allotments made against those requirements under the various schemes keeping in view the available resources :—

	1972-73		1973-74	
	Final requirements intimated by State Govt.	Amount allotted	Final requirements intimated by State Govt.	Amount allotted
1	2	3	4	5
			(in lakhs of Rupees)	
(i) Development and construction of National Highways .	660.00	660.00	400.00	383.00
(ii) Central Road Fund . .	86.00	75.22	33.62	33.62
(iii) Loan assistance for development of State Roads of inter-State or economic importance	85.65	55.82	141.00	50.00
(iv) Advance Action for 5th Plan in respect of National Highways . . .	12.00	12.00	22.84	6.97

(c) Allocations for 1974-75 can be decided only after the Budget Estimates for that year have been voted by Parliament.

नई दिल्ली में इन्द्रपुरी से पटेलनगर तक सड़क

6595. **श्री विभूति मिश्र**: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टोडापुर ग्राम के निवासियों के साथ कुछ विवाद के कारण अभी तक नई दिल्ली में इन्द्रपुरी और पटेल नगर के बीच की सड़क को सीधी करने में बाधा पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस सड़क को सीधी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है जिससे कालोनी के निवासियों को कोई असुविधा न हो ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जो मामले से संबंधित है, ने सूचित किया है कि उन्हें टोडापुर ग्राम के निवासियों के साथ किसी झगड़े की जानकारी नहीं है। इन्द्रपुरी और पटेलनगर के बीच सड़क के निर्माण के लिए अपेक्षित भूमि सेना प्राधिकरण की है जिन्हें भूमि में अधिग्रहण के लिए अभी हाल ही में भुगतान किया गया है। प्रश्नगत भूमि को दिल्ली प्रशासन द्वारा शीघ्र ही अपने कब्जे में लिये जाने की संभावना है। उसके बाद चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कार्य शुरू किये जाने की संभावना है।

इन्द्रपुरी से छावनी तक सड़क

6596. **श्री विभूति मिश्र**: क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिंग रोड से वार मिमिट्री तक आने वाली सड़क को इन्द्रपुरी से छावनी तक बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव दिल्ली की वृहद् योजना में सम्मिलित है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम् मेहता): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोहाट सहकारी आवास समिति, दिल्ली की वार्षिक बैठक

6597. **श्री जगन्नाथ मिश्र**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों से कोहाट सहकारी आवास समिति की आम सभा की कोई वार्षिक बैठक नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख) सोसायटी की आम सभा की गत वार्षिक बैठक 7 मई, 1972 को हुई थी। उसके बाद की 30 सितम्बर, 1973 को

निश्चित सोसायटी की आम सभा की वार्षिक बैठक स्थगित कर दी गई थी, क्योंकि परीक्षित लेखाओं के प्रस्तुत न किये जाने के बारे में आपत्तियां उठाई गई थीं।

(ग) दिल्ली सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1972 की धारा 30(1) के अनुसार पंजीयक, सहकारी सोसायटियां, दिल्ली ने 6 अप्रैल, 1974 को सोसायटी को एक आदेश जारी किया है, जिसमें उससे इस आदेश के मिलने के एक महीने के भीतर सोसायटी को आम सभा की एक विशेष बैठक बुलाने के लिए कहा गया है।

कोहाट सहकारी गृह निर्माण समिति, दिल्ली का ले-आउट प्लान

6598. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोहाट सहकारी गृह निर्माण समिति, दिल्ली द्वारा ले-आउट प्लान प्रस्तुत किया गया था;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ले-आउट प्लान मंजूर कर दिया गया है; और यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और यह ले-आउट प्लान कब मंजूर किया जायेगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम् मेहता) : (क) समिति ने 4 मार्च, 1974 को दिल्ली विकास प्राधिकरण को संशोधित ले-आउट-प्लान प्रस्तुत किया चूंकि उन द्वारा पहले दिये गये प्लान सही नहीं थे।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने, संशोधित प्लान की जांच करने के बाद, उसमें किये जाने वाले कुछ संशोधनों के बारे में समिति को सूचित कर दिया है।

दिल्ली के स्कूलों में सेलेक्शन ग्रेड के लिए चुने गये अध्यापकों के नामों की सूची

6599. **श्री रामजी राम :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन ने जनवरी, 1973 में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों (महिला) की एक सूची निकाली थी जिसमें सेलेक्शन ग्रेड के लिए चुने गए कुछ अध्यापकों के नाम दिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या वरिष्ठता सूची में, यह टिप्पणी देते हुए कि 'अलग से विचार किया जा रहा है', कुछ खाली स्थान छोड़ दिए गए थे;

(ग) क्या ये टिप्पणियां इसलिए दी गयी थीं क्योंकि इन अध्यापकों की गोपनीय रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय में मिल नहीं रही थी ;

(घ) यदि हां, तो क्या खो गयी फाइलें इस बीच मिल गयी हैं और इन मामलों को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो निलम्बित मामलों को अंतिम रूप देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां। खो गई फ़ाइलें अब मिल गई हैं तथा बहुत से मामलों के संबंध में अंतिम निर्णय किया जा चुका है, शेष रहने कुछ मामलों की भी जांच की जा रही है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली स्कूल अध्यापक संघ को मान्यता देना

6600. **श्री रामजी राम :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली स्कूल अध्यापक संघ को कब से मान्यता प्रदान की थी;

(ख) उक्त संघ को मान्यता देने के प्रयोजन क्या हैं;

(ग) 31 दिसम्बर, 1973 को इस संघ की कुल सदस्य संख्या क्या थी;

(घ) क्या दिल्ली शिक्षा अधिनियम के अनुसार गठित दिल्ली शिक्षा सलाहकार बोर्ड में इस संघ को प्रतिनिधित्व देने के बारे में उपेक्षा की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो दिल्ली शिक्षा सलाहकार बोर्ड में प्रतिनिधित्व देने के लिए संघ के दावों की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) दिल्ली स्कूल अध्यापक संघ को, दिल्ली-अजमेर-मारवाड़ और मध्य भारत के तत्कालीन शिक्षा अधीक्षक द्वारा जनवरी 1944 में मान्यता प्रदान की गई थी।

(ख) प्रत्येक अध्यापक में व्यावसायिक गारिमा जाग्रत करना; अध्यापकों के कल्याण, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक तथा आर्थिक सुधार की प्राप्ति के लिये अध्यापकों में व्यावसायिक एकता का विकास।

(ग) सामान्य सदस्य 6500

आजीवन सदस्य 650

(घ) दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 के उपबंध के अनुसार दिल्ली शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है और सरकारी सहायता प्राप्त कुल अध्यापक संघ को, जो कि सहायता प्राप्त कर रहे मान्यताप्राप्त स्कूलों के अध्यापकों की एक प्रतिनिधि संस्था है, उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है।

(ङ) भाग (घ) में दिये गये उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

Resentment on non-procurement of full quota of Wheat in Madhya Pradesh

6601. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether there is resentment among the farmers on account of full procurement of wheat having not been made in Madhya Pradesh ; and

(b) if so, whether Government have provided certain facilities to the farmers to meet their requirements ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) The State Government who were consulted in the matter have reported that there is no such resentment prevailing in Madhya Pradesh amongst the farmers.

National Highways being doubled in Madhya Pradesh

6602. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the number and names of the National Highways being doubled in Madhya Pradesh ;

(b) whether all the formalities have been completed in this regard and if not, the reasons for the delay ; and

(c) the time by which the construction work will commence and the likely date of completion of work ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Pranab Kumar Mukerjee) : (a) A statement giving the requisite information is attached. [Placed in Library See No. L. T. 6699/74].

(b) & (c) Sanction has been accorded to estimates for 35 works on the above-mentioned national highways. Out of these, two works have been completed, while 28 works are in various stages of progress. In the case of three works tender formalities are being finalised. The remaining two works were sanctioned only recently and tender formalities in respect of them are yet to commence.

These works are likely to be completed within Fifth Plan period subject however to availability of adequate funds.

Construction of Stadium in Burhanpur Tehsil

6603. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration for sometime past a proposal to construct a stadium for the students of Sewasadan College in Burhanpur Tehsil of East Nimar District of Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the action taken so far in this regard and the time by which the said stadium would be constructed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) and (b) Government of Madhya Pradesh had sought financial assistance for the stadium being constructed by the Burhanpur Stadium Society, Burhanpur. Out of the total grant of Rs. 25,000/- approved by the Government of India for this project, the first instalment of Rs. 15,000/- was released to the Government of Madhya Pradesh in February, 1968. The work has not yet been completed. The State Government of Madhya Pradesh have been reminded for early completion of the project. They have not yet indicated the date by which the project is likely to be completed.

दिल्ली में जूनियर ड्राइंग अध्यापकों की पदोन्नति

6604. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री दिल्ली के स्कूलों के ड्राइंग के अध्यापकों के वेतनमान के बारे में 6 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2004 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई जूनियर ड्राइंग अध्यापक, जो तीन वर्ष के अनुभव के बाद सीनियर ड्राइंग अध्यापक के पद में पदोन्नति पाने का हकदार है, सीनियर ड्राइंग अध्यापक के रूप में पदोन्नत किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इस नियम के अन्तर्गत सीनियर ड्राइंग अध्यापक के रूप में ऐसे कितने अध्यापक पदोन्नत किये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस नियम के अन्तर्गत ड्राइंग अध्यापकों की कब तक पदोन्नतियां की जायेंगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) जी, नहीं ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) रिक्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण पदोन्नतियां नहीं की गई हैं। रिक्त स्थान उपलब्ध होने पर पदोन्नतियां की जायेंगी ।

दिल्ली-35 क्षेत्र के आस-पास की भूमि का उपयोग

6605. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-35 क्षेत्र में निम्नलिखित भूमि के बहुत से क्षेत्र बेकार पड़े हैं ;

(i) भगवानदास नगर और जयदेव पार्क के बीच; (ii) नजफगढ़ नाले के साथ-साथ मनोहर पार्क और पंजाब गार्डन के बीच; (iii) रोहतक रोड के साथ-साथ पावर हाउस से लारेंस रोड; और (iv) गोल्डन पार्क और फूल बाग के पीछे रेलवे लाइनों के निकट ;

(ख) यदि हां, तो इनका अलग-अलग वास्तविक क्षेत्रफल कितना है तथा उनकी लंबाई-चौड़ाई क्या है तथा उनकी वास्तविक सीमाएं क्या हैं; और

(ग) इनका इस समय क्या उपयोग किया जा रहा है तथा क्या उपयोग किया जाएगा तथा उनका कब तक प्रस्तावित उपयोग किया जाएगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) (i) इस पाकिट में लगभग 4 एकड़ का एक टुकड़ा खाली पड़ा है। बृहत/क्षेत्रीय प्लान में इसका उपयोग "रिहायशी" प्रयोजन के लिए है। इस पाकिट की विस्तृत योजना अभी बनाई जानी है।

(ii) नजफगढ़ नाले के साथ-साथ मनोहर पार्क और पंजाब गार्डन के बीच लगभग 4 से 5 एकड़ भूमि अंशतः खाली है, कुछ भाग पर झुग्गियां बनी हैं तथा कुछ भाग पर खेती-बाड़ी हो रही है। क्षेत्रीय प्लान के प्रारूप के अनुसार, इस क्षेत्र के कुछ भाग का उपयोग उच्चतर माध्यमिक पाठशाला के लिए किया जाना है तथा शेष क्षेत्र को नजफगढ़ नाले के साथ-साथ खुले पार्क के रूप में रखा जाना है। इस क्षेत्र की विस्तृत योजना अभी बनाई जानी है।

(iii) इस पाकिट में लगभग 8 एकड़ भूमि का एक टुकड़ा, अंशतः खाली पड़ा है तथा अंशतः उस पर बड़ी संख्या में झुग्गियां, पक्की तथा अर्द्ध पक्की संरचनाएं खड़ी हैं। इस क्षेत्र का कुछ भाग, पक्की इमारत में चल रही एक अनधिकृत साईकिल फैक्टरी के दखल में है। बृहत्त/क्षेत्रीय प्लान में इस क्षेत्र का उपयोग औद्योगिक प्रयोजन के लिए है।

(iv) इस पाकिट में गोल्डन पार्क और फूल बाग के पीछे रेलवे लाईन के निकट लगभग 12 एकड़ भूमि का एक टुकड़ा अंशतः खाली पड़ा है तथा अंशतः उस पर झुग्गियां बनी हुई हैं। लारेंस रोड़, फूल बाग, अशोक पार्क तथा रेलवे लाईन के बीच का यह क्षेत्र, क्षेत्रीय प्लान में अंशतः "हरित" के लिए है तथा शेष औद्योगिक प्रयोग के लिए है। इस क्षेत्र की योजना अभी बनाई जानी है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियरों के पद पर कार्य कर रहे इंजीनियरिंग स्नातक

6606. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में लगभग 800 इंजीनियरी स्नातक इंजीनियरी डिप्लोमाधारियों के लिए बने कैडर में जूनियर इंजीनियरों के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा उन्हें वेतन, पदोन्नति आदि के मामले में उनके समान माना जाता है ;

(ख) क्या तीसरे वेतन आयोग ने यह टिप्पणी की है कि इस प्रकार इंजीनियरी स्नातकों की सेवा का पूरी तरह उपयोग नहीं होता जिसे हमारा देश बर्दाश्त नहीं कर सकता तथा यह राष्ट्र के औद्योगिक तथा आर्थिक विकास में भी बाधक है ; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा किये जाने का विचार है कि इंजीनियरों की सेवा का कम उपयोग न किया जाए तथा उनसे वही सेवा कराई जाये जिसका उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) तृतीय वेतन आयोग ने यह टिप्पणी की है कि इंजीनियरी स्नातकों की कनिष्ठ इंजीनियर के स्तर पर नियुक्ति से उनकी सेवा का पूरी तरह उपयोग नहीं होता।

(ग) कनिष्ठ इंजीनियर के पद के लिए न्यूनतम अर्हता इंजीनियरी में डिप्लोमा हैं; किंतु सरकार स्नातक इंजीनियरों के प्रवेश पर रोक नहीं लगा सकती यदि वे उसके लिए आवेदन करते हैं तथा चुन लिए जाते हैं और एक बार चुन लिए जाने पर तो उन्हें उन्हीं कार्यों पर लगाया जाता है जो उपलब्ध होते हैं। तथापि, कनिष्ठ इंजीनियर के स्तर पर भी डिज़ाईन इंजीनियरी जैसे कुछ कार्य हैं जहां पर कि इंजीनियरी की अर्हता का अपेक्षाकृत अच्छा उपयोग हो सकता है। स्नातक इंजीनियरों को सामान्यतः ऐसे ही कार्यों पर लगाया जाता है।

जूनियर इंजीनियरों के रूप में कार्य कर रहे इंजीनियरी स्नातक

6607. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण और डाक और तार विभागों में डिप्लोमाधारियों के लिये बने कैडर में जूनियर इंजीनियरों के रूप में कार्य करने वाले सैकड़ों इंजीनियरी स्नातक निर्माण भवन तथा उनके निवास स्थान पर प्रतिदिन प्रदर्शन तथा भूख हड़ताल कर रहे हैं तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरी स्नातकों के ही कैडर की मांग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इंजीनियरी स्नातकों के कैडर के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में एक ऐसा इंजीनियरिंग विभाग बनाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है जो तीसरी क्लास के स्तर पर उपयुक्त कैडर में उनकी नियुक्ति करे ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुछ स्नातक कनिष्ठ इंजीनियरों ने पृथक काडर की अपनी मांग के समर्थन में निर्माण भवन के सामने कुछ दिन प्रदर्शन किया था तथा 25 से 30 मार्च, 1974 तक निर्माण और आवास मंत्रालय के राज्य मंत्री के निवास स्थान पर भूख हड़ताल की।

(ख) श्रेणी III स्तर तक के पदों तथा अर्हताओं की संरचना संबंधी समस्त प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

ट्रक मालिकों द्वारा हड़ताल की धमकी

6608. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक दैनिक समाचारपत्र के अनुसार लगभग एक लाख ट्रक मालिकों ने 30 जून, 1974 से अनिश्चित काल तक ट्रक सेवा बंद कर देने की धमकी दी है ;

(ख) क्या उनकी यह मांग है कि टायरों और फालतू कलपुर्जों के वितरण की प्रणाली में सुधार किया जाये तथा चुंगी समाप्त की जाए ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी न्यायोचित मांगों को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) सरकार ने इस संबंध में कुछ स्थानीय समाचारपत्रों में यह रिपोर्ट पढ़ी है कि यदि उनकी मुख्य-मुख्य मांगें उचित समय तक स्वीकार न की गई तो परिवहन परिचालक "सीधी कार्रवाई" करेंगे।

(ख) जी, हां ।

(ग) परिवहन गाड़ियों के इस्तेमाल के लिए आवश्यक भारी ड्यूटी टायरों और विशेष मोटर गाड़ी के फालतू पुर्जों के कुछ वर्गों की मौजूदा कमियों से सरकार परिचित है।

टायरों के बारे में कार्रवाई की गई है जिसके फलस्वरूप उत्पादन के बढ़ने की आशा है।

जहां तक फालतू पुर्जों का संबंध है, उनकी कमी के मुख्य कारण हैं—बिजली की कटौती, कच्चे माल की अनुपलब्धता और निर्माण क्षमता पर प्रतिबंध। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए दोनों मौजूदा यूनिटों के विस्तार और सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नए यूनिट स्थापित कर अतिरिक्त क्षमता की अनुमति दी गई है।

चुंगी समाप्ति राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है। परिवहन विकास परिषद् की सिफारिश के अनुसरण में इस मामले में उनसे प्रबल रूप से लिखा-पढ़ी की जा रही है, परन्तु दूसरे स्वीकार्य करों के ढूंढने के बाद ही चुंगी समाप्त की जा सकती है। यद्यपि समय-समय पर कई दूसरे करों पर विचार किया गया है, तथापि किन्हीं दूसरे उचित करों के बारे में अभी तक फैसला नहीं किया जा सका। यह मामला आसान नहीं है, क्योंकि प्रत्येक दूसरे कर के आशयों और विस्तार की गहन रूप से जांच करनी होगी।

मछली पकड़ने की नौकाओं की खरीद के लिए कुछ देशों के साथ बात-चीत

6609. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछली पकड़ने की नौकाओं की खरीद के लिए पोलैंड के अतिरिक्त कुछ अन्य देशों के साथ सरकार बात-चीत कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) बात चीत चल रही है।

दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा के निकट दिलशाद गार्डन एक्सटेंशन 1 कालोनी

6610. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा के समीप दिलशाद गार्डन एक्सटेंशन 1 कालोनी को बहुत वर्ष पहले तत्कालीन शाहदरा नगरपालिका द्वारा मंजूरी दे दी गई थी तथा वहां बहुत से मकान बन चुके हैं तथा लोग रहने लगे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कालोनी में कालोनी मालिक द्वारा सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान किये जाने के बाद अब उस कालोनी में मकान बनाये जाने की अनुमति नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं।

(ग) क्या उक्त कालोनी में लगभग 10 वर्ष से निर्माण कार्यों की अनुमति न दिये जाने के कारण उस कालोनी में अनधिकृत निर्माण कार्य आरंभ हो जाएगा; और

(घ) उक्त कालोनी में निर्माण कार्यों की अनुमति देने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्य-वाही की गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) प्लान की आवश्यकताओं के लिए अर्जनाधीन भूमि के कुछ इलाके के लिये मुआवजा देन का प्रश्न, दिल्ली विकास प्राधिकरण की एक उप-समिति को सौंपा गया है। उप-समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर भवन निर्माण की अनुमति देने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

बम्बई-आगरा राष्ट्रीय राजपथ

6611. **श्री काहनडोल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई-आगरा राष्ट्रीय राजपथ की दूरी कम करने तथा उसे चौड़ा करने का कार्य आरंभ हो गया है ;

(ख) थाना से धूलिया तक इस सड़क के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिये कितनी धन-राशि तथा समय-सीमा निर्धारित की गई है ;

(ग) क्या यह कार्य स्वयं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है अथवा किसी गैर-सरकारी ठेकेदार को सौंपा गया है ;

(घ) यदि इस कार्य को गैर-सरकारी ठेकेदार कर रहे हैं तो श्रमिकों को वे क्या मजूरी दे रहे हैं ; और

(ङ) क्या इस बात की जांच करने के लिये कोई सरकारी व्यवस्था है कि श्रमिकों को नियमित रूप से भुगतान किया जाता है तथा उनकी मजूरी से कोई राशि अवैध रूप से नहीं काटी जाती है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां वास्तव में उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में कार्य पहले ही से पूरा हो चुका है।

(ख) सड़क के भिवंडी-घुलिया भाग के विभिन्न उप भागों को उन्नत करने के लिए 778.49 लाख रुपए की अनुमानित लागत की स्वीकृति दी गई है और धन उपलब्ध होने पर पांचवीं योजना अवधि के दौरान उसके पूरे होने की संभावना है।

(ग) कार्य आंशिक रूप से ठेकेदारों द्वारा और आंशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा विभागीय रूप से पूरा किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे यथा समय सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

स्वेज नहर को खोलना

6612. **श्री रामसहाय पांडे** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान स्वेज नहर के खोले जाने की संभावना के समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो हमारे आयात और निर्यात के भाड़ों में कितनी बचत होगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) हमारे आयात निर्यात के भाड़ों में कितनी बचत होगी, इसके लिये अभी तक कोई अध्ययन नहीं किया गया है। यह उन प्रभारों पर भी जो स्वेज नहर प्राधिकारी नहर के खुलने के बाद इसके प्रयोग पर लगाये जायेंगे और इसमें चलने वाले जहाजों के आकार प्रकार पर निर्भर करेगा।

महाराष्ट्र के सूखा से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लिए पांचवीं योजना में विशेष सहायता

6613. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाई गई वस्तुस्थिति खोज समिति (सुखंत-कर समिति) ने राज्य के 12 जिलों में 87 तालुकों को सूखे से प्रभावित होने वाले पाया है ;

(ख) क्या इस समिति ने लगभग वही मानदंड अपनाए हैं जो दूसरे सिचाई आयोग द्वारा अपनाए गये थे जिसने औरंगाबाद , भिर और उसमानाबाद के जिले सूखे से प्रभावित होने वाले पाये थे ;

(ग) पांचवीं योजना-अवधि में सूखे से प्रभावित घोषित महाराष्ट्र के छः जिलों को क्या विशेष सहायता दी जाएगी ;

(घ) क्या योजना आयोग द्वारा समेकित कृषि विकास संबंधी बनाए गए कार्य दल, जिसने सूखे से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के प्रश्न की जांच की थी, महाराष्ट्र के सूखे से प्रभावित कुछ क्षेत्रों का दौरा नहीं कर सका ; और

(ङ) क्या सरकार राज्य सरकार द्वारा सूखा-प्रभावित घोषित इन 6 अतिरिक्त जिलों को विशेष सहायता देगी; और यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त की गई वस्तुस्थिति खोज समिति (1973) ने 12 जिलों में 83 तालुकों को सूखे से प्रभावित होने वाला पाया।

(ख) वस्तुस्थिति खोज समिति ने अनेक मानदण्डों पर विचार करने के पश्चात् निर्णय किया कि विस्तृत सूखा क्षेत्र में ये शामिल होने चाहिएं : (1) वे क्षेत्र जो 750 मिलीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र के भीतर आते हैं तथा (2) वे क्षेत्र, जो उथली भूमि वाले तथा 700 मिलीमीटर से 800 मिलीमीटर समवृष्टि रेखा के भीतर आते हैं। दूसरे सिंचाई आयोग ने इस मानदण्ड के आधार पर सूखा क्षेत्र का पता लगाया कि वहां वर्षा की न्यूनतम कमी की सम्भाव्यता 20 प्रतिशत अथवा इससे अधिक होनी चाहिए और जल सन्तुलन प्रतिकूल होना चाहिए। तथापि, उन्होंने उन तालुकों अथवा समान यूनिटों को छोड़ दिया है जहां शस्य क्षेत्र के 30 प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है।

(ग) 16.00 करोड़ रुपये। इतनी ही राशि राज्य सरकार द्वारा दी जानी है।

(घ) आयोग ने महाराष्ट्र में सूखे से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा नहीं किया।

(ङ) सीमित संसाधनों के कारण इस कार्यक्रम को नए क्षेत्रों में शुरू करना संभव नहीं है।

Insurance Scheme for Opium Cultivation

6614. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are considering a proposal to introduce insurance scheme for opium cultivation ; and

(b) if so, by what time it will be introduced ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

हल्द्वानी में खोज कार्यों में प्रयुक्त नलकूप

6615. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला नैनीताल, उत्तर प्रदेश में हल्द्वानी तथा उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र के गोटा-पड़ाव में खोज कार्यों में उपयोग किये जाने वाला नलकूप लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो बहराइच जिले (उत्तर प्रदेश) के भींग और तुलसीपुर परगनों में इस आधार पर नलकूप लगाने से क्यों इन्कार किया गया है कि ये क्षेत्र भाबर तराई क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं तथा भूमि की परत ठोस नहीं है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) तथा (ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कालपात्र में राष्ट्रीय नेताओं के चित्र

6616. **श्री सेझियान** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता दिवस, 1973 को दबाये गये कालपात्र में राष्ट्रीय नेताओं के चित्र भी रखे गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस हेतु किन-किन नेताओं के चित्रों का चयन किया गया ; और

(ग) चित्रों के चयन करने हेतु क्या प्रक्रिया अपनायी गयी ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) से (ग) जी, हां। लाल किले में 15 अगस्त, 1973 को गाड़े गए काल-पात्र में ताम्र-पत्रों पर हाफ-टोन में निर्धारित 13 राष्ट्रीय नेताओं के चित्र रखे गए हैं। उक्त चित्र संसद के केन्द्रीय कक्ष के चित्रों पर आधारित हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं :—

1. महात्मा गांधी
2. दादाभाई नौरोजी
3. लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक
4. लाला लाजपत राय
5. मोतीलाल नेहरू
6. मदन मोहन मालवीय
7. सरदार वल्लभभाई पटेल
8. देशबंधु चित्तरंजन दास
9. रवीन्द्र नाथ टैगोर
10. मौलाना अबुलकलाम आजाद
11. सरोजिनी नायडु
12. राजेन्द्र प्रसाद
13. जवाहर लाल नेहरू

चौथी योजना में लगाये जाने वाले नलकूपों के लिये निधि

6617. **श्री भान सिंह भौरा :**
श्री सरजू पाण्डे :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी योजना में गांवों में सिंचाई के लिये नलकूप लगाने के लिये धनराशि स्वीकृत की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या तत्संबंधी लक्ष्य प्राप्त हो गया था ; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां नलकूपों के लिये धनराशि खर्च की गई और जहां उपरोक्त उद्देश्यों के लिये धनराशि नहीं खर्च की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां। ऐसे सभी राज्यों ने जिनमें नलकूपों के निर्माण की संभावनाएं मौजूद थीं, चौथी योजना के दौरान गांवों में सिंचाई के लिए नलकूप लगाने के लिए अपनी राज्य योजनाओं में धनराशि आवंटित कर दी थी।

(ख) जी हां। लक्ष्य प्राप्त हो गए थे।

(ग) इस प्रकार का कोई मामला जानकारी में नहीं आया है।

वर्ष 1974 के दौरान सिंचाई सुविधाओं के लिए प्रोत्साहन

6618. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा 1974 में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ; और

(ख) क्या विद्युत की कमी को देखते हुए कुओं/तालाबों जैसे परम्परागत तरीकों से सिंचाई की सुविधा प्रदान करने हेतु कोई विशेष प्रोत्साहन दिये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) वर्ष 1974 के दौरान सरकार ने सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये हैं या उठाने का प्रस्ताव है :—

(1) पिछले वर्षों की तुलना में सिंचाई परियोजनाओं के लिये योजना क्षेत्र की निधि से अधिक राशि आवंटन करना।

(2) लघु सिंचाई योजनाओं के लिये भूमि विकास बैंकों, केन्द्रीय सहकारी बैंकों, केन्द्रीय बैंकों आदि संस्थागत एजेंसियों से अधिकतम अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये क्रमबद्ध प्रयास करना।

(3) नई योजनाओं को प्रारंभ करने से पहले क्रियान्वित की जा रही सिंचाई योजनाओं को पूर्ण करने पर बल देना।

(4) कृषि कार्यों को बिजली देने के प्रश्न को प्राथमिकता देना।

(5) सिंचाई संबंधी पम्पसेटों को चलाने के लिये डीजिल आयल की सामयिक सप्लाई के संबंध में पर्याप्त व्यवस्था करना।

(6) सृजित सिंचाई क्षमता के शीघ्र उपयोग करने तथा उनमें सुधार करने के लिये भरपूर प्रयास करना।

(ख) लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत पशु शक्ति से चलने वाले खुदाई के कुओं, तालाबों आदि सिंचाई के परम्परागत तरीकों को उचित प्राथमिकता दी जा रही है। छोटे कृषकों को खुदाई के कुओं व रहटों आदि के लिये भी आर्थिक सहायता दी जा रही है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उपनगरों के विकास पर हुआ खर्च

6619. **श्री के० मालन्ना** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुछ उपनगरों के विकास पर कुछ धनराशि खर्च करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत धन, उपनगरों तथा जनसंख्यानुसार क्षेत्र संबंधी विवरण क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिये 20 करोड़ रुपये की रकम निर्दिष्ट की गई हैं।

(ख) ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

दिल्ली के हायर सेकेण्डरी स्कूलों में वाइस-प्रिंसिपल की नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे का निर्धारण

6620. **श्री अम्बेश** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री दिल्ली के हायर सैकेंडरी स्कूलों में वाइस-प्रिंसिपलों की नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे के निर्धारण के बारे में 20 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5105 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में वाइस-प्रिंसिपलों की नियुक्ति के संबंध में बनाये गये तथा 1 जून, 1968 को अधिसूचित किये गये नियम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित पुस्तिका के तीसरे संस्करण के तीसरे अध्याय में 'छूट तथा अपवर्जन' शीर्ष के अन्तर्गत प्रकाशित सरकार/राज्य-नीति के विरुद्ध हैं;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अध्यापकों के नाम वरिष्ठता सूचियों में नहीं हैं; और यदि हां, तो इन अध्यापकों को किस प्रकार आरक्षण दिया जाता है ; और

(ग) गत तीन वर्षों में आरक्षण के आधार पर उक्त समुदायों के कितने अध्यापकों को वाइस-प्रिंसिपलों के रूप में पदोन्नत किया गया है और 'सलेक्शन ग्रेड' दिया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल के अहमदपुर, बीरभूम में चीनी कारखानों का पुनः खोला जाना

6621. **श्री गदाधर साहा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के अहमदपुर, बीरभूम में बंद पड़े चीनी कारखाने को पुनः खोलने के लिये सरकार ने क्या ठोस कदम उठाये हैं ; और

(ख) इस चीनी कारखाने के कब चालू होने और चीनी का उत्पादन कब तक होने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) पश्चिमी बंगाल सरकार ने पश्चिमी बंगाल चीनी उद्योग विकास आयोग प्रा० लि०, कलकत्ता की राज्य में चीनी उद्योग के विकास के लिए स्थापना की थी और उसने राष्ट्रीय चीनी मिल्स लि०, अहमदपुर को अपने हाथ में ले लिया है। निगम ने मिल के संयंत्र और मशीनरी की मरम्मत करने का कार्य शुरू कर दिया है और गन्ने की सघन खेती का कार्यक्रम शुरू किया है।

(ख) आशा है कि कारखाना दिसम्बर, 1974 तक उत्पादन शुरू कर देगा।

Modernisation of Rice Mills

6622. **Shri Chiranjib Jha :**
Shri E. V. Vikhe Patil:

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to launch a drive for modernising the traditional machinery of rice mills through the Food Corporation ;

(b) if so, the quantity of rice, in tonnes, likely to be saved from destruction every year as a result thereof ; and

(c) the State-wise number of modern rice-mills set up by the Food Corporation of India so far ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Apart from suitable amendment to the Rice Milling Industry Regulation Act and rules thereunder , training of technical and managerial personnel, development of improved equipments and dissemination of technical information on modernisation of the industry, sponsored by the Government, the Food Corporation is assisting in the Modernisation programme by setting up modern rice mills and organising seminars.

(b) The additional recovery of rice in modernised rice mills may range from 1 to 6 per cent and will depend on paddy milled, parboiling and other processing adopted and the types of machinery modernised.

(c) The State-wise number of modern rice mills set up by the Food Corporation of India is as under :—

Punjab	2
Haryana	1
U. P.	1
Bihar	2
Orissa	3
W. Bengal	4
Assam	2
Manipur	1
A. P.	4
Tamil Nadu	4
Kerala	1
Total	25

Production of Vanaspati from Paddy Bran Oil

6623. **Shri Chiranjib Jha** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether vanaspati ghee can be manufactured from paddy bran oil ;

(b) if so, the States where oil is being produced from the bran indicating the names of places in the States ; and

(c) the scheme being chalked out by Government to produce oil from about 30 lakh metric tonnes bran available every year in the country to remove the edible oil shortage ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : (a) Yes, Sir. However, as the quality of the oil being produced is suitable mainly for industrial purposes, only a negligible quantity of this oil is being used in the manufacture of vanaspati.

(b) A statement is attached.

(c) Efforts are being made to improve the quality of the oil mainly by installation of bran stablizers at rice mills.

STATEMENT

Andhra Pradesh

1. Vijayawada
2. Guntur
3. Kakinada
4. Masulipatnam
5. Bhimavaram
6. Tadepalligudam
7. Khammam
8. Adoni
9. Hyderabad

Assam

1. Tezpur

Bihar

1. Forbesganj

Gujarat

1. Bareja
2. Wadhawan City

Punjab

1. Khanna
2. Amritsar

Rajasthan

1. Jaipur

Uttar Pradesh

1. Sitapur
2. Aligarh
3. Attara
4. Kanpur
5. Manipuri

West Bengal

1. Hawrah
2. Ahmedpur
3. Calcutta
4. Burdwan

Haryana

1. Sonepat
2. Kundli

Karnataka

1. Mandya
2. Mysore
3. Shikarpur
4. Shimoga
5. Sirsi

Madhya Pradesh

1. Raipur
2. Katangi
3. Mahasamund
4. Bilaspur
5. Bilha
6. Ujjain

Tamil Nadu

1. Tiruvarur

Chandigarh

Maharashtra

1. Khamgaon
2. Bombay
3. Chalisgaon
4. Jalgaon

गोबर गैस संयंत्रों की सीमांत लागत

6624. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री गजाधर मांझी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक गोबर गैस संयंत्र की सीमांत लागत क्या है ;

(ख) क्या प्रस्तावित 20,000 गोबर-गैस संयंत्रों को सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में बराबर बांटा जायेगा अथवा एक या कुछ ही राज्यों में ये लगाये जायेंगे ; और

(ग) क्या इसके सस्ता होने के कारण खादी अथवा ग्रामोद्योग आयोग अपना विशेष ज्ञान सर्व-साधारण को प्रदान करने के लिए तैयार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) इस समय लोक प्रिय बनाए जाने वाले खादी और ग्रामोद्योग आयोग के गोबर गैस संयंत्रों की लागत उनकी क्षमता (60 घन फीट से 250 घन फीट तक) के अनुसार 1575 से 3275 तक भिन्न-भिन्न है।

(ख) पंचम पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान 12 राज्यों में "बीजनकार्यक्रम" के अंतर्गत अनुकूल कृषि जलवायु संबंधी परिस्थितियों में 20,000 प्रस्तावित गोबर गैस संयंत्र स्थापित किये जायेंगे। पंचम योजना के अनुवर्ती वर्षों में यह कार्यक्रम सब राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र में प्रारंभ किया जायेगा ।

(ग) जी हां।

चक्षुहीनों द्वारा भूख हड़ताल

6625. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्देशीय चक्षुहीन संघ ने देश भर के 150 चक्षुहीनों व्यक्तियों की 24 घंटे सांकेतिक भूख हड़ताल का 16 मार्च, 1974 से राजधानी में आयोजन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

जाली दुग्ध टोकनों की जांच-पड़ताल

6626. **श्री नारायण चन्द पराशर :**
श्री पी० वेंकटासुब्बैया :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की राजधानी में दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दिये गये जाली दुग्ध-टोकनों की जांच-पड़ताल के आदेश दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अभियान के क्या परिणाम निकले; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसी "जांच-पड़ताल" के आदेश दिये जायेंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली/नई दिल्ली के विभिन्न दुग्ध डिपुओं में राशन कार्डों के आधार पर दूध के टोकनों की शत-प्रतिशत वास्तविक जांच शुरू की गई है। कुछ व्यक्तियों के पास एक ही शिफ्ट के एक से अधिक दुग्ध टोकन पाये गये हैं जो इन्होंने गलत घोषणा देकर जारी करवाये थे। अतः ऐसे टोकनों को रद्द करने के लिये एकत्र किया जाता है। जनवरी और फरवरी, 1974 के दौरान लगभग 68 दुग्ध के डिपुओं पर ऐसी जांच की गई और उसके फलस्वरूप 1171 अनधिकृत या अतिरिक्त दुग्ध के टोकनों को जब्त करके रद्द किया गया। दुग्ध टोकनों की जांच जारी है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

टैगोर शताब्दी अंक का प्रकाशन

6627. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित टैगोर शताब्दी अंक अब स्टाक में उपलब्ध नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उसके दूसरे संस्करण का शीघ्र ही प्रकाशन करने की व्यवस्था करेगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) इस समय भी, लगभग 150 प्रतियां उपलब्ध हैं। क्योंकि यह प्रकाशन कीमती है, इसलिए अकादमी की इस अंक को पुनः मुद्रित कराने की कोई तात्कालिक योजना नहीं है।

कृषि मंत्रालय में लोअर डिवीज़न क्लर्क

6628. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि खाद्य तथा कृषि विभाग में लोअर डिवीज़न क्लर्कों की अधिकृत स्थायी संख्या के बारे में इससे पहले 1 मई, 1970 और 1 मई 1967 को क्रमशः पुनर्विलोकन किया गया था इससे परिणामस्वरूप यह पता लगा है कि वहाँ अभी भी बड़ी संख्या में कर्मचारी अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं।

(ख) प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन न करने के क्या कारण हैं, जैसा कि नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है ;

(ग) क्या ऐसे लोअर-डिवीजन क्लर्क अभी भी अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर ली है ; और

(घ) क्या सेन्ट्रल गवर्नमेंट क्लर्क यूनियन से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) खाद्य तथा कृषि विभागों के विषय में स्थिति नीचे दी जा रही है :--

1. खाद्य विभाग

अवर श्रेणी लिपिकों की स्वीकृत स्थायी संख्या का नियमित आधार पर समय-समय पर पुनरीक्षण होता रहा है। अंतिम पुनरीक्षण वर्ष 1973 में किया गया था।

2. खाद्य विभाग के संवर्ग में 10 वर्ष की सेवा वाले 14 अवर श्रेणी लिपिक अस्थायी हैं, जिन्हें ग्रेड में स्थायी किया जाना है। उन्होंने निर्धारित टाइपिंग परीक्षा पास नहीं की थी और वे स्थायी करने के योग्य नहीं थे। अतः उन्हें स्थायी नहीं किया जा सका। उन्हें केवल वर्ष 1971 में इससे छूट दी गई थी। स्थायी रिक्तियों के लिये अब उनके मामलों पर विचार किया जा रहा है। खाद्य विभाग को केन्द्रीय सरकार के लिपिक संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

2. कृषि विभाग

अवर श्रेणी लिपिकों की 1-5-1967 को स्वीकृत स्थायी संख्या का पुनरीक्षण किया गया था और 23-4-1970 को आदेश जारी किये गये थे। तत्पश्चात् भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का पुनर्गठन न होने के कारण प्रतिवर्ष पुनरीक्षण न किया जा सका, क्योंकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सरकारी पक्ष के पदों के संबंध में अनिश्चितता मौजूद थी। 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले 20 अवर श्रेणी लिपिक अभी भी अस्थायी अवर श्रेणी लिपिकों के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्हें अभी तक स्थायी नहीं किया जा सका, क्योंकि उन्होंने निर्धारित टाइपिंग परीक्षा पास नहीं की थी। ऐसे अब 10 लिपिकों को छूट दी गई है और स्थायी करने के लिये उनके मामलों पर कार्यवाही की जा रही है।

2. इस संबंध में कृषि विभाग में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। परन्तु, उपर्युक्त उल्लिखित कारणों की मौजूदगी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के भावी ढांचे के संबंध में अनिश्चितता मौजूद होने के कारण कोई प्रगति नहीं हो सकी। अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का पुनर्गठन हो चुक है और एक नया कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग स्थापित किया जा चुका है। अतः अब यथाशीघ्र पुनरीक्षण किया जायेगा।

तिलक नगर से गालिबपुर, घूमनहेरा तक के नये रूट 52-ए को समाप्त करना

6629. **श्री एस० एम० बनर्जी**: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलक नगर से गालिबपुर, घूमनहेरा तक का नया रूट 52-ए चला कर हाल ही में डी० टी० सी० सुविधा उपलब्ध की गई थी ;

(ख) क्या यह सुविधा उक्त क्षेत्र की जनता को सूचित किये बिना हठात् समाप्त कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्यों ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम इस समय तिलक नगर नजफगढ़ से गालिबपुर/घूमनहेरा तक प्रातः 4 बजकर 55 मिनट तथा रात के 9½ बजे के बीच 12 सेवाओं तथा गालिबपुर/घूमनहेरा से तिलक नगर/नजफगढ़ तक प्रातः 5 बजकर 55 मिनट तथा रात के 8 बजकर 5 मिनट के बीच मार्ग सं० 52-ए पर 13 सेवाओं का परिचालन कर रहा है । इनमें से कोई भी सेवा बन्द नहीं की गई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में 'स्लम' विभाग के अधीन प्लाटों की नीलामी

6630. **श्री अरविन्द एम० पटेल**: क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन प्लाटों को नीलाम करने का निर्णय किया है जो दिल्ली में स्लम विभाग के अधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली के उन गन्दी बस्ती क्षेत्रों के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है जो पहले पुनर्वास मन्त्रालय के अधीन थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) (क) से (ग) संयुक्त योजनाएं गन्दी बस्ती उन्मूलन तथा सुधार योजना के उपबन्धों के अनुसार कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा आरम्भ की जा सकती है । इस योजना के उपबन्ध योजना के अन्तर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों पर लागू होंगे ।

महिला पोलिटेक्निक्स

6631. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री वेंकारिया :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ऐसी महिला पोलिटेक्निक्स हैं जिनमें लड़कियां रोजगार-प्रधान शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कहां-कहां स्थित हैं और इन पोलिटेक्निक्स में किन-किन विषयों की शिक्षा दी जाती है; और

(ग) महिलाओं को आत्म-निर्भर बनाने में ये संस्थायें कहां तक सफल सिद्ध हुई हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) जी, हां ।

(ख) विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6700/74]

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, जो छात्र इन संस्थाओं में अपना प्रशिक्षण पूरा कर लेते हैं, वे, आमतौर पर या तो प्रतिष्ठानों में अथवा स्वतः रोजगार में लग जाते हैं ।

तमिलनाडु में पांचवीं योजना के दौरान बेकार पड़ी भूमि के विकास के लिए धनराशि देने का अनुरोध

6632. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**

श्री वी० मायावन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु राज्य में बड़े क्षेत्र में ऐसी भूमि बेकार पड़ी है जिसका उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया जा सकता है;

(ख) यदि हां तो, क्या धनराशि की कमी के कारण राज्य सरकार इसे कृषि योग्य नहीं बना सकी है ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस भूमि का विकास करने के लिए, जिसका उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया जायेगा, पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कुछ धनराशि आवंटित करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है तथा कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु राज्य के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई है ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (घ) नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार, तमिलनाडु राज्य में लगभग 507 हजार हैक्टार कृषि योग्य परती भूमि है ।

संविधान के अनुसार भूमि राज्य का विषय है अतः तमिलनाडु में उसे कृषि योग्य बनाने का कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस भूमि को कृषि के लिए विकसित करने के लिए राज्य सरकार से धनराशि आवंटित करने हेतु केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा आयोजित एक गोष्ठी में चावल, ज्वार और दालों का उत्पादन बढ़ाने का अनुरोध

6633. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**

श्री धामनकर :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा आयोजित द्विदिवसीय गोष्ठी में चावल, ज्वार और दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों का अनुरोध किया गया है ;

(ख) यदि हां तो उक्त गोष्ठी में और क्या क्या निर्णय किये गए; और

(ग) क्या सरकार ने उन पर विचार किया है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख) समाकलित भूबस्तियों, क्रियात्मक अनुसंधान प्रायोजनाओं के विकास और कृषि विज्ञान केन्द्रों पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नयी दिल्ली में 19-3-74 और 20-3-74 को एक गोष्ठी आयोजित की गयी । इस गोष्ठी में 24 स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं और कृषि विश्वविद्यालयों के 9 उपकुलपतियों ने भाग लिया । गोष्ठी में चावल, ज्वार, बारानी खेती, बागवानी, पशुपालन, डेअरी और मत्स्य पालन के क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिकों ने इन क्षेत्रों में अनुसंधान की नवीनतम उपलब्धियों पर प्रकाश डाला ताकि इन तकनीकों को खेतों में अपनाया जा सके । गोष्ठी में कृषि साधनों के जुटाने और गैर-नकदी कृषि साधनों पर ध्यान देने पर अधिक जोर दिया गया।

यह बताया गया कि कृषि में न केवल उत्पादन बढ़ाने कि बल्कि उत्पादन में बहुत हद तक स्थिरता लाने की भी गुंजाइश है । लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब ग्रामस्तर पर कुछ हद तक सामूहिक प्रयत्न किये जांये ।

गोष्ठी की अन्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(1) चावल की अधिकतम उपज लेने के लिए सामूहिक प्रयत्नों की आवश्यकता है । धान के लिए सामुदायिक पौदशालाओं की व्यवस्था करने और कीट-व्याधियों की रोकथाम पर अधिक जोर दिया गया ।

(2) बारानी क्षत्रों में ज्वार का उत्पादन बढ़ाने और स्थिरता लाने के लिए ज्वार की पकने की अवधि को ध्यान में रखते हुए यह अनिवार्य समझा गया कि गांवों में विभिन्न किस्मों को अपनाने की योजनाएं तैयार की जायें ।

(3) सामान्य और असामान्य मौसम वाले बारानी क्षत्रों में अधिक उत्पादन के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर कौन-से कदम उठाने आवश्यक हैं—इस पर पूरा प्रकाश डाला गया। बेकार बहते हुए पानी को तालाबों में एकत्र करने पर खासतौर पर जोर दिया गया ताकि जरूरत पड़ने पर फसल को बचाने के लिए इस पानी से सिंचाई की जा सके।

(4) इस बात को भी सिफारिश की गयी कि देहाती क्षेत्रों में मकान इस तरह से बनाये जायें कि उनमें ऊर्जा का पुनरावर्तन संभव हो सके।

(5) समाकलित भू-बस्तियों, क्रियात्मक अनुसंधान प्रायोजनाओं और कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यक्रमों को अमल में लाते समय गोष्ठी की सिफारिशों को ध्यान में रखा जाएगा।

खाद्य और कृषि संगठन के अन्तर्गत छोटे किसानों की समस्याओं का अध्ययन

6634. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फील्ड लेविल वर्कशाप के अन्तिम सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के अन्तर्गत 21 मार्च, 1974 को छोटे किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या निर्णय लिये गये ; और

(ग) क्या सरकार ने इसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और इसके सुझावों का अध्ययन किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) खाद्य तथा कृषि संगठन के अनुरोध पर आयोजित की गई दो फील्ड लेबल वर्कशापों के बाद अन्तिम अधिवेशन 21 तथा 22 मार्च, 1974 को हुआ था। इस अधिवेशन में छोटे किसानों के विकास के संस्थात्मक पहलुओं से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया था।

(ख) अन्तिम अधिवेशन में की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों का संक्षिप्त सार संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6701/74]

(ग) सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

आवास तथा नगरीय विकास निगम द्वारा राज्यों के लिए स्वीकृत योजनाएं

6635. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास तथा नगरीय विकास निगम ने तमिलनाडु, आसाम, गुजरात तथा पंजाब राज्यों की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया है जबकि विभिन्न राज्यों में निम्न आय वर्ग के लिये जमीन का विकास करने हेतु तथा मकान बनाने हेतु निगम ने बहुत राशि रखी थी तथा योजना बनायी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल में दस योजनायें तैयार की गई थीं जिनके लिये चार करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गयी थी ;

(ग) यदि हां, तो इसमें से कितनी राशि तमिलनाडु राज्य में व्यय की जायेगी ; और

(घ) निगम द्वारा अब तक चलाई गई योजनाओं के अन्तर्गत निम्न आय वर्ग के लिये प्लाट तथा फ्लैट कब तक तैयार हो जायेंगे तथा कब तक लोगों को बांटे जायेंगे ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) आवास तथा नगर विकास निगम ने अभी तक तमिलनाडु के लिये 17 योजनायें, असम के लिये

एक योजना, गुजरात के लिये 18 योजनायें तथा पंजाब के लिये 4 योजनायें स्वीकृत की हैं जिनके ब्यौरे निम्नलिखित हैं :--

राज्य	प्राप्त की गई योजनाओं की संख्या	स्वीकृत की गई योजनाओं की संख्या	स्वीकृत किया गया कुल ऋण
1	2	3	4
			(लाख रुपयों में)
तमिलनाडु	30	17	697.72
असम	1	1*	23.42
गुजरात	27	18	1210.47
पंजाब	5	4	198.75

*आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा स्वीकृत की गई किन्तु असम ने वापस ले ली।

(ख) जी, हां। 444.75 लाख रुपये की 10 योजनायें 14-2-74 तथा 18-3-74 को स्वीकृत की गई थीं।

(ग) यह सूचना उपर्युक्त (क) में दी जा चुकी हैं।

(घ) प्रत्येक योजना के लिये निर्माण की अवधि अलग-अलग होती है क्योंकि यह योजना के आकार तथा निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता, भूमि आदि के विकास की स्थिति जैसे अन्य संबद्ध तत्वों पर निर्भर करती है तथा आबंटन सामान्यतः फ्लैटों के पूर्ण होने के शीघ्र बाद कर दिया जाता है।

महत्वपूर्ण जलमार्गों का राष्ट्रीय जलमार्ग माना जाना

6636. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सड़कों की तरह महत्वपूर्ण जलमार्गों की राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिये तैयार है,

(ख) क्या भूतपूर्व परिवहन विकास परिषद् ने यह सिफारिश की थी कि भारत सरकार जल परिवहन के विकास हेतु कुछ महत्वपूर्ण जल मार्गों की राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करे ;

(ग) क्या आज जल परिवहन ही परिवहन का सबसे सस्ता साधन है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसे बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन देने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) कुछ महत्वपूर्ण जलमार्गों को राष्ट्रीय के तौर पर घोषित करने के संबंध में अन्तर्देशीय जल परिवहन पर भगवती समिति की 1970 की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को सरकार ने सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है।

(ख) जी हां।

(ग) जल परिवहन विशेषकर कुछ खुली वस्तुओं के लाने ले जाने के लिये सबसे सस्ते प्रकार का परिवहन है।

(घ) इस प्रकार के परिवहन के प्रोत्साहन के लिये सरकार कार्यवाही कर रही है

बिड़ला इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नालाजी, पिलानी में अध्यापक

6637. **श्री शिवनाथ सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिलानी स्थित बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नालाजी में कुल कितने अध्यापक हैं और उनमें कितने स्थाई हैं तथा कितने अस्थायी हैं ; और

(ख) वर्ष 1969 के पश्चात् बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नालाजी के कितने अध्यापकों ने वहां से नौकरी छोड़ दी और इसके क्या कारण थे।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) बिरला प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान, पिलानी में अध्यापकों के लिये संस्वीकृत पदों की कुल संख्या 262 है। 8-4-1974 को उनकी वास्तविक संख्या इस प्रकार थी :—

(1) स्थायी . .	125
(2) ठेके पर नियुक्तियां . . .	10
(3) अस्थायी	72
कुल	207

(ख) 109 अध्यापक इस्तीफा देकर 1969 के पश्चात् अपनी मर्जी से संस्थान को छोड़ कर चले गए हैं।

मोटे अनाज के मूल्यों में गिरावट तथा उनके लाने-ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने तथा हटाये जाने के कारण

6638. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटे अनाज की एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने-लेजाने पर लगे प्रतिबंधों को सरकार द्वारा हटाये जाने के बाद उनके मूल्य में काफी गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में उनके मूल्यों में कितनी गिरावट आई है ;

(ग) बार-बार उन पर प्रतिबंध लगाने और उन्हें हटाने के मुख्य कारण क्या हैं ; और

(घ) क्या सरकार की इस कार्यवाही से काले धन तथा चोर बाजारी को बढ़ावा नहीं मिलता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) संचलन संबंधी प्रतिबंधों को हटाने के बाद, मोटे अनाजों के मूल्यों में सामान्यता गिरावट आयी है। दिल्ली में ज्वार और बाजरा के मूल्यों में 5 रु० से 17 रु० प्रति क्विंटल की गिरावट आयी, जबकि बम्बई की मंडी में बाजरे के मूल्यों में 5 रु० प्रति क्विंटल की गिरावट आयी। कलकत्ता मोटे अनाजों का प्रमुख उपभोक्ता केन्द्र नहीं है।

(ग) और (घ) इन प्रतिबंधों को अधिप्राप्ति के हित में लागू किया गया और जारी रखा गया था। मार्च, 1974 में स्थिति की समीक्षा करने के बाद, इन प्रतिबंधों को हटा लिया गया था

क्योंकि यह समझा गया था कि उत्पादक राज्यों में अधिप्राप्ति में और सुधार लाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसके अलावा, उपभोक्ता राज्यों में मोटे अनाजों की उपलब्धता में सुधार लाने की आवश्यकता थी।

Complaints Against Faulty Functioning of D. M. S. Milk Booths

6639. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether certain instances of faulty functioning of milk booths of the D. M. S. have been brought to his notice ;

(b) the number of Milk Depots in respect of which complaints of irregularities were received during the last six months ; and

(c) how many complaints were found to be genuine and the steps taken to remove them ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) 699 complaints in respect of 633 depots were received during the period from 1-9-1973 to 28-2-1974 by the Delhi Milk Scheme. 304 complaints in respect of 279 depots were found to be correct, and the remaining 395 complaints in respect of 354 depots were found to be incorrect. Action taken in regard to the complaints found to be correct is summarised below:—

(i) The depot staff taken off duty for major lapses on their part .	18 cases.
(ii) Strict warnings issued to the defaulting depot staff . .	162 cases.
(iii) Depot staff transferred	20 cases.
(iv) Sr. Depot Agents reverted as Depot Agents	2 cases.
(v) Administrative action taken such as marginal adjustment of daily milk supplies to the depots, alteration of milk van timings etc.	102 cases.
Total . .	304 cases

दिल्ली दुग्ध योजना के बारे में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की सिफारिश

6640. **श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना के कार्यकरण के बारे में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के अध्ययन दल की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इस बारे में दिल्ली दुग्ध योजना की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ख) दूध इकट्ठा करने के लिए दिल्ली दूध योजना को मूलतः कौन-कौन से क्षेत्र नियत किये गये थे और उन क्षेत्रों से दूध इकट्ठा करने में अत्याधिक कमी होने के क्या कारण हैं जिन्हें सर्वेक्षण के द्वारा दुग्ध उत्पादन की अधिक क्षमता वाला पाया गया था और क्या दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दुग्ध संग्रह के लिए कुछ अतिरिक्त क्षेत्रों का नियतन किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) (क) वर्ष 1972-73 के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना के कार्य का सर्वेक्षण करने वाले राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के एक दल ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिश की थी :—

(क) : योजना को एक सांविधिक निगम के रूप में बदलना ।

(ख) "डबल एक्सिस" के आधार पर दूध का मूल्य निर्धारित करना ।

(ग) उस समय की चार किस्म के दूध के बजाय दो किस्मों के दूध का वितरण करना;

(घ) नकद धन इकट्ठा करने की प्रणाली को मजबूत करना और वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करना;

(ङ) दिल्ली दुग्ध योजना में दुग्ध परिसंस्करण के विभिन्न स्तरों पर लागत का हिसाब लगाना तथा पद्धति विश्लेषण को प्रारम्भ करना;

(च) परिवहन कर्मशाला को सुदृढ़ करना और अपनी म्याद से अधिक चल चुकने वाली गाड़ियों को बदलना ।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना का अपना कोई सुनिश्चित दुग्ध-क्षेत्र नहीं है । दिल्ली दुग्ध योजना बहुत समय से उत्तर प्रदेश के मेरठ तथा बुलन्दशहर, हरियाणा के गुड़गांव और राजस्थान के बीकानेर अलवर तथा भरतपुर भागों मे दूध खरीदती रही है । आहार तथा चारे के मूल्यों में होने वाली असामान्य वृद्धि और असामान्य मौसमी परिस्थितियों के साथ-साथ मक्खन तथा घी आदि दुग्ध उत्पादों के मूल्यों में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप दूध के क्रय में कमी हुई है । इस क्षेत्र में स्थित कारखानों द्वारा दूध से दुग्ध उत्पाद बनाए जाने के फलस्वरूप भी तरल दूध की उपलब्धि में कमी आई है । दिल्ली दुग्ध योजना और विशेषकर विश्व-खाद्य कार्यक्रम परियोजना "618-आपरेशन फ्लड" में सम्मिलित योजना के अंतर्गत दुग्ध क्षेत्र में वृद्धि करने का प्रस्ताव है ।

दुधारू पशु और उनसे उपलब्ध होने वाला दुध और चारे की आवश्यकता

6641. **श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दुधारू पशुओं की कुल संख्या कितनी है, उनमें से कितने प्रतिशत उत्पादक और दूध देने वाले हैं तथा उन से प्रति भैंस और गाय औसतन तथा अधिकतम कितना दूध उपलब्ध होता है;

(ख) दुधारू तथा अन्य पशुओं के लिये कुल कितनी मात्रा में अलग-अलग चारे की आवश्यकता है;

(ग) चारे की कुल सप्लाई में वृद्धि करने तथा दूध न देने वाले पशुओं के कारण चारे के साधनों पर बोझ को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) क्या गैर-दुधारू पशुओं को दुधारू पशुओं से पृथक् करने के लिये कोई योजना चल रही है और उसमें क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) वर्ष 1966 में, (जिसके विषय में पशु-संगणना के नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हैं) देश में दुधारू पशुओं की कुल संख्या 467.8 लाख थी । वर्ष 1966 में कुल पशुओं की संख्या की तुलना में दुध देने वाले पशुओं सहित उत्पादक पशुओं की प्रतिशतता 58.9 थी । अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष 1966 में गाय तथा भैंसों से होने वाली दूध की औसत दैनिक उपलब्धि नीचे दी जा रही है :—

गाय	1.18 कि० ग्रा०
भैंस	2.62 कि० ग्रा०

प्रति गाय तथा प्रति भैंस से उपलब्ध होने वाले अधिकतम दूध के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) उत्पादक तथा अनुत्पादक पशुओं (भैंसों सहित) की हरे चारे की आवश्यकता क्रमशः लगभग 5300 लाख मीटरी टन तथा 650 लाख मीटरी टन है ।

(ग) चारे की सप्लाई बढ़ाने के लिये निम्नलिखित अनेक कदम उठाये जा रहे हैं :—

(क) अल्पावधि उपाय

(1) चारे की फसलों की उन्नत किस्मों और विशेषकर शीघ्र उगने वाली तथा शीघ्र पकने वाली किस्मों की खेती को लोकप्रिय बनाना ।

(2) अधिक उत्पादनशील श्रेष्ठ किस्मों की खेती के विषय में प्रदर्शन करना ।

(3) सिफारिश की गई चारे की फसल की किस्मों के अच्छे बीजों की सप्लाई की व्यवस्था करना ।

(4) साइलेज तथा सूखे चारे के माध्यम से मौसमी अधिशेष स्टाक बनाना ।

(5) ग्रामों में चरागाहों की उन्नत तथा उचित व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रदर्शन करना ।

(6) आहार मिश्रण संयन्त्रों की स्थापना को प्रोत्साहन देकर तथा उनकी सहायता करके पशुओं के संतुलित आहार को लोकप्रिय बनाना ।

चारे की वृद्धि के सम्बन्ध में कृषि, पशु-पालन तथा वन-विभागों के क्रिया-कलापों और चराई के संसाधनों का समन्वय करने के लिये कई राज्यों में राज्य-स्तर की चारा तथा चारगाह समिति बनाई गई हैं ।

(ख) दीर्घावधि उपाय

(1) भारतीय चरागाह तथा चारा अनुसंधान, संस्थान झांसी घास, चारगाह तथा चारे की फसलों के सम्बन्ध में बहु-उद्देश्यीय अनुसंधान कर रहा है;

(2) विभिन्न राज्यों के कृषि-विश्वविद्यालयों द्वारा भी चारे की फसलों के सम्बन्ध में अनुसंधान किया जा रहा है ।

(3) राज्यों के विस्तार कार्यक्रमों की सहायता करने और अनुसंधान एवं विस्तार के बीच प्रभावी सम्बन्ध स्थापित करने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान चारे के उत्पादन तथा प्रदर्शन के लिये 7 प्रादेशिक केन्द्रों की स्थापना की गई है ।

(ग) आवारा पशुओं को पकड़ने की योजना

आवारा पशुओं के पकड़ने, पालने और उनके निपटाने की योजना द्वितीय योजना के समय से चालू है । पकड़े जाने वाले अनुत्पादक, बेकार तथा दुर्बल पशुओं को गोसदनों में भेजा जाता है । उत्पादक पशुओं का वितरण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है और बेकार पशुओं को गोसदनों में भेजने का कार्य सम्बन्धित राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है ।

देश में दूध का उत्पादन और ढोर फार्मों तथा चारा संयंत्रों की स्थापना

6642. **श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दूध का कुल उत्पादन कितना है और मंडियों में कितनी मात्रा आती है और क्या दूध की प्रति व्यक्ति औसत उपलब्धता कम हुई है यद्यपि बाजार में दूध के भाव बढ़े हैं;

(ख) नगरीय क्षेत्रों में दूध का उत्पादन तथा उपलब्धता बढ़ाने के लिये अल्पावधि योजनायें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने सहकारी, सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में ढोर फार्म बनाने को प्रोत्साहन देने की कोई योजना बनाई है, और क्या डेरी-उत्पादन संयंत्रों को ऐसे फार्म तथा चारा संयंत्र लगाने की अनुमति तथा वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है ; और

(घ) देश में चारा संयंत्र कितने तथा कहां-कहां हैं तथा प्रत्येक की क्षमता उत्पादन तथा लगाई गई पूंजी का ब्यौरा क्या है और पांचवीं योजना में कितने चारा संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है तथा उन पर कितनी पूंजी लगाई जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) दूध के वर्तमान वार्षिक उत्पादन का अनुमान लगभग 232 लाख मीटरी टन लगाया गया है। 1950 में लगाए गये मोटे अनुमान के अनुसार उसमें से तरल दूध तथा दुग्ध-उत्पादों के रूप में होने वाली विपणन योग्य सप्लाई का अनुमान 82 प्रतिशत लगाया गया। जन संख्या के बढ़ने के कारण प्रति व्यक्ति दूध की औसत उपलब्धि दूध तथा दुग्ध-उत्पादों के मूल्यों की वृद्धि के अनुकूल नहीं रही है।

(ख) सरकार ने दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ क्षेत्रों में सघन पशु विकास कार्यक्रमों, आदर्श ग्राम योजना विदेशी पशुओं के साथ पशुओं के संकर प्रजनन, आहार एवं चारा की सप्लाई बढ़ाने और रोग के प्रभावी नियंत्रण सम्बन्धी उपायों को प्रोत्साहन दिया है। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में दूध की उपलब्धि बढ़ाने के लिये पंचम पंचवर्षीय योजना के दौरान अतिरिक्त तरल दूध के संयंत्रों की स्थापना करने का विचार है।

(ग) सहकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में 'पशुफार्मों' की स्थापना के कार्य को प्रोत्साहन देने की सरकार को कोई योजना नहीं है। परन्तु, केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र में अतिरिक्त पशु-प्रजनन फार्मों की स्थापना करने की कुछ योजनाएं चालू हैं। डेरी-उत्पाद तथा पशु-आहार संयंत्र, आदि की स्थापना के बारे में प्रोत्साहन देने की विभिन्न प्लान स्कीमों के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दी जा रही है।

(घ) देश में कोई चारा संयंत्र चालू नहीं है। पंचम पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसे संयंत्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु, वर्ष 1972 से गैर-सरकारी, सार्वजनिक तथा सहकारी क्षेत्रों में आहार निर्माण करने वाले 184 संयंत्र चालू हैं, जिनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता 22.6 लाख मीटरी टन (300 दिन-3 पारी के आधार पर) है।

पश्चिम बंगाल में अन्तर्देशीय जल परिवहन कर्मचारियों के लिए उच्च प्रशिक्षण

6643. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के लिये अन्तर्देशीय जल परिवहन कर्मचारियों की उच्च प्रशिक्षण देने की कोई योजना मंजूर की गई है,

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में सरकार ने कितना धन मंजूर किया है,

(ग) उक्त अवधि में कितने शिक्षुओं ने यह विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया, और

(घ) इस अवधि में उन शिक्षुओं को क्या क्या रोजगार दिया गया ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) योजना 1973-74 के अन्त तक स्वीकृत की गई । एक उसके बाद योजना को स्वीकृत करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ख) स्वीकृत राशि नीचे दी गई है :

वर्ष	स्वीकृत राशि
1971-72	14,941
1972-73	18,000
1973-74	9,000
कुल	41,941

(ग) और (घ) : पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है और वह पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विदेशी जहाजों को मिल रही पत्तन सम्बन्धी सुविधाएं

6644. श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के बड़े पत्तनों पर कितने विदेशी जहाजों को पत्तन सम्बन्धी सुविधाएं प्राप्त हुई, और

(ख) उन जहाजों के देश वार तथा पत्तन वार नाम क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रायदिही, सुन्दरवन में पूरे वर्ष काम आने वाला घाट (जेट्टी)

6645. श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र में रायदिही पर पूरे वर्ष काम आने वाले घाट के लिये कोई राशि मंजूर की गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) 1973 में इस घाट का लगभग कितनों ने प्रयोग किया और इस अवधि में वहां कितने माल का यातायात हुआ ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) और (ख) केन्द्रीय प्रायोजित श्रेणी के अन्तर्गत सुन्दरवन क्षेत्र में रायधीगी में 207574 की लागत पर एक सर्व-ऋतु घाट का निर्माण करने की योजना सितम्बर, 1973 में स्वीकृत की गई ।

(ग) घाट अभी पूरा नहीं हुआ है अतः इस बारे में कोई भी सूचना नहीं दी जा सकती

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सुन्दरबन में नदियों से रेत निकालने सम्बन्धी कार्यक्रम

6646. **श्री शक्ति कुमार सरकार**: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र का नौवहन योग्य नदियों के नाम क्या हैं;

(ख) गत योजना अवधि के दौरान नौवहन योग्य बनाने हेतु इन नदियों से रेत निकालने के लिये सरकार ने क्या कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान क्या कार्य किया गया और वर्षवार कितनी राशि स्वीकृत तथा व्यय की गई; और

(घ) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्षवार इन नदियों से रेत निकालने के सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना पश्चिम बंगाल सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Per Capita Consumption of Ghee and Butter

6647. Shri Jagannath Rao Joshi :

Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the figures of per capita consumption of milk and ghee in the country from 1971 onwards, year-wise; and

(b) the present per capita consumption thereof, State-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : (a) The per capita consumption of milk and ghee separately in the country is not available. The figures of per capita consumption relate to those available on consumption as milk and milk products including ghee. The per capita consumption or availability of milk is estimated on the basis of production of milk and projected human population. In the absence of surveys in all the States at a particular point of time which should be the basis of the working out total production in the country, milk production is estimated only every five years on the basis of cattle population census. Since these are calculated every five years, it is not possible to give year-wise break-up of the consumption level. In 1968-69, the base-year of the Fourth Five Year Plan the production of milk was of the order of 21.2 million tonnes which implies per capita availability of 112 grams. This milk being consumed in the form of liquid milk and milk products (both inclusive).

In the draft Fifth Five Year Plan, the production of milk in 1973-74 was estimated to be 23.2 million tonnes. This implies that the per capita availability of milk for consumption as milk and milk products including ghee will be 110.2 grams only. The marginal decline in the per capita availability is due to the fact that milk production has not been commensurate with the rate of growth of human population.

(b) The present per capita consumption vis-a-vis availability of milk and ghee is not available at present. This is because of the fact that though in 1972 livestock census has been taken, estimates of the milch cattle have not yet become available for all the States.

Land given to Agricultural Labour.

6648. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Sri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state the acreage of agricultural land given to agricultural labourers since 1971, year-wise and State-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): On the basis of the latest information available from the States, a statement has been prepared and is attached to this reply.

STATEMENT

Agricultural Land distributed to agricultural labourers since 1971.

1	From 2	To 3	4	5
			(acres)	
Andhra Pradesh .	1-11-69	Aug. 1973	10,34,083	(to Agri. Workers)
Assam			N.A.	
Bihar			N.A.	
Gujarat .	1960	Dec. 72	12,27,532	(to persons)
Haryana . .	March 1970	Aug. 1973	1,717	(to Agri. Workers)
Himachal pradesh	1970	Aug. 1973	11,060	(Agri. Labourers)
Karnataka	1970	Aug. 1973	1,39,891	(to Agri. Labourers)
Kerala	1964	March 1973	2,76,302	*1 (to persons)
	1970	1-4-1973	10,448	*2 (to persons)
Madhya Pradesh	1967	1971	5,12,496	(to persons)
Maharashtra .		upto 1973	10,09,482	(to Landless & other persons)
Manipur .	1970	Aug. 1973	27,271	(to Agri. Labourers)
Meghalaya			N.A.	
Nagaland			N.A.	
Orissa . . .	1970	Aug. 1973	1,79,571	(to Agri. Workers)

NOTE : *1. Poramboke land
*2. Forest land.

1	2	3	4	5
	From	To	(Acres)	
Punjab .		upto 1973	25,904	(to Landless Agri. Labourers)
Rajasthan		N.A.		
Tamil Nadu	1970	Aug. 1973	4,02,662	(to Agri. Labourers)
Tripura . .	1970	Aug. 1973	57,602	(to Families)
Uttar Pradesh .	Oct. 1969	Sept. 1972	8,80,141	*3 (to Agri. Labourers)
West Bengal . .	1970	Aug. 1973	1,24,783	(to Agri. Workers)

*3. On permanent basis. Besides 86,555 acres leased out on year to year basis during the same period to landless persons.

Dwelling Units to Landless People in Rural Areas

6649. **Shri Jagannathrao Joshi:**
Dr. Laxminarayana Pandeya:

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) the number of dwelling units allotted by the Central Government to the landless people in the rural areas, the funds sanctioned and expended therefor and the number of persons provided with residential accommodation during the last three years, State-wise: and

(b)the number of persons in the country who have not so far been provided with residential accommodation ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta): (a) There is no specific scheme in the Central sector for providing dwelling units to the landless people in the rural areas. However, a Central Sector Scheme was introduced in October, 1971, to provide 100% grant assistance to the State Governments and Union Territories for provision of house-sites, free of cost, to landless workers in rural areas. Central assistance was intended to meet the cost of development of house-sites at the rate not exceeding Rs. 150/- per site and also where necessary, reasonable cost for acquisition of land for the purpose. On the house sites so provided, workers are expected to build houses/huts out of their own resources or such assistance as the State Governments or other voluntary agencies might give them A statement showing the number of house-sites sanctioned, their approved cost and the funds released under the Scheme is attached. This Scheme has been transferred to the State sector from the commencement of the Fifth Five Year Plan.

(b) It is not possible for the Government to undertake provision of dwelling units to every house-hold in the country. However, according to a recent assessment, the total housing shortage in the country is of the order of 15.6 million units at the beginning of the Fifth Plan.

Statement

Statement showing projects sanctioned and funds released under the Scheme for provisions of house-sites to landless workers in rural areas, upto 31-3-1974

Sl. No.	Name of State	No. of projects sanctioned	No. of house-sites	Approved cost	Central financial assistance released
1	2	3	4	5	6
					(Rupees in Lakhs)
1.	Andhra Pradesh .	19	79,598	131.13	32.78
2.	Bihar .	44	32,603	62.87	15.71
3.	Gujarat	85	1,62,676	306.58	76.65
4.	Haryana . .	1	53	0.08	0.06
5.	Himachal Pradesh	7	583	0.87	0.38
6.	Karnataka .	109	1,72,597	239.38	59.84
7.	Kerala .	960 Panchayats	96,000	677.76	358.44
8.	Madhya Pradesh .	73	1,34,496	199.63	49.91
9.	Maharashtra	83	1,08,962	164.56	41.14
10.	Orissa .	2	3,349	8.40	2.10
11.	Punjab	3	12,082	31.68	16.56
12.	Rajasthan .	46	17,832	28.76	7.19
13.	Tamil Nadu .	36	33,692	75.51	56.64
14.	Uttar Pradesh .	27	19,808	30.85	7.71
15.	West Bengal . .	12	11,166	19.39	4.85
	TOTAL	1,507	8,85,502	1,977.45	729.96

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का कई बार बन्द होना

6650. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या शिक्षा, **समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान उप-कुलपति के कार्यकाल के दौरान बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय कितने बार बन्द हुआ और प्रत्येक बार विश्वविद्यालय कितनी अवधि के लिए बन्द रहा; और

(ख) प्रत्येक अवसर पर कितने छात्रों को गिरफ्तार किया गया अथवा निष्काषित किया गया ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख) मई, 1973 तक की सूचना, 7 मई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9408 के उत्तर में दिये गये, आश्वासन की पूर्ति में सभा पटल पर रखे गए विवरण में दी जा चुकी है । मई, 1973 से मार्च, 1974 तक की अवधि की सूचना एकत्र की जा रही है और उससे सम्बन्धित विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

वर्ष 1974-75 के दौरान सरकारी क्वार्टरों का निर्माण

6651. श्री **एस० एन० मिश्र** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में वर्ष 1974-75 के दौरान श्रेणी-वार कितने सरकारी क्वार्टरो का निर्माण करने का सरकार का विचार है और इसके लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : सामान्य पूल में निम्नलिखित क्वार्टर निर्माणाधीन हैं :—

टाईप I	112
टाईप II	604
टाईप III	488
टाईप IV	504

सामान्य पूल वास के निर्माण के लिए बजट प्रस्ताव में 186.46 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गयी है । इस राशि में भूमि आदि के विकास पर 1974-75 में किया जाने वाला कुल खर्चा तथा जो क्वार्टर बन चुके हैं उन पर किये जाने वाला अवशिष्ट खर्चा भी शामिल है ।

दिल्ली में अनुसूचित जनजातियों के लिये दुकानों के आबंटन में आरक्षण

6652. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में रह रहे अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिये दुकानों आदि के आबंटन मे कोई आरक्षण है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में उन्हे कितनी दुकानें आबंटित की गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : (क) जी, नहीं ।

(ख) दिल्ली मे अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को कोई दुकान आवंटित नहीं की गई है ।

(ग) 1968 में यह प्रस्ताव किया गया था कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को दिल्ली में पूर्व निर्धारित दरों पर दुकानों के आवंटन के लिए एक कोटा उसी अनुपात में आरक्षित किया जाये जो अनुपात उनको तथा दिल्ली की जनसंख्या में है । तदनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के परामर्श से 1961 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित जातियों के लिये 12.8% का कोटा निर्धारित किया गया था । चूंकि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियां नहीं थीं, अतः उनके लिए कोई कोटा नहीं रखा गया था जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में प्रवेश के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण किया जाता है उसी के सादृश्य उनके लिए दुकानों का आरक्षण करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

कलकत्ता और करीमगंज के बीच स्टीमर सेवाएं

6653. **श्री ए० के० एम० इसहाक:** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता और असम में करीमगंज के बीच स्टीमर सेवा चलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) क्या यह प्रस्ताव त्याग दिया गया है, और यदि हां, तो क्यों ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) से (ग) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम चान्दपुर, आशुगंज और शेरपुर होकर सुन्दरवन में कलकत्ता और करीमगंज के बीच सेवा चलाने का प्रस्ताव है।

हल्दिया पत्तन पर ड्रेजरों का लगाया जाना

6654. **श्री ए० के० एम० इसहाक:** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हल्दिया पत्तन पर पर्याप्त गहराई बनाये रखने के लिये कितने ड्रेजर काम कर रहे हैं,

(ख) उक्त कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) क्या वहां नये ड्रेजर लगाये जायेंगे और कब लगाये जायेंगे ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) और (ख) गोदी में निकर्षण का 50 प्रतिशत और पुमात्र थाला तैयार हो गये थे। शेष कार्य के लिये निकर्षण कार्य नवम्बर, 1973 में शुरू हुआ और प्रगति में है। निकर्षक बलासिना 11 जनवरी, 1974 से गोदी थाले में अन्दर कार्य कर रहा है।

हल्दिया नौवहन जल धारा का गहन निकर्षण शुरू कर दिया गया है। दो निकर्षकों को लगाने के लिये ठेके दिये गये हैं। एक निकर्षक हैम 308 ने 13 नवम्बर 1973 से कार्य शुरू कर दिया है और दूसरा निकर्षक डेल्टा के शीघ्र ही कार्य शुरू करने की सम्भावना है। इसके अलावा पत्तन का अपना निकर्षक मोहाना 16 जनवरी, 1974 से लगा दिया गया है। अभी तक हेम 308 ने लगभग 66 लाख टन मिट्टी का निकर्षण किया है। निकर्षक मोहना ने 11 लाख टन मिट्टी और निकर्षक बलासिना ने 65 लाख घन मीटर मिट्टी का निकर्षण किया है।

(ग) विदेशी शिपयार्ड को जिस निकर्षक के लिये आर्डर दिया गया है, उसे सुपुर्दगी के शीघ्र, बाद काम पर लगा दिया जायेगा। एक और निकर्षक जिसका देश में ही आदेश दिया गया है, के 1975 तक सुपुर्द किये जाने की सम्भावना है और उसे जल धारा में निकर्षण के लिये भी लगाया जायेगा।

पारादीप पत्तन के लिए वृहद योजना

6655. **श्री ए० के० एम० इसहाक:** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पारादीप पत्तन के लिये कोई वृहद योजना अन्तिम रूप से तैयार कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) क्या इसे पारादीप न्यास ने तैयार किया था ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) से (ग) पारादीप पत्तन न्यास, मास्टर प्लान को अन्तिम रूप दे रहा है ।

आन्ध्र प्रदेश को दी जाने वाली परिवहन सुविधाओं का लक्ष्य

6656. **श्री एम० एस० संजीवी राव**: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश की बाहरी सहायता के साथ दी जाने वाली परिवहन सुविधाओं का लक्ष्य चौथी योजना में पूरा-पूरा प्राप्त कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) और (ख) सम्भवतया माननीय सदस्य परिवहन क्षेत्र में योजनाओं के लिये आन्ध्र प्रदेश को केन्द्रीय ऋण सहायता का उल्लेख कर रहे हैं । यह सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

पांचवीं योजना में आन्ध्र प्रदेश को दी जाने वाली परिवहन सुविधाओं का लक्ष्य

6657. **श्री एम० एस० संजीवी राव**: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के पहले वर्ष में आंध्र प्रदेश को दी जाने वाली परिवहन सुविधाओं का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) और (ख) अपेक्षित सूचना आन्ध्र प्रदेश सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पोतों की आवश्यकता का अनुमान

6658. **श्री एम० एस० संजीवी राव :**
डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पोतों की आवश्यता का कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) पांचवीं योजना के पहले वर्ष के लिये कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) जी हां ।

(ख) पांचवीं योजना में 86.40 लाख जी०आर०टी० नौवहन टनभार का प्रस्ताव किया गया है ।

(ग) वर्षवार लक्ष्य अभी तय नहीं किये गये हैं ।

वर्ष 1973-74 के दौरान केरल के मुख्य मंत्री और खाद्य मंत्री द्वारा चावल और गेहूं की सप्लाई का अनुरोध

6659. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1973-74 में केरल के मुख्य मंत्री और खाद्य मंत्री ने निजी बैठकों तथा तार द्वारा कितनी बार तथा किन-किन तारीखों को केन्द्र से चावल और गेहूं की सप्लाई करने का अनुरोध किया और कितनी मात्रा में खाद्यान्न का अनुरोध किया;

(ख) राज्य को उक्त अवधि में कितने कोटे की मंजूरी दी गई; और

(ग) उक्त अवधि में राज्य में कितने चावल का उत्पादन हुआ तथा कितने चावल की वसूली की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) राज्य में सरकारी वितरण प्रणाली की जरूरतों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय भण्डार से चावल और गेहूं का अधिक आवंटन करने हेतु केरल के मुख्य मंत्री, खाद्य मंत्री और राज्य सरकार की ओर से बारम्बार अनुरोध प्राप्त हुए हैं । वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए चावल और गेहूं दोनों के लिए राज्य सरकार की कुल मांग 13.31 लाख मी० टन बैठती है । केन्द्रीय भण्डार में खाद्यान्नों की कुल उपलब्धता, कमी वाले अन्य राज्यों की जरूरतों, स्थानीय बाज़ार में उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए केरल सरकार को इस अवधि के दौरान लगभग 9.55 लाख मीट्री टन चावल और गेहूं सप्लाई किया गया था ।

(ग) केरल के 1973-74 के खाद्यान्नों के उत्पादन सम्बन्धी अन्तिम अनुमान अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं । केरल राज्य में वित्तीय वर्ष 1973-74 में अधिप्राप्त चावल की मात्रा लगभग 56 हज़ार मीट्री टन थी ।

Profit or Loss incurred by the H.U.D.C.O.

6660. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) the date of formation of the Housing and Urban Development Corporation Ltd., the total money Government have invested in it so far and the number of houses built under its supervision or with the financial assistance provided by it together with the locations thereof and the cost involved therein as also the categories for which they are meant; and

(b) the statement of loss or profit since the date of formation of the Corporation and in case it has incurred losses, what were the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta): (a) Housing and Urban Development Corporation Ltd. was set up on the 25th April, 1970.

Government have so far invested Rs. 6 crores in the share-capital of the Corporation. The information regarding the number of houses etc. sanctioned are given in the enclosed statement. [Placed in Library. See No. 6702/74].

(b) The financial results of the Corporation since its inception are as shown below:—

1970-71 . .	Rs. 29,833 Loss
1971-72	Rs. 10,75,870 Profit
1972-73	Rs. 37,58,696 Profit
1973-74	Rs. 49,40,192 Profit estimated (from 1-4-73 to 31-1-74).

The loss incurred by the Corporation during the year 1970-71 was due to the fact that although the Corporation was set up in April, 1970, it was only in the subsequent year that it came into actual and effective operation.

केरल में कृषि, वन तथा सहकारी समितियों के विकास के लिये आबंटित की गई धनराशि

6661. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत कृषि, वन, सहकारी समितियां तथा विपणन के विकास के लिये केरल राज्य को गत तीन वर्षों में कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) केरल सरकार द्वारा वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गई है और विकास के मामले में क्या उपलब्धि हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आर्थिक संकट-ग्रस्त चीनी मिलों में काम का बन्द होना

6662. **श्री आर० एन० बर्मन**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी उद्योग जांच आयोग द्वारा देश की चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने सम्बन्धी प्रस्ताव को रद्द कर दिये जाने के कारण आर्थिक संकट-ग्रस्त चीनी मिलें अभी भी चीनी का कतई उत्पादन नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां तो आर्थिक संकट-ग्रस्त चीनी मिलों के नाम क्या हैं और उनकी वार्षिक चीनी उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन आर्थिक संकट-ग्रस्त मिलों में उनकी अपेक्षित उत्पादन क्षमता के अनुसार उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) से (ग) चीनी उद्योग जांच आयोग से कहा गया था कि वे अधिकांश चीनी मिलों के रुग्ण रहने के कारणों का बारीकी से अध्ययन करें और वे उसके राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में चीनी उद्योग के युक्ति मूलक और दक्ष संगठन के बारे में सुझाव हैं । आयोग द्वारा हाल ही में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की भारत सरकार जांच कर रही है और उस पर यथा सम्भव शीघ्र उपयुक्त निर्णय किए जाएंगे ।

खुले बाजार में उपलब्ध खाद्यान्न की प्रतिशतता

6663. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुल उत्पादन खाद्यान्न का 50 प्रतिशत खाद्यान्न खुले बाजार में उपलब्ध कराने और शेष खाद्यान्न का अधिग्रहण करने का है;

(ख) क्या यह योजना सरकार की चीनी सम्बन्धी नीति की भांति होगी;

(ग) क्या राशन की वर्तमान मात्रा को जारी रखा जायेगा; और

(घ) खुले बाजार में खाद्यान्न का लगभग कितना मूल्य निर्धारित किये जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से घ) पहले से ही घोषित की गई गेहूं की अधिप्राप्ति और मूल्य निर्धारण नीति के अनुसार पांच प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में व्यापारियों पर 50 प्रतिशत की लेवी लागू की जाएगी और शेष 50 प्रतिशत को इन राज्यों के अन्दर और परमिटों के अधीन उनके बाहर स्वतन्त्र रूप से बेचने की अनुमति होगी । नयी नीति के अन्तर्गत, व्यापार खाते पर गेहूं की उपलब्धता में सुधार होने से आशा है कि सरकारी वितरण प्रणाली से गेहूं की मांग कम हो जाएगी । व्यापारियों को लाइसेंसिंग और नियंत्रण की प्रणाली के अधीन कार्य करने की अनुमति होगी । राज्य सरकार को मूल्यों पर निगरानी और नियंत्रण रखना होगा ।

जयदेव पार्क, दिल्ली में दुग्ध योजना के दुग्ध केन्द्र

6664. **श्री पन्ना लाल बारूपाल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयदेव पार्क, नई दिल्ली-110035 में निर्मित दिल्ली दुग्ध योजना का दुग्ध केन्द्र अभी तक चालू नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और दुग्ध केन्द्र कब से चालू किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) तथा (ख) जयदेव पार्क में दुग्ध बूथ को चालू करना दिल्ली दुग्ध योजना के लिए सम्भव नहीं हो सका है क्योंकि यह बूथ चालू करने के लिए 300 बोतलों के टोकन अभी तक उपलब्ध नहीं किए गए हैं । दिल्ली दुग्ध योजना कम से कम 300 बोतलों की संख्या होने पर ही नये बनाए गए डिपुओं को चालू करती है ताकि डिपो चलाने में सुविधा और मितव्ययता हो । इस सम्बन्ध में जयदेव पार्क के मकान मालिकों की कल्याण समिति ने दिल्ली दुग्ध योजना से पत्र-व्यवहार किया है और आश्वासन दिया है कि दिल्ली दुग्ध योजना को 300 बोतलों के टोकन उपलब्ध कराए जाएंगे । दिल्ली दुग्ध योजना ने अब तक 142 बोतलों के लिए केवल 62 टोकन एकत्र किए हैं । क्षेत्र की कल्याण समिति तथा दिल्ली दुग्ध योजना दोनों के द्वारा अपेक्षित बोतलों की संख्या के लिए टोकन एकत्र करने तथा बनाए गये दुग्ध बूथ को चालू करने के प्रयास जारी हैं ।

साइकिल स्टैण्डों के ठेकेदारों के एसोसिएशन द्वारा पेश की गई मांगें

6665. **श्री त्रिदिब चौधरी :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी इमारतों के 'बेसिक ओपन टेण्डर' साइकिल स्टैण्ड के ठेकेदारों द्वारा 23 जनवरी, 1974 को प्रस्तुत किये गये पत्र में निहित मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनकी कितनी मांगें स्वीकार कर ली गई हैं, इन्हें कब लागू किया जायेगा और तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकारी इमारतों के साइकिल स्टैण्ड ठेकेदारों के एसोसिएशन के सचिव ने कितनी बार व्यक्तिगत इण्टरव्यू के लिए अनुरोध किया और उसे कितनी बार इण्टरव्यू की अनुमति दी गई ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : (क) उनकी मांगें मोटे तौर पर निम्नलिखित हैं :—

(i) निविदा आधार पर एक बार चुन लिये जाने पर उन्हें स्थाई ठेकेदार बना दिया जाना चाहिये;

(ii) उन्हें सरकारी कर्मचारियों से प्रति साइकिल/स्कूटर के लिये क्रमशः 2 रुपये और 4 रुपये प्रति मास लेने की अनुमति दी जाये;

(iii) विकल्पतः एक बार चुन लिये जाने पर उन्हें पूर्णरूपेण सरकारी कर्मचारी माना जाए तथा यह सरकार की इच्छा होगी कि वह सरकारी कर्मचारियों से प्रभार वसूल करे अथवा उन्हें स्टैण्डों को एक सुविधा के रूप में निःशुल्क प्रयोग करने की अनुमति दे दे ।

(ख) कोई भी मांग स्वीकार नहीं की गई है ।

(ग) सचिव ने जनवरी 1973 से दो बार व्यक्तिगत मुलाकात के लिये अनुरोध किया । एसोसिएशन को मई 1973 में एक बार मुलाकात की अमुमति दी गई थी ।

चावल, गेहूं और मक्की पर अनुसंधान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समझौता

6666. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल, गेहूं और मक्की पर अनुसंधान में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मक्की तथा गेहूं सुधार केन्द्र मैक्सीको तथा कुछ और अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समझौते किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौतों की मुख्य बातें क्या हैं और वे कब से लागू होंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जी हां, भारत सरकार की अनुमति से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने 15 मार्च 1974 को दो अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों के साथ समझौता किया है जिनके नाम ये हैं :—

(i) अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, लोसबेन्स, फिलीपिन्स, और

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केन्द्र मैक्सिको सिटी मैक्सिको ।

इस समझौते के मुख्य उद्देश्य ये हैं :—

चावल, मक्का और गेहूं की वैज्ञानिक खेती में अनुसंधान और प्रशिक्षण की प्रगति को और आगे बढ़ाना, और उत्पादन तकनीकों एवं उसके विस्तार में सुधार लाना है । समझौते की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं :—

(क) वैज्ञानिकों और तकनीकी लोगों का आदन-प्रदान ।

(ख) जर्म, प्लाज्म और प्रजनन सामग्रियों का आदान-प्रदान ।

(ग) वैज्ञानिक साहित्य, सूचना और प्रणाली विज्ञान का आदान-प्रदान, और

(घ) वैज्ञानिक उपकरणों का आयात-निर्यात ।

ये दोनों समझौते 15 मार्च, 1974 से लागू हो चुके हैं ।

अनाज के उत्पादन के अतिशयोक्तिपूर्ण आंकड़े

6667. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि सरकार ने समय-समय पर अनाज के उत्पादन के अतिशयोक्तिपूर्ण आंकड़े दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) खाद्यान्नों के क्षेत्र तथा उनके उत्पादन के अन्तिम अनुमान कृषि वर्ष के समाप्त होने पर अर्थात् किसी समय जुलाई-अगस्त में उपलब्ध होते हैं । सम्भव होने पर मौसम तथा फसल की परिस्थितियों एवं उस समय क्षेत्र की उपलब्ध जानकारी आदानों की उपलब्धि और अन्य विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं उनके संचालन के आधार पर फसल पकने से पहले कुछ प्रारम्भिक अनुमान तैयार किये जाते हैं । ये अनुमान यह मानते हुए लगाए जाते हैं कि मौसम के शेष भाग में मौसमी परिस्थितियां सामान्य रहेंगी । स्वभावतः ये अनुमान कुछ सीमा तक काल्पनिक होते हैं और अन्तिम अनुमान इनसे भिन्न हो सकते हैं । अतः आंकड़ों का अतिशयोक्तिपूर्ण होने का प्रश्न ही नहीं होता । कभी-कभी अन्तिम और संशोधित अनुमान पहले के अनुमानों से कम और कभी उनसे अधिक होते हैं ।

फालतू खाद्यान्न वाले राज्यों द्वारा केन्द्रीय पूल में खाद्यान्न का अधिकतम योगदान किये जाने के बारे में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश

6668. **श्री के० मालन्ना :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग ने अनुरोध किया है कि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की क्षमता सुनिश्चित करने की दृष्टि से फालतू खाद्यान्न वाले राज्यों को खाद्यान्नों के केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का अधिक से अधिक योगदान करना चाहिए और कमी वाले राज्यों को उससे मांग सीमित करनी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जी हां । 1974-75 मौसम के लिए रबी की नीति तैयार करते समय इस सिफारिश को ध्यान में रखा गया है ।

विभिन्न उर्वरकों के प्रयोग के कारण खाद्यान्नों के पौष्टिक तत्व में भिन्नता

6669. **श्री के० मालन्ना :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रासायनिक और गैर-रासायनिक उर्वरकों और गोबर जैसे देशी खादों से उत्पादित खाद्यान्नों के पौष्टिक तत्व में भिन्नता होती है; और

(ख) क्या रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से उत्पादित खाद्यान्न स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं । इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि रासायनिक अथवा गैर-रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से उत्पादित खाद्यान्नों के पोषक तत्वों की मात्रा में अन्तर होता है। पौधों द्वारा ग्रहण किए गए पोषक तत्व एक जैसे होते हैं चाहे वे कार्बनिक पदार्थों के गलने-सड़ने से उपलब्ध हों अथवा रासायनिक उर्वरकों से ।

(ख) इसका कोई प्रमाण नहीं है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से पैदा किए गए खाद्यान्न स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं ।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में नदी में चल रहे नाव तथा जहाज

6670. **श्री के० मालन्ना** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में अलग-अलग नदी में चल रहे नावों तथा जहाजों की संख्या कितनी है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र में चल रहे जहाजों में प्रतिवर्ष कितना माल ढोया गया तथा उक्त अवधि के दौरान कितने यात्रियों को ले जाया गया ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) यथाउपलब्ध सूचना देने वाले दो विवरण संलग्न हैं । (अनुबन्ध I तथा II) **[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 6703/74]** ।

Decision to Increase Price of Sugar

6671. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) Whether Government have decided to increase the price of sugar by 20 to 40 paise per kilogram; and

(b) if so, from which date the said increase is likely to be made and the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Supply of Biscuits, Puddings and other edibles to Children from aid received from C.A.R.E.

6672. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether biscuits, puddings and other edibles are supplied to children in schools and in rural areas from aid received from C.A.R.E. and other countries;

(b) if so, the names of the countries from which such aid is received and whether there are certain conditions attached thereto; and

(c) the amount of such aid utilised for the aforesaid purpose during the last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav): (a) to (c) The required information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला का कार्यकरण

6673. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला गत कुछ समय से पूर्ण रूप से और सन्तोषजनक ढंग से काम नहीं कर रहा है;

(ख) इस प्रकार के ह्रास के क्या कारण हैं ;

(ग) वर्तमान निदेशक और उक्त संस्थान के संकाय के सदस्यों के नाम क्या हैं और उनकी शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव क्या-क्या हैं तथा उक्त संस्थान में इस समय उनका वास्तविक दायित्व क्या-क्या है; और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) सरकार संस्था के कार्य से सन्तुष्ट है ।

(ख) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 6704/74]

गुजरात में आवास कालोनियों का निर्माण

6674. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अहमदाबाद तथा गुजरात के अन्य स्थानों में रहने वाले तथा काम करने वाले श्रमिकों और कम वेतन-भोगी कर्मचारियों के लिये वर्ष 1974 में आवास कालोनियां बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना गुजरात सरकार से मांगी गई है तथा प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायगा ।

गुजरात विश्वविद्यालय के शोध-छात्रों को मिलने वाली परिलब्धियां

6675. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात विश्वविद्यालय के शोध-छात्रों को परिलब्धियों के रूप में अपेक्षाकृत कम धनराशि मिलती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त राशि में कुछ वृद्धि करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है और यदि हां, तो कितनी वृद्धि करने का विचार है और यह कब से लागू होगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जूनियर और सीनियर, दोनों प्रकार की शिक्षावृत्तियों का मूल्य देश भर के सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक समान ही है । गुजरात विश्वविद्यालय अनुसंधान छात्र संघ द्वारा प्रधान मंत्री को प्रस्तुत किए गए ज्ञापन में दी गई सूचना के अनुसार गुजरात सरकार द्वारा दी गई अनुसंधान छात्र-वृत्ति का मूल्य 250 रुपये मासिक है ।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी जाने वाली शिक्षावृत्तियों के मूल्य को बढ़ाने का सामान्य प्रश्न आयोग के सक्रिया विचाराधीन है ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में नये जहाज निर्माण कारखाने

6676. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बनाई गई तकनीकी आर्थिक समिति ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में नये जहाज निर्माण कारखानों के स्थानों का चयन करके उनकी सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार और योजना आयोग ने उक्त सिफारिशें मान ली हैं, और यदि हां, तो उन्हें कैसे और कब लागू किया जाएगा ।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न निर्माणस्थलों का मूल्यांकन करने के लिये गठित तकनीकी आर्थिक अध्ययन दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और विचाराधीन है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना में नये शिप-यार्डों के स्थान के बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

केरल से केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत दो लघु डिपार्टमेन्ट स्टोर खोलने के बारे में परियोजना प्रतिवेदन

6677. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एलप्पी जिला उपभोक्ता खुदरा सहकारी स्टोर्स लिमिटेड नम्बर ए-103, केरल ने उपभोक्ता सहकारी समितियों के द्रुत विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अन्तर्गत दो लघु डिपार्टमेंट स्टोर्स खोलने के बारे में एक परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इनकी स्वीकृति दे दी थी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) केरल सरकार ने एलप्पी जिला उपभोक्ता थोक सहकारी भंडार लि० द्वारा दो लघु बहु-विभागी भंडार खोलने की एक परियोजना और कागज के थैले बनाने, कैपस्युलिंग और चूर्ण बनाने के एककों की योजनाएं भेजी थीं और इनके लिये भारत सरकार से वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया था ।

(ग) भारत सरकार पूर्वोक्त सोसायटी को वित्तीय सहायता मंजूर नहीं कर सकी, क्योंकि यह संस्था 5 वर्षों से अधिक समय से लगातार घाटे में चल रही थी और इसकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं थी। इसके अलावा, इसका स्थापना व्यय पहले ही काफी अधिक था। इसलिए यह सोसायटी केन्द्रीय क्षेत्र की इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता पाने की पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करती थी। इनके अनुसार जिस सोसायटी को सहायता दी जाती है, उसके पास विकास और अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने की संभावना होनी चाहिए।

दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की सप्लाई के लिए 'तेत्र पाक' का प्रयोग

6678. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली दुग्ध योजना के लिए दूध की वर्तमान बोतलों के स्थान पर एक ही बार प्रयुक्त किए जाने वाले कागज के गत्ते के डिब्बे 'तेत्र पाक' का उपयोग करने का निर्णय किया है जिसको बाद में मद्रास, बंबई तथा कलकत्ता में लागू किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस परिवर्तन के क्या लाभ तथा कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना में दूध बोतलों में वितरण करने की वर्तमान पद्धति को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि चार महानगरों में 'आपरेशन फ्लड' परियोजना के अन्तर्गत सीमित मात्रा में दूध के वितरण करने के लिए 'टेट्रा पैक' पद्धति चालू करने का एक प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

(ख) तथा (ग) यह प्रस्ताव भारतीय डेरी निगम ने किया है और इसके अनुसार आपरेशन फ्लड परियोजना के अन्तर्गत चार महानगरों के लिए विशेष परतदार कागज और खास किस्म के डिब्बे तथा दूध भरने की मशीनें तैयार करने के लिए विभिन्न स्थानों पर संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है जिससे पिल्फर प्रूफ टेट्रा पैक डिब्बों में दूध सप्लाई किया जा सके। इस प्रकार सीमित आधार पर प्रति दिन लगभग 3.5 लाख लिटर दूध का वितरण किया जाएगा, जबकि शेष 24 लाख लिटर का वितरण शीशे की बोतलों और इकट्ठा दूध बेचने की मशीनों के जरिये किया जाएगा।

ऐसे डिब्बों के प्रमुख लाभ ये हैं :— (1) इन्हें बिना प्रशीतन व्यवस्था के 15 दिन तक रखा जा सकेगा, (2) डिब्बे से चोरी - छिपे दूध नहीं निकाला जा सकेगा, और (3) दूर-दराज क्षेत्रों में दूध का परिसंस्करण करके और उससे वहीं पैक करके शहरों में वितरण के लिए सीधे भेजा जा सकेगा।

वर्ष 1970-71 के दौरान भारतीय खाद्य निगम को हुई हानि

6679. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 के दौरान (एक) चूहों और कीड़ों द्वारा खाये जाने, (दो) उठाईगिरी, और (तीन) स्टोर तथा रख रखाव का उचित प्रबंध न किये जाने से मानव उपयोग के योग्य न रहने के कारण भारतीय खाद्य निगम को कितनी मात्रा तथा मूल्य के विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों (चावल) गेहूं, जवार आदि की हानि हुई ;

(ख) इस हानि के लिये क्या किसी को जिम्मेवार ठहराया गया है, और

(ग) यदि हां, तो किस को जिम्मेवार ठहराया गया, किस सीमा तक और इसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल० टी० 6705/74]

(ख) और (ग) असावधानी, कर्त्तव्य विमुख होने और धोखा करने के परिणामस्वरूप होने वाली किसी हानि की जांच की जाती है और उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

गुजरात तथा महाराष्ट्र में खाद्य स्थिति

6680. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात तथा महाराष्ट्र में खाद्य दंगों को देखते हुए इन दो राज्यों में खाद्य की स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : गुजरात और महाराष्ट्र में खाद्य स्थिति में सुधार लाने की दिशा में जो पग उठाए गए हैं उनमें ये शामिल हैं :--

(क) सरकारी वितरण प्रणाली की उपयुक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों के आवंटन करना ;

(ख) मोट अनाजों, के अन्तर्राज्यीय संचलन पर लगे प्रतिबंधों को हटाना ताकि गुजरात और महाराष्ट्र जेसे कमी वाले राज्यों की मंडियों में मोटे अनाजों की उपलब्धता में सुधार किया जा सके;

(ग) 1974-75 मौसम के लिए गेहूं की अधिप्राप्ति और मूल्य निर्धारण संबंधी नई नीति की घोषणा जिसमें कमी वाले राज्यों में गेहूं की खुले बाजार में उपलब्धता में सुधार लाने की परिकल्पना की गई है।

(घ) राज्य सरकारों द्वारा स्टाक की जांच करने में तेजी लाना और छापे मारना ताकि जमा किए गए स्टाक को बाहर लाया जा सके।

महाराष्ट्र के कोलावा जिले में रेवास करंजा पुल

6681. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने अभ्यावेदन दिया है कि कोलावा जिले में रेवास करंजा पुल को अन्तर्राज्यीय सड़क तथा आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद सड़क के वर्ग के अन्तर्गत शामिल किया जाना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अन्तर्राज्यीय तथा आर्थिक महत्व की सड़कों के प्रस्ताव अभी प्रारंभिक अवस्था में हैं, अतः इस समय यह बताना संभव नहीं है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अति सीमित राशि की उपलब्धता की दृष्टि से कहां तक कोई सड़क/पुल परियोजना शामिल की जा सकेगी।

उर्वरकों के बिना चावल का उत्पादन

6682. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 21 मार्च, 1974 के स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में "उर्वरकों के बिना चावल का उत्पादन" (राइस विदाउट फर्टिलाइजर) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अखिल भारतीय चावल सुधार परियोजना ने यह पाया है कि कुछ जमीनों पर उर्वरकों का प्रयोग किए बिना चावल के उत्पादन में सुधार लाया जा सकता है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) परियोजना समन्वयकर्ता (चावल) ने सूचित किया है कि स्थानीय दैनिक पत्र में प्रकाशित समाचार भ्रामक है। इस भ्रामक समाचार का मुख्य विचार इसके विपरीत है जो इस प्रकार है—चावल की अधिक उपज वाली किस्में स्थानीय किस्मों की तुलना में काफी अधिक पैदावार देती हैं, यदि बिना उर्वरक प्रयोग के भी अच्छी कृषि क्रियायें अमल में लायी जायें। अधिक पैदावार प्राप्त करने में उन्नत प्रबंध का स्थान सर्वोपरि है। प्रकाशित समाचार में स्पष्ट रूप से कृषि क्रियाओं का उल्लेख किया गया है जो अनुर्वर अवस्थाओं में फसल की पैदावार बढ़ा देती हैं। बिना उर्वरक के अधिक उपज लेने के लिए स्थानीय ऊंची किस्म की जगह अधिक उपज देने वाली किस्म उगाना अक्सर बेहतर होता है। फिर भी, यदि उर्वरक सिफारिश की गयी मात्रा से कम हो तो उसका प्रयोग बुआई से पहले करना चाहिए तथा कम दूरी पर पौद लगाना, छोटी पौदों की कम गहराई में रोपाई, जल का उचित प्रबंध और उपलब्ध उर्वरकों का (सिफारिश की गयी मात्रा का आधा से तिहाई भाग) रोपाई के 30 से 35 दिन बाद प्रयोग जैसी उन्नत कृषि क्रियाये अपनानी चाहिएं।

इस समय तक, फसल में कल्ले निकलने शुरु हो जायेंगे और जड़ों का विकास अच्छी तरह हो जायेगा, फलतः उर्वरक देने से अधिक लाभ होगा। सरकार मिनीकिट प्रदर्शनों और अन्य विस्तार विधियों द्वारा सफल उर्वरक प्रबंध की विधि को सक्रियता से प्रोत्साहन दे रही है। उर्वरक उपलब्ध न होने के बावजूद भी, धान की बौनी किस्मों की खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

Codification of Culture in States

6683. **Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether different kind of culture exists in different States of the country; and

(b) if so, whether there is a proposal to codify them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav): (a) The pattern of cultural synthesis in the country has several distinctive features of its own with a belief in basic unity while retaining its diversities.

(b) The Government has many schemes for the preservation, diffusion and development of Indian culture, both in its aspect of national and regional distinctiveness, but it is not the policy of Government to frame an official hypothesis on matters like culture.

Criteria for fixing Procurement Price of Wheat for 1974-75

6684. **Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the Chief Ministers had given him the right to fix procurement price of wheat for 1974-75;

(b) if so, the criteria adopted by him for fixing the procurement price: and

(c) how a formula was devised ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) to (c) After taking into account the recommendations of the Agricultural Prices Commission and the views expressed by the Chief Ministers, the cost of production, higher prices ruling in the open market, expectations of the growers and other relevant factors the procurement price of wheat for 1974-75 marketing season has been fixed at Rs. 105/- per quintal for all varieties.

Permission for taking more passengers in a Taxi

6685. **Shri Bibhuti Mishra:**
Shri Lalji Bhai:

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) Whether taxi drivers in Delhi are facing the problems of unemployment due to high prices of petrol; and

(b) if so, whether Government propose to give permission for taking 6 passengers instead of 4 passengers in a taxi ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) and (b) No, Sir.

विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष का वक्तव्य

6687. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**
श्री डी० डी० देसाई :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 2 मार्च, 1974 को चंडीगढ़ में दिये गये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के वक्तव्य को देखा है कि भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा अस्थिर (क्रास-रोड्ज) हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय जिस प्रयोजन के लिए स्थगित किये गये थे, वह पूरा नहीं कर रहे हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने 2 मार्च, 1974 को हुए पंजाब विश्वविद्यालय के 26 वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में अपने अभिभाषण में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा था कि :—

"आज, भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा चौराहे पर है। कई क्षेत्रों में से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि क्या विश्वविद्यालय उन उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं जिनके लिए उनकी स्थापना की गई थी। इस प्रश्न पर पहले कालेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों द्वारा और बाद में उन व्यक्तियों द्वारा जो कालेजों और विश्वविद्यालयों का संचालन करते हैं, "विचार करने की आवश्यकता है।" ये टिप्पणियां, उच्च शिक्षा की विद्यमान प्रणाली के संबंध में आम आलोचना के संदर्भ में की गई थीं।

उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विद्यमान शिक्षा पद्धति में सुधार करने के लिए कुछ मुख्य कार्यक्रम शुरु किये हैं। कार्यक्रमों के संक्षिप्त ब्योरे 18 मार्च, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 339 के उत्तर में दिये गये थे।

अन्तर्राष्ट्रीय मक्का तथा गेहूं सुधार केन्द्र, मेक्सिकों के निदेशक का गेहूं के विकास तथा खाद्यान्न की कमी के बारे में विचार

6688. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मक्का तथा गेहूं सुधार केन्द्र, मैक्सिको के निदेशक ने गेहूं का विकास तथा खाद्यान्न की कमी से संबंधित समस्याओं के बारे में भारतीय कृषि वैज्ञानिकों के साथ बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने खाद्य क्षेत्र में क्षतिपूर्ति न करने के विरुद्ध चेतावनी दी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का सुधार केन्द्र, मेक्सिको के महानिदेशक (गेहूं सुधार कार्यक्रम) डा० नारमन ई० बोरलौग ने भारत में फसलों के कीट-व्याधियों की महामारी की समस्या पर 15 मार्च, 1974 को होने वाली विचार-विमर्श गोष्ठी की अध्यक्षता की। इस विचार-विमर्शगोष्ठी में भारत के अनेक जाने-माने वैज्ञानिकों ने भाग लिया। कीट-व्याधियों की महामारियों से संबंधित जिन पांच विषयों पर विचार विमर्श हुआ उनमें से एक गेहूं का रतुआ रोग भी है। 1973 के दौरान राजस्थान के एक क्षेत्र विशेष में आरम्भ में ही रतुआ का जो प्रकोप हुआ था उसके कारणों का विश्लेषण किया गया और भविष्य में इस तरह की महामारी न फैलने पाये, इसकी रोकथाम के उपाय सुझाये गये। देश भर में गेहूं के रतुआ और अन्य बीमारियों से होने वाले नुकसान से छुटकारा पाने या कम करने के अनेक उपाय भी बताये गये। डा० बोरलौग ने अपनी अंतिम टिप्तणी में रतुआ और अन्य बीमारियों से सतर्क रहने के महत्व पर जोर दिया जो समय के साथ रोगजनकों में परिवर्तन के कारण हमेशा के लिए एक चुनौती बन गये हैं। इसलिए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कीट-व्याधियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में किये जा रहे प्रयतनों में किसी प्रकार की ढील नहीं आनी चाहिए

दिल्ली में उचित दर दुकानों को भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से खाद्यान्न तथा चीनी देने संबंधी नई पद्धति का परिणाम

6689. **श्री रघु बहादुर सिंह :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में उचित दर दुकानों को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्न तथा चीनी की सप्लाई करने में सुधार लाने के लिए जब से नई पद्धति को लागू किया गया है तब से इससे होने वाले अधिकांश लाभ उठाये नहीं गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) दिल्ली क्षेत्र में खाद्यान्नों के वितरण के लिए शुरु की गई नई प्रणाली संतोषजनक रूप से कार्य कर रही बतायी जाती है।

राजधानी में बेहतर बस सेवा

6690. **श्री एम० एस० पुरती :**

श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में बेहतर बस सेवा की व्यवस्था करने के लिए परिवहन मंत्रालय तथा दिल्ली परिवहन निगम द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां । दिल्ली परिवहन निगम के मामलों की चर्चा करने के लिए 16-3-1974 को एक बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता नौवहन और परिवहन मंत्री ने की और जिसमें मुख्य कार्यकारी पार्षद दिल्ली प्रशासन, दिल्ली के उप-राज्यपाल और नौवहन और परिवहन मंत्रालय तथा दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने भाग लिया ।

(ख) निम्नलिखित मुख्य निर्णय किये गए :—

(1) दिल्ली नगर निगम यथाशीघ्र नई ग्रीन लाइन बस सेवाओं की पोषक सेवाएं शुरु ।

(2) दिल्ली नगर निगम अतिरिक्त बसें प्राप्त करे और मौजूदा बेड़े के रख-रखाव में सुधार करें ताकि वह सड़क पर और बसें ला सकें ।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों की बस सेवाओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाए।

असम में कृषि विकास के लिये नियत धनराशि

6691. **श्री निहार लास्कर :**

श्री तरुण गोगोई :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम राज्य को गत पंचवर्षीय योजना में अब तक कृषि विकास के लिये पर्याप्त धनराशि नहीं दी गई है;

(ख) क्या राज्य सरकार मुख्यतः इसीलिये कृषि का उचित विकास नहीं कर पाई है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस संबंध में उस राज्य पर अधिक ध्यान देने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस अवधि में इस प्रयोजनार्थ राज्य में कौन सी योजना आरंभ की जायगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) कृषि कार्यक्रमों, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता, सिंचाई तथा विद्युत के लिये पहली, दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के खर्च और असम की चौथी योजना के स्वीकृत परिव्यय और इन सभी क्षेत्रों के लिये कुल राशि नीचे दी गई है :—

कार्यक्रम	प्रथम योजना	दूसरी योजना	तीसरी योजना	चौथी योजना (स्वीकृत परिव्यय)
कृषि कार्यक्रम . . .	46.5	73.8	122.0	380.8
सामुदायिक विकास तथा सहकारिता	2.0	76.4	99.1	75.2
सिंचाई तथा विद्युत .	46.1	68.3	573.7	660.9
सभी क्षेत्रों के लिये कुल राशि . .	205.1	544.8	1324.4	2060.0

उपर्युक्त विवरण से पता चलेगा कि असम की आर्थिक व्यवस्था में कृषि के अधिक महत्व को ध्यान में रखते हुए चौथी योजना में कृषि विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। चौथी योजना में भूमि के उपयुक्त उपयोग, उन्नत फसल प्रतिमान, सिंचाई उर्वरकों का उपयोग, उन्नत बीज, पौद रक्षण, अधिक ऋण सुविधाएं, बाढ़ नियंत्रण उपाय आदि से संबंधित विशेष कार्यक्रम शामिल किए गए थे।

(ख) जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से पता चलता है। इन वर्षों के दौरान असम में कृषि उत्पादन में कुछ प्रगति हुई है।

अवधि	चावल (लाख मीटरी टनों में)	कुल खाद्यान्न (लाख मीटरी टनों में)	पटसन (लाख-गाठों में)
1. तीसरी योजना के औसतन 5 वर्षों के लिये (1961-62 से 1965-66)	18.06	18.57	9.21
2. तीन वार्षिक योजनाओं के वर्षों की औसत (1966-67 से 1968-69) . .	19.96	20.51	9.40
3. 1969-70 .	20.58	21.19	11.31
4. 1970-71 . .	21.10	21.72	9.86
5. 1971-72	20.55	21.54	11.96
6. 1972-73 (अंतिम अनुमान) . . .	23.23	25.53	10.51

नोट:—तुलना की दृष्टि से, उपर्युक्त आंकड़े असम के पुराने राज्य से अर्थात् असम तथा मेघालय और मिज़ोरम के संघ शासित क्षेत्रों से सम्बद्ध हैं।

यह निसन्देह सत्य है कि कृषि प्रगति की रफ्तार को तेज करने की जरूरत है। इस समय सुविधाओं की कमी ही मुख्य कारण है जो असम की आर्थिक/कृषि प्रगति में बाधक है और इसमें सुधार लाने की जरूरत है।

(ग) तथा (घ) केन्द्रीय सरकार तथा असम के राज्य सरकार दोनों ने ही पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास को उच्च प्राथमिकता दी है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिये राज्य सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली प्रस्तावित नीति की मुख्य बातें इस प्रकार होंगी :—

(क) भूमि उपयोग की पद्धति में इस प्रकार परिवर्तन करना जिससे कि फसलों की परम्परागत किस्मों की अपेक्षा अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत अधिक से अधिक क्षेत्र लाया जा सके।

(ख) बेहतर और उन्नत कृषि साधनों, जैसे कि उन्नत बीजों, उर्वरकों, कीटनाशी दवाओं आदि की सप्लाई से उत्पादकता बढ़ाना।

(ग) तीन फसली पद्धति अपनाना, जिसके अन्तर्गत दो बड़ी फसलों के बीच कम समय में तैयार होने वाली एक और फसल बोई जा सके।

(घ) बाढ़ से प्रभावित फसलों पर अत्यधिक निर्भरता दूर करने की दृष्टि से खासकर बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में फसल पद्धति में परिवर्तन; और

(ङ) मानसून पर निर्भरता कम करने की दृष्टि से और अधिक उपज देने वाले तथा रबी फसलों के उत्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिये सिंचाई की अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करना।

नीति को क्रियान्वित करने के लिये राज्य सरकार की पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना के मसौदे में विभिन्न योजनायें शामिल की गई हैं।

भारत-यमन सांस्कृतिक समझौता

6692. **श्री निहार लास्कर :**

श्री राम भगत पासवान :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1974 में भारत और यमन के बीच एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते का पाठ क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1974 के पहले तीन महीनों में ऐसे अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये थे; और

(घ) यदि हां, तो इन सांस्कृतिक समझौतों से संबंधित देशों को कितना लाभ हुआ है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां। यमन लोक जनतंत्रात्मक गणराज्य के साथ 17 मार्च, 1974 को नई दिल्ली में एक सांस्कृतिक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे।

(ख) करार में दोनों देशों के बीच कला और संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सूचना और शिक्षा के संचार वाहनों, खेलकूदों और पत्रकारिता के क्षेत्रों में सम्पर्कों को विकसित और संप्रवर्तित करने की व्यवस्था है। करार की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) वर्ष 1974 के पहले तीन महीनों में केवल एक सांस्कृतिक करार पर अर्थात् यमन लोक जनतंत्रात्मक गणराज्य के साथ, हस्ताक्षर किये गये थे।

(घ) सांस्कृतिक करार संबंधित देशों के बीच सहकारिता के व्यापक सिद्धान्त निर्धारित करते हैं और विशिष्ट समयबद्ध विनिमय कार्यक्रमों के लिए रूपरेखा की भी व्यवस्था करते हैं। इन विनिमय कार्यक्रमों से, परस्पर मेल व सद्भावना को प्रोत्साहन के अतिरिक्त, संबंधित देशों को अन्य देशों द्वारा शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, कृषि, कला इत्यादि के विभिन्न क्षेत्रों में किये गये विकास और उसके अनुभवों से लाभ प्राप्त होता है।

वर्ष 1972-73 में राष्ट्रीय सग्रहालय में चोरियां

6693. **श्री राम भगत पासवान :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972-73 में संग्रहालयों में विशेष रूप से राष्ट्रीय संग्रहालय से पुरावशेषों तथा कलाकृतियों की चोरियों की कई रिपोर्टें मिली थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इन चोरियों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा कोई सामान्य जांच करने के आदेश दिये गये थे; और

(ग) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष रहे ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) सलारजंग संग्रहालय, हैदराबाद से मई, 1972 में एक लघुचित्र की चोरी हो गई थी। राष्ट्रीय संग्रहालय अथवा किसी अन्य केन्द्रीय संग्रहालय से 1972-73 में किसी अन्य चोरी के मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) और (ग) ऐसी चोरियों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किसी आम जांच-पड़ताल का आदेश नहीं दिया गया था। तथापि, सलारजंग संग्रहालय से लघु-चित्रों की चोरी से संबंधित जांच-पड़ताल का कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौपा गया था तथापि गुम हुए चौदह में से ग्यारह लघु-चित्र पुनः प्राप्त कर लिए गए थे। इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की अंतिम रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है।

बेल्जियम के साथ सांस्कृतिक समझौता

6694. **श्री राम भगत पासवान :**
श्री वी० मयावन :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में बेल्जियम सरकार के साथ कोई सांस्कृतिक समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख) जी हां। भारत और बेल्जियम के बीच सितम्बर, 1973 को हुए सांस्कृतिक करार के अनुपालन में, 1974 तथा 1975 वर्षों के लिये दोनों देशों के बीच शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सहयोग के लिये एक आदान-प्रदान कार्यक्रम को अंतिम रूप देकर उस पर 15-3-1974 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किये गये हैं। उक्त कार्यक्रम में शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला, संस्कृति, खेल, रेडियो, टेलीविजन, प्रेस और फिल्मों के क्षेत्रों में कार्मिकों तथा सामग्री दोनों प्रकार के आदान-प्रदान से संबंधित 23 विषय शामिल हैं।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा महाराष्ट्र में विषाक्त गेहूं की बिक्री

6695. **श्री राम भगत पासवान :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम पर आरोप लगाया गया है कि उसने महाराष्ट्र राज्य में विषाक्त गेहूं की बिक्री की है; और

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हरियाणा से बीज के लिये भेजे गये गेहूं की महाराष्ट्र में बिक्री

6696. **श्री राम भगत पासवान :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि हरियाणा से बीज के लिये भेजा गया बढ़िया किस्म का गेहूं महाराष्ट्र में अन्त में अत्यधिक कीमत पर बाजार में बेच दिया गया; और

(ख) यदि हां, तो अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) हरियाणा और महाराष्ट्र सरकारों से जानकारी मांगी गई है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सिंधी भाषा के विकास के लिए आबंटन

6697. **श्री राम भगत पासवान :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंधी भाषा के विकास के लिये एक करोड़ रुपये का आबंटन रोक दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) भाषा का विकास करने की दृष्टि से सिन्धी भाषा में शिक्षाप्रद पुस्तकों का निर्माण पांचवीं पंचवर्षीय योजना में किया जा रहा है और इस उद्देश्य के लिये चालू वित्तीय वर्ष के दौरान व्यवस्था पहले ही कर दी गई है।

"फिशी बिजनैस बाई यू० एस० फर्म इन बे आफ बंगाल" शीर्षक से समाचार

6698. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 21 फरवरी, 1974 के एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के पृष्ठ 1 पर "फिशी बिजनैस बाई यू० एस० फर्म इन बंगाल बे" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) इस विषय का संबंध गृह मंत्रालय से है जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर देना स्वीकार कर लिया है। निश्चित दिन को इस प्रश्न का उत्तर गृह मंत्री द्वारा दिया जाएगा।

"शिप्स आन आर्डर आर अनसूटेबल फार इंडियन पोर्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

6699. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 25 फरवरी, 1974 के कलकत्ता के स्थानीय समाचार-पत्र में "शिप्स आन आर्डर आर अनसूटेबल फार इंडियन पोर्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) जिन जहाजों का आर्डर दिया जाता है या जिनकी अधिप्राप्ति की जाती है वे भारत के व्यापार के लिए होते हैं। इन जहाजों में से कुछ इस समय भारतीय पत्तनों में प्रवेश नहीं कर सकते। पत्तन विकास कार्यक्रम को दृष्टि में रखते हुए सभी जहाज अधिप्राप्ति संबंधी प्रस्तावों का अनुमोदन किया जाता है। चूंकि भारत के समुद्रपारीय व्यापार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपनी पत्तनों का विकास किया जा रहा है अतः निकट भविष्य में हमारे सभी जहाज भारतीय पत्तनों पर ठहर सकेंगे।

नौवहन विकास निधि समिति 1973-74 के बजट में 61.13 करोड़ रुपये की व्यवस्था का पूरा-पूरा उपयोग किया गया है और कोई कटौती न की गई। नौवहन विकास निधि समिति के 1974-75 के बजट अनुमानों में 71.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है न कि 30 करोड़ रुपये की जैसा कि लेखा में बताया गया है। यह सही नहीं है कि जहाज अधिप्राप्ति प्रस्तावों के अनुमोदन में कम-से-कम छः महीने लगते हैं।

सम्भावनाओं और उन मूल्यों को जिन पर तेल और तेल उत्पादकों को उपलब्ध किया जाना था और सीमित सप्लाई और उपलब्ध साधनों को बनाये रखने की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए बंकर मूल्यों को समय-समय पर निश्चित करना पड़ा।

गुजरात में खाद्य स्थिति

6700. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्पादन, वसूली, खाद्यान्नों की केन्द्रीय सरकार द्वारा सप्लाई, राशन तथा उचित दर दुकानों के माध्यम से सप्लाई किए जाने वाले खाद्यान्न तथा चीनी की मात्रा के विशेष संदर्भ में, गुजरात में वर्तमान खाद्य स्थिति क्या है; और

(ख) इस राज्य में खाद्य स्थिति को सामान्य बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार गुजरात में 1973-74 में खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन, पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है । पिछले तीन महीनों के दौरान, राज्य में लगभग 9400 मी० टन बाजरा, 4000 मी० टन धान और 100 मी० टन गेहूं स्थानीय स्रोत से अधिप्राप्त किये गये हैं । इसके अलावा, राज्य सरकार ने उक्त अवधि में अन्य राज्यों से लगभग 34,000 मी० टन मोटे अनाज, 2000 मी० टन चावल और 1500 मी० टन चने की खरीदारी की थी । फरवरी से अप्रैल तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय भण्डार से राज्य को 52,000 मी० टन प्रति मास खाद्यान्नों का आवंटन हुआ है । उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से दी जाने वाली चीनी की मात्रा को बढ़ाकर अप्रैल, 1974 के लिए 600 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास कर दी गई है । उपलब्धता और स्थानीय स्थितियों के अनुसार राज्य के विभिन्न भागों में खाद्यान्नों की मात्रा 2 किलो से लेकर 8 किलो तक भिन्न-भिन्न है ।

(ख) खाद्य स्थिति को सुगम बनाने के लिए जो उपाय किए गये हैं वे इस प्रकार हैं :—

(क) मोटे अनाजों के संचलन पर लगे प्रतिबंधों को हटाना, (ख) 1974-75 मौसम के लिए गेहूं की अधिप्राप्ति और मूल्य संबंधी नयी नीति की घोषणा जिसमें कमी वाले राज्यों में खुले बाजार में उपलब्धता में सुधार होने की परिकल्पना की गई है, और (ग) जमा किए गये स्टाक को बाहर निकलवाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा स्टाक की कड़ी जांच करना और छापे मारना ।

पांडिचेरी में विश्वविद्यालय

6701. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री नये विश्वविद्यालय खोलने के बारे में 25 फरवरी, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 663 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांडिचेरी में प्रस्तावित विश्वविद्यालय का कार्य कब से शुरू हो जायेगा;

(ख) क्या यह विश्वविद्यालय केन्द्रीय सरकार के अधीन होगा; और

(ग) यदि हां; तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) से (ग) पांडिचेरी में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित ब्यौरे तैयार करने के लिए सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, डा० जार्ज जैकब की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है । उक्त समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

Provision of Sheds on D.M.S. Milk Booths

6702. Shri Lalji Bhai: Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) Whether arrangement for sheds have not been made around the D.M.S. milk depots as a result of which milk buyers are greatly inconvenienced during winter, rainy and summer seasons; and

(b) if so, whether Government will look into this matter ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya): (a) and (b) D.M.S. distributes milk throughout the Metropolitan area of Delhi through 1088 milk depots. Considering that milk is drawn by token holders within a span of an hour in the morning and in the evening and normally approximately 200 customers buy milk from a milk depot, it is considered that construction of sheds at the milk depots will not add to the convenience of the token holders substantially. Moreover, most of the milk booths are situated on road berms and/or in congested localities where construction of such sheds is not practically possible.

Creation of new Posts in the Ministry

6703. Shri Lalji Bhai: Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether new posts have been created in several attached and subordinate offices of his Ministry despite a restriction imposed on the creation of new posts as an economy measure;

(b) if so, the number of new posts created in the said offices during the last six months; and

(c) the reasons therefor and whether the restriction imposed on the creation of n ew posts would be strictly enforced in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) to (c) The restrictions imposed on the creation of new posts are already being strictly observed. The ban on creation of new posts however does not apply to posts which are required in the field organisations, directly involved in the execution or maintenance of plan schemes.

No posts were created in the subordinate/attached offices of the Departments of Education & Social Welfare during the six months ending 31-3-74. However, in the Department of Culture, 40 posts were created in the subordinate/attached offices, after obtaining the approval of the competent authority as provided for in the extent regulatory instructions, since creation of these posts were considered essential.

Request from Rajasthan for Increase in Foodgrains Quota

6704. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether most of the districts of Rajasthan are facing acute food crisis ;

(b) whether the Rajasthan Government have requested the Central Government for increasing the quota of foodgrains for that State; and

(c) if so, the quantity of foodgrains supplied by the Central Government to Rajasthan during the last six months ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) The production of kharif crops in Rajasthan has been good and with the arrival of rabi crops, the availability will further improve. During the last six months the following quantities were supplied to Rajasthan Government :—

(In thousand tonnes)

Quantity supplied during October 1973 to February 1974	114.5
Quantity allotted for March, 1974	30.0
	144.5

राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् की तेरहवीं बैठक

6705. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् की 13वीं बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन विषयों पर चर्चा हुई; और

(ग) इस बैठक में पारित संकल्प पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) परिषद् ने निम्नलिखित विषयों पर विचार किया :—

(1) पांचवीं "पंचवर्षीय योजना में लड़कियों" की शिक्षा :

(क) प्राथमिक स्तर पर दाखिले की बढ़ती हुई संख्या;

(ख) अनौपचारिक शिक्षा;

(ग) लड़कियों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम;

(घ) अध्यापिकाओं की उपलब्धिता में वृद्धि; तथा

(2) लड़कियों के लिए सभी स्तरों पर शिक्षा की व्यवस्था ।

(ग) स्वीकृत कार्यवृत्त तथा संकल्पों को परिचालित किए जाने के बाद राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्र प्रशासनों से सिफारिशों को कार्यान्वित करने का अनुरोध किया जाएगा ।

दिल्ली में शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव

6707. **श्री डी० पी० जदेजा : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में शराब की दुकानों की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और वे संभवतः कब खोली जायेंगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) तथा (ख) मद्यनिषेध के पुनः संचालन की नीति के प्रसंग में, शराब के विक्रय को अधिकार में लेने से निम्नलिखित लाभ होने की सम्भावना है :—

(1) लाइसेंस वाली दुकानें अवैध शराब के लिये अपना रास्ता छोड़ देंगी।

(2) बेचने की चालबाजी को दबाया जायेगा।

(3) जहरीली शराब के विक्रय की जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है, जांच की जायेगी।

(4) दूसरी लगाई गई पाबन्दियों के साथ-साथ, उपभुक्त शराब की मात्रा भी अन्ततः कम हो जायेगी ।

केंद्रीय मद्यनिशेध समिति ने भी तदनुसार इस की सराहना की है।

दिल्ली प्रशासन ने 1972 में देशी शराब के विक्रय को अपने अधिकार में लिया था । यह भी सुझाव है कि भारतीय बनी विदेशी शराब के विक्रय को भी अधिकार में लिया जायें जिस के लिये दिल्ली प्रशासन द्वारा अधिक दुकानें खोलने का प्रस्ताव है ।

सरकारी भवनों में स्थित साइकिल स्टैण्डों के ठेकेदार

6708. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी सरकारी भवनों में स्थित साइकिल स्टैण्डों के ठेकेदारों पर कितने वर्षों से किराया बाकी पड़ा है; और

(ख) ऐसे सभी ठेकेदारों के नाम तथा अन्य जानकारी क्या है जिनके दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में साइकिल स्टैण्ड हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

लैण्ड रिजर्वस के मूल्यांकन तथा प्रबन्ध के लिए केन्द्रीय भूमि प्राधिकरण

6709. **श्री डी० डी० देसाई :**
श्री आर० पी० उलगनस्वी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार देश के लैंड तथा साअल रिजर्व्स के मूल्यांकन तथा प्रबन्ध से सम्बन्धित केन्द्रीय परियोजनाओं के समन्वित आयोजन तथा क्रियान्विति के लिए एक केन्द्रीय भूमि प्राधिकरण बनाने जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय भूमि प्राधिकरण भू-कटाव, सुखा बाढ़ नियन्त्रण के प्रति समेकित दृष्टिकोण अपनायेगी ;

(ग) क्या केन्द्रीय भूमि प्राधिकरण भी एक तकनीकी एजेंसी होगा और लैंड रिजर्व्स के प्रबन्ध से संबंधित विभिन्न अनुशासित कार्यों के बारे में यह एक शीर्षस्थ संगठन होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) देश में भूमि संसाधनों के मूल्यांकन और प्रबन्ध के लिए केन्द्रीय भूमि प्राधिकरण/भूमि उपयोग आयोग की स्थापना के प्रश्न पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारत सरकार ने एक तदर्थ समिति की स्थापना की है ।

(ख) जी हां । तदर्थ समिति प्रस्तावित प्राधिकरण अथवा आयोग के विचारार्थ विषयों पर विचार करेगी, जिनमें भू-कटाव सूखा, बाढ़ नियंत्रण और अन्य मृदा तथा जन संरक्षण की समस्याओं के प्रति समेकित दृष्टिकोण अपनाना भी शामिल है ।

(ग) तथा (घ) तदर्थ समिति प्रस्तावित केन्द्रीय भूमि प्राधिकरण/भूमि उपयोग आयोग के संगठनात्मक ढांचे के प्रश्न का अध्ययन करेगी ।

धनौरी मण्डी, मुरादाबाद में किराये के गोदाम

6710. **श्री इसहाक सम्भली** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनौरी मण्डी, जिला मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) में भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भाण्डागार निगम द्वारा बिना छत्त वाले गोदाम किराये पर लिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक गोदाम में कितनी मात्रा में खाद्यान्न का भण्डारण किया गया है; और

(ग) क्या उनका उचित उपयोग किया जा रहा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम ने 11 मई, 1972 के उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में धनौरी मंडी में खुले गोदाम किराये पर लिए थे, जिन्हें 24 अक्तूबर, 1973 को छोड़ दिया गया था । केन्द्रीय भाण्डागार निगम ने उपर्युक्त मंडी में कोई भी खुले गोदाम किराये पर नहीं लिया था ।

रुपये के भुगतान के आधार पर खाद्यान्नों का आयात

6711. श्री प्रबोध चन्द्र :
श्री राम प्रकाश :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1974 के दौरान केवल रुपये के भुगतान के आधार पर ही खाद्यान्नों का आयात करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां तो उन देशों के नाम क्या हैं जो रुपये के भुगतान के आधार पर खाद्यान्न बेचने को तैयार हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है ।

कनाट प्लेस क्षेत्र, नई दिल्ली का विकास

6712. **श्री प्रबोध चन्द :**

श्री राम सहाय पाण्डे :

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कनाट प्लेस क्षेत्र के विकास के बारे में नई दिल्ली पुनर्विकास सलाहकार समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) मामला विचाराधीन है ।

गुजरात में कर्मचारियों को खाद्यान्न अग्रिम

6713. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के खाद्यान्न खरीदने के लिये अग्रिम देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में कितने कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे;

(ग) प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) इसके लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग 1.5 लाख राज्य सरकार के कर्मचारियों को इस योजना के अधीन लाया जाएगा और उन्हें लाभ पहुंचाया जाएगा ।

(ग) खाद्यान्न अग्रिमों से सम्बन्धित आदेश पहली अप्रैल, 1974 से लागू किए गए हैं, जिनके अनुसार प्रत्येक कर्मचारी 500 रुपये तक पेशगी लेने अथवा अपने मूल वेतन को दुगना, इनमें से जो भी कम हों, लेने का हकदार है ताकि कर्मचारी एक ही समय खाद्यान्नों की खरीदारी कर सकें । पेशगी दी गई धन राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा और उसे 10 समान मासिक किस्तों में वसूल किया जाएगा ।

(घ) इस प्रयोजन हेतु लगभग 4.50 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी ।

Amount Paid as Rent for Shri Lal Bahadur Shastri Central Sanskrit Vidyapeeth, New Delhi

6714. **Shri Chiranjib Jha :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :—

(a) the amount of money that used to be paid as rent for Vidyapeeth Bhavan and hostel building at Shaktinagar for Shri Lal Bahadur Shastri Central Sanskrit Vidyapeeth, New Delhi; and

(b) the expenditure being incurred by Government on account after shifting the Vidyapeeth to Moti Bagh (New Delhi) last year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) and (b) The amount of monthly rent now paid for the Vidyapeetha buildings is Rs. 9100 as against Rs. 4770 for the Shakti Nagar buildings. The new buildings provide more space for classes, hostel, library, and better academic atmosphere, essential for the growth of an educational institution like the Vidyapeetha.

Aid to States for Production of Literature

6715. **Shri Chiranjib Jha** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether proposals have been received from the State Governments/Union Territories for receiving aid for the year 1973-74 under the schemes regarding production of literature for the neo-literates; and

(b) if so, the State-wise aid proposed to be given ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) Yes, Sir.

(b) The following States/Union Territories have been sanctioned grants-in-aid for the Production of Literature for Neo-literates during the year 1973-74 :—

State/Union Territory	Amount of Grant
	Rs.
1. Andhra Pradesh .	13,000
2. Himachal Pradesh	5,000
3. Karnataka .	13,000
4. Kerela .	10,000
5. Maharashtra	20,000
6. Manipur	10,000
7. Nagaland .	10,000
8. Orissa	10,000
9. Punjab	7,000
10. Rajasthan .	20,000
11. Tamil Nadu	13,000
12. Tripura .	6,000
13. West Bengal	13,000
Total	1,50,000

Institutions in Saharsa Distt. by S.W. Department

6716. **Shri Chiranjib Jha:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state the names of the institutions of Saharsa District of Bihar which asked for grants from Social Welfare Department during the financial year 1973-74 as also the amount of grant provided to each of these institutions ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam): Five Institutions in Saharsa District of Bihar asked for grants during 1973-74. The amount sanctioned to each by the Central Social Welfare Board is shown below:—

Name of the Institution	Amount of Grant
	Rs.
1. Shri Basudeo Sarvajanik Sevashram, Barahi, Sukhpur, Saharsa	2,860
2. Kasturba Gram Seva Kendra, Lalpura, Saharsa	830
3. K.G.N.M.T. Basantpur, Saharsa	1,860
4. K.G.N.M.T. Birpur, Saharsa	1,860
5. Adarsha Mahila Mandal, Kariho, P.O. Kariho, Saharsa . . .	9,300

गत वर्ष की तुलना में चीनी का उत्पादन

6717. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में चीनी के उत्पादन में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) चालू मौसम के शुरू के महीनों में कम संख्या में चीनी कारखानों के उत्पादन शुरू करने के कारण इस वर्ष चीनी की पैदावार पिछले महीने की तुलना में कम हुई है। तथापि, पैदावार में वृद्धि हो रही है और आशा है कि 1973-74 के दौरान चीनी का कुल उत्पादन पिछले वर्ष से अधिक होगा ।

दिल्ली में सांविधिक राशन व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव

6718. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सभी आवश्यक वस्तुओं में सांविधिक राशन व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सार क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Murder of 7 persons of two Starving Families

6719. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item dated the 11th March, 1974 appearing in a Hindi daily, published from Patna, under the heading 'Do bhukhe parivarion ke 7 sadasyon ki hatya' (murder of 7 members of two starving families);

(b) if so, the facts thereof; and

(c) the remedial measures taken by Government to prevent such incidents ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) Yes, Sir.

(b) Bihar Government has reported after making necessary enquiries that deaths have occurred due to suicides on account of family trouble and not due to starvation.

(c) Does not arise.

Bihar Students' demand and Increase in amount of Scholarships

6720. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether one of the main demands of the agitating students of Bihar was for increase in the amount of scholarships being given to them by Government;

(b) whether Government of India provide funds to the State Governments for scholarships; and

(c) if so, Government's reaction to the demand of the students ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare (Shri D. P. Yadav): (a) to (c) According to the information received from the Bihar Government, one of the demands of the agitating students of Bihar was for increase in the amount of scholarships being given to them by Government. The State Government have decided to increase the number of scholarships and not the amount of scholarship.

The Ministry of Education does not provide funds to meet the expenditure on the State Government's scholarships. The Ministry of Education does, however, provide funds for the Central Government scholarship schemes which are administered through the State Governments.

दिल्ली विकास प्राधिकरण को नई कालोनी, विवेकानन्द पुरी में स्वास्थ्य के लिये जोखिम

6721. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की नई कालोनी विवेकानन्द पुरी में सैकड़ों व्यक्ति दोनों समय मल त्याग के लिये आते हैं जिस के कारण निवासियों को दिन-रात बदबू आती रहती है और इससे क्षेत्र में गंदगी फैलती है जो कि निवासियों के स्वास्थ्य के लिये जोखिम है ;

(ख) क्या ये व्यक्ति मकानों के बाहरी दरवाजों के पास बैठने से भी नहीं हिचकते और रोके जाने पर बड़ी संख्या में लड़ने के लिये आ जाते हैं; और

(ग) क्या सरकार का कालोनी के वासियों को राहत देने के लिये उक्त विभीषिका को हटाने के लिये कार्यवाही करने और उन लोगों को उक्त प्रयोजनों के लिये सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग करने के लिये आदेश देने का है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) विवेकानन्द पुरी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार में है । दिल्ली नगर निगम ने हाल ही में सफाई की देख-रेख के लिये अपेक्षित कर्मचारी स्वीकृत किये हैं तथा वे इस कालोनी में सफाई के प्रबन्ध पर कड़ी दृष्टि रख रहे हैं ।

मारिशस और भारत के बीच माल-एवं-यात्री सेवा प्रारंभ करना

6722. **श्री बनमाली बाबू** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मारिशस और भारत के बीच में माल-एंव-यात्री सेवा प्रारम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों की रूप-रेखा क्या हैं; और

(ग) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली में जाली राशन कार्ड समाप्त करने का अभियान

6723. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में जाली राशन कार्डों को समाप्त करने के विचार से गत दो मास से एक अभियान प्रारम्भ किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अभियान से क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या कुछ खाद्य निरीक्षक रविवार को कुछ घरों में गये और जिन स्थानों पर ताला लगा हुआ पाया गया वहां के मालिकों के कार्ड रद्द कर दिये गये, और यदि हां, तो उन की संख्या क्या है; और

(घ) क्या निरीक्षकों को रविवार के दिन घरों पर जाने और इस प्रकार कार्ड रद्द करने की शक्ति दी गई थी, और यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार के सभी कार्डों का पुनर्वधीकरण कर दिया गया है; और इस प्रकार कार्य करने वाले निरीक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) भारी संख्या में बोगस कार्ड पकड़े गये थे ।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन ने अपने निरीक्षकों को प्रत्येक घर में जाकर खाद्य-कार्डों की जांच करने के लिये प्राधिकृत किया था । जिन कार्डधारियों के कार्डों की जांच नहीं की जा सकी थी उनको स्थगित कर दिया गया था । जिन कार्डधारियों ने क्षेत्रीय कार्यालय से संपक स्थापित किया था उनके कार्डों की पुनः जांच करने के बाद उनका पुनर्वधीकरण कर दिया गया था ।

विकलांग व्यक्तियों की सहायता करने के लिए उप-कर लगाने का प्रस्ताव

6724. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विकलांग व्यक्तियों को सहायता करने के लिये स्थायी रूप से कोई उप-कर लगाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में कक्षा आठ के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा

6725. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**
श्री मान सिंह भौरा :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कक्षा आठ और उसके नीचे की कक्षाओं के विद्यार्थियों को इस समय दी जा रही निःशुल्क शिक्षा संबंधी नियम को संशोधित करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) बहुत बड़ी संख्या में अभिभावकों और स्कूलों के प्रिंसिपलों ने "दिल्ली स्कूल शिक्षा अधि-नियम" के अन्तर्गत इस नियम के विरुद्ध सरकार को प्रत्यावेदन दिए थे जिसके अन्तर्गत आठवीं कक्षा अथवा उससे किसी भी नीचे की कक्षा के उस विद्यार्थी को, जिसने 14 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, नौवीं कक्षा के लिये निर्धारित दरों पर ट्यूशन फीस देनी होती है।

दिल्ली दुग्ध योजना के दूध के मूल्य में और वृद्धि करना

6726. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा उपभोक्ताओं को सप्लाई किये जाने वाले दूध के खुदरा मूल्य में और वृद्धि करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में कितनी वृद्धि की जायेगी और यह वृद्धि कब से लागू होगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में वनस्पति के थोक व्यापार का सरकारीकरण

6727. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**
श्री भान सिंह भौरा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में वनस्पति तेल के दोषपूर्ण वितरण प्रबंधों को देखते हुए सरकार इसके थोक व्यापार का सरकारीकरण करने के प्रश्न पर विचार करेगी, और

(ख) यदि हां, तो कब ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव का उद्देश्य संघ शासित प्रदेश में वनस्पति की उपलब्धंता में सुधार करना, दिल्ली प्रशासन द्वारा नामित किए जाने वाले कुछेक सहकारी संगठनों के माध्यम से थोक वितरण सुनिश्चित करना है।

10 पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली का क्रय

6728. **श्री मधु दण्डवते : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 10, पृथ्वीराज रोड़, नई दिल्ली स्थित मकान का क्रय करने का था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसके लिये 15 लाख रुपये की पेशकश की थी ;

(ग) क्या यह मकान मैसर्स पुंज एण्ड कम्पनी को 37 लाख रुपये में बेच दिया गया है ; और

(घ) क्या सरकार ने इस विक्रय-विलेख को पंजीकृत कर लिया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) पट्टाधारी ने मकान तथा प्लाट का एक भाग, श्री एस० पी० पुंज तथा अन्यों को 11,75,000/– रुपये में बेचा है ।

(घ) इस मामले में नामान्तरण नहीं किया गया है ।

बिजली और उर्वरकों की कमी के कारण पंजाब और हरियाणा में खाद्य उत्पादन में कमी

6729. **श्री मधु दंडवते :**
श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली और उर्वरकों की कमी के कारण पंजाब और हरियाणा में खाद्य उत्पादन में कमी होने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अनाज का आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने वाले इन राज्यों में उत्पादन में गिरावट से कमी वाले राज्यों की सप्लाई की स्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो पंजाब और हरियाणा में स्थिति सुधारने के लिये केन्द्र द्वारा क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) वर्ष 1973–74 के दौरान पंजाब और हरियाणा में कृषि उत्पादन पर शीत लहर; शीत ऋतु में वर्षा की कमी; उर्वरकों, विद्युत शक्ति और डीजल आयल की सामान्य कमी का प्रभाव पड़ सकता है। परन्तु अभी यह नहीं कहा जा सकता कि कृषि उत्पादन में कमी होने की संभावना है, क्योंकि उत्पादन के ठीक-ठीक अनुमान चालू कृषि वर्ष के अन्त तक अर्थात् किसी समय जुलाई-अगस्त, 1974 में ही उपलब्ध हो सकेंगे।

(ख) जी नहीं। आन्तरिक उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिये वाणिज्यिक आधार पर लगभग 41 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का आयात करने के लिये प्रबन्ध किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, रूस सरकार से 20 लाख मीटरी टन गेहूं उधार लेने की व्यवस्था की गई है।

(ग) पंजाब और हरियाणा में स्थिति सुधारने के लिए नंगल उर्वरक फक्टरी को मिलने वाली बिजली में कटौती करके सिंचाई के लिये नलकूप चलाने के लिये अधिक बिजली उपलब्ध कराने और बदरपुर से अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था करने के अतिरिक्त उठाऊ सिंचाई के लिए हाई स्पीड डीजल आयल और उर्वरकों की सप्लाई को बेहतर बनाने के लिये कदम उठाये गये हैं।

बम्बई बन्दरगाह पर गोदी सुविधायें

6730. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई बन्दरगाह पर गोदी सुविधाओं की अपर्याप्तता के कारण उर्वरक उद्योग के लिए कच्चे माल के आगमन में रुकावटें आ रहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय किये जाते हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) : खाद उद्योग के लिये मुख्य कच्चा माल फासफेट तथा गंधक है। यह माल लाने वाले जहाजों को मुख्यतः दिसम्बर, 1973 तथा जनवरी, 1974 के पहले पखवाड़े में दूसरे पूरे लदे हुए जहाजों के साथ इकट्ठा हो जाने के कारण बम्बई पत्तन पर घाट पर लगने से पूर्व विलम्ब हुआ था। राक फासफेट तथा गंधक के जहाजों का इस माल के लिए आवंटित दो ही घाटों पर रख रखाव किया जाता है न कि सभी अन्य घाटों पर, क्योंकि यह माल अन्य माल को दूषित कर देता है और कुछ तटीय संस्थापनों पर भी बुरा प्रभाव डालता है। मौजूदा पत्तनों पर जहाजों के जमाव को रोकने से तथा न्हावा सेवा में सहायक पत्तन पर उचित सुविधाएं पैदा करके बहुत हद तक कठिनाइयां दूर की जा सकेंगी।

भूगोल की पाठ्यपुस्तकों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को चिह्नित करना

6731. **श्री मधु दंडवते** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भूगोल की पाठ्य पुस्तकों में भारत के ऐसे मानचित्र हैं जिनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भारत का भाग नहीं दिखाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन गम्भीर त्रुटियों को ठीक करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) इन त्रुटिपूर्ण मानचित्रों के प्रकाशन के लिये कौन उत्तरदायी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल में एक पाठ्य पुस्तक के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है । मामले की छान बीन की जा रही है । साधारणतया, जो प्राधिकारी पाठ्य पुस्तक निर्धारित करता है उसके पास तथ्यों, नक्शों आदि की शुद्धता की दृष्टि से पुस्तकों की जांच करने के लिए व्यवस्था होती है ।

उर्वरकों में कैल्सियम एमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग

6732. **श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन्** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक मिश्रण फर्मों को उर्वरक (एन० पी० के०) मिश्रणों में कैल्सियम एमोनिया नाइट्रेट का प्रयोग करने की अनुमति है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सुपर फासफेट पोटाश जैसे अन्य तत्वों के समान है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का उर्वरक फर्मो का उर्वरक मिश्रणों में कैल्सियम अमोनिया नाइट्रेट का प्रयोग करने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 के अनुसार भौतिक मिश्रण तैयार करने के लिये कैल्सियम एमोनिया नाइट्रेट का प्रयोग के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है । तथापि, रासायनिक प्रतिक्रिया की दृष्टि से कहा जा सकता है कि यदि मिश्रण का कुछ समय तक भण्डारण करना हो तो कैल्सियम एमोनिया नाइट्रेट को सुपर-फास्फेट, म्यूरियेट आफ पोटाश या सलफेट आफ पोटाश के साथ मिलाना वांछनीय नहीं है । पंजीकरण का कार्य करने वाली राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि मिश्रण उचित कोटि के और विशिष्ट प्रकार के हों । तदनुसार उन्हें समय-समय पर विचार गोष्ठियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान सलाह दी गई है ।

तमिलनाडु में चीनी की वसूली

6733. **श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन्** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तमिलनाडु में दिसम्बर, 1973 और जनवरी-फरवरी, 1974 में कारखाना-वार चीनी की कितनी वास्तविक वसूली हुई ; और 1972–73 के उन्हीं महीनों में कितनी वसूली हुई थी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : एक विवरण संलग्न है जिसमें 1973–74 तथा 1972–73 मौसमों के दौरान अक्तूबर से फरवरी के प्रत्येक महीनों के दौरान तमिलनाडु में वसूली के कारखानावार आंकड़े दिए गए हैं । **[ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 6706/74]**

भारत तथा रूस के युवा वर्ग के क्रियाकलापों पर पुस्तक

6734. **श्री जी० बाई० कृष्णन्** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा रूस के युवा वर्ग के क्रियाकलापों पर एक पुस्तक प्रकाशित करने में भारत तथा रूस के संयुक्त प्रयास प्रगति पर हैं, और

(ख) क्या रूस ने इस संबंध में अपना सहयोग दिया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) मंत्रालय को ऐसी किसी परियोजना की जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली दुग्ध योजना के टोकनधारियों को दूध की कम मात्रा में सप्लाई

6735. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त राजधानी में अनेक टौकनधारियों को दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध सप्लाई केन्द्रों से दूध के अपने कोटे की अपेक्षा बहुत कम दूध मिलता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) तथा (ख) दिल्ली दुग्ध योजना अपनी अधिष्ठापित क्षमता का शतप्रतिशत उपयोग करते हुए प्रतिदिन 3 लाख लिटर दूध का वितरण कर रही है, यह टोकन धारियों की सामान्य आवश्यकताएं पूरी कर रही है । तथापि, कभी कभी आकस्मिक तथा अपरिहार्य तकनीकी कठिनाइयों के कारण दिल्ली दुग्ध योजना को दूध की मात्रा में कुछ कम करने को बाध्य होना पड़ता है । ग्रीष्म के महीनों में, दुधारू पशुओं के प्राकृतिक दुग्ध स्रवण चक्र और आइस क्रीम, कुल्फी, दही तथा लस्सी आदि जैसे दुग्ध उत्पादों की मांग में वृद्धि हो जाने के कारण दूध के उत्पादन में कमी के फलस्वरूप यह हो सकता है कि किन्हीं दिनों किसी पारी में दो या तीन से अधिक बोतलें लेने वाले कुछ टोकन धारियों को दूध के टोकनों पर अंकित पूरी मात्रा में दूध न मिले । दिल्ली दुग्ध योजना ने कच्चा दूध और दूध तैयार करने के लिए स्किम दुग्ध चूर्ण और मक्खन की चिकनाई की इष्टतम मात्रा में प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं ताकि अपनी अधिष्ठापित क्षमता का शतप्रतिशत प्रयोग करते हुए दूध का वितरण कर सके । विभिन्न डिपुओं के टोकन धारियों से उनको निश्चित दिनों में दूध का पूरा कोटा सप्लाई न करने के संबंध में शिकातें दिल्ली योजना के पास प्राप्त होती हैं । इस प्रकार की शिकायतों की छान-बीन की जाती है और उपचार संबंधी कार्यवाही की जाती है ।

जहाजों की लागत के लिए ऋण मंजूर करने की नीति

6736. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन विकास निधियों में इतनी कमी हो गई है कि अधिकारियों ने ऐसे मामलों में भी ऋण आवेदन पत्र रद्द करने प्रारंभ कर दिये हैं जिन मामलों में टन भार अभी ग्रहण के प्रस्ताव मंत्रालय द्वारा पहले मंजूर कर दिए गये थे; और

(ख) यदि हां, तो नये जलयानों के हेतु जहाजों की लागत के लिए ऋण मंजूर करने और पुराने जलयानों के लिए ऋण मंजूर करने के संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

जहाजों के अधिग्रहण करने के प्रस्ताव स्वीकृत करते समय संस्वीकृति में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है कि "स्वीकृति में यह बचन बद्धता नहीं है कि नौवहन विकास निधि समिति से ऋण स्वीकृत किए जाएंगे। कम्पनी को यह मामला अलग से उक्त समिति के सामने रखना पड़ेगा जो गुणों के आधार पर इसकी जांच करेंगी और मामले में उचित निर्णय करेंगी।"

(ख) नौवहन विकास निधि समिति सभी संगत पहलुओं, जिन में कंपनी के पास उपलब्ध आरक्षित राशि भी शामिल है, का दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के अनुसार ऋण स्वीकृत करती है। ऋण और/अथवा गारंटियां नये जहाजों के मूल्यों के साधारणतया 90 प्रतिशत तक देश में बने जहाजों के लिए 95 प्रतिशत तक तथा बरते हुए जहाजों के मूल्य के 75 प्रतिशत तक स्वीकार्य होती है ।

केन्द्रीय विद्यालय

6737 **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या शिक्षा, **समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर स्थानान्तरित किये जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों के लिये, राज्य-वार कितने केन्द्रीय विद्यालय खोले गये हैं;

(ख) इन विद्यालयों में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और केन्द्रीय सरकार द्वारा इन विद्यालयों को कितना वार्षिक अनुदान दिया जा रहा है; और

(ग) क्या अधिक विद्यालय खोलने की मांग में भी वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री ो० पी० यादव) :

(क) इस समय देश में 170 केन्द्रीय विद्यालय (सेन्ट्रल स्कूल) हैं तथा उनके राज्यवार ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

राज्य/संघीय क्षेत्र का नाम	विद्यालयों की संख्या
1	2
आन्ध्र प्रदेश	7
असम	8
बिहार	11
गुजरात	9

1	2
हरियाणा .	4
हिमाचल प्रदेश	1
जम्मू तथा काश्मीर	3
कर्नाटक	7
केरल	4
मध्य प्रदेश	9
महाराष्ट्र .	19
मणिपुर .	1
मेघालय	1
उड़ीसा	5
पंजाब	6
राजस्थान	10
तमिलनाडु	11
त्रिपुरा .	1
उत्तर प्रदेश	27
पश्चिम बंगाल	10
संघीय क्षेत्र :	
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह (पोर्ट ब्लेयर)	1
अरुणाचल प्रदेश	1
चण्डीगढ़ .	1
दिल्ली . .	10
गोआ .	1
पांडिचेरी . .	1
विदेश	
काठमांडू (नेपाल)	1
कुल	170

(ख) इन स्कूलों में 1-8-1973 को छात्रों की कुल संख्या 1,19,295 थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन स्कूलों को दी गई अनुदान राशि इस प्रकार है :—

वर्ष	वार्षिक अनुदान
	(रुपयों में)
1971-72	4,03,66,000
1972-73	5,61,44,000
1973-74	6,59,56,000

(ग) जी, हां। मांग को पूरा करने के लिये 1974-75 वर्ष के दौरान 12 नये केन्द्रीय विद्यालय खोलने का विचार है।

दिल्ली में दूध की मांग और सप्लाई

6738. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में दूध की मांग और सप्लाई की स्थिति क्या है;

(ख) क्या दिल्ली में दूध की सप्लाई बढ़ाने के लिए गुड़गांव, करनाल, मेरठ और बीकानेर में चार परियोजनाएं मंजूर की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर दिल्ली की दूध की मांग और सप्लाई की स्थिति के बारे में तथ्य क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) अनुमान लगाया गया है कि दिल्ली में तरल दूध की प्रति दिन की मांग लगभग 7 लाख लिटर है और 1976 तक मांग इतनी ही रहने की संभावना है। गैर-सरकारी माध्यम से सप्लाई के अतिरिक्त दिल्ली दुग्ध योजना इस समय अपनी स्थापित क्षमता का शत-प्रतिशत उपयोग करते हुए प्रति दिन 3 लाख लिटर दूध की सप्लाई कर रही है। इस समय योजना अपनी स्थापित क्षमता को बढ़ाकर 3.75 लाख लिटर करने के लिए प्रयत्न कर रही है। इसका विस्तार कार्य अब से लगभग 3 महीने में पूरा हो जायेगा। इससे राजधानी की लगभग 54 प्रतिशत मांग पूरी करने की व्यवस्था हो जायेगी।

(ख) वर्ष 1967-68 में करनाल, गुड़गांव (हरियाणा) मेरठ (उत्तर प्रदेश) तथा बीकानेर (राजस्थान) में चार गहन पशु विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं जो दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध क्षेत्र में शामिल हैं। इनके जरिये दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जाना है ताकि दिल्ली के लिए अधिक मात्रा में दूध उपलब्ध हो सके।

(ग) दूध का उत्पादन बढ़ाने और इसके परिणामस्वरूप दिल्ली दुग्ध योजना को दूध की उपलब्धि बढ़ाने के सघन पशु विकास परियोजनाओं के योगदान का ठीक-ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है। तथापि यह विश्वास किया जाता है कि ये परियोजनायें इस उद्देश्य की प्राप्ति में योगदान कर रही हैं और आगे भी करेंगी।

दिल्ली में 4 लाख लिटर दूध की क्षमता वाली दूसरी रिकम्बाइंड दुग्ध डेरी स्थापित करने का प्रस्ताव है। आशा है कि यह डेरी 1974 के अन्त तक उत्पादन शुरू कर देगी वर्तमान डेरी का विस्तार तथा दूसरी डेरी की स्थापना से प्रतिदिन 7.75 लाख लिटर दूध का विपणन संभव हो सकेगा और इस तरह राजधानी की आवश्यकता पूर्णतः पूरी की जा सकेगी।

भूमि के बंटवारे को रोकने के लिए सहकारी और सामूहिक खेती

6739. **श्री धरनीधर दास :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानून के बन जाने के उपरान्त फालतू भूमि के आवंटन से भूमि और भी टुकड़ों में बंट जायेंगी जिससे व्यक्तिगत जोतें बहुत ही अलाभप्रद हो जायेंगी और कृषि आयोजित अर्थव्यवस्था के लिये उपयुक्त नहीं रहेगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सहकारी अथवा सामूहिक खेती के माध्यम से कृषि के आयोजन और आधुनिकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिये भूमि का राष्ट्रीयकरण करने के प्रश्न पर विचार करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) यह जरूरी नहीं है कि फालतू भूमि के आवंटन से जोतें बिल्कुल अलाभप्रद हो जाएंगी और कृषि आयोजित अर्थव्यवस्था के लिये अनुपयुक्त बन जाएंगी ।

(ख) भूमि का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है परन्तु सरकार ऐच्छिक आधार पर सहकारी खेती को प्रोत्साहन देती है ।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली में अनूसूचित जातियों के छात्रों को रियायतें

6740. **श्री मान सिंह भौरा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के अनुसूचित जाति के छात्रों को वे रियायतें अब तक नहीं दी गईं जिनका दाखिले के समय उन्हें वचन दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली में वर्तमान शैक्षिक वर्ष में दाखिल किए गए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के छात्रों को विज्ञापित रियायतें दे दी गई हैं ।

सरकार ने, 1 अप्रैल, 1974 से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के छात्रों के लिए उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्तियों की राशि में 50% बढ़ोतरी करने का निर्णय भी किया है । व्यावसायिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले छात्रों को अधिक राशि देने के संबंध में विचार किया जा रहा है, जिसे आगामी शैक्षिक सत्र से लागू किया जाएगा ।

तटीय जहाजों के लिए रूमानिया को दिये गये क्रयादेश

6741. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 10 तटीय जहाजों के क्रय के लिए रूमानिया को क्रयादेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) सामान्यतया भारत सरकार जहाज अर्जित नहीं करती । अक्तूबर, 1969 में रूमानिया के 10 तटीय जहाजों के लिए

शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया (4 जहाज), मुगल लाइन लिमिटेड (5 जहाज) तथा चौगुले स्टीमशिप्स कम्पनी ने (1 जहाज) आर्डर दिए ।

(ख) प्रत्येक जहाज 18,000 डी० डब्लू० टी० (लगभग 10,000 जी० आर० टी०) का है। प्रत्येक जहाज की कीमत 2.37 करोड़ रुपये तय की गई। जहाजों की सुपुर्दगी दिसम्बर, 1972 तथा 1975 को की जानी थी। तत्पश्चात् 1971 के उत्तरार्द्ध में रोमानिया शिपयार्ड ने बताया कि वे इन जहाजों की सप्लाई तब तक नहीं कर सकते जब तक कीमत के बारे में पुनः विचार विमर्श नहीं किया जाता। एक समझौता हुआ जिसके अनुसार प्रत्येक जहाज की कीमत में 25 प्रतिशत वृद्धि की गई। सुपुर्दगी के संशोधित कार्यक्रम पर भी सहमति हुई। रोमानिया सरकार ने सभी दस जहाजों की कीमत में पुनः वृद्धि करने को कहा है। अब तक केवल दो जहाज (एक शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया को, एक मुगल लाइन लिमिटेड को) निश्चित समय के बाद सुपुर्द किये गये हैं।

दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अभिभावक-अध्यापक संघ

6742. **श्री अम्बेश** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अभिभावक-अध्यापक संघ के बारे में 16 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7000 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संख्या 3, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में गत तीन वर्षों में वर्ष-वार, अभिभावक-अध्यापक संगठन में कितना धन एकत्र हुआ ; और

(ख) उक्त धन का व्यय किन-किन मदों पर हुआ ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार स्थिति इस प्रकार है :—

वर्ष	एकत्रित राशि
	(रुपयों में)
1971-72	714.00
1972-73	686.00
1973-74	601.00

(ख) विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6707/74]**

दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग द्वारा क्वार्टरों का निर्माण

6743. **श्री अम्बेश** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए कुछ क्वार्टरों का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो श्रेणी-वार कितने क्वार्टरों का निर्माण किया गया है; और

(ग) उपरोक्त क्वार्टरों में से कितने क्वार्टर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को आवंटित किये गये हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) टाइप II क्वार्टरों के 144 एकक निर्माणाधीन हैं ।

(ग) अभी तक कोई आवंटन नहीं किया गया है क्योंकि क्वार्टर अभी निर्माणाधीन हैं । आवंटन की नीति तभी तय की जायेगी जब क्वार्टर आवंटन के लिए तैयार हो जायेंगे ।

ग्रीन लाइन सेवा

6744. **श्री अम्बेश :**

श्री भागीरथ भंवर :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली परिवहन निगम ने ग्रीन लाइन सेवा के नाम से कितने नये रूट शुरू किये हैं ;

(ख) ये नये रूट क्रमशः किन-किन स्थानों से प्रारम्भ होते हैं एवं समाप्त होते हैं ;

(ग) उक्त सभी रूटों पर कितनी बसें लगाई गई हैं, और उनसे कितनी आय हुई है और कितने यात्रियों ने उनमें यात्रा की ; और

(घ) इस योजना के अधीन और किन-किन रूटों पर बसें चलाई जायेंगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) 9

(ख) ग्रीन लाइन बस मार्गों के आरम्भिक तथा अन्तिम स्थान नीचे दिये गये हैं :--

मार्ग संख्या	आरम्भिक स्थान	अन्तिम स्थान
101	आई० आई० टी० हौज़ खास .	केन्द्रीय सचिवालय
102	झील	--यथोक्त--
103	आनन्द पर्वत . .	--यथोक्त--
104	रामाकृष्णापुरम् (सैक्टर 1) .	--यथोक्त--
105	पुलिस स्टेशन पहाड़गंज	--यथोक्त--
106	रैड फोर्ट	--यथोक्त--
107	मोती नगर	--यथोक्त--
108	धौला कुआं	--यथोक्त--
109	लाजपत नगर	--यथोक्त--

(ग) मार्च, 1974 की अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6708/74]**

(घ) ग्रीन लाइन बस सेवाएं प्रयोगात्मक आधार पर चलाई गई हैं और अन्ततोगत्वा उस क्रमवद्ध मार्ग ढांचे के नये नमूने में बिठा दिया जायेगा जिनका दिल्ली परिवहन निगम द्वारा विकास किया जा रहा है ।

Set back to Agriculture in U.P. Due to Snow Fall

6745. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether agriculture has received a serious set back in Uttar Pradesh due to heavy snowfall ; and

(b) If so, the steps being taken by Government to provide necessary relief there ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) No such report has been received.

(b) Does not arise.

Educational Institutions for Handicapped

6746. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Education. Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the present number of educational institutions for the handicapped persons functioning in the country as also the number of persons receiving education there ;

(b) whether there is lack of such institutions in Uttar Pradesh; and

(c) if so, the difficulties of Government in opening such institutions in Uattar Pradesh?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : According to the information available with the Department of Social Welfare, about 350 institutions for various types of handicapped children and adults are functioning in the country. Information about the exact number of children and adults studying in these institutions is not readily available.

(b) and (c) According to the information available with the Department of Social Welfare, Uttar Pradesh has 37 institutions for the handicapped. This is a State subject and Uttar Pradesh Government are in a position to make an assessment.

बंगला देश होते हुए पश्चिम बंगाल तथा आसाम के बीच नदी यातायात चालू करने की अनुमति

6747. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या बहुत सी गैर-सरकारी कम्पनियों ने बंगला देश होते हुए पश्चिम बंगाल तथा आसाम के बीच नदी यातायात चालू करने के लिये सरकार से अनुमति मांगी है, और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) किसी भी गैर-सरकारी कंपनी ने बंगला देश होते हुए पश्चिम बंगाल और असम के बीच नदी यातायात चालू करने के लिये अनुमति नहीं मांगी है

कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में जहाजों को रोकने की घटनायें

6748. **श्री शंकर नारायण सिंह देव**: क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों से कलकत्ता, बम्बई और मद्रास बन्दरगाहों पर जहाजों को रोकने और जहाज-दिवसों की हानि में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में वर्ष-वार तथा बन्दरगाह-वार सूचना क्या है,

(ग) उसके क्या कारण हैं; और

(घ) कितने विदेशी जहाजों के साथ इस प्रकार की घटनायें घटीं?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

प्रस्तावित अधिभार का प्रभाव

6749. **श्री शंकर नारायण सिंह देव**: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय नौवहन और परिवहन ने सरकार से अनुरोध किया, कि 15 जनवरी, 1974 से लगाये गये 20 प्रतिशत के अधिभार को लागू न किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) और (ख) अनुमान है कि उल्लेख भारत और यू० के० महाद्वीप के बीच परिचालित भारत-यू०के० महाद्वीप कान्फ्रेंस द्वारा लगाए गये बंकर अधिभार का है। कान्फ्रेंस ने 23-11-73 से 3.2 प्रतिशत बंकर व्यय लगाया था। बाद में बंकर मूल्य में और वृद्धि के कारण अधिभार में 15-1-74 से 20 प्रतिशत और 1-2-74 से 23 प्रतिशत की वृद्धि की गई। दी आल इंडिया शिपर्स कौंसिल ने कान्फ्रेंस से अनुरोध किया कि वह अधिभार के समर्थन में सम्बन्धित लागत आंकड़े दे। सरकार ने आल इंडिया शिपर्स कौंसिल के अनुरोध का समर्थन किया। 31-1-74 को कान्फ्रेंस ने आल इंडिया शिपर्स कौंसिल को अधिभार का औचित्य ठहराने के लिये सम्बन्धित लागत आंकड़े दिये।

भारतीय पत्तनों पर अन्तर्राष्ट्रीय जहाजों को सप्लाई किये गये बंकर तेल के मूल्यों में 1-2-74 से कमी कर दी गई। इस कारण से सरकार ने कान्फ्रेंस से अधिभार को उचित रूप से मेल बिठाने के लिए अनुरोध किया। कान्फ्रेंस ने भारतीय पत्तनों पर बंकर के माल उठाने के आधार पर स्थिति की समीक्षा की और 20-2-74 से अधिभार, 23 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया।

कलकत्ता, बम्बई और मद्रास पत्तनों से प्राप्त राजस्व/उतारा-चढ़ाया गया माल

6750. **श्री शंकर नारायण सिंह देव**: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 और 1972-73 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास पत्तन से कितना राजस्व प्राप्त हुआ; और

(ख) वर्ष 1971-72 और 1972-73 में इन पत्तनों पर कितना माल उतारा-चढ़ाया गया ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख)

पत्तन का नाम	राजस्व		धरा उठाई किया गया यातायात	
	(रुपये करोड़ों में)		(दस लाख टनों में)	
	1971-72	1972-73	1971-72	1972-73
कलकत्ता	35.06	32.17	7.30	6.62
बम्बई	30.44	29.73	16.14	15.99
मद्रास	12.48	11.52	6.79	6.82

भारतीय खाद्य निगम द्वारा बिहार की रोलर फ्लोर मिलों को पानी में भीगे हुए किन्तु नष्ट होने से बचे गेहूं का आवंटन

6751. **श्री राम सहाय पाण्डे :**

श्री राम प्रकाश :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने बिहार की रोलर फ्लोर मिलों को ऐसा गेहूं आवंटित किया है कि जो पानी में भीग गया था किन्तु नष्ट होने से बचा लिया गया था, और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) गैर-मौसमी वर्षा और पानी टपकने के कारण रेल यात्रा के दौरान अथवा भण्डारण की अवधि में जब कभी गेहूं पानी से भीग जाता है, पी० एफ० ए० मानक के अनुरूप अच्छे गेहूं को रोलर फ्लोर मिलों को दे दिया जाता है ।

फिर भी, रोलर फ्लोर मिलों को गेहूं पीसने से पहले उसे पानी से धोना होता है और उनके पास भीगे हुए गेहूं को ठीक स्थिति में लाकर उसे इस्तेमाल करने की सुविधाएं मौजूद हैं ।

कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप-कुलपति द्वारा लिखित पुस्तिका

6752. **श्री समर गुह :**

श्री सरोज मुखर्जी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप-कुलपति प्रो० सतोन्द्र नाथ सेन द्वारा लिखित दी लार्जेस्ट एण्ड दी पुअरेस्ट यूनिवर्सिटी, नामक पुस्तिका की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पुस्तिका में उल्लिखित समस्याओं की जांच की है ;

(ग) यदि हां, तो उस में लिखित समस्या का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) सरकार को, "दी लार्जेस्ट एंड दी पुअरेस्ट यूनिवर्सिटी" नामक पुस्तिका प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, अनौपचारिक रूप से इसकी एक प्रति प्राप्त कर ली गई है :

(क) से (घ) इस पुस्तिका में, कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा कम आय की वजह से आवास, अध्यापन-कर्मचारी पुस्तकालय इत्यादि के मामले में विश्वविद्यालय को पेश आ रही कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है। यह मामला मुख्यत: पश्चिम बंगाल सरकार से सम्बन्धित है।

तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, कलकत्ता विश्वविद्यालय के पुनर्गठन के प्रश्न पर तथा आगामी 10 वर्षों के लिये इसके विकास की जरूरतों की जांच करने के वास्ते एक समिति गठित की है। समिति की रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

कार्बनिक खाद के विकास के लिये द्रुत कार्यक्रम

6753. **श्री समर गुह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1973-74 और 1974-75 में उर्वरक सम्बन्धी अन्तर को पूरा करने के लिये कार्बनिक खाद का विकास करने हेतु कोई द्रुत कार्यक्रम बनाया है यदि हां, तो वर्तमान उत्पादक एककों के नाम और उनके उत्पादन लक्ष्य क्या हैं? और कार्बनिक खाद की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये कौन-सी नई परियोजनायें हैं;

(ख) क्या कार्बनिक खाद के उत्पादन प्रक्रिया के समन्वय, निरीक्षण और तेज़ करने के लिये कोई विशेष समिति बनाई गई है; और

(ग) क्या लोगों को कूड़ाखाद का प्रयोग करने में प्रशिक्षण देने के लिये कोई बड़े पैमाने पर प्रचार आरम्भ किया गया है ? और कार्बनिक खाद के विकास के लिये अन्य क्या उपाय किये गये हैं या करने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ग) जी हां, कार्बनिक खाद के विकास के लिये एक व्यापक और समेकित कार्यक्रम बनाया गया है ।

स्थानीय खाद के स्रोतों अर्थात्, शहरी कमपोस्ट, ग्रामीण कमपोस्ट, मलमूत्र/गन्दगी का उपयोग करने तथा हरी खाद के विकास के लिये 9 करोड़ रु० की लागत की राज्य प्लान योजनायें बनाई गई हैं। पिछली योजनाओं के दौरान चलने वाली इन योजनाओं को पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और अधिक बड़े स्तर पर प्रारम्भ किया जायेगा

राज्यों ने गन्दे पानी की सिंचाई क्षमता का उपयोग करने के लिये आवश्यक कदम उठाये हैं। हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों ने इस मंत्रालय को 5.7 करोड़ रु० के परिव्यय की परियोजनायें प्रस्तुत की हैं। शहरी कम्पोस्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत, पांचवीं योजना की अवधि के अन्त तक प्रतिवर्ष 75 लाख मीटरी टन कम्पोस्ट तैयार करने का प्रस्ताव है। पांचवीं योजना में, ग्रामीण कम्पोस्ट/गोबर की खाद के उत्पादन का लक्ष्य 3500 लाख मीटरी टन निर्धारित किया गया है। पिछले कुछ महीनों के दौरान गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना करने के कार्य को भी तेज कर दिया गया है और अब तक लगभग 7000 गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त, पांचवीं योजना में केन्द्रीय कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत, 9 करोड़ रु० के परिव्यय की निम्नलिखित कुछ मूल योजनायें प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है :—

1. शहर की गन्दगी से कार्बनिक खाद तैयार करने के लिये 45 यांत्रिकी कम्पोस्ट संयंत्रों की स्थापना करना ।
2. सिंचाई के लिये मलमूत्र व गन्दगी का उपयोग करना, 200 योजनायें प्रारम्भ करने का, प्रस्ताव है, इन योजनाओं से 24,000 हैक्टर क्षेत्र की सिंचाई होगी ।
3. पांचवीं योजना के दौरान, ईंधन के लिये गैस और कृषि उत्पादन के लिये अच्छी किस्म की खाद तैयार करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में 50,000 गोबर गैस संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है । इनमें से योजना के पहले दो वर्षों के दौरान 'सीडिंग प्रोग्राम' के रूप में 20,000 संयत्र लगाए जायेंगे ।
4. कम्पोस्ट सम्बन्धी सर्वोत्तम कार्य करने वाली स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों को पुरस्कार देना ।
5. कार्बनिक खाद की तैयारी और उसके उपयोग के सम्बन्ध में कृषक संघों द्वारा, प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण कैम्पों की व्यवस्था करना ।

मई, 1973 के समस्त राज्यों के मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया गया था कि वे जुलाई, 1973 में कम्पोस्ट के उत्पादन और उसके उपयोग के संबंध में प्रदर्शन और प्रशिक्षण के लिये एक विशाल अभियान शुरू करें । अधिकांश राज्यों ने इन अभियानों की व्यवस्था की थी । जनवरी 1974 में कार्बनिक खाद के बारे में हुए राज्य के मंत्रियों के सम्मेलन में फिर इस की पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता अनुभव की गई । बहुसंख्यक किसानों को इस प्रशिक्षण का लाभ पहुंचाने के लिये कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों में कम्पोस्ट बनाने के लिये विशिष्ट अल्पावधि पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जा रही है। विभिन्न साधनों के माध्यम से कार्यक्रम के महत्व के सम्बन्ध में भी प्रचार किया जा रहा है ।

(ख) जी, नहीं ।

हुगली नदी में नौगम्यता न हो सकने के कारण जहाजों को होने वाली कठिनाईयां

6754. **श्री समर गुह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ?

(क) क्या हुगली नदी में अपेक्षित नौगम्यता न हो सकने के कारण कलकत्ता पत्तन पर आने वाले और वहां से जाने वाले जहाजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है,

(ख) क्या फरक्का बराज के मध्यम से गंगा का पानी हुगली नदी में छोड़ने के लिए शीघ्र उपाय करने हेतु इस मामले को सिंचाई और विद्युत मंत्रालय को भेजा गया है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या हैं, और

(घ) यदि नहीं, तो क्या नौगम्यता के अभाव का कलकत्ता पत्तन का और कलकत्ता पत्तन से नौवहन सुविधा पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (घ) कलकत्ता पत्तन पर आने वाले जहाजों को हुगली नदी में कठिन ढांडों और घाटों पर अपेक्षित डुबाव के अभाव के

कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । वर्षा से मुख्य जलाशय से जल आपूर्ति की कमी के कारण नदी नौचालन को धक्का पहुंचा है । नदी में दांहों और घाटों में अल्प और दीर्घ कालीन गिरावट आई है । नदी में सूखा एवं प्रगामी उतार फरक्का बांध के ऊंचे स्थान से जल आपूर्ति द्वारा ही कम किया जा सकता है । कलकत्ता पत्तन आयुक्त नदी में नौगम्यता में सुधार करने के लिए अल्प कालीन उपायों के रूप में गहन निकर्षण एवं स्थानीय नदी साध कार्य कर रहे हैं । 26 मील लम्बी पोषक नहर, जो फरक्का बांध क्षेत्र को ऊंचे स्थान से पानी की सप्लाई के लिए भागीरथी नदी से जोड़ती है, में कुछ खाली स्थानों की खुदाई में कठिनाइयां आई हैं । बिजली एवं सिंचाई मंत्रालय इस समस्या से जूझ रहा है और शेष कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए उपाय किये जा रहे हैं ।

सोयाबीन की खेती के लक्ष्यों में सफलता

6755. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय स्तर पर सोयाबीन की खेती के लक्ष्य पूरा करने में सफलता मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सोयाबीन के विकास के लिये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत, एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना वर्ष 1971-72 से चार राज्यों अर्थात्, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, और गुजरात में चल रही है । 1971-72 में 32313 हैक्टार क्षेत्र में सोयाबीन की काश्त होती थी । वर्ष 1973-74 में उपयुक्त योजना के अन्तर्गत यह क्षेत्र बढकर 47,721 हैक्टार तक पहुंच गया परन्तु कम उपज, कम अंकुरण, श्रेष्ठ बीजों की पर्याप्त मात्रा में अनुपलब्धि, जल्दी पकने वाली किस्मों के अभाव तथा परिसंस्करण सुविधाओं की कमी आदि विभिन्न कारणों से लक्ष्य के अनुसार प्रगति नहीं हो सकी ।

बिहार राज्य में नवनिर्मित मकानों को भारी मांग

6756. **श्री जगन्नाथ मिश्र**: क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इसकी जानकारी है कि बिहार राज्य में, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में, नये मकानों के निर्माण की भारी मांग है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने कमजोर वर्ग (कम आय वाले वर्गों) के लिये इस बारे में राज्य सरकार से ब्यौरा मांगा है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : (क) देश भर में आवास की अत्यधिक कमी को देखते हुए, बिहार सहित सभी राज्यों में नये मकानों के निर्माण की अत्यधिक आवश्यकता है ।

(ख) तथा (ग) इस मंत्रालय की सभी आवास योजनाएं, जिनका कार्यान्वयन बिहार सरकार द्वारा किया जाता है, राज्य क्षेत्र में हैं। बिहार सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों को राज्य क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिए, जिसमें 'आवास' शामिल है केन्द्रीय सहायता 'समेकित ऋणों' तथा समेकित

अनुदानों के रूप में दी जाती है जो किसी योजना विशेष अथवा विकास-शीर्ष से संबन्ध नहीं है । राज्य सरकारें, राज्य क्षेत्र की किसी भी योजना के कार्यान्वयन के लिए, समेकित केन्द्रीय सहायता में से अपनी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार राशि का निर्धारण करने में स्वतन्त्र हैं। 1974-75 वर्ष के लिए बिहार सरकार के लिए आवास हेतु 320.00 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना के अधीन, (जो चौथी पंच-वर्षीय योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में थी तथा पांचवीं योजना के आरम्भ से राज्य क्षेत्र में हस्तांतरित की गई है) बिहार सरकार की, 62.87 लाख रुपये की अनुमानित लागत की परियोजनाएं, अनुमोदित की गई हैं जिनमें 32.608 आवास-स्थलों के विकास की व्यवस्था है । आवास के लिए 320.00 लाख रुपये के परिव्यय में से वर्ष 1974-75 के लिये इस योजना हेतु 50.00 लाख रूपये का नियतन किया गया है ।

कलकत्ता राज्य परिवहन निगम को एक करोड़ रुपये की धनराशि देना

6757. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कलकत्ता में परिवहन सुविधाओं के विकास के लिए कलकत्ता राज्य परिवहन निगम को एक करोड़ रुपये की धनराशि दे रही है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) अप्रैल, 1970 में योजना आयोग द्वारा नियुक्त महानगर परिवहन सेवा कार्यदल ने सिफारिश की कि बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में नगर परिवहन उपक्रमों के प्रबन्ध के लिए सड़क परिवहन नियमों की स्थापना की जाये। इन नगर सड़क परिवहन नियमों के लिए पूंजी का अंशदान नौवहन और परिवहन मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा शेयर पूंजी 1 : 2 के अनुपात में होगी। दल ने इस बात की भी सिफारिश की कि प्रारम्भ कलकत्ता ही से किया जाये जहां सड़क परिवहन निगम पहले ही से नगर परिवहन सेवा चला रहा है ।

भारत सरकार ने उपयुक्त सिफारिशें सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर ली हैं। 1973-74 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा पूंजी अंशदान के तौर पर एक करोड़ रुपये की रकम कलकत्ता राज्य परिवहन निगम को दी गई ।

अधिक खाद्यान्न, वनस्पति और मिट्टी के तेल के लिए उड़ीसा से अनुरोध

6758. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य की मांग को पूरा करने के लिए उड़ीसा के खाद्य और सप्लाई मंत्री ने हाल ही में अधिक मात्रा में खाद्यान्न ,वनस्पति घी और मिट्टी का तेल सप्लाई करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था ;

(ख) यदि हां, तो राज्य को खाद्यान्न, वनस्पति घी आदि की कितनी अतिरिक्त मात्रा में सप्लाई करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय भंडार से उड़ीसा को मार्च के लिए किए गए 10,000 मी० टन के गेहूं के आवंटन को बढ़ाकर अप्रैल, 1974 के लिए 12,000 मी० टन कर दिया गया था।

वनस्पति के वितरण पर कोई केन्द्रीयकृत नियंत्रण नहीं है और राज्यों को यह स्वतंत्रता है कि वे अपनी जरूरत को किसी भी स्रोत से पूरा कर सकते हैं।

मिट्टी के तेल की कम उपलब्धता को देखते हुए अप्रैल, 1974 के लिए उड़ीसा की मिट्टी के तेल का अधिक आवंटन करना संभव नहीं हुआ है।

उड़ीसा में गेहूं और चावल का उत्पादन

6759. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में गेहूं का उत्पादन बढ़ रहा है और यदि हां, तो वह कितना बढ़ा है ;

(ख) क्या चावल तथा गेहूं दोनों का उत्पादन उड़ीसा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ; और

(ग) वर्ष 1973-74 में यह आवश्यकता से कितना कम था।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। जैसा कि गत पांच वर्षों के वर्षवार उत्पादन को प्रदर्शित करने वाली सारिणी को देखने से पता चलता है उड़ीसा में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हो रही है :—

वर्ष	उत्पादन (हजार मीटरी टन)
1968-69	17.4
1969-70	18.9
1970-71	18.5
1971-72	38.7
1972-73 (अस्थायी)	84.2

(ख) और (ग) एक सामान्य वर्ष की अवधि में उड़ीसा में चावल का उत्पादन राज्य की आन्तरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी और फालतू भी रहता है। राज्य की गेहूं संबन्धी आन्तरिक जरूरतें केन्द्रीय पूल के आवंटनों द्वारा पूरी की जाती है। जहां तक 1973-74 का संबन्ध है खाद्यान्नों के उत्पादन के अंतिम अनुमान कृषि वर्ष के समाप्त होने पर, अर्थात् किसी समय जुलाई-अगस्त, 1974 में ही उपलब्ध हो सकेंगे। अतः इस स्थिति में 1973-74 के दौरान फालतू या कमी के विषय में कुछ कहना संभव नहीं है।

उड़ीसा में युवक केन्द्र

6760. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में पंजीकृत युवक केन्द्र हैं और वे किन-किन स्थानों पर हैं,

(ख) उनकी गतिविधियां क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने उनके लिए कितनी धनराशि खर्च की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) संभवतः माननीय सदस्य का पूछने का आशय उड़ीसा में स्थापित नेहरू युवक केन्द्रों के बारे में है । बारीपाड़ा, धेनकेनाल, कोरापुट, सम्बलपुर और सुन्दरगढ़ में ये केन्द्र खोले गए हैं ।

(ख) इन केन्द्रों का उद्देश्य विशेषकर निम्नलिखित दिशाओं में युवक कार्यकलापों मुख्य रूप से गैर छात्र युवक कार्यकलापों में प्रोत्साहन देना तथा उनमें समन्वय बनाना है :--

(i) कार्यात्मक साक्षरता तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित अनौपचारिक शिक्षा;

(ii) सामाजिक सेवा ;

(iii) स्वास्थ्य, संस्कृति और खेल ।

(ग) 1973-74 वर्ष के दौरान 5 नेहरू युवक केन्द्रों के लिए दो लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी। खर्चे के वास्तविक आंकड़े प्राप्त किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे ।

पांचवीं योजना में कपास का उत्पादन

6761. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उत्पादन बढ़ाने के लिये कृषि उत्पादकों को क्या प्रोत्साहन दिया गया है; और

(ख) सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कपास-विकास के लिये कितनी धनराशि नियत की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सघन कपास जिला कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना तैयार की गई है और इसके लिये योजना आयोग ने 22 करोड़ रु० की वित्तीय सहायता मंजूर की है । इस योजना के विभिन्न घटकों के अन्तर्गत मिलने वाले अनुदान और राजसहायता को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) सघन कपास जिला कार्यक्रम

(क) जारी कार्यक्रम

स्टाफ तथा प्रासंगिक व्यय : "स्टाफ तथा प्रसांगिक व्यय" के अन्तर्गत की गई व्यवस्था में निम्न बाते शामिल हैं (क) 15,000 रु० प्रति एकक प्रति वर्ष की दर से कृषक व्यक्तियों का प्रशिक्षण और गोदाम का किराया और (ख) 25,000 रु० प्रति केन्द्र के हिसाब से कपास का वर्गीकरण करने के केन्द्रों का व्यय ।

राज सहायता और अनुदान

सिंचित कार्यक्रम

(1) 5 रु० प्रति हैक्टार के हिसाब से कपास के बीजों के संवर्धन संबन्धी कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिये एकमुश्त अनुदान ।

(2) कृषि-उद्योग निगमों/सहकारी समितियों आदि द्वारा मरम्मत सेवा के लिय वनस्पति रक्षण उपस्करों के विषय में 25% राजसहायता के लिये पहले दो वर्षो के लिये 0.50 लाख रु० प्रति एकक और बाद के वर्षो के लिये 0.25 लाख रु० प्रति एकक का एकमुश्त अनुदान ।

(3) साईकोसिल, सुर्सानिक एसिड, खर-पतवार नाशी औषधियों आदि नये आदानों के मूल्य के संबन्ध में प्रदर्शनों के लिये 100 रु० प्रति हैक्टार । ये प्रदर्शन प्रत्येक कृषि स्नातक सहायक अर्थात् 250 हैक्टार के सम्पूर्ण प्रति एककों में 50 हैक्टार के एक खण्ड के हिसाब से संगठित किये जायेंगे ।

वर्षासिंचत कार्यक्रम

(1) 5 रु० प्रति हैक्टार के हिसाब से कपास के बीजों के संवर्धन के कार्य क्रम को सुदृढ़ बनाने के लिये एकमुश्त अनुदान ।

(2) कृषि-उद्योग निगमों सहकारी समितियों आदि द्वारा मरम्मत सेवा के लिये वनस्पति रक्षण उपस्करों के मूल्य के विषय में 25% राजसहायता के लिय 0.25 लाख प्रति एकक के हिसाब से एकमुश्त अनुदान ।

(3) एक लाख रु० प्रति एकक के हिसाव से वनस्पति रक्षण उपस्करों की विभागीय खरीद ।

(4) 200 रु० प्रति हैक्टार के हिसाब से प्रदशनी के लिये अपेक्षित आदानों का 100% मूल्य । ये प्रदर्शन, प्रति कृषि स्नातक सहायक के प्रत्येक 50 हैक्टार के 4 खंडों के हिसाब से अर्थात् पूर्ण 1000 हैक्टार में संगठित किये जायेंगे ।

(ख) नये सिंचाई परियोजनाओं के क्षेत्रों और चावल की पड़ती भूमि के क्षेत्रों में कार्यक्रम का विस्तार

स्टाफ और प्रासंगिक व्यय :—

स्टाफ और प्रासंगिक व्यय : इस मद के अन्तर्गत निम्नलिखित बातों की व्यवस्था है :

(क) 15,000 रु० प्रति एकक वर्ष के हिसाब से कृषकों को प्रशिक्षण और गोदाम का किराया (ख) 25,000 रु० प्रति केन्द्र के हिसाब से कपास का वर्गीकरण करने के लिये केन्द्रों का व्यय ।

राज सहायता और अनुदान

(1) कपास बीज संवर्धन कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिय 5 रु० प्रति हैक्टार के हिसाब से एकमुश्त अनुदान ।

(2) कृषि-उद्योग निगमों/सहकारी समितियों द्वारा मरम्मत सेवा के लिये वनस्पति रक्षण उपस्करों के मूल्य के विषय में 25% राज सहायता के लिये 0.50 लाख रु० प्रति एकक का एकमुश्त अनुदान ।

(3) 0.50 लाख रु० प्रति एकक के हिसाब से वनस्पति रक्षण उपस्करों की विभागीय खरीद।

(4) परियोजना के नये क्षेत्रों में आवर्तक और प्रेसिंग कारखानों की स्थापना के लिये सहकारी समितियों/संस्थानों को प्रोत्साहन देने के लिये एकमुश्त रकम देने की व्यवस्था करना।

(5) 400 रु० प्रति हैक्टार के हिसाब से प्रदर्शनों के लिये अपेक्षित आदानों का 100% मूल्य। ये प्रदर्शन, प्रति कृषि स्नातक सहायक प्रत्येक 20 हैक्टार के 3 खंडों के हिसाब से अर्थात् कुल 300 हैक्टार प्रति एकक में आयोजित किये जायेंगे।

उप-योजनाएं

(क) संकर कपास के बीजों का उत्पादन

इस योजना के अन्तर्गत, नये क्षेत्रों के लिए कर्मचारी-वर्ग और प्रासंगिक व्यय तथा जीप/जीपों की पूरी लागत प्रदान की जायेगी।

(ख) उन्नत किस्मों के आधारभूत बीजों का उत्पादन

(1) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्टाफ तथा प्रासंगिक व्यय की पूरी लागत प्रदान की जायेगी।

(2) सिंचित क्षेत्र के लिये 5,000 रु० प्रति हैक्टार और वर्षा-सिंचित क्षेत्र के लिये 3,750 रु० प्रति हैक्टार के हिसाब से न्यूकिलियस क्षेत्र के लिये काश्त का व्यय प्रदान किया जायेगा। सिंचित क्षेत्र के लिये 500 रु० प्रति हैक्टार और वर्षा-सिंचित क्षेत्र के लिए 375 रु० प्रति हैक्टार के हिसाब से, आधार-भूत क्षेत्र के लिये काश्त का व्यय प्रदान किया जायेगा।

(3) 15,000 रु० प्रति मशीन के हिसाब से प्रदर्शनी के लिये 1974-75 के दौरान ऐसिड-डिलिंटिंग मशीनों की खरीद के लिये भी व्यवस्था की गई है। प्रत्येक राज्य को दी जाने वाली मशीनों की संख्या मुख्य प्रस्तावों में शामिल कर दी जाती है।

उड़ीसा में बेरोज़गार कृषि स्नातक

6762. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में और विशेषकर उड़ीसा में बेरोजगार कृषि स्नातकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या बेरोज़गार कृषि स्नातकों को स्वनियोजन के लिए प्रोत्साहन दिये गये हैं, और

(ग) क्या उनकी उर्वरक एजेंसियां भी हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) भारत सरकार को अभी इसकी कोई सूचना नहीं मिली है लेकिन उड़ीसा सरकार को इससे संबंधित सूचना भेजने को कहा गया है। सूचना उपलब्ध होते ही उसे सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

विकलांगों का पुनर्वास करने सम्बन्धी योजना

6763. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र:** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या देश के विकलांग व्यक्तियों का पुनर्वास करने की कोई योजना समाज कल्याण विभाग ने बनाई है;

(ख) देश में शिक्षित विकलांग व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या उन सभी व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) यद्यपि ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तो भी नेत्रहीन, बधिर और अपांग व्यक्तियों की संख्या लगभग 120 लाख है। शिक्षित विकलांग व्यक्तियों की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करना कठिन है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) विकलांग व्यक्तियों के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं और पांचवीं योजना में उन्हें तेज करने का विचार है। इन में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) राष्ट्रपति ने विकलांग व्यक्तियों के उत्कृष्ट नियोक्ताओं तथा अत्यन्त कुशल विकलांग कर्मचारियों को 1974 में 28 पुरस्कार दिए, जबकि 1973 में 9 पुरस्कार दिए गए थे।

(2) वर्तमान ग्यारह विशेष रोज़गार कार्यालयों को मजबूत करना और उनका विस्तार करना। इन रोज़गार कार्यालयों ने 1959 से दिसम्बर, 1973 तक 11,464 विकलांग व्यक्तियों को रोज़गार दिलाया।

(3) विभिन्न प्रकार के विकलांग व्यक्तियों द्वारा चलाई जाने वाली शेल्टर्ड वर्कशापों को स्थापित करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को और सहायता देने का प्रस्ताव।

(4) विकलांग व्यक्तियों द्वारा चलाये जाने वाले सहायक एककों की स्थापना को बढ़ावा देने का प्रस्ताव।

(5) स्वयंसेवी प्रयत्न के द्वारा विकलांग व्यक्तियों को रोज़गार दिए जाने को बढ़ावा देना।

Complaints Regarding supply of Adulterated and under weighed chemical Fertiliser by F.C.I.

6764. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether complaints of adulteration and under-weighment of the chemical fertilisers supplied by the Food Corporation have been received by Government from various States;

(b) Whether Government have conducted an enquiry in this regard; and

(c) if so, the findings thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) As far as adulteration of imported fertilisers is concerned no complaints have been received from the State Governments, except for a complaint from Punjab Government in the middle of December 1973 in respect of some fertiliser bags received from Bhavnagar port by the Punjab State Agro-Industrial Corporation at Bhatinda. On receipt

of this complaint, an officer of this Ministry was deputed to make an on-the-spot check into the matter. A committee was also appointed by the Punjab Government to enquire into this and the report of this committee has been received. Out of a total receipt of 78,380 bags at Bhatinda, the committee identified 70 bags as being adulterated. The check by the officer of the Ministry showed that these bags contained sweepings which are normally collected at the fag end of the clearance of fertilisers discharged from ships. In this case, however, the sweepings in these bags were also mixed with materials like dust, coal, etc., which resulted in some reduction in the percentage of the nutrient contents as compared to the prescribed percentage. There was nothing to suggest that it was an intentional adulteration of the material. The admixture of impurities and inert materials was due to lack of proper care by the labour and staff of the Food Corporation of India. The F.C.I. have been asked to ensure that such careless bagging and despatch are avoided in future.

As regards short-weight in bags of imported fertilisers, complaints have been received from State Governments from time to time and the FCI have been asked several times to exercise greater vigilance in this regard and improve the position. The problem of under weight bags is connected with various problems during the import, handling and discharge of fertilisers in the case of bagged as well as bulk cargo. These problems are the bursting of bags in the shipholds and in the course of discharge, excessive use of hooks by labour at ports, the absence of mechanical handling and weight standardisation in the case of bulk cargo and the effort to have a quick rate of bagging to avoid demurrage and wharfage. The long terms solution of the problem lies in mechanisation of unloading and handling of fertilisers at ports. Such arrangements have already been sanctioned for Kandla and Haldia ports and it is also proposed to make similar mechanised arrangement at Madras, Vizag and the Bombay ports during the Fifth Plan. In the meantime, short-term measures like fork-lift trucks, portable stitching machines, pre-determined weight scale and chute wagons have been introduced at a number of ports.

In the case of the particular complaint received from the Govt. of Punjab in December 1973, a random test check of 10 bags at the Bhatinda Railway Station, jointly done by the officer of the Union Government deputed for this purpose as mentioned above the officers of the State Governments, revealed that six bags were over-weighed, two were of standard weight, one was under-weight within the tolerance limit of 1 to 2% and only one was under-weight. The total weight of these 10 bags, however, was in excess of the standard weight. A similar test check of 10 bags in the warehouse of the Punjab State Corp. at Bhatinda revealed an overall excess weight. However, at one place (Rampuraphool) excessive under-weight was observed. But since the material in the case had been transported by trucks over 40 to 50 kms. after being taken from the Railway Station, the shortages could have occurred during road transit, especially because no shortage was observed during the test check at Bhatinda Railway Station.

The Food Corporation of India have been instructed to take all necessary steps to improve the accuracy of the weight standardisation of fertiliser bags. No formal enquiry has been conducted in respect of the alleged supply of adulterated and under-weight imported fertilisers by Food Corporation of India but enquiries have been made as indicated above.

Production of Foodgrains in various States during last three years.

6765. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the production of foodgrains in Madhya Pradesh, Gujarat, Uttar Pradesh, Maharashtra and Haryana during last three years; and

(b) if so, its break-up, State-wise, year-wise?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) The production of foodgrains in Madhya Pradesh, Gujarat, Uttar Pradesh, Maharashtra and Haryana during the last three years is given below :

State	Production in lakhs tonnes		
	1970-71	1971–72	1972–73
1	2	3	4
Madhya Pradesh	109.2	116.3	106.7
Gujarat	44.1	42.2	22.1
Uttar Pradesh	195.8	177.0	179.5
Maharashtra	55.9	49.5	30.5
Haryana	47.5	45.5	39.5

दिल्ली में परीक्षाओं में कदाचारों को रोकने के लिए कार्यवाही

6766. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में परीक्षा हाल में प्रश्नों के उत्तर की नकल करने और इस कार्य में अवैध रूप से परीक्षार्थियों की सहायता करने सम्बन्धी कदाचारों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) दिल्ली में ऐसे कितने मामले हुए हैं जिनकी हाल ही में हुई परीक्षाओं के दौरान सरकार को सूचना मिली है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा इस संबंध में उठाए गए मुख्य-मुख्य कदम निम्नलिखित हैं :—

(1) विभिन्न स्कूलों के छात्रों को प्रत्येक कमरे में एक के बाद दूसरी सीट पर बैठाया गया था।

(2) प्रत्येक परीक्षा केन्द्र में निरीक्षकों द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए प्रबन्ध किये गये थे।

(3) शौचालय में जाने वाले छात्रों को निरीक्षकों के साथ भेजा जाता था और समय तथा ऐसे दौरों की आवृत्ति का हिसाब रखा जाता था।

(4) उपायुक्त, दिल्ली तथा पुलिस प्राधिकारियों के सहयोग से प्रत्येक केन्द्र में पुलिस दल तैनात किया गया था तथा संकटकालीन स्थिति में बाहरी हस्तक्षेप को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस मुहैया करने की व्यवस्था की गयी थी।

(5) यह बात कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों के अन्तर्गत परीक्षा में कदाचार अपनाना दण्डनीय है, छात्रों की उत्तर-पुस्तिकाओं तथा प्रवेश कार्डों पर छपाकर छात्रों के ध्यान में पूर्ण रूप से ला दी गई थी। इस तथ्य की घोषणा परीक्षा आरम्भ होने से पूर्व परीक्षा हाल में भी की गई थी।

(ख) ऐसे 154 मामले नोटिस में आए हैं। अनुचित साधन काम में लाने वाले छात्रों के साथ बोर्ड के नियमों के अनुसार व्यवहार किया गया था।

राष्ट्रीय राजपथ पर सड़क के किनारों पर सुविधायें उपलब्ध कराने सम्बन्धी अध्ययन दल

6767. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथ पर सड़क के किनारों पर सुविधाएं उपलब्ध कराने सम्बन्धी अध्ययन दल ने अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) दल की मुख्य-मुख्य सिफारिशें दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

मार्ग सुविधा अध्ययन दल द्वारा की गई मुख्य-मुख्य सिफारिशों को दिखाने वाला विवरण

(1) सड़क प्रयोक्ता की मूल व्यक्तिगत और उसके वाहन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित फासलों पर सुउपस्कृत ईंधन और सेवा स्टेशनों की स्थापना सब से बड़ी जरूरत है।

(2) प्रत्येक सड़क प्रयोक्ता के लिए संकट काल में व्यवस्था करने के लिए काल युक्तियों और यातायात गश्तों को चालू करने के लिए आवश्यक विचार किया जाये।

(3) लम्बी यात्रा करने वाले यात्रियों के विश्राम के लिए दोनों थोड़ी देर या रातभर ठहरने के लिए राजमार्गों के साथ-साथ विश्राम-स्थानों और होटलों की व्यवस्था की जाए।

(4) कुछ चुने गए स्थानों पर जलपान गृहों की स्थापना की जाए, जहां यात्रियों को शुद्ध भोजन मिल सके।

(5) राजमार्गों में सुधार हो ताकि यात्रा के लिए वे अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक हों। इसके साथ-साथ इर्द-गिर्द के इलाके को सुन्दर बनाया जाये।

(6) सुन्दर दृश्य या अन्य मनोरंजन के स्थानों को राजमार्ग तंत्र से उचित रूप से जोड़ दिया जाये।

(7) राजमार्ग मार्गाधिकार पर अतिक्रमणों को हटाने के लिए सड़क प्राधिकरण को उचित शक्तियां दी जायें।

(8) किसी एक स्थान पर सुविधाओं के अभाव विकास को रोकने के लिए और मौजूदा निम्न-स्तर की सुविधाओं को नया रूप देने के लिए सड़क प्राधिकरण को शक्तियां दी जायें।

(9) बेहतर मार्ग सुविधाओं की व्यवस्था के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों को तेल कम्पनियों, आटोमोबाइल और टायर निर्माताओं, आटोमोबाइल संघों, परिवहन संघों, प्राइवेट पारिचालकों आदि का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। आवश्यकतानुसार सेवा स्टेशनों और सेवा क्षेत्रों के स्थानों के चुनाव के लिए राजमार्गों के महत्वपुर्ण भागों के साथ-साथ यातायात नमूने का सर्वेक्षण किया जाये।

(10) मार्ग सुविधाओं के विकास के लिए "सड़क विकास निधि" या "केन्द्रीय मार्ग निधि" कही जाने वाली विशेष निधि केन्द्रीय सड़क निधि की नीति पर स्थापित की जाये और केन्द्रीय सड़क निधि द्वारा प्रशासित हो। इस समय चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शामिल निधियां अधिक बड़ी और सुनियमित निधि का केन्द्र हो सकती हैं।

(11) सड़क प्राधिकरण द्वारा मानकों और विशिष्टियों के अंदर प्राइवेट परिचालकों द्वारा सामान्य-रूप से पारिचालित होने वाली सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए ऋण सहायतार्थ राज्य सरकारों को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के केन्द्रीय क्षेत्र में 10 लाख रुपये की व्यवस्था का उपयोग करना चाहिए। ऐसी योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार को धीरे-धीरे और धन का आवंटन करें।

(12) आटोमोवाइल संघों के मौजूदा क्रिया क्लापों को शसक्त बनाया जाये। ताकि वे मानचित्रों और मार्ग सुविधाओं की सूचना द्वारा पर्यटकों के लिए अधिक सहायक सामग्री की व्यवस्था कर सकें। उन्हें मुख्य-मुख्य मार्गों पर खराब गाड़ियों को ले जाने के लिए सेवा संयोजित करने पर विचार करना चाहिए।

(13) रेस्तरां, होटलों और जलपान गृहों की स्थापना अधिकतर प्राइवेट क्षेत्र के लिए रखी जाये, यद्यपि राज्य सरकारों या सड़क प्राधिकारियों को इस प्रयोजनार्थ जहां भी उपलब्ध हो भूमि की व्यवस्था करनी चाहिए।

(14) सड़क के साथ-साथ, उद्यानों, विश्राम स्थलों, बसें खड़ी करने के स्थानों, सुन्दर प्राकृतिक दृश्यों आदि का निर्माणकार्य सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए।.

(15) विभिन्न मार्गों के बीच प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण मार्गों का विस्तृत यातायात सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ मौजूदा सेवाओं की सूची तैयार की जानी चाहिए ताकि आवयश्यकता पड़ने पर इन्हें दूसरी जगह ले जाने और फिर से नया बनाने के लिए कार्यवाही की जा सके।

(16) यातायात आवश्यकताओं के मूल्यांकन के बाद यथावश्यकता पर्वतीय क्षेत्रों में आपात काल के लिए टेलीफोन की व्यवस्था होनी चाहिए। बस खड़े करने के लिए काफी स्थानों के निर्माण की भी आवश्यकता है।

(17) पहाड़ी सड़कों, टर्मिनलों के साथ-साथ लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर और अंतिम स्थानों पर छोटी-छोटी मरम्मत और सेवा केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए।

(18) सभी आवश्यक स्थानों पर और विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में अंतिम स्टेशनों पर वर्षा से बचाव स्थानों का निर्माण किया जाना चाहिए।

Central Foreign Cattle Breeding Farm in M. P.

6768. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) Whether it is proposed to set up a Central Foreign Cattle Breeding Farm in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the location thereof and by what date the Farm is likely to be set up?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : (a) & (b) One Centrally sponsored large exotic Cattle Breeding Farm is proposed to be set up in Madhya Pradesh during Fifth Five Year Plan. The Government of Madhya Pradesh have proposed a site for the Farm. The proposal from the State Government is under consideration of the Ministry of Agriculture.

Manufacture of Vaccination for Cattle Diseases

6769. Shri Nathu Ram Ahirwar :
Shri Hukum Chand Kachwai :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state the time by which Government propose to manufacture indigenously vaccination liquid for protecting the cattle of foreign breed and hybrid breed from Thialarjasis Anaplasmosis diseases?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : The Government of India have initiated action for indigenous manufacture of vaccine for protecting the cattle of foreign breed and hybrid breed from Thialaraiasis and anaplasmosis diseases. In view of the peculiar behaviour pertaining to variation in Virulence and antigenocity of the strains of the parasites of these diseases, it is not feasible to indicate the precise period by which the vaccine of indigenous manufacture would be available.

Coordinated Cattle Breeding Programme during Fifth Plan

6770. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state whether the Government propose to continue the Coordinated Cattle-Breeding Programme in the Fifth Five Year Plan as well under the Centrally-sponsored scheme, keeping in view of the importance of this programme ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : Yes, the Centrally sponsored Coordinated Cattle Breeding Programme initiated in IVth Plan at 9 State Cattle Breeding Farms for production of progeny tested bulls is proposed to be continued in Fifth Plan as well.

विद्या भवन उच्चतर माध्यमिक स्कूल दिल्ली के शिक्षकों की बहाली

6771. **श्री वी० मायावन**: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय ने उन शिक्षकों की बहाली के आदेश जारी कर दिये हैं जिन्हें विद्या भवन उच्चतर माध्यमिक स्कूल, दिल्ली के प्रबन्धकों ने बिना सरकार की अनुमति के नौकरी से हटा दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या स्कूल के प्रबन्धकों ने सरकार के इन आदेशों का पालन नहीं किया है;

(ग) क्या सरकार के पास उस के आदेशों का पालन न करने के दोषी प्रबन्धकों के विरुद्ध कार्यवाही करने के अधिकार हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त स्कूल के प्रबन्धकों से इन आदेशों का पालन कराने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) एक सहायक अध्यापक का पद समाप्त हो जाने के परिणाम स्वरूप विद्या भवन उच्चतर माध्यमिक स्कूल, दिल्ली की एक अध्यापिका को सेवा से निकाल दिया गया था। पद न होने के कारण उसे उसी स्कूल में बहाल नहीं किया गया है। तथापि, उसे सरकारी स्कूल में एक पद की पेशकश की गयी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण सेवाओं में डिप्लोमा पाठ्यक्रम

6772. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण सेवाओं में तीन वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो उस की मोटी रूप-रेखा क्या है;

(ग) वर्ष 1972-73 में देश में कितने छात्रों ने यह डिप्लोमा प्राप्त किया है; और

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए ऐसे डिप्लोमाधारियों को प्राथमिकता देने के संबंध में सरकार के पास कोई व्यवस्था है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद् के अधीन, 6 ग्रामीण संस्थानों में ग्रामीण सेवाओं में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। पाठ्यक्रम के पाठ्यविवरण में अंग्रेजी, एक प्रादेशिक भाषा, सभ्यता का इतिहास, सामुदायिक विकास तथा विस्तार मूलभूत (कोर) विषयों और लोक प्रशासन, सहकारिता सामाजिक, सामाजिक शिक्षा, सामान्य शिक्षा, ललित कलाएं, ग्रामीण उद्योग, गृह विज्ञान, विज्ञान तथा ग्रामीण उद्योग तथा प्रबन्ध विषयों के वर्ग समूह में से दो वैकल्पिक विषयों के अध्यापन की व्यवस्था है।

(ख) 258.

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस डिप्लोमा को अपने अधीन रोजगार के लिए विश्वविद्यालय की प्रथम डिग्री के समकक्ष मान्यता प्रदान की गई है। कुछ राज्य सरकारों ने भी इसी प्रकार की मान्यता दी है।

मध्य प्रदेश में गेहूं का खुदरा मूल्य

6773. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश खुदरा मूल्य नियंत्रण आदेश, 1973 के अनुसार गेहूं का अधिकतम खुदरा मूल्य 100 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित नहीं किया जाता ;

(ख) क्या आदेश को क्रियान्वित किया जा रहा है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार की ओर से इस आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि उपरोक्त (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश गेहूं (अधिकतम खुदरा मूल्य) आदेश, 1973 के अधीन राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में खुदरा दुकानदारों द्वारा लिए जाने वाले गेहूं के लिए अधिकतम मूल्य निर्धारित किए थे । निर्धारित किए गए अधिकतम खुदरा मूल्य 87/- रु० से 100/- रु० प्रति क्विंटल के बीच थे । पिछले वर्ष, राज्य सरकार ने सूचित किया था कि इस आदेश को लागू करने में कठिनाइयां आ रही थीं ।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के इस सुझाव को मान लिया है कि पिछले वर्ष के खुदरा मूल्य नियंत्रण आदेश को निरस्त कर दिया जाए ।

Permission to purchase of House/Plots under any other Scheme of the D.D.A. to allottees of ready built houses

6774. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state :

(a) Whether the persons allotted ready built houses of 30 sq. yards by the D.D.A. are not permitted to purchase a plot or ready built house under any other scheme of the D.D.A .; and

(b) if so, whether the D.D.A., considering the plights of big families living in the se small houses built in an area of 30 sq. yards and, in view of shortage of accommodation propose to allow the allottees of these houses to apply under other schemes of it ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) Yes, Sir.

(b) The flats constructed by D.D.A. on 30 sq. yards are meant only for Community Service Personnel whose annual income including that of dependents does not exceed Rs. 3000/-. As these flats are meant for the poorer sections of the society, who cannot bear the cost of bigger flats, the question of reviewing the policy does not arise. However independent members of such families are eligible for allotment of flats/plots in any of the schemes of the D.D.A. according to the income group in which they fall.

भारतीय खाद्य निगम द्वारा लेवी की चीनी सप्लाई न करने के बारे में मध्य प्रदेश सरकार की शिकायत

6775. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा लेवी की चीनी सप्लाई न करने के बारे में उक्त निगम के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से शिकायत की है; और

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो उक्त मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने मार्च, 1974 में सूचित किया था कि केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई मासिक निर्मुक्ति के प्रति भारतीय खाद्य निगम ने परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण कुछ समय तक लेवी चीनी सप्लाई नहीं की थी ।

(ख) सप्लाई की रफ्तार में तेजी लाने के लिए मौजूदा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मध्य प्रदेश के बाहर के क्षेत्रों के कारखाने से सड़क द्वारा चीनी लाने के लिए पहले ही प्राधिकृत किया जा चुका है और भारतीय खाद्य निगम से कहा गया है कि वे वैगनें शीघ्र प्राप्त कर पिछले स्टाक की सप्लाई करने की तुरन्त व्यवस्था करें ।

मध्य प्रदेश को वनस्पति उत्पादों का आवंटन

6776. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश को वनस्पति उत्पादों का आवंटन मांग की अपेक्षा कम है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार से भारत सरकार को इस बारे में कोई पत्र प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) वनस्पति के वितरण पर कोई केन्द्रीकृत नियंत्रण नहीं है

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Supply of Wheat to Consumer at Subsidised Rates

6777. **Shri B. S. Chowhan** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government will supply wheat to the consumers at a rate lower than that of its cost; and

(b) if so, the amount of relief per quintal thus provided to the consumer by way of subsidy?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) In the revised Central issue price of wheat, there will be some subsidy. The amount of subsidy however would depend on the price of imported wheat purchased from time to time, and the level of distribution.

Recruitment Rules for Field Adviser Library Science

6778. Shri G. P. Yadav : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state ;

(a) whether recruitment rules for Field Adviser Library Science have been framed by the Education Department;

(b) if so, whether Diploma in Education has been prescribed for the Field Adviser Library Science while a person holding diploma in Library Science is required for the Librarian; and

(c) whether there is proposal for amending the rules?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Rules governing appointment of Librarian by Delhi Administration

6779. Shri D. P. Yadav : Will the Minister of **Education, Social Welfare** and **Culture** be pleased to state:

(a) whether rules governing the appointment of Librarian have been laid down in the Delhi Administration Gazette Part-IV, 1959;

(b) whether High School and Library Science qualifications have been prescribed for pay scales of Rs. 100-250 and Rs. 150-350 therein; and

(c) if so, the reasons for not giving the said pay scales in the Education Department?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) According to the information furnished by Delhi Administration no rules for the Librarians under the Directorate of Education, Delhi, have been laid down in the Delhi Administration Gazette Part-IV, 1959.

(b) and (c) Do not arise.

हरियाणा में पाये गए हड़प्पा-पूर्व सभ्यता के अवशेष

6780. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण** और **संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरातत्व विभाग ने हरियाणा में हड़प्पा-पूर्व सभ्यता के अवशेषों का पता लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो उत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या हैं।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां ।

(ख) हरियाणा सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए खोज कार्य के दौरान जिला हिसार में बनावली नामक स्थान पर पूर्व-हड़प्पा संस्कृति से सम्बन्धित कुछ इमारतें पाई गई हैं । इस स्थान पर खुदाई कार्य जारी है । इस प्रश्न का उत्तर कि क्या वहां हड़प्पा से पूर्व कोई बस्ती थी या नहीं (समय सीमा में) केवल तभी दिया जा सकता है जब यह कार्य पूरा हो जाएगा।

मनीपुर राज्य व्यापार गोदामों में खाद्यान्नों का खराब हो जाना

6781. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री ज्योतिर्मय वसू :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर राज्य व्यापार गोदामों में बारह लाख रुपये के मूल्य का खाद्यान्न खराब हो गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसका सार क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

केरल के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सप्लाई

6782. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने वर्ष 1973 में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सप्लाई के संबंध में केन्द्र सरकार को कितनी परियोजनाएं प्रस्तुत कीं ; और

(ख) केन्द्र ने उनमें से कितनी परियोजनाएं रद्द कीं और उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : (क) तथा (ख) त्वरित ग्रामीण जल-पूर्ति की एक केन्द्रीय योजना, वर्ष 1972-73 में आरम्भ की गई थी तथा इसके ब्यौरे राज्यों को 2 अगस्त, 1972 को परिचालित किये गए थे। इस परिपत्र के उत्तर में, केरल से 161.09 लाख रुपये की 87 योजनाएं प्राप्त हुई थीं। विहित मानदण्डों को पूरा करने वाली, 160.79 लाख रुपये की 86 योजनाओं को सितम्बर, 1972 में अनुमोदित किया गया था।

Length of National Highways on all India Level

6783. Shri Panna Lal Barupal : Will the Minister of **Shipping** and **Transport** be pleased to state :

(a) the per thousand square mileage length of National Highways on all India level;

(b) the per thousand square mileage length of National Highways in Rajasthan; and

(c) the plan being formulated by Government to remove this backwardness of Rajasthan?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport : (Shri Pranab Kumar Mukerjee) : (a) to (c) The length of National Highways per thousand square miles in the country as a whole is about 14 miles, the corresponding figure for Rajasthan being about 10 miles. On the basis of population, however, the length of National Highways per lakh of population in the country is about 3 miles as against 5 miles in respect of Rajasthan. However, the National Highway network is being planned and laid out in consideration of the overall traffic requirements of the country as a whole and is not governed by the area or population of any particular region. Thus the question of Rajasthan or any other State being considered backward in highway communication facilities merely on the basis of

the length of National Higways passing through it does not arise, as the State Roads are also there supplementing the National Highways. For the 5th Plan, the Rajasthan Government have submitted proposals for making additions to the existing National Highway system. These have been noted for consideration, along with similar proposals received from various other States, while finalising the proposals for the 5th Plan keeping in view the fund available for the purpose, the inter-se priority individual schemes on an All India basis *vis-a-vis* other schemes and the extent to which each road satisfies the criteria laid down for declaring roads as National Highway.

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

RE : MOTION FQR ADJOURNMENT

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने गया में सीमा सुरक्षा बल द्वारा गोली चलाये जाने के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी ।

गुजरात उच्च न्यायालय ने "देखते ही गोली चलाओ" आदेश को अवैध घोषित कर दिया है। 8 व्यक्तियों की जानें गई हैं । अतः हम यह मामला यहां उठाना चाहते हैं . . .

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ सूचनाएं स्वीकार की जाती हैं और शेष अस्वीकार कर दी जाती हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : सीमा सुरक्षा बल तथा सेना को निदेश मिलने पर कार्यवाही करनी पड़ती है (**व्यवधान**) । यदि सीमा सुरक्षा बल राज्य सरकार के आदेश पर कार्य करता है तो यह मामला यहां पर नहीं उठाया जा सकता । गुजरात भले ही राष्ट्रपति शासन के अधीन है तो भी यह परिस्थितियां पहले से बनी हुई हैं । कई अन्य मामले इससे भी महत्वपूर्ण हैं । इसलिये मैंने इसे स्वीकार नहीं किया।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक निवेदन है । "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित समाचार में यह नहीं बताया गया कि आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये थे । दूसरे गुजरात उच्च न्यायालय ने "देखते ही गोली चलाओ आदेश" को अवैध घोषित कर दिया है। इस मामले पर चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए।

श्री एस० एम० बनर्जी : सीमा सुरक्षा बल द्वारा बिहार में गोली चलाये जाने के मामले पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था । बिहार के राज्यपाल ने विधान सभा का सत्रावसान कर दिया अतएव इस मामले पर यहां चर्चा की जा सकती है। आप कम से कम हमारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को ही स्वीकार करें ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : आपने कहा है कि जब तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं तब तक यह राज्य सरकार का मामला है । परन्तु भारतीय सुरक्षा बल मुख्य रूप से भारत सरकार के अधीन है जो अवैध आदेशों का पालन कर रहा है ।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : कहा जाता है कि 12-14-16 व्यक्तियों की गोलीकाण्ड में मृत्यु हो गयी । बेगुनाह लोगों की हत्या की गई है । गृह मंत्री का इस मामले में वक्तव्य देना चाहिए । इस मामले पर यहां चर्चा की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु ने बिहार में गोली कांड की बात की जबकि श्री झा अन्य असंगत बातें कहते रहे हैं ।

Shri Atal Behari Vajpayee (Gwalior) : Till now there was a belief that Border Security Force is meant for protection of our borders. But since when the Border of the country has shrunk to Bihar we may be informed when was BSF allowed to use force in Bihar and how? What has happened in Gaya is massacre, but Government of Bihar is not even instituting a judicial enquiry into the matter. The action of the Government can be discussed here.

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : The happenings of Gaya are deplorable. 550 persons have been lathi-charged. I have given a calling attention notice in the matter. The matter can even be raised under Rule 377.

Secondly, the political elements in Gaya are disturbing normal life. The Hon. Minister may give a statement on the issue.

Shri Atal Behari Vajpayee : I have a point of order.

The incidents of Gaya should be enquired into through a judicial enquiry.

Shri Shankar Dayal Singh : I too demand a judicial enquiry.., (*Interruption*) It is true that Jan Sangh and R.S.S. people have excited the people. If it is not proved, I am prepared to resign....(*Interruption*).

उपाध्यक्ष महोदय : कोई बात कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं ली जायेगी । सदस्य क्या चाहते हैं ? मैं यहां कार्यवाही के सही रूप से संचालन के लिये बैठा हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : आपने आरंभ में ही कहा था कि क्योंकि यह मामला कानून और व्यवस्था का है अतएव यह राज्य का विषय है। वहां पर एक दो मंत्रियों के अलावा सभी ने त्याग-पत्र दे दिया है। ऐसी दशा में वहां पर भारतीय सुरक्षा बल द्वारा गोली चलायी गई हैं । बल का कर्त्तव्य केवल सीमाओं की रक्षा करना है। इसी प्रकार सेना का कार्य भी सीमाओं की रक्षा करना है परन्तु फिर भी सेना को प्रशासनिक कार्यों के लिये बुलाया जाता है । प्रश्न यह है कि क्या बल का दुरुपयोग किया गया है अथवा नहीं ? चर्चा में क्या हानि है ?

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । श्री ज्योतिर्मय बसु के स्थगन प्रस्ताव पर आपने कहा था कि गुजरात में गोली चलाया जाना प्रतिदिन की घटना हो गई है । क्या गुजरात राज्य में सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और राज्य की पुलिस को निरन्तर उपयोग में लाया जाता है । पुलिस अधिकारी गुजरात में जुल्म ढा रहे हैं। गुजरात में एक दैनिक के मुख्य संवाददाता के घर पर हमला किया गया । यदि यह मामले सभा में नहीं उठाये जा सकते तो किस प्रक्रिया के अनुसार हम उन्हें यहां ला सकते हैं ?

Shri Sukhdev Prasad Verma (Nawada) : I was present in Gaya at the time of firing. I even attended the meeting. Prior to firing a peaceful 'Dharna' was continuing there. Everything was peaceful, till the political parties participated in it....

उपाध्यक्ष महोदय : अभी इस पर चर्चा आरंभ नहीं हुई । चर्चा के समय वह सभी बातें रख सकते हैं ।

Shri Sukhdeo Prasad Verma : I am in favour of a discussion thereon. I am also in favour of a judicial enquiry.

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवाहा) : जब हम कहते हैं कि गया में गोली का चलाया जाना अन्याय पूर्ण तथा अनावश्यक था तब कांग्रेसी सदस्य हमारी मांग को राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित बताते हैं । पुलिस द्वारा बल का अधिक प्रयोग किया गया है। गया कांग्रेस कमेटी ने भी अपने वक्तव्य में गया के गोली कांड की निन्दा की है । बिहार में इस समय कोई मंत्रिमंडल कार्य नहीं कर रहा है इसलिये इस मामले पर चर्चा की जानी चाहिए तथा गोली कांड की न्यायिक जांच की जानी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है ।

मैं दो अन्य सदस्यों को समय दे सकता हूं ।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : मुझे एक महत्वपूर्ण बात कहनी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं भेदभाव नहीं बरत रहा हूं । परन्तु समय की भी कुछ सीमा है ।

श्री भगवत झा आजाद (भागलपुर) : मैं काफी समय भागलपुर में रहा हूं । पुलिस, सीमा सुरक्षा बल के साथ उत्तरदायी नगरिकों के घरों में क्यों घुसती है और बेगुनाह लोगों को दंड क्यों देती है ? मैं श्री शंकर दायल सिंह का समर्थन करता हूं कि गृह मंत्री महोदय इस पर वक्तव्य दें ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : चर्चा की हमारी मांग का शासक दल के कुछ सदस्यों द्वारा समर्थन का मैं स्वागत करता हूं ।

मेरा निवेदन है कि जब कभी ऐसी घंटनाएं होती हैं, सरकार को जांच की मांग की प्रतीक्षा किये बिना वक्तव्य दे देना चाहिए। खेद का विषय है वहां पर सीमा सुरक्षा बल का प्रयोग किया गया ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : मैं प्रश्न के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किए बिना . . .

श्री एस० एम० बनर्जी : गृह मंत्री महोदय कहां हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि इसे स्वीकार किया जायेगा तो सूचना दे दी जायेगी। बिना सूचना मिले आप उन्हें यहां उपस्थित रहने की आशा नहीं कर सकते ।

श्री एस० एम० बनर्जी : स्थगन प्रस्ताव के अलावा एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी है और एक नियम 377 के अधीन नोटिस भी है । मुझे विश्वास है कि गृह मंत्री विषय के महत्व को समझेंगे ।

श्री के० रघुरमैया : यहां पर बहुत सी बातें कही गई हैं । वे हमसे क्या चाहते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : बिहार की स्थिति पर चर्चा ।

श्री के० रघुरमैया : बिहार की स्थिति पर कुछ दिन पूर्व ही चर्चा की गई थी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आज हमने सीमा सुरक्षा बल की ज्यादतियों का मामला उठाया है । हम उस पर चर्चा चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्यों में बहुत उत्तेजना है । श्री ज्योतिर्मय बसु का प्रस्ताव मैंने स्वीकार नहीं किया । देश में घटनाएं घट रही हैं उनकी ओर से आंखे नहीं मूंदी जा सकती । मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं और उन्होंने सब बातें सुन ली हैं । मैं समझता हूं कि इस मामले पर कार्य मंत्रणा समिति में विचार किया जा सकता है ।

सभा के अवमान के बारे में

RE : CONTEMPT OF THE HOUSE

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्री रघुरमैया ने श्री रामचन्द्र गुप्त के विरुद्ध प्रस्ताव रखा है जिससे कि अध्यक्ष के निदेश का विरोध होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 338 में व्यवस्था है कि सभा में ऐसे विषयों पर प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता जिस पर की उसी सत्र में चर्चा की जा चुकी हो ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अध्यक्ष-पीठ अपना कर्त्तव्य निभाने में विफल रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में निश्चय किया जा चुका है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अध्यक्ष महोदय द्वारा 4 अप्रैल 1970 को निदेश दिया था कि "वाच एंड वार्ड अधिकारी लोक सभा सचिवालय के भीतर व्यवस्था बनाये रखने के लिये उत्तरदायी हैं।"

अध्यक्ष महोदय ने इस मामले की सूचना सभा को नहीं दी थी । मेरा सुझाव है कि एक समिति जिसमें इस सभा के सदस्य हों श्री रत्न चन्द्र गुप्त के मामले की जांच करे ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजपुर) : सभा पटल पर पत्र रखे जाने के बाद इस मामले को लिया जाये ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I had written a letter to you that I had come to know from the newspapers that Mr. Speaker has allowed Delhi Police to examine Shri Gupta, who was punished by the House. Mr. Speaker should ensure that the Police enquiry report is presented to the House through him. He should also ensure that Police does not adopt third-degree methods. I, therefore, request that the House should be taken into confidence about the Police Report.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसु ने प्रक्रिया संबंधी प्रश्न उठाया है । जो कुछ भी हुआ वह सभा के बाहर हुआ है यद्यपि संसद के परिसर में हुआ था । यह घटना पूरे सदन के समक्ष हुई और किसी द्वारा रिपोर्ट पेश करने का कोई प्रश्न नहीं है । मैं स्वयं पीठासीन था। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर चर्चा हुई और सारे सदन ने निर्णय लिया है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : पीठासीन अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह सदन को यह बताये कि किस सीमा तक अपराध किया गया है और किस प्रकार के हथियार उसके पास थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह मानता हूं । यह एक अच्छा सुझाव है। अध्यक्ष महोदय सारे मामले पर विचार कर रहे हैं और यह उचित ही होगा कि अध्यक्ष महोदय स्वयं ही सदन को यह बतायें कि क्या हुआ था । उसके बाद प्रस्ताव पेश किया जा सकता है ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : पता नहीं मैंने जो नोटिस भेजे थे, वे आपने पढ़े हैं या नहीं । मैं संसद कार्य मंत्री द्वारा सदन में पेश किये गये प्रस्ताव को चुनौती नहीं दे रहा । प्रस्ताव की स्वीकृति से पूर्व मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अभी आपका नोटिस पढ़ा नहीं है ।

प्रो० मधु दण्डवते : पुलिस अधिकारियों ने कुछ वक्तव्य दिये हैं । उस व्यक्ति को एक महीने का कठोर दंड यह समझ कर दिया गया था कि वह गोली में विस्फोटक सामग्री लेकर आया था । समाचार पत्रों में प्रधान मंत्री और संसद-कार्य मंत्री के नामों का भी उल्लेख किया गया है । यह कहा गया है कि वह वास्तव में विस्फोटक सामग्री थी ही नहीं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कहानियां गढ़ी जा रही हैं । मैं यह चाहता हूं कि आप इस लड़के के हितों की रक्षा करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो जांच पड़ताल का विषय है और सदन ने भी इस बात की अनुमति दे दी है ।

प्रो० मधु दण्डवते : संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य पर्याप्त नहीं था। लोगों के दिमाग में संदेह है। इसलिये हम इस बारे में बहस करना चाहते हैं और चाहते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री इस बारे में स्थिति स्पष्ट करें ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : We have come to know from Press Reports that Mr. Speaker had permitted the Police to investigate the matter. Such an announcement has not been made in the House. The House should also be aware of the results of the Police investigations.

उपाध्यक्ष महोदय : किसी घोषणा की कोई जरूरत नहीं है। यह अध्यक्ष महोदय का प्रशासनिक अधिकार है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Here I object to it.

प्रो० मधु दण्डवते : लोगों और सदन के सदस्यों के मन में इस बारे में शकायें उत्पन्न हो गई हैं। इसलिए मंत्री महोदय को वक्तव्य देना चाहिए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने अध्यक्ष महोदय को जो कुछ लिखा है, उसे पढ़कर सुनाना चाहता हूं : अपराध संसद भवन के परिसर में हुआ है, इसलिए सारी जांच पड़ताल आपकी अनुमति से हो रही है। आप यह सुनिश्चित करें कि पुलिस रिपोर्ट अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत की जायें और उसकी प्रतियां सभा पटल पर रखी जाएं। आपकी अनुमति से जांच हो रही है, इसलिए आप यह भी सुनिश्चित करें कि पुलिस अभद्र तरीके न अपनाये ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : अध्यक्ष महोदय ने पुलिस को मामले की और आगे तहकीकात करने की अनुमति दे दी है और आपने भी इस बात की पुष्टि की है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सदन द्वारा दिये गये दण्ड की अवधि पूरी हुए बिना ही कोई बाहरी की एजेन्सी उस व्यक्ति से पूछताछ कर सकती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले के दो पहलू हैं--एक तो सदन का अपमान और दूसरा आपराधिक पहलू है, जिससे सदन पूरी तरह संबद्ध नहीं है।

सुरक्षा अधिकारी ने पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए अध्यक्ष महोदय को लिखा था, क्योंकि बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकती। दाण्डिक अपराध के बारे में कार्यवाही करने के लिए पुलिस को मामले की रिपोर्ट भेजने के लिए अध्यक्ष की अनुमति चाहिए, जो अध्यक्ष महोदय ने दे दी है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मेरा प्रश्न तो यह है कि क्या दाण्डिक अपराध की जांच-पड़ताल उस समय हो सकती है, जबकि व्यक्ति एक सजा भुगत रहा हो अथवा उस सजा के पूरे हो जाने पर ही जांच पड़ताल हो सकेगी। सजा और जांच-पड़ताल दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते ?

उपाध्यक्ष महोदय : पीठासीन अधिकारी का यह काम नहीं है कि वह कानून अथवा संविधान की व्याख्या करें। आपने जो कुछ कहा है, वह रिकार्ड पर है और विधि मंत्रालय को निश्चित रूप से इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए।

श्री राम सहाय पाण्डे (राजनंद गांव) : अगर इस प्रकार के मत को स्वीकार किया जाय तो यह बहुत ही गलत बात होगी कि पुलिस मामले की जांच नहीं कर सकती। श्री श्यामनन्दन मिश्र विरोधी पक्ष की ओर से अपना क्रोध व्यक्त करना चाहते थे। (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : अध्यक्ष महोदय ने जो निर्देश दिया था, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि जांच का क्या परिणाम निकला। उस व्यक्ति की क्या पृष्ठभूमि थी। वह लड़का यूथ कांग्रेस का सक्रिय सदस्य था और सत्तारूढ़ दल के नेताओं पर गोली चलाने आया था। विरोधी पार्टियों को बदनाम करने के लिये कहानी गढ़ी जा रही है।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : हमारे विरोध के बावजूद, सदन का अपमान करने संबंधी संकल्प पारित कर दिया गया और दाण्डिक अपराध की जांच करने का काम पुलिस को सौंप दिया गया। इसका एक षड़यंत्रकारी पहलू भी है। उसने हथियार कलकत्ता से खरीदे थे। मैं यह चाहता हूं कि इस मामले की जांच करने में दिल्ली पुलिस सक्षम नहीं है। इसलिए यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप देना चाहिए। (**व्यवधान**) और सदन को इस बारे में जानकारी दी जाये।

प्रो० मधु दण्डवते : 11 तारीख को संसदीय कार्य मंत्री ने जो वक्तव्य दिया था, उसमें उन्होंने कुछ तथ्यों को छिपाया था जो अगले दिन समाचारपत्रों में प्रकाशित हुए। क्या मंत्री महोदय इस बारे में पूरा वक्तव्य देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो एक सुझाव है। मैं सारे मामले का अध्ययन करूंगा।

Shri Hukum Chand Kachwai (Morena) : We had said on that day also that the person should not be punished and he should be kept in custody till more facts came to light. I submit that a Committee of Parliament be instituted to investigate the whole matter. We are not in favour of an enquiry by C.B.I. of delhi Police. The Hon. Minister has said in his statement that Shri Gupta had been living in Delhi for about 29 days. Where was he residing? All these things should be disclosed.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

गुजरात नगरीय क्षेत्र में खाली भूमि (अन्य संक्रामण प्रतिशेष) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत गुजरात सरकार के आदेश आदि तथा कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पत्र

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) (क) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात नगरीय क्षेत्र में खाली भूमि (अन्य संक्रामण प्रतिशेष) अधिनियम, 1972 की धारा 7 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत गुजरात सरकार के निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति :—

(1) समर्पण कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी (प्रस्तावित) राजकोट, के मामले में दिनांक 12 फरवरी, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/2873/121641–पांच।

(2) मणिलाल पार्क कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कपाडवंज, जिला केरा, के मामले में दिनांक 2 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी–2473/97986–पांच।

(3) मावमती हजिर आश्रम, ट्रस्ट, अहमदावाद के मामले में निनांक 3 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी–1473/101929–पांच।

(4) दूधेश्वर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, जूना गढ़ के मामले में दिनांक 3 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी–2373/106528–पांच।

(5) जगमलभाई माधाभाई देसाई तथा अन्यों के मामले में दिनांक 12 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी–1473/79265–पांच।

(6) वाई लासू, धर्मपत्नी, गण्डाजी, पेनाजी, के मामले में दिनांक 12 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी–1473/97995–पांच।

(7) पजाभाई डाह्याभाई पटेल के मामले में दिनांक 13 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी–1773/92004–पांच।

(8) यमुना कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के मामले में दिनांक 17 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी–3173/95903–पांच।

(9) हिम्मतलाल डी० दवे के मामले में दिनांक 17 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी–3173/73666–पांच।

(10) वाई मरमदा अमृतलाल बेरोट के मामले में दिनांक 17 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी–2473/109490–पांच।

(11) शान्तिलाल एच० पटेल के मामले में दिनांक 17 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी–2473/87831–पांच।

(12) सुदीप कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, बड़ौदा के मामले में दिनांक 17 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी–1773/103441–पांच।

(13) आम्रपाली कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, बड़ौदा के मामले में दिनांक 17 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी–1773/83460–पांच।

(14) रबारी रत्ना जासा के मामले में दिनांक 17 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी–2873/63570–पांच।

(15) खुशालभाई रणछोड़भाई के मामले में दिनांक 19 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी-1773/87633–पांच।

(16) संतरामजी भगवानदासजी के मामले में दिनांक 19 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी-2873/229–पांच।

(17) शंकरभाई रघुनाथजी के मामले में दिनांक 20 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी–1773/97206–पांच।

(18) बाबूभाई उर्फ रमनभाई माहीजीभाई वेरोट के मामले में दिनांक 20 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी–1773/67424–पांच।

(19) धोलका के नबीभाई आर मंसूरी के मामले में दिनांक 20 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी–1473/93296–पांच।

(20) भाग्योदय कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, पालनपुर के मामले में दिनांक 20 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी–1673/50048–पांच।

(21) पूर्णचन्द नागीनदास और सुकुमार नागीनदास के मामले में दिनांक 21 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी–2873/98591–पांच।

(22) कालीदास मोतीभाई पटेल के मामले में दिनांक 21 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी–2082/117780–पांच।

(23) लोज तेरिल लिथ के मामले के बारे में 19 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी–1773/88061–पांच।

(24) अभेसंग उमरभाई शेख के मामले में दिनांक 21 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी–1773/97203–पांच।

(25) पाणय कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 3 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी–1472/765104–पांच।

(26) वृन्दावन बिहार फ्लेट्स कोआपरटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, अहमदाबाद, के मामले में दिनांक 3 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी–1472/106335–पांच।

(27) अहमदाबाद के नानालाल पी० पटेल के मामले में दिनांक 4 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी–1473/75122–पांच।

(28) दुर्लभभाई नारन भाई के मामले में दिनांक 5 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वीसीटी–3073/69818–पांच।

(29) सुलेमान फकीर मोहम्मद के मामले में दिनांक 5 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी–3073/91923–पांच।

(30) शक्ति विजय कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, सूरत के मामले में दिनांक 5 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी–303/77199–पांच।

(31) लिपद कोआपरटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड (प्रस्तावित), अहमदाबाद, के मामले में दिनांक 7 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी–1473/67618–पांच।

(32) साखूभा विभाजी के मामले में दिनांक 10 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी–1873/कौनफ–4588–पांच।

(33) गोपालभाई वी० अहीर के मामले में दिनांक 10 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी–3073/97777–पांच।

(34) श्रीमती अमीना बीबी के मामले में दिनांक 10 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी–3073/85511–पांच।

(35) प्रभुभाई राणछोड़भाई देसाई के मामले में दिनांक 11 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी–टी–3073/85512–पांच।

(36) श्रीमती तरुनिकाबेन एस० जादव के मामले में दिनांक 11 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी–3073/36518–पांच।

(37) आदर्श सोसाइटी, सूरत के मामले में दिनांक 14 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी–3073/63572–पांच।

(38) कनुभाई पी० शाह के मामले में दिनांक 17 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी–1473/15260–पांच।

(39) भावनगर के तख्त सिंह जी महाजन सैनिटोरियम के मामले में दिनांक 10 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी––1873/5091–पांच।

(40) हरिहर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 17 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी–1473/85912–पांच।

(41) श्रीमती मनीबेन विधवा लालूभाई मोरारभाई के मामले में दिनांक 12 फरवरी, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी–3074/5421–पांच।

(42) अजीत ऐन० फौजदार के मामले में दिनांक 13 फरवरी, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी–1473/115368–पांच।

(43) करसनभाई बेछरभाई के मामले में दिनांक 19 फरवरी, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी–1673/89468–पांच।

(44) दर्पण कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, सूरत के मामले में दिनांक 31 जुलाई, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी–3072/162165–पांच।

(45) अमृता कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, (प्रस्तावित), निजामपुरा, बड़ौत मामले में दिनांक 4 अगस्त, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी–1773/36431–पांच

(46) विश्वकर्मा ट्रस्ट, ननावता, नानुपुरा, सूरत के मामले में दिनांक 20 अगस्त, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी-3073/73128-पांच।

(47) विजय वल्लभ शताब्दी स्मारक ट्रस्ट, वड़ौदा, के मामले में दिनांक 28 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी-1773/111702-पांच।

(48) रायचन्दभाई गुलाबभाई परमार के मामले में दिनाक 28 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी-3073/60556-पांच।

(49) अलम्बिक नगर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, बड़ौदा के मामले में दिनांक 2 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी--1773/3674-पांच।

(50) प्रवीण चन्द्र छगनलाल तथा अन्यों के मामले में दिनांक 10 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी-3073/3343-पांच।

(51) नत्थूभाई व खोदाभाई तथा अन्य के मामलों में दिनांक 18 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी--1473/97972-पांच।

(52) जय शिव शक्ति कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 1 जनवरी, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी-1473/82439-पांच।

(53) ईश्वर लाल केशव लाल के मामले में दिनांक 20 नवम्बर, 1973 का आदेश।

(54) गोंडल ताल्लुका खरीद बेचन संघ, गोंडल के मामले में दिनांक 18 दिसम्बर, 1973 का आदेश।

(55) आयल केक इंडस्ट्रीड--धोराजी के मामले में दिनांक 18 दिसम्बर, 1973 का आदेश।

(56) अम्बिका आयल केक इंडस्ट्री, धोराजी के मामले में दिनांक 18 दिसम्बर, 1973 का आदेश।

(57) पारस सैरिमिक्स, धामलपुर के मामले में दिनांक 21 फरवरी, 1974 का आदेश।

(58) यूनीक इंडस्ट्री नाडियाड के मामले में दिनांक, 26 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या टीएनसी/वी सी टी-एसआर-117।

(59) पारिख कैमिकल्स, नाडियाड के मामले में दिनांक 1 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या टीएनसी/वी सी टी-एसआर-95।

(60) स्मिथ टैकनीकास्ट कारपोरेशन, नैडियाड के मामले में दिनांक 7 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या टीएनसी/वी सी टी-एसआर-89।

(61) पावर विल्ड प्राइवेट लिमिटेड, विद्यानगर के मामले में दिनांक 26 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या टीएनसी/वी सी टी-एसआर-109-112।

(62) पी० के० पटेल एण्ड कम्पनी के मामले में दिनांक 8 फरवरी, 1974 का आदेश संख्या पीएनसी/वी सी टी-एसआर-99, 101, 101/डब्ल्यू० ए० 645।

(63) वल्लभ गिलास वर्क्स, वल्लभ विद्यानगर के मामले में दिनांक 16 फरवरी, 1974 का आदेश संख्या टीएनसी/वी सी टी-एसआर-135।

(64) दीपक तम्ब्रा तम्बाकू कम्पनी, आनन्द के मामले में दिनांक 16 फरवरी, 1974 का आदेश संख्या टीएनसी/वी सी टी-एसआर-135।

(65) इनवेंटा स्टील प्राइवेट लिमिटेड (प्रस्तावित), जामनगर के मामले में दिनांक 5 फरवरी, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/10–73 ।

(66) एटलस एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज, जूनागढ़ के मामले में, दिनांक 10 जनवरी, 1974 का आदेश संख्या आर० सी० 6038।

(67) धर्मपुर सीमेंट प्रोडक्टस् के मामले में दिनांक 2 अप्रैल, 1973 का आदेश संख्या सी एच/वी सी टी/–आर जी––2/73।

(68) सरदेसाई ब्रदर्स लिमिटेड, बिलीभोरा, के मामले में दिनांक 10 अक्तूबर, 1973 का आदेश संख्या सीएच/वी सी टी–आर जी–14/73।

(69) गिरिराज एक्जीबिटर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में दिनांक 19 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या सी एच/वी सी टी/डब्ल्यू एस–2383/73।

(70) सिद्धपुर तालुका हैंडमेड पेपर कंज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी के मामले में दिनांक 15 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या एल एन डी/एन/बी एल/डब्ल्यू एस/1419।

(71) कस्तूरभाई चिमनलाल संघवी के मामले में दिनांक 12 फरवरी, 1974 का आदेश संख्या एल एन डी/एन/डब्ल्यू एस/35, 73।

(72) परमार बोन मिल, मेहसाना, के मामले में दिनांक 12 फरवरी, का आदेश संख्या एल एन डी/एन, डब्ल्यू एस/403।

(73) श्री प्रोटीन्स एण्ड फूडस लिमिटेड, भरोच, के मामले में 3 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या भूमि/वी सी टी/6553।

(74) श्री सर्वोदय मार्केट, ब्रोच, के मामले में दिनांक 14 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या भूमि/वी सी टी/8238।

(75) विलेज सर्विस सेंटर, ब्रोच के मामले में दिनांक 28 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या भूमि/वी सी टी/8498।

(76) श्री चम्पकलाल वी० शाह, प्रोमोटर, के० सी० केमीकल्स इंडस्ट्रीज, भरोच के मामले में दिनांक 28 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या भूमि/वी सी टी/8497।

(77) श्री सी० एस० शेठ, पार्टनर, अम्बर पेंटस इंडस्ट्री, ब्रोच, के मामले में दिनांक 28 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या एल एन डी/वी सी टी/8500।

(78) श्री एम० आर० काकड, पार्टनर, भावसि प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, लिमिटेड, ब्रोच, के मामले में दिनांक 8 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या भूमि/वी सी टी/8499।

(79) नटवर सिंह के० सौलंकी, मैनेजिंग डायरेक्टर, गुजरात केबल्स एण्ड एनेमल्ड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, अंकलेश्वर, के मामले में दिनांक 28 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या भूमि/वी सी टी/10128।

(80) श्री अब्दुल अजीज मालीवाला के मामले में दिनांक 11 जनवरी, 1974 का आदेश संख्या भूमि/वी सी टी/डब्ल्यू एस––88।

(81) बालाजी कैमीकल्स इंडस्ट्रीज, भड़ौच के भागीदार धनसुखलाल चूनीलाल अरिवाला के मामले में दिनांक 22 जनवरी, 1974 का आदेश संख्या भूमि/वी सी टी/338।

(82) कर्मचन्द प्रेमचन्द प्राइवेट लिमिटेड, बड़ौदा के मामले में दिनांक 23 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या बी सी टी/एस आर-58/73.

(83) फैबरिक्विप प्राइवेट लिमिटेड, बड़ौदा के मामले में दिनांक 24 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या बी सी टी/एस आर–60/73.

(84) साराभाई कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में दिनांक 23 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर–59/73.

(85) बड़ौदा कोआपरेटिव इंडस्ट्रीयल इस्टेट लिमिटेड, बड़ौदा के मामले में दिनांक 1 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर–8/73

(86) फेडरेशन सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, बड़ौदा के मामले में दिनांक 1 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर–6/873.

(87) सत्यदेव कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, बड़ौदा के मामले में दिनांक 1 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर–52/73.

(88) क्रिल स्टैंडर्ड प्रोडक्टस प्राइवेट लिमिटेड के मामले में 8 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर–46/73.

(89) मोहनलाल हीरालाल शाह के मामले में दिनांक 11 जनवरी, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर–32/73.

(90) अलैम्बिक कैमिकल्स वर्क्स, बड़ौदा के मामले में दिनांक 18 जनवरी, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/30–73.

(91) गिरिशभाई मगनभाई मित्रा के मामले में दिनांक 18 जनवरी, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/41/73.

(92) इन्दुलाल याज्ञनिक मैमोरियल ट्रस्ट, बड़ौदा के मामले में दिनांक 22 जनवरी, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर–61/73.

(93) दत्ता फर्टीलाइजर कंपनी, गोधरा, के मामले में दिनांक 15 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या एल एन डी/डब्ल्यू/7064.

(94) गुजरात बुडन आर्ट इंडस्ट्रीज, दोहद, के मामले में दिनांक 17 जनवरी, 1974 का आदेश संख्या एल एन डी/डब्ल्यू एस/264.

(95) अमरेली डिस्ट्रिक्ट पर्चेज एंड सेल्ज यूनियन लिमिटेड, अमरेली, के मामले में दिनांक 30 जनवरी, 1974 का आदेश संख्या सी एच/एल एन डी/1/वी सी टी/21/74.

(96) नंद इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसायटी के मामले में दिनांक 17 नवम्बर 1973 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर–283/73.

(97) आनन्द इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसायटी के मामले में दिनांक 17 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/284/73.

(98) परमानन्द इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसायटी के मामले में दिनांक 29 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/282/73.

(99) गणेश इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सर्विसिस सोसायटी लिमिटेड, सूरत के मामले में दिनांक 27 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी/एस टी/50/72.

(100) मणिलाल नवीन दास बाकवाला के मामले में दिनांक 29 नवम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/233/73.

(101) छलथन डिविजन शुगर इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के मामले में दिनांक 13 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/267/268/73.

(102) ललिताबन नवनीतलाल हाथीवाला के मामले में दिनांक 13 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/131/73.

(103) चम्पकलाल निजाभाई प्रजापति के मामले में दिनांक 13 दिसम्बर, 1973 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/57-58/73.

(104) के० जे० बखारिया एंड कम्पनी के मामले में दिनांक 7 फरवरी, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/एसआर/ 197/73.

(105) साधना विद्या भवन कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड के मामले में दिनांक 14 फरवरी, 1974 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/314.

(ख) (एक) उपर्युक्त आदेशों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब ; -

(दो) और उनके हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) **[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 6693/74]**

(दो) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(1) (क) गृह निर्माण तथा नगरीय विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1972–73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) गृह निर्माण तथा नगरीय विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1972–73 का वार्षिक प्रतिवदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां **[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 6694/74]**

(2) (क) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां **[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 6695/74]**

(3) (क) हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां **[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 6696/74]**

उर्वरक (आने जाने पर नियंत्रण) (दूसरा संशोधन) आदेश

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत उर्वरक (लाने-लेजाने पर नियंत्रण) (दूसरा संशोधन) आदेश, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र, दिनांक 27 मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 145(ङ) में प्रकाशित हुआ था **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6697/74]**

बम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1972-73 के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं बम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1972-73 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षक प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6698/74]**

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

116 वां प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): मैं भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1971-72 संबंधी प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) राजस्व प्राप्तियां, खण्ड 1, अप्रत्यक्ष कर दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की विक्रय कर प्राप्तियां के अध्याय तीन पर लोक लेखा समिति का 116 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

8 वाँ प्रतिवेदन

श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले (मावेलिकरा) : मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का 8 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

नियम 377 के अन्तर्गत मामला

MATTER UNDER RULE, 377

कानपुर के एक हस्पताल में नकली ग्लूकोस इन्जेक्शनों के कारण अनेक रोगियों की मृत्यु का समाचार

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : आपने आज के समाचार पत्रों में पढ़ लिया होगा कि लाला लाजपतराय अस्पताल कानपुर में ग्लूकोस के इंजेक्शन लगाने से 20 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : 20 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : कल रात 20 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी और अधिक लोगों के मरने की आशंका है क्योंकि इस नकली दवाई का उपयोग किया जा रहा है । जी० एस० वी० एम० मैडिकल कालेज के प्रिंसिपल ने इस बात की पुष्टि की है ।

मुझे यह बताया गया है कि वे रोगी जिनकी दशा गंभीर है, शायद अधिक दिन तक जिन्दा न रहें। कुछ व्यापारियों ने इस अस्पताल तथा अन्य अस्पतालों में इस औषधि की सप्लाई की है । समाज के प्रति यह घृणित अपराध है कि ग्लूकोस के इंजेक्शन में भी मिलावट की जा रही है । इस मामले की समुचित जांच की जानी चाहिये और अपराधी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये । मुझे प्रसन्नता है कि मुख्य मंत्री ने जो आज प्रातः यहा आये हुए थे, इसकी जांच कराने का वचन दिया है।

यह एक लोक महत्व का विषय है और स्वास्थ्य उप-मंत्री यहां मौजूद हैं । उन्हें इस बारे में कुछ कहना चाहिये ..... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया धीरज रखिये

Shri Atal Bihari Vajpayee : Shri Banerjee has said that so far 20 persons have died, but I have been reported that upto now 50 persons have died.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वसन्त साठे..... (**व्यवधान**) माननीय मदस्य अशांत हैं । चूंकि श्री साठे ने भी दवाइयों में मिलावट अथवा नकली दवाइयों के बारे में इसी प्रकार का प्रश्न उठाया है। इसलिये मैंने उन्हें भी बोलने की अनुमति दी है ।

श्री वसंत साठे (अकोला): जैसा कि श्री बनर्जी ने कहा है, यह बहुत ही गंभीर मामला है । निरोह व्यक्तियों की मृत्यु जिन्होंने अपना जीवन डाक्टरों और अन्य व्यक्तियों के हाथ में सौंप दिया जिनसे जान बचाने की आशा की गयी थी, वास्तव में अत्यन्त बर्बरतापूर्वक और जानबूझ कर नर संहार का मामला है ।

सरकार को इस मामले पर बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिये और मंत्री महोदय को एक वक्तव्य देना चाहिये तथा उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि ऐसे समाजविरोधी अपराधियों को कठोर दण्ड दिया जाये ।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : मैं सभा की भावनाओं को समझता हूं। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि सरकार इस समूचे मामले की ओर ध्यान दे रही है। मंत्री महोदय इस मामले की जांच कर रहे हैं और वह सभा में वक्तव्य देंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला यह है कि चार ईरानी छात्रों को इस देश से निकल जाने का आदेश दिया गया है। उन्होंने केवल ईरानी दूतावास के सामने शांतिपूर्ण प्रदशन करके क्या अपराध किया ? इस आदेश को वापस ले लिया जाना चाहिये।

पांडिचेरी बजट, 1974-75

सामान्य चर्चा और लेखानुदानों की मांगें, पांडिचेरी, 1974-75

PONDICHERRY BUDGET, 1974-75

GENERAL DISCUSSION AND DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT, PONDICHERRY, 1974-75

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के बजट पर सामान्य चर्चा और लेखानुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह वास्तव में गैर-कानूनी है यह सभा में नहीं आ सकता है और मैंने इस बारे में सूचना दी है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : क्या आप समय सीमा निर्धारित करेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय : हमने समय निर्धारित नहीं किया है।

श्री के० रघुरमैया : डेढ़ घंटा काफी होगा। (**व्यवधान**) एक घंटा या डेढ़ घंटा ?

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री ने एक घंटे या डेढ़ घंटे का सुझाव दिया है....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : दो घंटे रख लीजिये।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : दो घंटे सामान्य चर्चा के लिये और शेष कार्य के लिये तीन घंटे।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : पहले सामान्य चर्चा होगी। उसके बाद अनुदानों पर मतदान होगा, तत्पश्चात् विनियोग विधेयक। तीसरी अवस्था के लिये हमें अधिक समय चाहिये।

श्री के० रघुरमैया : आपको तीनों अवस्थाओं के लिये कितना समय चाहिये।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : विनियोग विधेयक के लिये दो घंटे तथा कुल मिलाकर चार घंटे चाहियें।

उपाध्यक्ष महोदय : हम डेढ़ घंटा सामान्य चर्चा के लिये रखें और डेढ़ घंटा विनियोग विधेयक के लिये। क्या यह ठीक है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : यह महत्वपूर्ण बात है कि जब पांडिचेरी में मंत्रिमंडल बनाया गया तो केन्द्र यह समझता था कि मंत्रिमंडल बना रहेगा।

[श्री वसंत साठे **पीठासीन हुए**
Shri Vasant Sathe **in the Chair**]

जब अन्ना द्रमुक का सदस्य विधान सभा का अध्यक्ष बना तब पांडिचेरी में सत्तारुढ़ दल का अल्प मत था।

जहां तक एक पहलू का सम्बन्ध है, पांडिचेरी विधान सभा के भंग किये जाने के पश्चात् केवल इस कारण बजट प्राक्कलन और लेखानुदान सभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये कि कांग्रेस दल की इस सरकार को लेखानुदानों के पक्ष में समर्थन मिलेगा जिसके विरुद्ध उन्होंने पांडिचेरी विधान सभा में मतदान किया था। इस विषमता को दूर करने के लिये उन्होंने राष्ट्रपति का आदेश जारी करने का गैर-कानूनी और असंवैधानिक तरीका अपनाया। अब राष्ट्रपति के आदेश की वैधता मद्रास उच्च न्यायालय में दायर की हुई रिट याचिका का विषय बनी हुई है। अब राष्ट्रपति के इस गैर-कानूनी आदेश पर संसद की अनुमति प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

जहां तक इन बजट प्राक्कलनों का सम्बन्ध है इनसे हमें पता चलता है कि वर्ष के कुछ भाग के लिये व्यय का तो उल्लेख अवश्य है, परन्तु ऐसा कोई प्रस्ताव इनमें नहीं है कि संघ राज्य क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को कैसे लाभ पहुंचेगा, बेरोजगारी की समस्या कैसे हल होगी और सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई भारी वृद्धि को कैसे कम किया जायेगा। अतः इस समस्या का वास्तविकता उपचारात्मक तरीका यही है कि संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को चलाने हेतु संसद् में आंशिक रूप से लेखानुदान प्रस्तुत करने की अपेक्षा, पांडिचेरी में चुनाव कराने के लिये निर्णय किया जाय। इस का कोई कारण नहीं है कि पांडिचेरी में तुरन्त चुनाव न कराये जायें।

हम जानना चाहते हैं कि पांडिचेरी में जब राष्ट्रपति का शासन लागू है तो वहां कृषि और भूमि सुधार तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार करने सम्बन्धी कौन-कौन से प्रस्ताव सरकार के समक्ष हैं ?

वहां बिजली के संकट जैसी गंभीर समस्यायें हैं। हमें यह बताया जाना चाहिये कि इन समस्याओं का हल कैसे किया जायेगा?

हमें यह बताया जाना चाहिये कि बजट, प्राक्कलन सभा में प्रस्तुत क्यों नहीं किये गये और 29 मार्च को राष्ट्रपति का आदेश लागू क्यों किया गया? यदि सरकार समझती है कि यह राष्ट्रपति का आदेश वैध है तो फिर संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

हम इन मांगों का विरोध करते हैं।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम् (तिरुचिरापल्ली) : मैं यह कहना चाहता हूं कि चुनाव के तुरन्त बाद पांडिचेरी को राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता नहीं थी। इस अप्रिय स्थिति के लिये शासक दल उत्तरदाई है।

जैसा कि सभी जानते हैं, चुनावों के बाद यह गत्यवरोध था। पांडिचेरी में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका। दिल्ली से शासक दल के आश्वासनों पर अन्ना द्रमुक और भारतीय साम्यवादी दल के गठबंधन से वहां सरकार बनी।

शासक दल और संगठन कांग्रेस ने अनुत्तरदायित्वपूर्ण और प्रतिरोधी तरीका अपनाया और इसलिए सरकार को इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने सरकार को गिराने के लिये द्रमुक और संगठन कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों किया?

साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के पूर्व वक्ता ने कहा कि भूमि सुधार लागू किया जाना चाहिये। कांग्रेस पर प्रभुत्व रखने वाले जमींदारों को इस बात की आशंका थी कि उनकी जमीन चली जायेगी इस लिये वहां इस सम्बन्ध में नियम नहीं बनाये गये।

मुझे सन्देह है कि क्या कांग्रेस चुनाव कराने की स्थिति में होगी। चुनावों में देर नहीं की जानी चाहिए। चुनाव कार्यक्रम ऐसा होना चाहिये कि इस लेखानुदान के समाप्त होने से पूर्व वहां जनता की सरकार बने।

बजट प्रस्तावों पर बोलते हुये मैं कहना चाहता हूं कि राज्य के शराब के कारखानों की उचित रूप से जांच की जानी चाहिए। राजस्व में कमी हो रही है। मेरी जानकारी के अनुसार, सरकारी शराब के कारखानों में बनी शराब शा वैलेस एंड कम्पनी के माध्यम से बहुत मात्रा में बेची जाती है तथा यह स्थानीय व्यापारियों अथवा स्थानीय उत्पादकों को उपलब्ध नहीं होती है। शा वैलेस का इस प्रकार पक्ष क्यों लिया जाये? पट्टों की बहुत बड़ी राशि बकाया पड़ी है और श्री फारुक उन पर मेहरबान हैं।

कराइकल में आवश्यकता से अधिक चावल होता है। कराइकल और पांडिचेरी से चावल चोरी से केरल लाया जाता है। केरल में यह चोर बाजारी तमिलनाडु सरकार की मिली भगत और सहयोग से चलती है।

मेरा निवेदन है कि तमिलनाडु और पांडिचेरी की सरकार को अपना फालतू चावल चोर बाजारियों को न बेचकर केरल सरकार को बेचना चाहिये। इस मामले की पूरी जांच की जानी चाहिये और बजट में दिये गये धन को राष्ट्रपति शासन के दौरान अगले चार पांच महीनों में उचित रूप से खर्च किया जाना चाहिये। जुलाई से पहले चुनाव कराये जाने चाहियें।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : I rise to oppose the Pondicherry Appropriation (vote on Account) Bill because it will not be proper to discuss this Bill unless the judgement of the court comes. Whatever had been done in haste is being legalized through this Bill.

This situation has emerged because of the simple reason that the ruling party does not want others to rule properly.

Now the question is as to why we are having small states and union territories ? Why Pondicherry is not merged with Tamilnadu, Mahi with Kerala and Yanam with Andhra. What is the properiety of keeping Goa as a separate state when the people of Goa want to be merged with Maharashtra ?

I do not think it proper to decide this matter here in Lok Sabha unless the Court decides it.

With these words, I oppose these demands.

श्री जी० विश्वनाथन (वांडीवाश) : यह दुर्भाग्य की बात है कि पांडिचेरी के बजट पर वहां की विधान सभा के बजाय यहां पर इस सभा में चर्चा हो रही है। चुनाव से पूर्व पांडिचेरी में द्रमुक और साम्यवादी दल की सरकार ठीक प्रकार चल रही थी। उसे गिराने के लिये साम्यवादी दल उत्तरदाई

है। पांडिचेरी का साम्यवादी दल मंत्रिमंडल से हटने के विरुद्ध था परन्तु तमिलनाडु का साम्यवादी यूनिट फारूक मंत्रिमंडल के विरुद्ध था। द्रमुक दल के दो मंत्रियों द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के बाद भी, फारुक मंत्रिमंडल चलता रह सकता था, परन्तु फिर भी लोकतांत्रिक मान्यताओं के कारण उसने त्याग पत्र दिया और आम चुनाव हुये। आम चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला और अन्ना द्रमुक और साम्यवादी दल ने मिली-जुली सरकार बनाई।

श्री कल्याण सुन्दरम् कहते हैं कि उन्होंने किसी आश्वासन पर सरकार बनाई। अब उनकी शिकायत है कि उनका बीच में ही साथ छोड़ दिया गया और वह प्रत्येक दल पर आरोप लगा रहे हैं। वास्तव में सरकार अपनी ही कमियों के कारण गिरी। यह अच्छा हुआ, अन्यथा सौदे बाजी चलती रहती।

पांडिचेरी की जनता अपना अलग अस्तित्व बनाये रखना चाहती है। इतना ही नहीं, वह काफी समय से मांग करती रही है कि उन्हें पूरे राज्य का दर्जा दिया जाये।

काफी समय से पांडिचेरी की उपेक्षा की जाती रही है। संघ राज्य क्षेत्र होने पर भी संघ सरकार ने उसकी उचित देख भाल नहीं की। वहां अत्यधिक गन्दी बस्तियां हैं। सरकार को आवास के लिये आवास बोर्ड को भूमि आबंटित करनी चाहिये। आवास बोर्ड को मकान बनाने चाहिये, क्योंकि गरीब लोग मकान नहीं बना सकते हैं।

पांडिचेरी की बिजली सम्बन्धी आवश्यकता पूरी करने हेतु सरकार को वहां एक तापीय बिजली घर स्थापित करना चाहिये।

पांडिचेरी में महत्वपूर्ण उद्योग नहीं हैं। वहां परियोजनायें स्थापित की जानी चाहियें।

पांडिचेरी में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में सरकार को निश्चित निर्णय करना चाहिये।

पांडिचेरी अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का स्थान है। ऐसा होते हुये भी पर्यटन मंत्रालय ने वहां पर अभी तक कोई परियोजना स्थापित नहीं की है। बजट में बचत की दृष्टि से कमी कर दी गई है। वहां पर विश्व से हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। अतः पर्यटन मंत्री को वहां पर कुछ परियोजनायें आरम्भ करनी चाहिये। वहां पर कम से कम एक उद्योग स्थापित किया जाये ताकि उस क्षेत्र के शिक्षित लोगों को रोजगार मिल सके।

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश): राष्ट्रपति का आदेश संवैधानिक है अथवा नहीं, इस प्रश्न पर मैं वही कुछ कह सकता हूं जो विधि मंत्री ने सदन में कहा है। दूसरी बात संविधान के बारे में तथा मंत्रिमंडल के भंग होने के बारे में उठाई गई है। सदन को उस स्थिति का पता है जिसमें मंत्रिमंडल बना और जिसमें वह भंग हुआ।

यह कहना ठीक नहीं है कि पांडिचेरी में उपेक्षा की गई है। वहां पर निश्चित रूप से प्रगति हुई है। वर्ष 1969-70 के बजट अनुमान 863 लाख रुपये के थे। 1973-74 तक यह 1,501.44 लाख रुपये के हो गये। जहां तक योजना का सम्बन्ध है, योजना आयोग ने पांडिचेरी के लिये 1974-75 के लिये 400 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। योजना आयोग ने 5.25 करोड़ रुपये का परिव्यय, जिसमें 4 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता और 1.28 करोड़ रुपये की राशि राज्य सहायता की है, स्वीकार किया है। शिक्षा के लिये 15.0144 करोड़ के बजट में से 262.78 लाख की परिव्यय है।

पांडिचेरी में साक्षरता की प्रतिशतता राष्ट्रीय साक्षरता की 29.34 प्रतिशतता के औसत की तुलना में 46 प्रतिशत है। पांचवीं योजना में वहां एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना है। आवश्यक भूमि उपलब्ध की जायेगी और डिग्री स्तर तक निःशुल्क शिक्षा का प्रस्ताव है।

योजना आयोग ने वहां एक तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित करना सिद्धान्तरूप से स्वीकार कर लिया है। आवास के लिये बजट अनुमानों की राशि में वृद्धि की गई है। इससे भूमि अर्जन, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमिहीन मजदूरों को मुफ्त आवास तथा भूमि देने की व्यवस्था की जायेगी।

सभापति महोदय द्वारा वर्ष 1974-75 के लिये पांडिचेरी के लिये लेखानुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं :

The following Demands for Grants on Account for Pondicherry for the year 1974-75 were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1.	विधान सभा	1,79,000	—
2.	प्रशासक	5,000	—
3.	मंत्रि-परिषद	2,06,000	—
4.	न्याय प्रशासन	3,83,000	—
5.	चुनाव	55,000	—
6.	राजस्व	11,44,000	
7.	बिक्री-कर	2,38,000	—
8.	गाड़ियों पर कर	47,000	—
9.	सचिवालय	6,55,000	—
10.	जिला प्रशासन	8,97,000	2,30,000
11.	राजकोष और लेखा प्रशासन	4,23,000	—
12.	पुलिस	23,55,000	—
13.	जेल	1,14,000	—
14.	लेखन-सामग्री और मुद्रण	3,63,000	—
15.	विविध प्रशासनिक सामान्य सेवायें	4,97,000	—
16	सेवा निवृत्त लाभ	9,07,000	—
17.	लोक निर्माण कार्य	69,18,000	47,20,000

1	2	3
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
18.	शिक्षा	1,00,19,000	14,000
19.	चिकित्सा	56,28,000	—
20.	सूचना और प्रसारण	2,75,000	—
21.	श्रम और नियोजन	3,80,000	—
22.	समाज कल्याण	22,50,000	13,000
23.	सहकारिता	4,90,000	4,45,000
24.	विविध सामान्य आर्थिक सेवायें .	2,40,000	—
25.	कृषि .	23,42,000	2,71,000
26.	पशु पालन .	5,38,000	67,000
27.	मछली पालन विभाग	11,90,000	1,000
28.	सामुदायिक विकास .	16,55,000	21,000
29.	उद्योग .	3,46,000	7,50,000
30.	खाद्य और पोषाहार . .	1,03,000	—
31.	बिजली .	64,09,000	24,08,000
32.	पत्तन और नौचालन .	1,37,000	1,66,000
34.	सरकारी कर्मचारियों को ऋण . .	—	10,49,000

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

पांडिचेरी विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1974

PONDICHERRY APPROPRIATION (Vote on Account) BILL, 1974

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1974-75 के एक भाग की सेवाओं के लिये पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं विधेयक पुरःस्थापित करने के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। यह विनियोग विधेयक जिस रूप में लाया जा रहा है, यह एक सामान्य विनियोग विधेयक नहीं है। इससे कुछ अन्य बातें सम्बद्ध हैं। यदि हमने इसे इस रूप में पुरःस्थापित और पास होने दिया तो यह संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। मैंने अध्यक्ष महोदय को एक नोट लिखकर दिया जिसमें सुझाव दिया

कि राष्ट्रपति के आदेश के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी की संचित निधि में से जो राशि निकाली जा चुकी है उसे विनियमित किया जाना चाहिये। मेरा सुझाव केवल इस बात पर आधारित है कि राशि स्वीकार करने और निकालने का अधिकार केवल विधान सभा और वर्तमान मामले में संसद को ही है मैंने कहा है कि वित्तीय मामलों में जब तक संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं किया जाता तब तक कोई समझौता नहीं हो सकता। इस आधार पर मैंने अपना नोट दिया है परन्तु आधारभूत बात स्वीकार नहीं की जा रही है।

विधि मंत्री ने कहा है कि "सरकार की स्थिति यह है कि आदेश कानूनी है और समय आने पर इसे न्यायालय में सिद्ध किया जायेगा"। मैंने मद्रास न्यायालय में 'एक रिट' याचिका दायर की है। यदि सरकार अभी भी समझती है कि राष्ट्रपति का आदेश वैध अथवा कानूनी है तो उन्हें अपना पक्ष पेश करना चाहिये, हमें इस पर कानूनी ढंग से निर्णय करना चाहिये।

यदि सरकार मानती है कि राष्ट्रपति का आदेश वैध है तो विनियोग विधेयक का खंड (3) निरर्थक है। किसी विनियोग विधेयक में ऐसा खंड नहीं होता। यदि विधेयक के ड्राफ्ट करने में कोई शंका थी तो ठीक प्रक्रिया यह थी कि व्याख्यात्मक नोट दिया जाता। अतः इस खंड को नया रूप दिया जाना चाहिए यदि इस विधेयक को इसी रूप में पारित कर दिया गया तो संसदीय लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। नौकरशाही इस विषय में राष्ट्रपति की घोषणा को पूर्व-उदाहरण मानकर राज्यों की विधानसभाओं को भंग कर देगी। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि विधि मंत्री नौकरशाही का खिलौना मात्र बन गए हैं। मैं कांग्रेसी सदस्यों से भी अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले पर दलगत भावना से ऊपर उठ कर विचार करें और संसदीय अधिकारों का हनन न होने दें।

अतः मैं इस विधेयक का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूं और इसके लिये मेरे पास पर्याप्त कारण हैं। यदि संसद इस विधेयक को पारित करेगी तो यह अवैध कानून होगा यह विनियोग विधेयक नहीं है। यह तो स्पष्टतः दुर्विनियोग विधेयक है। अधिकृत की जाने वाली राशि का 85 प्रतिशत भाग या तो पहले ही व्यय किया जा चुका है या किया जा रहा है। इसी लिये यह विनियोग नहीं दुर्विनियोग विधेयक है।

विनियोग विधेयक में, परिभाषा के अनुसार भविष्य में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुमति मांगी जाती है परन्तु क्या पहले व्यय की जा चुकी राशि को बाद में विनियोग विधेयक द्वारा अधिकृत किया जा सकता है ? यह विनियोग विधेयक सम्बन्धी धारणा के विपरीत है।

संसद इस विधेयक को पारित भी नहीं कर सकती क्योंकि इससे संविधान का उल्लंघन होता है इस विधेयक से संविधान के अनुच्छेद 266 का उल्लंघन होता है। यदि विधि-मंत्री यह बात सिद्ध कर सकें कि अनुच्छेद 266 संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू नहीं होता फिर भी इस विधेयक से संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम का उल्लंघन होता है। इस प्रकार राशि का व्यय किया जाना गैर-कानूनी है और इस प्रकार इसे कानूनी नहीं बनाया जा सकता।

उच्चतम न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार भी पहले से प्रभावी होने वाला कानून, यदि वह संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन करता हो, तो नहीं बनाया जा सकता। सरकार को यह विधेयक वापिस ले लेना चाहिये। यह पूर्णतः अवैध है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : यह विधेयक गैर-कानुनी कार्य को कानूनी बनाने के लिये लाया गया है। यह गैर-कानूनी कार्य देश में संसदीय लोकतंत्र को नष्ट करने के लिये उदंड कार्यपालिका ने किया है।

जहां तक संसदीय लोकतंत्र का प्रश्न है, वित्तीय मामलों में, केन्द्रीय राजस्व पर लोकसभा का नियंत्रण सर्वोच्च है और सम्बद्ध राज्यों के राजस्व पर विधान सभाओं का नियंत्रण सर्वोच्च है। क्योंकि पांडिचेरी विधानसभा भंग हो गई है, अतः राष्ट्रपति के आदेश के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा के कार्यों की शक्ति संसद को दे दी गई है। संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत, जिसके उपबन्ध आज लागू हो रहे हैं, संसद को राज्य की विधान सभा के रूप में समझा जायेगा। इस अधिनियम की धारा 29 के अनुसार एक विनियोग विधेयक पहले मंजूर किये गये अनुदानों के विनियोग के लिये होगा। परन्तु अब यह जो किया जा रहा है वह संविधान या संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन तो है ही, साथ ही एक खंड भी जोड़ दिया गया है जो पहले दिये गये अनुदानों के विनियोग से संबंधित नहीं है। सरकार अपने बहुमत के बल पर संसद की स्वीकृति लेना चाहती है और वह भी गैर-कानूनी कार्य के लिये। इस विधेयक से मद्रास उच्च न्यायालय की मान हानि भी होती है। क्योंकि यह मामला वहां दायर किया गया है। अतः न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा किये बिना ही यह विधेयक लाया गया है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिये।

अगर निर्णय उनके विरुद्ध जाता है, तो वे मामले को उच्चतम न्यायालय में ले जा सकते हैं। लेकिन विनियोग विधेयक को पेश करने से पहले कानूनी रूप से गठित न्यायिक मंच के निर्णय की प्रतीक्षा क्यों नहीं करते। यह तो एक गैर-कानूनी कार्य के लिये कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करना है। इस प्रकार खंड 3 संसद के प्रति सम्मान प्रकट नहीं करता। यह जानते हुए कि सरकार के पक्ष में निर्णय नहीं हो सकता, वह पहले ही स्वीकृति प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे वह न्यायालय में जा कर यह कह सकें कि हमारे पास विधानमण्डल की स्वीकृति है। यह संविधान, संवैधानिक व्यवस्था को धोखा देने के समान है।

सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम की धारा 29 के प्रतिकूल है जिसके अनुसार विधान सभा अथवा संसद द्वारा स्वीकृत मांग के विनियोग से भिन्न अन्य किसी प्रावधान के शामिल किये जाने को प्राधिकृत नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति के आदेश में शामिल खर्च को विनियोग विधेयक में शामिल खर्च मानने का प्रयास किया जा रहा है। क्या इस राशि को विनियोग विधेयक की अनुसूची में शामिल किया गया है। अगर इन्हें शामिल किया गया है, तो फिर भावी व्यय को शामिल करने का प्रश्न ही नहीं है। भावी खर्च के विनियोग के साथ-साथ पहले ही खर्च की गई राशि के लिए बाद में मंजूरी मांगी जा रही है। संसद का इस प्रकार उपहास नहीं किया जा सकता। अगर यही बात है, तो उन्हें स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करना चाहिए कि सरकार संसद की कोई परवाह नहीं करती और अपना काम वैध-अवैध राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही चलायेगी और उसकी वैधता या अवैधता की न्यायालय में भी जांच नहीं होने देगी। विनियोग विधेयक में ऐसे उपबन्ध शामिल करने का क्या प्रयोजन है, जो विनियोग अधिनियम की विचारधारा के ही विरुद्ध हों ? क्या मंत्री महोदय एक भी ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जब कि विनियोग विधेयक की आड़ में राशि खर्च करने के बाद कार्योत्तर मंजूरी ली गई हो ?

विधान सभा भंग हो जाने के बाद धारा 29 के उपबन्धों के अधीन संसद विधान सभा के कार्य कर रही है। इस प्रकार यह धारा 29 के दायरे के बाहर है। इस प्रकार जिस विधान को पेश करने का प्रयास किया जा रहा है, वह वैध नहीं होगा।

अधिनियम की धारा 27 के अनुसार पूरे वर्ष के लिए आय-व्यय का विवरण-पत्र विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। संचित निधि पर प्रभारी व्यय के लिए मतदान नहीं होता, परन्तु सदस्य चर्चा कर सकते हैं। इस प्रकार के प्राक्कलन के लिए मतदान हो सकता है। धारा 29 के अनुसार पहले से मंजूर मांगों के लिए विनियोग विधेयक पेश किया जा सकता है, परन्तु यह पूरे वर्ष के लिए होना चाहिए, वर्ष के एक भाग के लिए नहीं। वर्ष के किसी एक भाग के लिए व्यवस्था करने की बात न तो धारा 27 में कही गई है और न धारा 28 में और न 29 में ही।

धारा 31 में यह बात कही ग है कि धारा 27, 28 और 29 के उपबन्धों के पालन होने तक वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए व्यवस्था करने का संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा को अधिकार होगा। इसका कारण यह है कि अगर सरकार वास्तविक वित्तीय विवरण पत्र तैयार करने में असमर्थ हो, तो वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए अनुमानित व्यय हेतु राशि मंजूर की जा सकती है। इस मामले में पूरे वर्ष के लिए वित्तीय विवरण-पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसमें यह बात कहीं भी नहीं कही गई है कि यह वर्ष के एक भाग के लिए है।

यहां विनियोग विधेयक को वर्ष के एक भाग के लिए इस प्रकार पेश किया जा रहा है मानो वह लेखानुदान हो। लेखानुदान वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र का स्थान नहीं ले सकता। लेखानुदान तो बजट तैयार होने के पहले दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को चलाने के लिए बजट पास होने से पूर्व एक सीमित अवधि के लिए किया जाता है।

विनियोग विधेयक का उद्देश्य बहुत सीमित होता है। इसका उद्देश्य अनुदानों की मांगों के अनुरूप धन का वितरण करने के लिए विधान मण्डल की स्वीकृति प्राप्त करना होता है। इसमें खर्च की किस्म का उल्लेख नहीं होता, इसमें संचित निधि से होने वाले खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाती है। उससे पहले अनुदानों की मांगों पर विचार किया जाता है।

अनुदानों की जो मांगें पास की गई हैं, वे वर्ष के एक भाग के लिए न होकर पूरे वित्तीय वर्ष के लिए हैं। विधेयक में यह कहा गया है कि 1, अप्रैल, 1974 और विधेयक के अधिनियमित होने की तारीख तक हुए खर्च के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। यह कानून के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है और इस अधिनियम की पूरी योजना के प्रतिकूल है। जब श्री चव्हाण ने पूरे 1974-75 वर्ष के लिए बजट पेश कर दिया है, तो उस के आधार पर लेखानुदान पेश नहीं किया जा सकता।

वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र में उल्लिखित कुछ मदों पर चर्चा करने की सीमायें हैं। संचित निधि पर प्रभारित व्यय की राशि के लिए मतदान नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार लेखानुदान में संचित निधि पर प्रभारित व्यय के लिए मतदान नहीं हो सकता, परन्तु अन्य खर्चों पर बहस हो सकती है और मतदान भी हो सकता है। धारा 29 के अनुसार विनियोग विधेयक दी गई अनुदानों की मांगों के आधार पर बनाया जाना चाहिए। उसी प्रकार लेखानुदान विधेयक वर्ष के एक भाग के लिए बनाये जाने वाले प्राक्कलन के आधार पर बनाया जाना चाहिए। इस बारे में धारा 28 और 29 के उपबन्धों का पालन किया जाना चाहिए। इस बारे में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। संविधान की निर्मम हत्या करने की उत्सुकता में विधि मंत्रालय की सलाह पर राष्ट्रपति के गैर-कानूनी आदेश को कानूनी रूप देने के लिए इस सदन की और संवैधानिक उपबन्धों की उपेक्षा की जा रही है।

यह क्रियाविधि क्यों अपनाई गई ? इसका कारण यह था कि पाण्डिचेरी विधान-सभा में इनकी पार्टी ने इस बजट के विरुद्ध मतदान किया था। अब अगर सरकार उसे यहां पेश करती है, तो सत्तारूढ़

दल को इस बजट के पक्ष में मतदान करना पड़ता। इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए राष्ट्रपति आदेश जारी किया गया है। यह विधेयक संविधान के विरुद्ध है, इसलिए इसके पुरःस्थापित किए जाने का मैं विरोध करता हूँ।

श्री जी० विश्वनाथन (वाडीवारा) : मैं प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 186 के अधीन इस विधेयक के पेश किए जाने का विरोध करता हूं, जिसके अनुसार न्यायालय में विचाराधीन मामले को यहां पेश नहीं किया जा सकता। 28 मार्च, 1974 के राष्ट्रपति आदेश को मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : उस पर इस समय चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा तो विनियोग विधेयक पर हो रही है।

श्री जी० विश्वनाथन : इस विधेयक में उस आदेश का उल्लेख किया गया है और उस आदेश को वैधता प्रदान करने का इस विधेयक में प्रयास किया गया है। मेरे विचार में इस विधेयक को तब तक अनिर्णीत रखना उचित रहेगा, जब तक उच्च न्यायालय इस बारे में अपना निर्णय न दे दे।

श्री एच० आर० गोखले : यह आम धारणा गलत है कि वर्तमान विधेयक राष्ट्रपति के आदेश को वैधता प्रदान करने के लिए लाया गया है। यह बिल्कुल सच है कि विनियोग विधेयक उस रूप में नहीं है, जिस रूप में उसे पेश किया जाना चाहिए था। परन्तु यह भी तो सच है कि वर्तमान स्थिति भी तो असामान्य स्थिति है। यह भी सही है कि खण्ड 3 और 4 के समान खण्ड अन्य विनियोग विधेयकों में नहीं पाए जाते। लेकिन इसका संसद की विधान बनाने सम्बन्धी शक्ति से कोई भी सम्बन्ध नहीं है।

संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में कानून बनाने के अधिकार के सिलसिले में अनुच्छेद 266 का भी उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि से सम्बन्ध रखता है, जबकि इस समय हम संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि पर विचार कर रहे हैं, जिसका संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम की धारा 47 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र का संगत अनुच्छेद 239क है।

सामान्य खण्ड में अधिनियम का उल्लेख किया गया। जब हम "राज्य" का उल्लेख करते हैं, तो उसमें संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं हैं। संघ राज्य क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 239क के अधीन विशेष प्रावधान हैं, जिसके अधीन संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में कानून बनाने का संसद को अधिकार है। इसमें स्पष्ट व्यवस्था है कि अगर ऐसे विधान से संविधान के किसी उपबन्ध का संशोधन होता है, तो भी अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए उसे संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 239 के अधीन संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विशेष व्यवस्था है और विधान बनाना संसद की विधायिका शक्ति के अधीन है।

संसद ने संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम पारित किया है। यह सच है कि अगर नये विधेयक में "संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम में उल्लिखित बातों के बावजूद" नहीं लिखा होता, तो यह कहा जा सकता था कि यह संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम के प्रतिकूल है। इस मामले में एक विशेष स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसलिए इस विशेष स्थिति में यह विधेयक पेश किया गया है।

संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम की धारा 27, 28 और 29 का उल्लेख किया गया है । संविधान के अन्तर्गत वित्तीय मामलों में सामान्य प्रक्रिया यही है कि पहले पूरे वर्ष का बजट प्रस्तुत किया जाता है और फिर वर्ष के एक भाग के व्यय की पूर्ति के लिए संसद विनियोग (लेखानुदान) विधेयक पास करती है । यही स्थिति संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में होती है । सभा के समक्ष व्यय का जो विवरण पेश किया गया था और अनुदानों की जिन माँगों पर पहले चर्चा की गई थी, वे पूरे वर्ष के लिए थी न कि वर्ष के एक भाग के लिए । ऐसा करने के उपरान्त ही सरकार ने धारा 31 के विशेष उपबन्ध का प्रयोग किया है, क्योंकि समूचे बजट तथा अनुदानों की सभी मांगों को स्वीकृत करने में काफी समय लगता और बाद में उचित समय पर विनियोग विधेयक पेश किया जाना था।

धारा 31 का उपबन्ध, "पहले के उपबन्धों में किसी बात की व्यवस्था होते हुए भी," महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैधानिक रूप से यह पूछा जा सकता है कि क्या धारा 27, 28 तथा 29 के उपबन्धों का अनुसरण किया गया है; यदि नहीं तो फिर हम धारा 31 पर कैसे आ गये? परन्तु, धारा 31 के आरम्भ में यह जो व्यवस्था है कि "पहले के उपबन्धों में किसी बात की व्यवस्था होते हुए भी", इससे हम धारा 27, 28 और 29 की उपेक्षा करते हुए विनियोग (लेखानुदान) विधेयक पास कर सकते हैं।

विधेयक में निहित प्रक्रिया भारत सरकार के नियमित बजट के लिये वित्तीय मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से भिन्न नहीं है ।

जहां तक राष्ट्रपति के आदेश का संबन्ध है मैं उसे वैध मानता हूं, परन्तु मैं उसके बारे में अधिक नहीं कहूंगा क्योंकि इस बारे में मामला न्यायालय के विचाराधीन है । इस मामले का निपटारा उपयुक्त अधिकार द्वारा किया जायेगा।

जहां तक इस विधेयक के पुरःस्थापन का संबन्ध है, कोई ऐसा संवैधानिक उपबन्ध नहीं है जिसके आधार पर इस पर आपत्ति की जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे तो सभा की कार्यवाही को विनियमित करना होता है । यह देश में सर्वाधिकार सम्पन्न पीठासीन अधिकारी को इस बात का निर्णय नहीं करना होता है कि क्या कोई विधेयक सभा के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है या नहीं । इस बात का निर्णय तो स्वयं सभा ने ही करना है । यह कहना सही नहीं कि सरकार संसद की उपेक्षा करना चाहती है । मैं मंत्री महोदय के इस कथन पर विश्वास करता हूं कि प्रत्येक बात संसद् के निर्णय के अनुसार की जायेगी । इस प्रकार संसद को उचित सम्मान दिया गया है और हमें इससे सन्तुष्ट होना चाहिए।

जहां तक संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम की धारा 51 का सम्बन्ध है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा की है, मेरे विचार में इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के लिए यह करना आवश्यक नहीं है कि पांडिचेरी विधान सभा की शक्तियों का संसद द्वारा उपयोग किया जाएगा। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर तो यह अधिकार स्वतः ही संसद को प्राप्त हो जाता है । इस पर भी, उन्होंने आदेश में स्वयं यह बात कह दी है । इसलिये, किसी प्रकार के असम्मान का प्रश्न ही नहीं उठता।

परन्तु एक सन्देह मेरे मन में पैदा होता है। पहले दिन जब मंत्री महोदय राष्ट्रपति के आदेश के समर्थन में बोले थे तो उनका मुख्य तर्क समय की कमी का था । उन्हें पांडिचेरी से कुछ सूचना और पत्र 29 मार्च की सुबह को प्राप्त हुए थे और उनकी जांच करने का उनके पास समय नहीं था। उन्होंने

कहा कि पांडिचेरी प्रशासन द्वारा तैयार सब आंकड़े और प्राक्कलन वह स्वीकृत नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें उनकी जांच करनी थी । किन्तु संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम की धारा 23 में उल्लेख है कि कोई भी विधायी प्रस्ताव जिनमें पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से धन के विनियोग की व्यवस्था होती है, प्रशासक की मंजूरी के बिना संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा में पेश नहीं किया जा सकता। यह सब जानते हैं कि प्रशासक गृह मंत्रालय का एजेंट होता है अतः यह बात तर्क संगत नहीं है कि आय और व्यय के अनुमान और विनियोग विधेयक जो प्रशासक की पूर्व-स्वीकृति से तैयार किये गये हैं, भारत सरकार उनसे अवगत नहीं थी । गृह मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट करें।

दूसरी बात यह है कि जब सरकार ने उसी शाम को राष्ट्रपति का आदेश जारी कर दिया था तो इसे 29 तारीख को संसद के समक्ष क्यों नहीं पेश किया गया ? सभा कुछ अतिरिक्त समय दे सकती थी अथवा शनिवार को बैठक बुलाई जा सकती थी यह स्थिति बहुत असामान्य सी है। यह स्थिति परिहार्य थी। पांडिचेरी के इस प्रश्न से हमारे संविधान की कुछ त्रुटियां प्रकाश में आई हैं।

मंत्री महोदय ने संविधान के अनुच्छेद 239क का आश्रय लिया। उन्होंने कहा कि संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम के द्वारा, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के सम्बन्ध में, संविधान के किसी भी उपबन्ध का संशोधन किया जा सकता है । श्री श्यामनन्दन मिश्र ने अनुच्छेद 266 का उल्लेख किया है, जिसके अनुसार कोई भी निधि विनियुक्त नहीं की जा सकती। उन्होंने 1897 के सामान्य खण्ड अधिनियम की परिभाषा का उल्लेख किया और कहा कि संघ राज्य क्षेत्र भी राज्य है । संविधान के अधीन संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यों की सूची में शामिल नहीं किया गया है यह स्थिति विषम है ।

मेरी जानकारी के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है । देश के सभी भागों में संघ राज्य क्षेत्र हैं और उनके बारे में निर्णय अवर सचिव अथवा उप-सचिव द्वारा लिये जाते हैं। तत्संबंधी मामले उप-मंत्री तक भी नहीं जाते हैं । हमें इस विषय में कुछ करना होगा।

श्री मिश्र ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि कोई भी कानून भूतलक्षी कार्यवाहियों को वैध घोषित नहीं कर सकता । इस प्रश्न का भी उत्तर दिया जाना चाहिए। श्री सोमनाथ चटर्जी ने यह बात कही है कि जो मांगें हम अब स्वीकृत करते हैं क्या प्रथम अप्रैल से किया गया व्यय भी उनमें शामिल होगा । यह तर्क उचित प्रतीत होता है । हमें इन बातों पर सावधानी से विचार करना होगा।

श्री एच० आर० गोखले : श्री मिश्र ने यह बात कही कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय की दृष्टि से जो बात संवैधानिक नहीं है उसे भूतलक्षी प्रभाव से विधिमान्य घोषित नहीं किया जा सकता। जो बात सामान्य विधि के अनुसार असंवैधानिक है, उसे संवैधानिक नहीं बनाया जा सकता और यदि जो कुछ किया गया है वह असंवैधानिक नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का तर्क लागू नहीं होता।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : अनुच्छेद 239 और 266 में कोई परस्पर विरोधी बात नहीं है । संसद द्वारा पारित संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम का अनुच्छेद 266 से कोई विरोध नहीं है ।

श्री एच० आर० गोखले : मुख्य बात तो यह है कि इस मामले में संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम लागू होता है, न कि अनुच्छेद 266।

एक प्रश्न जो आपने भी किया है उसके बारे में स्थिति यह है कि जो लेखानुदान आज पारित किये जा रहे हैं उनमें प्रथम अप्रैल, 1974 को और उसके बाद किया गया व्यय भी शामिल है।

श्री सेझियान (कुटम्बकोणम) : हमने गृह मंत्री से एक स्पष्टीकरण मांगा था। पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रपति का शासन है और वह क्षेत्र गृह मंत्री के अधीन है, परन्तु उनके मंत्रालय का कोई प्रतिनिधि यहां उपस्थित नहीं है। अध्यक्षपीठ द्वारा भी प्रश्न पूछा गया है परन्तु कोई भी स्पष्टीकरण करने नहीं आया। यह सभा का अवमान है। हम इस विधि में भागी नहीं बनना चाहते। अतएव हम सभा त्यागते हैं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : हम भी इसमें भागी नहीं बनना चाहते। अतएव हम भी सभा त्यागते हैं।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम (तिरुचिरापल्ली) : सत्तारूढ़ दल ने जिस ढंग से पांडिचेरी में सरकार को गिराया है उसके विरोध में हम भी सभा त्यागते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : हम भी सत्तारूढ़ दल के रेवैये के विरोध में सभा त्यागते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : गृह मंत्री को कह दीजिए कि हम भी घर जा रहे हैं। **(तत्पश्चात् श्री सेझियान, श्री श्यामनन्दन मिश्र, श्री एम० कल्याणसुन्दरम, श्री सोमनाथ चटर्जी, प्रो० मधु दण्डवते और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये)**

(Shri Sezhiyan, Shri Shyam Nandan Mishra, Shri M. Kalyansundaram; Shri Somnath Chatterjee; Prof. Madhu Dandavate and some other members then left the House)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1974-75 के एक भाग की सेवाओं के लिए पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

श्री के० आर० गणेश : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1974-75 के एक भाग की सेवाओं के लिए पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1974-75 के एक भाग की सेवाओं के लिए पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खण्डवार विचार किया जायेगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clauses 2 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 और 4, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 और 4, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 3 and 4, the Schedule, Clause 1, the Enacting Farmula and the Title were added to the Bill.

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अनुदानों की मांगें, 1974-75

DEMANDS FOR GRANTS, 1974-75

इस्पात और खान मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब इस्पात और खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे विचार किया जायेगा।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मंत्री महोदय को विदित है कि हिन्दुस्तान अल्युमिनियम कार्पोरेशन, मिर्जापुर में तालाबन्दी के कारण 7000 श्रमिक बेकार हो गये हैं। मैं मंत्री महोदय से उसे अधिकार में लेने अथवा उस पर एक वक्तव्य देने के लिए निवेदन करता हूं।

Shri G.P. Yadav (Katihar) : When the Bokaro construction Engineers Association approached the Managing Director in connection with their demands, they were lathi charged.

(डा० हेनरी आस्टिन **पीठासीन हुए**)।

[Dr. Henry Austin **in the chair**]

Has the production of the plant not been affected due to the activities of the Managing Director ?

Shri Jindwani who was holding an ordinary post has been appointed as chief Personnel officer. He is interfering in the job of the Finance officer. There are serious allegations against him for mis-appropriation of 47 wagons of pig iron for which a C.B.I. inquiry is going on. He has sold these wagons to unauthorised parties in an unauthorised manner. Due to such things, the production of steel has been badly lost. The 'Indian Express' in its issue of 14th January, 1974, has apprehended that gap between demand and supply would grow wider and would add to the strains of the economy.

The production of steel plant is falling, the plant is running in loss and the distribution system is defective. The responsibility for all this vests with the Government.

The 'Hindustan Times' of 23rd February, 1974 has published a news item under the caption "Steel misused by bogus firms". What measures the government has taken to check the malpractices in the distribution system of steel ?

Thousands of blacksmiths of rural areas are now jobless. The Government should provide them with adequate work.

Mineral production has a vital role in the steel industry. The production of Coal in 1970 was 73.70 million tonnes, in 1971 it was 71.82 million tonnes in 1972 it was 74.77 million tonnes and in 1973 it was 77.20 million tonnes. The production of gold in 1970 was 3241 Kilos, in 1971 it was 3656 Kilos, in 1972, 3290 Kilos and in 1973, 3257 Kilos. The production of iron ore in 1970 was 31.37 million tonnes, in 1971 it was 34.26 million tonnes, in 1972 it was 35.19 million tonnes and in 1973 it was 36.03 million tonnes.

The prices of Coal have risen to a great extent after nationalisation of Coal mines previously. It was being sold at Re. 1 per maund in Bihar. Now it is being sold @ Rs. 8 per maund. According to the law of economics, the prices should have fallen. But that has not happened.

They have formed a committee to find out causes of irregularities in the matter of transportation of Coal. Meetings have taken place twice and the recommendations have been sent to him but inspite of this, the Railway Ministry has not taken any action.*

श्री मूल चन्द डागा (पाली): उन्होंने मंत्री महोदय के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए हैं। इसको कार्यवाही वृत्तांत से निकाल देना चाहिए।

एक माननीय सदस्य: उन्हें ये शब्द वापिस ले लेने चाहिएं।

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव: इसको वापिस लेने का प्रश्न नहीं उठता, मैं इस्पात तथा खान मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं ताकि कोयला पर्याप्त मात्रा में सप्लाई किया जा सके।

The Minister of Steel and Mines (Shri K. D. Malaviya) : It is improper to level any baseless charges against any of our collegue. He should not make any irresponsible statement. He should better withdraw such words.

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

*Expunged as ordered by the Chair.

Shri G. P. Yadav : There is no question of withdrawing it. We have submitted a memorandum against the Minister to the Prime Minister and the President. I have not said anything which should be withdrawn.

सभापति महोदय : आपने अपनी बहस में मंत्री महोदय पर आरोप लगाए हैं, पहली बात तो यह है कि वह यहां नहीं हैं, दूसरे आपने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं वह सभा की गरिमा के अनुकूल नहीं है, आपको ज्ञापन देना चाहिए था । आप अपने आरोपों को वापिस ले लीजिए ।

Shri G. P. Yadav : The Government has fixed the production target of Coal at 13.5 crores tonnes in the fifth five year plan. My submission is that only the figures will not work. We have to increase the production physically.

Nationalization of Coking Coal has resulted in the fall of its production. The wrong distribution system has resulted in corruption which has adversely affected the economic and industrial structure. The hon. Minister should reconsider the policy which does no serve the purposes of the masses. Sentiments should not be attached with policy. Policies are formulated for the welfare of masses and they are subject to changes. The nationalization of Coking Coal has led to shortage of coal which has caused great hardships to the people and our industrial structure and the life of our people has paralysed. This step should be given second thought.

The Government has nationalized the coking coal but what the workers have gained thereby ? Workers in coal industry should be made partners in it. This will help increase their production Capacity. Taking this into consideration, it is my submission that workers of steel industries and coal mines should be made partners in this ventures. Today these situation is that Government is taking over those industries and calling upon the workers to cooperate. The Government should invest capital and the workers invest their labour in these industries. This system of partnerships with workers will help increase the production. The Government has constituted a committee to go into the supply of Wagons, but its recommendations have remained unattended. In samastipur Division, which is headquarters of North Eastern Railway, about Seventy or Eighty trains are not running. So it is request that the hon. Minister should think over it so that coals may be made available to the people easily.

सभापति महोदय : आपने जो आरोप लगाए हैं, उस पर माननीय सदस्यों ने आपत्ति की है । आपने इनको वापिस लेने की बात कही है । रिकार्ड में लाने के लिए इसको स्पष्ट किया जाना चाहिए ।

Shri G. P. Yadav : I have stated that we have submitted a memorandum to the President in which we have levelled charges of corruption against him. I think I have not said anything new.

सभापति महोदय : आपके द्वारा लगाए गए आरोपों के विरुद्ध माननीय सदस्यों की तीव्र प्रतिक्रियाएं हैं । मंत्री महोदय श्री मालवीय ने भी कहा है कि वाद-विवाद के दौरान किसी मंत्रालय की आलोचना की जा सकती है परन्तु किसी मंत्री के नाम का घसीटा जाना ठीक नहीं है ।

Shri G. P. Yadav : I agree with the contention of the hon. Minister.

सभापति महोदय : तब रिकार्ड में यह रखा जायेगा कि आपने अपने शब्द वापिस ले लिये हैं ।

Shri G. P. Yadav : I have not withdrawn them. It is usually discussed in the House.* What new thing I have said which is to be withdrawn ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मेरी उनसे अपील है कि इन शब्दों को वापिस ले लिया जाये, अन्यथा आपको उन्हें कार्यवाही वृत्तान्त से निकालने का अधिकार है ।

Shri K. D. Malaviya : the hon. Member has full right to criticize the working in Coal mines and the distribution of coal. I do not deny it. I can clarify the points later on. But when he pin-points a person and makes personal allegations against him then I have a right to ask him to withdraw them. If he does not withdraw, then you should expunge them.

Shri G. P. Yadav : I accept the contention of the Minister of Steel and Mines, but I have not made any personal allegation.

सभापति महोदय : जहां तक मुझे ठीक याद है, और इसकी पुष्टि रिकार्ड से हो जाएगी, श्री यादव नें कुछ व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं वे बहुत गंभीर हैं । यदि वे आम आरोप लगाते तो कोई बात नहीं थी परन्तु उन्होंने व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं । मेरी उनसे अपील है कि वे इन्हें वापिस ले लें ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morene) : You want that we should praise him. If he has done a wrong thing, we will condemn him. It should be on the record. The hon. Minister can clarify the position.

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : श्री यादव ने मंत्री महोदय की बात को समझा है, मेरे विचार में मामले को यहीं समाप्त समझना चाहिए और अब आगे की कार्यवाही होनी चाहिए ।

सभापति महोदय : उन्होंने पहले एक विशेष मंत्री के विरुद्ध आरोप लगाए थे और बाद में स्वीकार किया कि वे सामान्य रूप से बात कह रहे थे, हमें उनके पहले वाले वक्तव्य को निकालकर बाद वाला वक्तव्य स्वीकार करना चाहिए ।

Shri Damodar Pandey (Hazaribagh) : I support the demands but want to say a few words about them. They have proposed lesser demands and the target of coal production during the next five year plan will not meet the requirements. This must be increased. The hon. member has just stated that the production of coal has increased. This has been possible due to nationalization of coal industry. Whenever there is any crisis in the steel industry, that is attributed to shortage of coal which is an attempt to create confusion. There is no denying the fact that the production of coal has increased but the crisis has also increased with it. The reason is that the consumptions of coal has increased in Power houses and Steel Plants. In the next five year plan, Power houses and Steel Plants will start consuming about 73 million tonnes of coal. Thus we will not be able to meet the requirements of Railways and small scale industries and others. So it is my submission that the target of coal production should be given second thought and it should be increased. If the coal is not supplied in proper quantity to brick kiln industries, small scale industries, for cooking etc. then the people will have to face hardships. To avoid these hardships, the target of coal production should be enhanced.

*अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया ।

*Expunged as ordered by the Chair.

Even after the nationalization of coal industry, there are many works which need the attention of the hon. Minister. Drinking water is not available to workers of coal mines. They are still living in huts. Medical aid is not provided to them. I hope the hon. Minister will undertake all these works. There is no rationing provision for coal mine workers. They are not getting foodgrains. This is a serious situation. A large sum is due from the coal mines owners to the workers. Provision should be made in the Nationalization Act that these workers must get their dues. The Government should take over India fine bricks which was closed down by its proprietors.

Regarding the situation in Coal mines, I want to say that the officials of coal mines are harassing the workers. The Government should take some action in this regard. No attention is paid to the safety of miners. The rate of accidents has increased. Supervision measures must be tightened.

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : The nationalization of coal industry was widely welcomed but due to slackness of Government it is going to be a failure. The old coal mines owners' men have been employed in the mines and they have been paid a large sum of money.

I had given a calling attention notice on the firing that took place in Ghori Coal Mine on 6th March, 1973. A number of workers had died in that incident. It is shocking that the ex-owner of the coal mine who was responsible for that incident has been again awarded a contract and it is also said that amount due from him has been adjusted against the contract. This is a very strange way of doing things. The money which the contractor has forcibly withheld should be taken back from him. He should be given proper punishment in view of the crime in which he is involved. If such persons are given more contracts there is bound to be trouble in the industry and consequent dislocation in the production and distribution of coal.

Although the management of IISCO was taken over by the Government, there is no change in the top personnel. Some of the top officials were found involved in cases of forgery. So long as the present personnel in the management is not changed, there can be no improvement in the working of IISCO. When coal mines were nationalized, we had hoped that the production of coal and steel would go up but the way the coal mines are being managed, there is little hope of improvement. In fact, today, we are faced with a serious crisis in the production and supply of coal.

The construction engineers of Bokaro Steel Plant numbering 1500 are on strike. When they went to see the managing director they were lathi charged by the Police, rounded up and were sent to jail. This is resulting in the loss of production in steel plant. A few days ago, the Minister had announced that he was trying to decentralise the administration of the various steel plants and give them more powers. But he should understand that he would fail in his objective if he did not ensure that only such persons, who have faith in the concept of Public sector, are appointed on the managerial posts in the Steel Plants. We find that people from the Tatas have been appointed. It is reported about the Managing Director of Bokaro that he had supplied 47 wagons of iron to Tatas in a clandestine manner. If this true, then this is a very serious thing. A CBI inquiry should be held in the matter.

The Management of Hindalco has declared lockout on the pretext that power supply to their plant has been cut. This is entirely wrong. The management is giving wrong excuses to the Government. As a result of lock out, the situation in Hindalco has become very tense. The Government should take steps to bring normalcy there.

The officials say that the labour union lack unity. You start the system of choosing representatives through secret ballots and include the labour representatives in the management. Have trust in them. Corrupt officials should be sacked.

The TISCO should be nationalized. It should not be given back to its old owners. The coal industries should also be kept away from their hands. I hope the hon. Minister will look into all these points.

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह) : मैं गत तीन वर्षों से बद्ध (कैप्टिव) तापीय बिजली संयंत्रों के लिये अनुरोध कर रहा हूं। रानीगंज कोयला क्षेत्र में बहुत सी गैसयुक्त खानें हैं और दुर्घटना को रोकने के लिये केवल मैथेनो मीटर ही पर्याप्त नहीं हैं अपितु स्वचालित रिकार्डर और मानीटर लगाये जायें और यदि आवश्यक हो तो उनका आयात किया जाये। मेरे द्वारा इस सम्बन्ध में प्रश्न उठाये जाने के चार दिन के अन्दर ही, जीतपुर दुर्घटना हुई। यदि ऐसी दुर्घटनाएं और हुई तो श्रमिक हतोत्साहित हो जायेंगे। मेरा सुझाव है कि खनन क्षेत्र के लिये आपात संगठन गठित किया जाये। सी० एम० ए०, बी० सी० सी० एल०, एन० सी० डी० सी०, हिन्दुस्तान कापर और हिन्दुस्तान जिंक एन० एम० डी० सी० सरकारी खनन क्षेत्रों में पूंजी-निवेश को ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि भिन्न-भिन्न प्रकार की खनन मशीनों का मूल्यांकन करने हेतु मार्गदर्शी क्षेत्र या मार्गदर्शी खानें हों।

अभी तक कोई मानक लागत प्रणाली नहीं है और न ही युक्तिसंगत स्टोर प्रक्रियाएं हैं। इस कारण करोड़ों रुपये की चोरी को रोका जाना चाहिए।

न तो कोयला खानों और न ही इस्पात संयंत्रों में निवारक अनुरक्षण की व्यवस्था है। ब्रिटेन में नैशनल कोल बोर्ड में छपी हुई जांच-सूची रोजमर्रा की बात है। मैन्थेन गैस का निकलना बढ़ेगा और उससे खतरा बढ़ेगा। अतः हमें दूसरी रोक-थाम के लिये उपचारात्मक उपाय करने चाहिए।

35 करोड़ टन की दस-वर्षीय योजना बनाई जानी चाहिए। उसके बिना कोयले का उत्पादन नहीं बढ़ सकता।

सरकार की वार्षिक योजना है। क्या सरकार ने इस्पात के उपभोग को कम करने के लिये इस्पात के पाइपों के स्थान पर कोई अन्य वस्तु लगाने की बात सोची है ? सीसे का भी महत्वपूर्ण स्थान है। मैंने बाली हिल सीम खोलने का सुझाव दिया है। ऐसा करने पर उत्पादन 30 लाख टन तक बढ़ सकता है।

योजना बनाते समय लकड़ी, बिजली के ड्रिलों और सीमेंट की कमी के बारे में क्या करने का विचार है ? झरिया में लगभग 50 करोड़ टन धातुकर्मक कोयला है और गिरिडीह में 88 लाख टन उमदा किस्म का धातुकर्मक कोयला है। क्या उसे ज्यादा से ज्यादा निकालने हेतु चैंस बोर्ड जैसी नई खनन तकनीक आजमाई जायेगी या उसे बट्टे खाते डाला जायेगा ?

नये इस्पात संयंत्र खोलने की अपेक्षा हमें विद्यमान इस्पात संयंत्रों का विस्तार करना चाहिए । हमें आधा दर्जन बद्ध तापीय बिजली संयंत्र लगाने चाहियें जिनमें से कुछ चलते-फिरते हों ताकि बिजली की आवश्यकता पूरी की जा सके ।

इस्पात मंत्रालय के मामले में कुछ प्रशासनिक असंगतियां हैं । एस० ए० आई० एल० का चेयरमैन इस्पात मंत्रालय का सचिव है । इस असंगति को दूर किया जाना चाहिए ।

एस० ए० आई० एल० की स्थापना पर हमने बड़ी-बड़ी आशायें की थी । प्रत्येक व्यक्ति ने क्षमता के 90 प्रतिशत के उपयोग की आशा की थी परन्तु वह मुश्किल से 60 प्रतिशत है । हमें 200 करोड़ रुपये का इस्पात आयात करना पड़ता है । यदि एस० ए० आई० एल० संतोष जनक कार्य नहीं कर सकता तो इसे समाप्त किया जाना चाहिये ।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने एक दिन नीलामी में 12 करोड़ रुपये का घाटा उठाया । ऐसा जानबूझ कर किया जाता है । यदि भ्रष्टाचार की यही हालत रही तो क्या कभी इस्पात संयंत्रों को कुशल और लाभकर बनाया जा सकता है ।

मैंने न केवल कर्मचारियों अपितु अधिकारियों को भी कार्यकरण एवं कुशलता बोनस देने का सुझाव दिया था । विकसित देशों में 132 प्रकार के बोनस दिये जाते हैं ।

हमने अब तक श्रमिक अनुशासनहीनता, बिजली की कमी और अन्य अनेक बहाने बनाये हैं, परन्तु उत्पादन बढ़ाने के लिये उपाय किये जाने चाहियें ।

Shri Dhan Shah Pradhan (Shahdol) : While supporting the Demands, I would like to request the hon. Minister to pay attention to the living conditions of the workers. The amount earmarked for the purpose for the year 1974-75 should be increased.

The administration can prevent the natural calamities occuring in mines. Last year seven persons were killed in Dhanpuri colliery in Shahdol District. What action has been taken to find out the causes of the disaster ? Attention should be given to the protection of worker's lives. Corruption has increased in coal mines. It should be looked into.

I suggest that the life insurance of workers working in coal mines is necessary. Co-operation of scientists and experts should be sought to increase coal production.

Sometimes, the workers go on strike to press certain demands. Facilities of water, foodgrains and medicines should be given and the amount sanctioned for the purpose should be increased.

A research committee of scientists to find out the locations of coal mines should be set up. Management and labour relations should be satisfactory. Incentives should be given to the efficient workers. Special attention should be paid towards sanitation and safety in mines.

What steps are being taken to exploit the Singrauli coal fields ? Why the mchanisation is preferred in exploiting the mines ? Unemployment is there in that area. It seems that there is no coordination between the Ministry of Employment and the Ministry of Steel. The amount earmarked for this purpose should be increased.

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासौर) : इस्पात के मूल्यों में वृद्धि हो गई है । नवम्बर, 1973 के अंत तक इस्पात का उत्पादन कम होकर पिंड का उत्पादन 1,00,500 टन और बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन 2,02,200 टन रह गया ।

वर्ष 1973 में विश्व के देशों की तुलना में हमारे देश में यह उत्पादन केवल 50 लाख टन था जबकि अमरीका में 13.65 करोड़ टन था ।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने जो लक्ष्य सुझाया था वह पूरा नहीं हो सका ।

यह अनुमान था कि सभी इस्पात संयंत्र वर्ष 1978-79 में संयुक्त रूप से 88 लाख टन इस्पात का उत्पादन करेंगे परन्तु आज स्थिति क्या है ? मंत्री महोदय इस बात पर ध्यान दें कि इस्पात का उत्पादन संतोषजनक नहीं है ।

श्री मालवीय इस बात पर सहमत होंगे कि श्रमिक चाहते हैं कि प्रशासक उनके साथ न्याय करें । परन्तु श्रमिकों को न्याय पाने के लिये एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में जाना पड़ता है । इस स्थिति का अन्त होना चाहिये और श्रमिकों को न्याय मिलना चाहिए । रूरकेला इस्पात संयंत्र में 800 श्रमिकों की, जो सुरक्षा कर्मचारी थे, छंटनी कर दी गई । बाद में 200 कर्मचारियों को दबाव में आकर काम पर रखा गया । उसके बाद जब फिर दबाव पड़ा तो और 400 कर्मचारियों को रखा गया ।

इस्पात मंत्रालय ने एक बार निर्णय किया था कि राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आये व्यक्ति या तो कम्पनी में रहने का विकल्प दें या फिर अपने मूल कार्यालय में वापस जायें । इस सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार से आये उप महाप्रबन्धक को छह महीने काम करने के बाद वापस उड़ीसा सरकार में जाना पड़ा । इस दूषित वातावरण के कारणों का पता लगाया जाना चाहिये । मैं तो प्रबन्धकों की नीति को इसके लिये उत्तरदायी ठहराऊंगा ।

अनेक इस्पात संयंत्रों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है ।

हमारे मंत्रालय में टाटा के कई अधिकारी हैं । वे इसे क्यों नहीं रोक सकते हैं ? आपको बाजार में चाहे जितना इस्पात मिल सकता है । कतरन के नाम पर अच्छा इस्पात बाहर जा रहा है । भ्रष्टाचार की जांच करने के लिये एजेंसी होनी चाहिए ।

ऐसे भी अधिकारी हैं जिनके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, फिर भी वे चीफ इंजीनियर हैं।

एक व्यक्ति ने जाली प्रमाण-पत्र, डिग्रियां और डिप्लोमा दिये थे और जब मैंने उसकी जांच के लिए कहा तो अस्पष्ट उत्तर दिये गये । यदि उसके प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कर लिया गया तो उसके मूल प्रमाण-पत्र क्यों नहीं मांगे गये ?

इस्पात संयंत्रों में एक निश्चित कार्मिक नीति होनी चाहिये । पुरानी कार्मिक प्रबन्ध प्रणाली अब नहीं चल सकती है । हमें इस प्रकार की नीति प्रतिपादित करनी चाहिये जिससे श्रमिक उत्तम से उत्तम कार्य करे और उत्तम से उत्तम पारिश्रमिक पाये ।

यदि रूरकेला इस्पात संयंत्र का उत्पादन बिजली की कमी के कारण कम हुआ है तो प्रबन्धकों ने तापीय बिजली घर से बिजली क्यों नहीं ली ?

रूरकेला में क्षेत्रीय शांति नहीं है और मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस बात पर ध्यान दें कि गंभीर स्थिति उत्पन्न हो रही है । इसके मूल कारणों का पता लगाया जाये और इसका समाधान किया जाये । ताकि रूरकेला में औद्योगिक शांति हो सके ।

Shri Chandulal Chandrakar (Durg) : I want to congratulate the workers, officers and management of the Bhilai Steel Plant for producing 94 per cent of saleable steel. The credit goes to the workers because they have worked peacefully and efficiently in spite of the fact that the workers received lesser salary than they got in the year 1972-73.

Electricity Department of Madhya Pradesh also deserves congratulations for supplying power to the plant.

Captive power plants should immediately be installed in other steel plants where production has gone down. It is learnt that the Bharat Coking Coal Limited may be put under Mines Department. It will be a wrong step.

The joint Negotiations commitee has succeeded in averting strikes in steel plants.

Attention should be given to the maintenance of steel plants. Theft in these plants should be stopped.

Workers in these plants are retrenched without any reason. This leads to deteriora tion in labour management relations. Contract system should be abolished.

The melters who come after receiving training in foreign countries receive low salaries. As a result of that, they go to administrative jobs of the department. This causes fall in production.

सभापति महोदय : यदि माननीय सदस्य चाहें तो अपना भाषण कल जारी रखें ।

अब श्री के० रघुरामैया ।

बिहार की स्थिति सम्बन्धी वक्तव्य के बारे में

RE-STATEMENT ON BIHAR SITUATION

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : बिहार में उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी और यह निर्णय किया गया कि गृह मंत्री परसों वक्तव्य देंगे और तत्पश्चात् यह निर्णय करने हेतु कार्य मंत्रणा समिति की बैठक फिर होगी कि क्या चर्चा आवश्यक होगी और कब ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कल दिये जाने वाले वक्तव्य का क्या हुआ

श्री के० रघुरामैया : वह कल वक्तव्य देंगे ।

तत्पश्चात् लोकसभा मंगलवार, 16 अप्रैल, 1974/26 चैत्र, 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Tuesday, April 16, 1974/ Chaitra 26, 1896 (Saka).

MGIPRRND—20 LSS/74—1-N—30-7-74—500